जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण विभाग,
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

सातवां भारत जल सप्ताह

जल शक्ति अभियान 2022

जल विजन@2047

राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक

जल शक्ति - जन शक्ति

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

नई दिल्ली

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृ.सं.
1.	**सिंहावलोकन**	1–17
2.	**जल संसाधन परिदृश्य**	19–22
3.	**मुख्य योजनाएं और कार्यक्रम** (पीएमकेएसवाई, सीएडीडब्ल्यूएम, एसएमआई, आरआरआर, एचकेकेपी–जीडब्ल्यू, एमआई गणना, महाराष्ट्र के लिए स्पेशल पैकेज, राष्ट्रीय परियोजनाएं, सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग, एनएमसीजी, अटल जल, बाढ़ पूर्वानुमान, एफएमबीएपी, एनएचपी, आई.ई.सी., ई–गवर्नेंस, डीआरआईपी, आर एंड डी, डीडब्ल्यूआरआईएस, एनआरसीपी, एनडब्ल्यूएम, जीडब्ल्यूएम एंड आर, आरबीएम, नदियों का संयोजन)	23–56
4.	**अंतर–राज्यीय नदी मुद्दे** (आइएसआरडब्ल्यूडीए, डीएसए, केडब्ल्यूडीटी, महादयी डब्ल्यूडीटी, महानदी डब्ल्यूडीटी, रावी और ब्यास डब्ल्यूडीटी, वीडब्ल्यूडीटी)	57–64
5.	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** (जी–20 जल प्रतिनिधियों की बैठक, द्विपक्षीय सहयोग, भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, भारत–नेपाल सहयोग, भारत–चीन सहयोग, भारत–भूटान सहयोग, सिंधु जल संधि, 1960)	65–73
6.	**जल संसाधन क्षेत्र में बाह्य सहायता**	75–80
7.	**संगठन और संस्थाएं** (सीडब्ल्यूसी, सीएसएमआरएस, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, जीएफसीसी, बीसीबी, यूवाईआरबी, फरक्का बैराज, एनडब्ल्यूआईसी, एनडब्ल्यूडीए, एनडब्ल्यूएम, एनआईएच, नेरीवालम, एनएमसीजी, एनसीए, बीबी, बीआरबी, तुंगभद्रा बोर्ड, पीपीए, केआरएमबी और जीआरएमबी, सीडब्ल्यूएमए और एनडीएसए)	81–156
8.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम** (वाप्कोस, एनपीसीसी)	157–164
9.	**पूर्वोत्तर में की गई पहलें** (एनआईएच, सीएसएमआरएस, सीजीडब्ल्यूबी, डीआरआईपी, एनपीसीसी, बीबी, नेरीवालम, एनआरसीपी)	165–174
10.	**विभाग के विंग, प्रशिक्षण और शासन**	175–190
11.	**जेंडर सशक्तिकरण/महिला कल्याण गतिविधियां**	191–194
12.	**हिन्दी का प्रगामी प्रयोग**	195–198
13.	**कर्मचारी कल्याण**	199–202
14.	**पारदर्शिता और सतर्कता**	203–206
15.	**दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति**	207–209

अनुलग्नक

क्र. सं.	अनुलग्नक	पृ.सं.
I.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का संगठनात्मक चार्ट	213
II.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में पदस्थ कर्मचारी 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार	214
III.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों एवं संगठनों के प्रमुखों के नाम और पतों की सूची	215–218
IV.	सूचित पूर्ण/लगभग पूर्ण प्राथमिकृत परियोजनाओं (एआईबीपी कार्य) की सूची	219–220
V.	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 99 प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के एआईबीपी कार्य के लिए जारी केंद्रीय सहायता और राज्य का हिस्सा (दिनांक 31.12.2022 तक)	221–222
VI.	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए जारी केंद्रीय सहायता और राज्य का हिस्सा (दिनांक 31.12.2022 तक)	223
VII.	एफएमबीएपी के एफएमपी/एफएम घटक के तहत जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण	224
VIII.	11वीं और 12वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्य–वार संरक्षित क्षेत्र और लाभान्वित जनसंख्या	225
IX.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 'सर्वेक्षण और जांच' और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	226–227
X.	बजट एक नज़र में	228–229
XI.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और उसके विभिन्न संगठनों में लोक/कर्मचारी शिकायत अधिकारियों की सूची डाक पते के साथ	230–232
XII.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विभिन्न अनुभागों/स्कंधों में केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची	233–237
XIII.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और इसके संगठनों के 2022–23 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों की सूची	238

संक्षिप्त रूप

एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एडीसीपी	अकास्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर
एटीएन	कृत कार्रवाई नोट
एआरएस	कृत्रिम पुनर्भरण संरचना
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एआईआईबी	एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
अमृत	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
एएएस	परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
आयुष	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
एकेएएम	आजादी का अमृत महोत्सव
बीसीबी	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड
बीआरबी	बेतवा नदी बोर्ड
बीओओटी	बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर
बीसीएम	बिलियन घन मीटर
बीओडी	बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
बीओपी	सीमा चौकियां
बीबी	ब्रह्मपुत्र बोर्ड
बी.ई.	बजट अनुमान
सीडब्ल्यूएमए	कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

सीडब्ल्यूआरसी	कावेरी जल विनियमन समिति
सीएयू	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय
सीए	केंद्रीय सहायता
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीजीडब्ल्यूए	केंद्रीय भूजल प्राधिकरण
सीजीडब्ल्यूबी	केंद्रीय भूमि बोर्ड
सीआईएफआरआई	केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान
सीआईएमओ	केंद्रीय सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यालय
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीएमयू	केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीएसएमआरएस	केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान
सीडब्ल्यूपीआरएस	केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
सीईई	पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र
सीडब्ल्यूआरडीएम	जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी

सीएमआईएस	तटीय प्रबंधन सूचना सेवा
सीएडी और डब्ल्यूएम	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन
सीईई	स्थापना व्यय पर समिति
सीएलएपी	निरंतर सीखना और कार्यकलाप पोर्टल
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीसीए	कृषि योग्य कमान क्षेत्र
डीएचएआरएमए	बांध हेल्थ और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग
ड्रिप	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
डीओडब्ल्यूआ,आरडी एंड जीआर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
डीएसओ	बांध सुरक्षा संगठन
डीएससी	डेटा और कार्यनीति समिति
डीजीक्यूआई	डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक
डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
डीयूजीजेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
डीओएसी और एफडब्ल्यू	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
डीएंडआर	डिजाइन और अनुसंधान
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीडब्ल्यूआरआईएस	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
डीजीपीएस	डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
डीएलआई	संवितरण लिंक्ड संकेतक

डीओ	विघटित ऑक्सीजन
डीजीसी	जिला गंगा समितियां
डीआईपी	जिला कार्यान्वयन भागीदार
डीपीएपी	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम
ईएमडीबीएस	एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईएपी	आपातकालीन कार्य योजनाएं
ई–पीएएमएस	एक वेब – समर्थित परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली
ईटीएफ	अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स
ईपीसी	इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
ईपीए	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
ईआईएसएल	पर्यावरण इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
ईएलएम	विशेषज्ञ स्तर तंत्र
ईएचपी	विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल भविष्यवाणी
ईआरएम	विस्तारित नवीनीकरण आधुनिकीकरण
एफसी	फीकल कोलीफॉर्म
एफबीपी	फरक्का बैराज परियोजना
एफएफ	बाढ़ पूर्वानुमान
एफएम	बाढ़ प्रबंधन
एफएमबीएपी	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम
एफएमपी	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
एफई और एसए	फाउंडेशन इंजीनियरिंग और विशेष विश्लेषण
जीएचएलएससी	गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति
जीएपी	गंगा कार्य योजना

जीएफसीसी	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
जीएमबी	गंगा प्रबंधन बोर्ड
जीएलओएफ	हिमनद झील से अचानक आने वाली बाढ़
जीआरएमबी	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड
जीबी	शासी निकाय
जीपीआई	अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग
जीसी	शासी परिषद
जीडब्ल्यूएम और आर	भूजल प्रबंधन और विनियमन
जीडब्ल्यूक्यू	भूजल गुणवत्ता
जीजीयू	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
एचपीडीए	हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
एचकेकेपी	हर खेत को पानी
एचपीआरबी	हाई पावर रिव्यू बोर्ड
एचपीसी	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
एच.ई.	हाइड्रो इलेक्ट्रिक
एचएसओ	जल विज्ञान अध्ययन संगठन
आईए	कार्यान्वयन एजेंसियां
आईडब्ल्यूआईएस	भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन
आईएनसीसीसी	भारतीय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समिति
आईएनसीजीडब्ल्यू	भारतीय राष्ट्रीय भूजल समिति
आईएनसीएसडब्ल्यू	भारतीय राष्ट्रीय सतही जल समिति
आईएनसी	भारतीय राष्ट्रीय समितियां
आईजीएनपी	इंदिरा गांधी नहर परियोजना
आईएचएचएल	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार

आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईएआरआई	कृषि अनुसंधान संस्थान
आईपीडीएस	एकीकृत विद्युत विकास योजना
आईआरबीएम	एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन
आईडब्ल्यूसीआईएमएस	एकीकृत जल और फसल सूचना और प्रबंधन प्रणाली
आईडब्ल्यूआरएम	एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन
आईएलआर	नदियों को आपस में जोड़ना
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईएनसीओएलडी	बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग
आईएसआरडब्ल्यूडी	अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद
आईडब्ल्यूआरडीएस	जल संसाधन विकास योजना की जांच
आईएमपी	सिंचाई आधुनिकीकरण योजनाएं
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेएसएः सीटीआर	जल शक्ति अभियानः कैच द रेन
जेएसके	जल शक्ति केंद्र
जेआईसीए	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
जेपीएचसीएल	झारखंड पुलिस आवास निगम लिमिटेड
जेसी	संयुक्त समिति
जेसीआईएफएम	बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त समिति
जेईटी	संयुक्त विशेषज्ञ टीम
जेपीओ–एसकेएसकेआई	संयुक्त परियोजना कार्यालय–सप्त कोसी एवं सुन कोसी जांच
जे आर सी	संयुक्त नदी आयोग
जेटीई	संयुक्त विशेषज्ञ टीम
जेटीटी	संयुक्त तकनीकी टीम
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य दल

केएसडीबी	कर्नाटक स्लम डेवलपमेंट बोर्ड
केवीएस	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केएचएलसी	कोसी उच्च स्तरीय समिति
केआरएमबी	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
केडब्ल्यूडीटी	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण
केआईपी	कुंडलिया सिंचाई परियोजना
एलयूएलसी	लैंड यूज–लैंड कवर
एलटीआईएफ	दीर्घकालिक सिंचाई निधि
एमडब्ल्यूडीटी	महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण
महानदी डब्ल्यूडीटी	महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण
एमएमआई	वृहद और मध्यम सिंचाई
एमई पीजीसीएल	मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड
एमओए	सहमति ज्ञापन
एमओएयू	समझौता ज्ञापन
एमसीयूएम	मिलियन क्यूबिक मीटर
एमओईएफ और सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमआई	लघु सिंचाई
एनसीए	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
एनएमसी	नर्मदा मुख्य नहर
एनएबीएल	परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एनएक्यूयूआईएम	नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम
एनबीडब्ल्यूयूई	राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो
एनसीसी	राष्ट्रीय कैडेट कोर

एनसीडीएस	बांध सुरक्षा राष्ट्रीय समिति
एनडीएसए	राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण
एनसीएसडीपी	भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर्स पर राष्ट्रीय समिति
एनजीआरबीए	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण
एनजीआरआई	राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
एनआईयूए	शहरी मामलों के लिए राष्ट्रीय संस्थान
एनआईयूएलआईटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएचपी	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
एनआईएच	राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान
एनआईएच	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एनपीपी	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
एनपीसीसी	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
एनआरएलडी	बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर
एनआरसीडी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
एनआरसीपी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनडब्ल्यूडीए	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी
एनडब्ल्यूआईसी	राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र
एनडब्ल्यूएम	राष्ट्रीय जल मिशन
एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
एनडीबी	न्यू डेवलेपमेंट बैंक
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनईएचएआरई	पूर्वोत्तर हाइड्रोलिक और संबद्ध अनुसंधान संस्थान

नेरीवाल्म	पूर्वोत्तर जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
ओएफडी	ऑन–फार्म विकास
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्ति
ओबी	आउट बोर्ड
पीडीए	पंचेश्वर विकास प्राधिकरण
पीआईएम	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन
पीआईसी	स्थायी सिंधु आयोग
पीडीएन	पाइप वितरण नेटवर्क
पीआईपी	पोलावरम सिंचाई परियोजना
पीपीए	पोलावरम परियोजना प्राधिकरण
पीजीआईवाईएनईआर	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएफआर	पूर्व–व्यवहार्यता
पीवीआई	निवारण सतर्कता निरीक्षण
पीएडी	परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज़
पीआईआरसी	परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
पीएमओ	परियोजना निगरानी संगठन
पीएमयू	परियोजना निगरानी इकाई
पीएसटी	प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्प्लेट
पीआईपी	जन संवाद कार्यक्रम
पीडीएस	उद्देश्य संचालित अध्ययन
क्यूसीआई	क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया
आरडब्ल्यूएचएस	वर्षा जल संचयन संरचनाएं

आरएफ	राजस्थान फीडर
आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
आरजीएनआईवाईडी	राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान और युवा विकास
आरएसडब्ल्यूजी	रैंडम सी वेव जनरेशन
आरएमआईएस	लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण
आरबीडब्ल्यूटी	रावी–व्यास जल न्यायाधिकरण
आरटीडीएएस	रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली
आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस	रियल–टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन
आरआरआर	मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरसीएनसीए	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति
आरसीसी	संशोधित लागत समिति
आरई	संशोधित अनुमान
आरबीएम	नदी बेसिन प्रबंधन
आरबीओ	नदी बेसिन संगठन
आरडी और पीपी	नदी विकास और सार्वजनिक नीति
आरएफडी	रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
आरएमबीए	नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य
आरजीओबी	भूटान की शाही सरकार
आरआईडीएफ	ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि
एसकेएचडीएमपी	सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना
एसएससीएसी	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

एसएसपी	सरदार सरोवर परियोजना
एसटीपीएस	सीवेज शोधन संयंत्र
एसएफ	सरहिंद फीडर
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसएआई	भारतीय खेल प्राधिकरण
एसटीएसी	स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति
एसएमसीजी	राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एसपीएमयू	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
एसपीआर	राज्य परियोजनाएं
एसडब्ल्यूआईसी	राज्य जल सूचना केंद्र
एसआईडब्ल्यूआई	स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान
एसएसडीएस	सुन कोसी भण्डारण सह डायवर्जन योजना
एसआईएमपी	सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता
एसएमआई	सतही लघु सिंचाई
एसडब्ल्यूक्यू	सतही जल गुणवत्ता
एसओआई	सर्वे ऑफ इंडिया
एसवाईएल	सतलुज यमुना लिंक
टीएआरसी	तकनीकी सलाहकार और समीक्षा समिति
टीएसी	तकनीकी सलाहकार समिति
टीए	तकनीकी सहायता

टीएलएम	तकनीकी स्तर बैठक
टीईसी	तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति
टीपीजीवीए	तृतीय पक्षकार सरकारी सत्यापन एजेंसी
टीएआर	तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र
टीईएम	क्षणिक विद्युत–चुंबकीय
टीबी	तुंगभद्रा बोर्ड
यूएसओ	यूनाइटेड स्कूल संगठन
यूवाईआरसी	ऊपरी यमुना समीक्षा समिति
यूवाईआरबी	ऊपरी यमुना रिवर बोर्ड
वीडब्ल्यूडीटी	वंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण
वीआर	वेलोसिटी राडार
वीईएस	वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग
वीडब्ल्यूएससी	ग्राम जल और स्वच्छता समितियां
डब्ल्यूएएलएमआई	जल और भूमि प्रबंधन संस्थान
वाप्कोस	वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
डब्ल्यूआईएमएस	जल सूचना प्रबंधन प्रणाली
डब्ल्यूएमसी	जल प्रबंधन समितियां
डब्ल्यूआरडीसी	जल संसाधन प्रभाग परिषद
डब्ल्यूएसपी	जल सुरक्षा योजनाएं
डब्ल्यूयूएएस	जल उपयोगकर्ता संघ
डब्ल्यूयूए	जल उपयोगकर्ता संघ
डब्ल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान
डब्ल्यूडब्ल्यूसी	महिला जल चैंपियंस
डब्ल्यूआरआई	विश्व संसाधन संस्थान

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने 29.03.2022 को नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए और जल शक्ति अभियानः कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया।

1 सिंहावलोकन

भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 01.11.2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जल शक्ति राज्य मंत्रियों की गरिमामय उपस्थिति में 7 वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया।

1. सिंहावलोकन

1.1 प्रस्तावना

जल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। यह एक सीमित संसाधन है। हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए इसका विकास, संरक्षण और प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीति दिशा–निर्देश और कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। यह देश में जल के विभिन्न उपयोग के संबंध में जल आयोजना और समन्वय के समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य; जल कानूनों और विधानों, अंतर्राज्यीय और सीमा–पार जल मुद्दों को संबोधित करने; द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय सहयोग; और जल संसाधनों के आकलन, विकास और विनियमन के लिए सामान्य नीति दिशा–निर्देशों और कार्यक्रमों के लिए भी उत्तरदायी है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल गुणवत्ता मूल्यांकन; गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और अन्य नदियों में प्रदूषण की रोकथाम और उपशमन के लिए भी उत्तरदायी है।

विभाग को अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन एवं विकास; अधिकरणों के पंचाटों के कार्यान्वयन; सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के तकनीकी मार्गदर्शन, जांच, मंजूरी और मॉनिटरिंग; भूजल प्रबंधन; बाढ़ प्रूफिंग; जल भराव; समुद्री कटाव और बांध सुरक्षा से संबंधित मामलों से जुड़े विषय भी आबंटित किए गए हैं।

विभाग निम्नलिखित विशिष्ट एजेंसियों के सहयोग से अपने कार्य करता है:

- **दो संबद्ध कार्यालयः** केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला;
- **सात अधीनस्थ कार्यालयः** केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, फरक्का बैराज परियोजना और राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र;
- **चौदह पंजीकृत सोसाइटी, स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकायः** राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, तुंगभद्रा बोर्ड, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण;
- **दो सार्वजनिक क्षेत्र के उप्रकमः** जल और विद्युत परामर्शी सेवाएं लिमिटेड (वाप्कोस) तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी)।

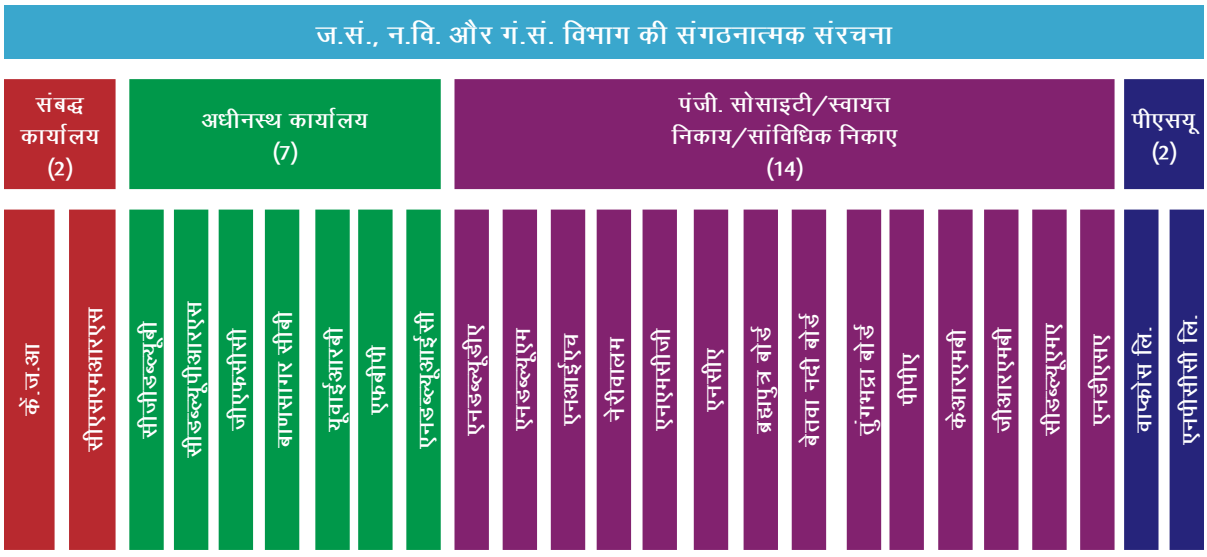

जल शक्ति मंत्रालय का नेतृत्व माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं जिन्होंने 31 मई, 2019 को कार्यभार संभाला था। माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री के रूप में श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और श्री बिश्वेश्वर टुडू ने 8 जुलाई, 2021 को कार्यभार संभाला था। श्री पंकज कुमार ने 27 जनवरी, 2021 को विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। विभाग के संगठनात्मक चार्ट को ***अनुलग्नक–I*** में दिया गया है। विभाग के वर्तमान स्टाफ की संख्या (31.12.2022 तक) को ***अनुलग्नक–II*** में दर्शाया गया है। विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के नामों और पतों तथा संगठन प्रमुखों की सूची को ***अनुलग्नक–III*** में दिया गया है।

वर्तमान में विभाग में 12 स्कंध नामतः प्रशासन, ब्रह्मपुत्र और बराक, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन, आर्थिक सलाहकार, बाढ़ प्रबंधन, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भूजल, सिंधु, लघु सिंचाई सांख्यिकी, गंगा संरक्षण, नदी विकास तथा सार्वजनिक नीति और राज्य परियोजनाएं हैं।

चल रहे वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित बॉक्स में दिया गया:

बॉक्स 1: सातवां इंडिया वाटर वीक (7वां आईडब्ल्यूडब्ल्यू) – 2022

'सातवां इंडिया वाटर वीक –2022' का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में 1 से 5 नवंबर, 2022 तक किया गया था, जिसका विषय ''सतत विकास में समानता के साथ जल सुरक्षा'' था।

भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 01.11.2022 को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जल शक्ति राज्य मंत्रियों की गरिमामय उपस्थिति में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया।

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 01.11.2022 को पूर्ण सत्र आयोजित किया गया था।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ की गरिमामयी उपस्थिति में 7वें इंडिया वाटर वीक –2022 का समापन 05.11.2022 के समापन समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, ज.सं., न.वि. और गं.सं. वि., ज.श.मं. के सचिव, विशेष सचिव उपस्थित थे। कार्यक्रम का अधिक विवरण अध्याय –7 (उप–शीर्षक 7.3.1) में दिया गया है।

बॉक्स 2 : वाटर विजन@2047 पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन

वाटर विजन @2047 पर चर्चा करने के लिए 05–06 जनवरी, 2023 को भोपाल में 'वाटर विजन@2047' विषय पर ''राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन'' आयोजित किया गया था। यह पहला ऐसा वार्षिक सम्मेलन था जिसमें जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सिंचाई के राज्य मंत्री उपस्थिति रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार के सहयोगी विभागों/मंत्रालयों के साथ माननीय प्रधानमंत्री को वाटर विजन @2047 पर प्रस्तुतियां प्रस्तुत करीं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के ई–संबोधन के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई। माननीय जल शक्ति मंत्री और माननीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री और 13 माननीय राज्य जल संसाधन/ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रियों ने अपनी उपस्थिति से सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का अधिक विवरण अध्याय –7 (उप–शीर्षक 7.3.2) में दिया गया है।

बॉक्स 3: भारत में बांध सुरक्षा गवर्नेंस के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला

केंद्रीय जल आयोग ने 16 जून, 2022 को भारत में बांध सुरक्षा गवर्नेंस के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में किया। कार्यशाला का उद्देश्य बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के प्रति सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना और भारत में बांध सुरक्षा गवर्नेंस पर विचार–विमर्श करना था।

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कार्यशाला का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय कार्यशाला में माननीय जल शक्ति मंत्रीयों, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्रियों, केंद्र सरकार और 11 राज्यों के माननीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के जल संसाधन विभागों, ऊर्जा और बिजली विभागों, केंद्र सरकार के संगठनों, सीपीएसयू, अकादमिक संस्थानों, विश्व बैंक आदि के 650 अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का अधिक विवरण अध्याय –4 (उप–शीर्षक 4.2) में दिया गया है।

बॉक्स 4: तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल शक्ति अभियानः कैच द रेन अभियान– 2022 का शुभारंभ

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने 29 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए और जल शक्ति अभियानः कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किए गए थे, जो इस अभियान को गति देता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों ने स्टार्ट–अप के साथ–साथ अग्रणी संगठनों को भारत की उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के लिए वरिष्ठ नीति–निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार–विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। 57वें राज्य संगठनों, व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक), सर्वश्रेष्ठ स्कूल, परिसर उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान/आरडब्ल्यूए/धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सीएसआर कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योगों की 11 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन' (जेएसएः सीटीआर) –2022 अभियान, जेएसए की श्रृंखला में तीसरे अभियान को 29 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। यह स्कीम 29 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक मानसून–पूर्व और मानसून अवधि में देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में लागू की जा रही है। कार्यक्रम की अधिक जानकारी अध्याय –3 (उप–शीर्षक 3.7) और अध्याय –7 (उप–शीर्षक 7.3.2) में दी गई है।

1.2 मुख्य स्कीमें तथा कार्यक्रम

विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग की कुछ गतिविधियों और उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया गया है (अध्याय–3 और अध्याय–7 के तहत विवरण दिए गए हैं)।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

एआईबीपी: 99 परियोजनाओं का प्राथमिकीकरण:

- 1996–97 में शुरू होने के बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत शुरू की गई बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाएं निधि के अपर्याप्त प्रावधान के कारण रुकी हुई थीं। परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं पर खर्च की गई बड़ी राशि को रोक दिया गया और परिकल्पित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।
- पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए दिनांक 02 मार्च, 2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के द्वारा माननीय मंत्री (ज.सं.), छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने राज्यों के साथ परामर्श करके दिसंबर, 2019 तक एआईबीपी के तहत चरणों में पूरा करने के लिए निन्यानवे (99) चालू सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की गई।
- इन परियोजनाओं के क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास कार्यों के समरूप कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है ताकि सृजित की गई सिंचाई क्षमता का कृषकों द्वारा उपयोग किया जा सके।
- केन्द्रीय सहायता के लिए वित्तीय निधि की व्यवस्था नाबार्ड के माध्यम से दीर्घकालिक सिंचाई नीति (एलटीआईएफ) के अंतर्गत वर्षवार आवश्यकताओं के अनुसार की गई है जिसे 15 वर्षों की अवधि में लौटाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारें, राज्य के हिस्से के लिए नाबार्ड से ऋण ले सकती हैं।
- जनवरी, 2020 में, वित्त मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित स्कीमों को 31.03.3021 तक जारी रखने की सूचना दी थी।
- परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग की फील्ड इकाइयों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं की तीसरे पक्षकार की निगरानी भी पीएमयू के माध्यम से की जा रही है। नाबार्ड भी अपने मानदंडों के अनुसार निगरानी कर रहा है।
- पूरा होने के बाद प्रत्येक राज्य में 10% परियोजनाओं के सोशल ऑडिट पर विचार किया गया है।
- पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के तहत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक जीआईएस आधारित पोर्टल पर परियोजना घटकों के जियो– टैगिंग हेतु एक मोबाइल ऐप को भी विकसित किया गया है।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम)

कार्यक्रम घटक

परियोजना के सीएडी और डब्ल्यूएम घटक के तहत शामिल किए गए कार्यों को मोटे तौर पर 'संरचनात्मक' और 'गैर–संरचनात्मक' कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(क) संरचनात्मक कार्य: इसमें सर्वेक्षण, योजना, डिजाइन और निष्पादन शामिल हैं:

(i) ऑन–फार्म डेवलपमेंट (ओएफडी) कार्य;

(ii) फील्ड, मध्यवर्ती और लिंक नालों का निर्माण;

बारहवीं योजना अवधि के दौरान, 7.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के सीसीए का लक्ष्य 15,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि से निर्धारित किया गया है जिसे बाद में मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान घटाकर 3.6 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया था। वर्ष 2015–16 से, यह कार्यक्रम पीएमकेएसवाई के एचकेपीपी घटक के अंतर्गत 1.5 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य के साथ लाया गया। बाद में, वर्ष 2016–17 से, कार्यक्रम की भूमिका 99 प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाओं तक सीमित कर दी गई है, जिसके तहत 4.5 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य था। इसके विपरीत, मार्च, 2022 तक की उपलब्धि लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर बताई गई है, जिसमें इस अवधि के दौरान 2,855.63 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम)

राष्ट्रीय जल नीति, जल संसाधन प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण पर जोर देती है। ऐसा माना जाता है कि लाभार्थियों की भागीदारी से सिंचाई प्रणाली के इष्टतम रखरखाव और सिंचाई जल के प्रभावी उपयोग में बहुत मदद मिलेगी। सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी में संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दिया जाना और जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जल शुल्क का संग्रहण भी शामिल होगा। 1200/– रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान, जिसे केंद्र, राज्य और किसानों द्वारा क्रमशः 45:45:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा, का आउटलेट स्तर के जल उपयोगकर्ता संघों को प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया जा रहा है, जिसमें से ब्याज का उपयोग रखरखाव के लिए किया जाना है। इसके अलावा, प्रत्येक डब्ल्यूयूए को एकमुश्त अवसंरचना अनुदान के रूप में तीन लाख रुपए की राशि (60% – केंद्रः 40% – राज्य) प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2021–26 के दौरान पीएमकेएसवाई–एआईबीपी (सीएडीडब्ल्यूएम सहित) का कार्यान्वयन

- सीएडीऔरडब्ल्यूएमसहितपीएमकेएसवाई–एआईबीपी को वर्ष 2021–26 के दौरान नई वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के साथ–साथ 60 चल रही एआईबीपी और 85 चल रही सीएडी और डब्ल्यूएम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 23,918 करोड़ (केंद्रीय सहायता) रुपए के परिव्यय से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया। रेणुका और लखवार परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण को भी मंजूरी दी गई है।
- एआईबीपी के तहत किसी परियोजना को शामिल करने के लिए वित्तीय प्रगति की आवश्यकता को हटा दिया गया है और केवल 50% की वास्तविक प्रगति पर विचार किया जाना है।
- सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी), बाढ़ संभावना, जनजातीय क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, ओडिशा के कोरापुट, बलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 50% या अधिक के कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं के साथ ही राष्ट्रीय औसत से कम नेट सिंचाई में विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं के लिए उन्नत चरण (50% वास्तविक प्रगति) मानदंड में छूट दी गई है।
- बाद के वर्षों में भी देय केंद्रीय सहायता की प्रतिपूर्ति की अनुमति है।
- 90% या अधिक की वास्तविक प्रगति के साथ परियोजना पूरा किए जाने की अनुमति।

वर्ष 2016–17 से 2022–23 तक (31.12.2022 तक) 18,332.09 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता (एआईबीपीः 15,451.18 करोड़ रुपए; सीएडीडब्ल्यूएमः 2,880.91 करोड़ रूपए) इन परियोजनाओं को प्रदान की गई है, जिसमें से वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान 167.77 करोड़ रुपए (एआईबीपीः 142.49 करोड़ रुपए; सीएडीडब्ल्यूएमः 25.28 करोड़ रुपए) प्रदान किए गए हैं।

हर खेत को पानीः सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाएं और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर)

एसएमआई योजना के तहत, 12वीं योजना से 6,213 योजनाएं चल रही हैं, जिनकी अनुमानित लागत 13,473 करोड़ रुपए है। जल निकायों की आरआरआर योजना के तहत, 12वीं योजना के बाद से 2,333 योजनाएं चाल रही हैं, जिनकी अनुमानित लागत 1,981 करोड़ रुपए है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान योजना को जारी रखने के अनुमोदन में जल निकायों के एसएमआई और आरआरआर के माध्यम से सतही जल का उपयोग करते हुए 4.5 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। एसएमआई के तहत सिंचित भूमि के विकास के लागत मानदंड को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया। जल निकायों के आरआरआर के समावेशन मानदंड को आकार के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 1 हेक्टेयर) और शहरी क्षेत्रों में 2–10 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 0.5 हेक्टेयर) में संशोधित किया गया है। गैर–सामान्य श्रेणी क्षेत्रों में जल निकायों के आरआरआर घटक के लिए फंडिंग पैटर्न को भी 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वर्ष 2021–26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए जल निकायों की एसएमआई और आरआरआर योजना का परिव्यय 4,580 करोड़, रुपए है।

हर खेत को पानी– भूजल योजना (पीएमकेएसवाई– एचकेकेपी–जीडब्ल्यू)

भावी भूजल विकास की पर्याप्त क्षमता वाले क्षेत्रों में पीएमकेएसवाई– हर खेत को पानी–भूजल योजना छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना करती है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में परियोजनाओं को 34.85 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता (31.12.2022 तक) जारी की गई है और 19,500 हेक्टेयर के अतिरिक्त कमान क्षेत्र का विकास करते हुए 2,547 कुओं का निर्माण किया गया है, जिससे 9,707 छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हुए हैं।

लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की गणना

वर्ष 1987–88 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता देने के साथ, "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस)" आरम्भ किया गया था। वर्ष 2017–18 में, योजना का पुनःनामकरण "सिंचाई गणना" कर दिया गया और इसे प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई (एमआई) क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डाटाबेस बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना, "पीएमकेएसवाई और अन्य योजनाओं" के तहत लाया गया।

छठी एमआई गणना और जल निकायों की पहली गणना के पूरा हो जाने के बाद 7वीं एमआई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना आयोजित करने के लिए 237 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 में 5 वर्ष की अवधि में सिंचाई गणना योजना को जारी रखे जाने का अनुमोदन किया गया है।

विदर्भ और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के शेष सूखा संभावित क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु विशेष पैकेज

उक्त योजना को दिनांक 18.07.2018 को स्वीकृति दी गई थी। प्रस्ताव का उद्देश्य विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के शेष सूखा प्रवण क्षेत्रों के 12 जिलों को लाभान्वित करने वाली 83 एसएमआई और 8 एमएमआई (प्रमुख और मध्यम सिंचाई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 3,831.41 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज प्रदान करना है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

एनएमसीजी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत दिनांक 12.08.2011 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के कार्यान्वयन सहयोगी के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए), 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। । ईपीए, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3187(ई) दिनांक 07.10.2016 द्वारा गंगा नदी के पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में संदर्भित) का गठन करने के बाद एनजीआरबीए को 07.10.2016 से भंग कर दिया गया। (वेबसाइट: https://nmcg.nic.in/)

भारत सरकार ने गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में 13 मई 2015 को नमामि गंगे मिशन को मंजूरी दी थी। पांच वर्षों के लिए, इस परियोजना हेतु कुल 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए चल रही और नई पहल के लिए धन आवंटन शामिल था। नमामि गंगे मिशन (एनजीएम) का पहला चरण 2021 में समाप्त हो गया है और इसे मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

अटल भूजल योजना (अटल जल)

अटल भूजल योजना (अटल जल) को अप्रैल, 2020 से सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकाओं की 8,220 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में पांच साल के लिए लागू की जा रही है। चुने गए राज्यों में, भारत में जल की कमी (अति–दोहित, गंभीर और अर्ध–गंभीर) ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा आता है।

बाढ़ पूर्वानुमान

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) 333 स्टेशनों पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवा प्रदान कर रहा है, जिनमें से 199 स्तर पूर्वानुमान स्टेशन प्रमुख नदियों पर और प्रमुख बांधोंध्बैराजों पर 134 इन–फ्लो पूर्वानुमान स्टेशन हैं। इनमें से, 2022 के दौरान दो स्टेशनों पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवा शुरू की गई है। इसमें देश भर के 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 प्रमुख नदी प्रणालियां कवर की जाती हैं।

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभाग की बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) और नदी प्रबंधन कार्यकलापों और सीमा क्षेत्रों (आरएमबीए) योजनाओं से संबंधित कार्यों के माध्यम से प्रोत्साहन केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे अब ''बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)'' नामक एक योजना में मिला दिया गया है और जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की

परियोजना को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के लिए वर्ष 2008 में मंजूरी दी गई थी:

- अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जहां भारत में जल उपयोग संधि के माध्यम से अपेक्षित है या जहां राष्ट्र हित में परियोजनाओं की योजना बनाते हुए इसे शीघ्र पूरा करना आवश्यक है।
- नदी संयोजन परियोजनाओं सहित अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो लागत की साझेदारी, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलू आदि से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान न होने के कारण लंबित पड़ी हैं।

	श्रेणी	केंद्र : राज्य
क	पूर्वो पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों की परियोजनाएं	90:10
ख	अन्य अन्य राज्यों की परियोजनाएं	60:40

अब तक सोलह परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं के नाम हैं: गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना, शाहपुरकंडी बांध परियोजना, तीस्ता बैराज परियोजना, सरयू नहर परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना, उझ बहुउद्देशीय परियोजना, केन–बेतवा लिंक परियोजना, कुलसी बांध परियोजना, नोआ –दिहिंग डैम प्रोजेक्ट, बरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिस्पा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा रवि व्यास लिंक प्रोजेक्ट और अपर सियांग परियोजना। राष्ट्रीय परियोजनाओं को संबंधित राज्यों द्वारा तकनीकी–आर्थिक मंजूरी, अन्य सांविधिक मंजूरी और निवेश मंजूरी प्राप्त करने के बाद निष्पादन शुरू किया जाता है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)

विश्व बैंक के समर्थन से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जल संसाधनों के सामयिक और विश्वसनीय डाटा अधिग्रहण, भंडारण, संयोजन और प्रबंधन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना करती है। इसमें 48 कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के साथ अखिल भारतीय कवरेज है (जिसमें केंद्र सरकार से 9, नदी बेसिन संगठनों से 3, संघ राज्य क्षेत्रों से 2 और राज्यों से 34 शामिल हैं)। यह जल संसाधनों के मूल्यांकन, योजना और प्रबंधन के लिए सूचित निर्णय लेने हेतु उपकरण और प्रणाली भी प्रदान करेगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को राज्य सरकारों और केंद्रीय कार्यान्वयन अभिकरणों के 100% अनुदान के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कुल 3,679.77 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। परियोजना की अवधि 2016–17 से 2023–24 तक 8 वर्ष है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप)

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के साथ डीआरआईपी एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना है, जो देश के कुछ चुनिंदा बांधों के पुनर्वास के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण घटक को लक्षित करती है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (चरण–I)

अप्रैल 2012 में विश्व बैंक सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण सहित प्रणाली के संस्थागत मजबूती के साथ चयनित बांधों के सुरक्षा और संचालन निष्पादन में सुधार करना है। सात राज्यों अर्थात केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड में स्थित 223 बांधों को इनकी सुरक्षा और संचालन निष्पादन में सुधार हेतु पुनर्वास उपायों को करने के लिए लिया शुरू किया गया था।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी): चरण– II और III

डीआरआईपी चरण–I की सफलता के आधार पर, जल शक्ति मंत्रालय ने बाहरी वित्त पोषण वाली

एक और योजना, डीआरआईपी चरण–II और चरण–III शुरू किया है। इस योजना में 19 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल) और 3 केंद्रीय एजेंसियों– (केंद्रीय जल आयोग, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, और दामोदर घाटी निगम) में स्थित 736 बांधों के पुनर्वास का प्रावधान है। यह एक राज्य क्षेत्र की योजना है जिसमें केंद्रीय घटक शामिल रहता है जिसकी अवधि 10 वर्ष है, जिसे दो चरणों अर्थात चरण–II और चरण–III में प्रत्येक छह साल में दो साल की ओवरलैप अवधि के साथ लागू किया जाना है।

अनुसंधान और विकास

योजना के तहत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों में विभाग के शीर्ष संगठनों जैसे सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनआईएच और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से कार्यान्वित कार्मिकों की अनुसंधान सुविधाओं और प्रशिक्षण का आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन और विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के तहत, विभाग सचिव विभाग द्वारा गठित तीन भारतीय राष्ट्रीय समितियों (आईएनसी) और (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता वाली स्थायी सलाहकार समिति के माध्यम से जल क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए आईआईटी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय समितियाँ (आईएनसीएस) हैं: सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आइएनसीएसडब्ल्यू), भूजल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आइएनसीजीडब्ल्यू) और जलवायु परिवर्तन पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आइएनसीसीसी)।

जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास

जल संसाधन सूचना प्रणाली (डीडब्ल्यूआरआईएस) योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना की एक सतत योजना है, जो वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के दौरान 715 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यान्वित की जा रही है जिससे कि नीति निर्माण में जल संसाधन परियोजनाओं की योजना और डिजाइनिंग, बाढ़ पूर्वानुमान का समय पर प्रसार आदि का विश्वसनीय और ठोस डाटाबेस तैयार किया जा सके।

एनपीपी के अंतर्गत नदियों का संयोजन

जल शक्ति मंत्रालय के ठोस प्रयासों के बाद, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दिनांक 22.03.2021 के वर्चुअल कार्यक्रम में केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन का एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर भारत संघ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत नदियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सिंधु जल संधि, 1960

सिंधु जल संधि, 1960 के तहत, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल के लिए आयुक्त का एक स्थायी पद निर्मित किया है। प्रत्येक आयुक्त अपनी सरकार का प्रतिनिधि होता है और संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर संचार के नियमित माध्यम के रूप में कार्य करता है। दो आयुक्त मिलकर स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) बनाते हैं।

1.3 संगठन और संस्थान

संबद्ध कार्यालय

केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, देश में 1945 से जल संसाधनों के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। आयोग को पूरे देश में सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास हेतु जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए स्कीमों हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उन्हें आरंभ करने, समन्वित और आगे बढ़ाने का सामान्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

आयोग में तीन तकनीकी स्कंध हैं नामतः

- डिजाइन और अनुसंधान स्कंध
- जल नियोजन और परियोजना स्कंध
- नदी प्रबंधन स्कंध

(वेबसाइट www.cwc.gov.in)

केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस)

केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) को 1954 में स्थापित किया गया था। सीएसएमआरएस आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन है जो प्रयोगशाला परीक्षणों, भू–तकनीकी इंजीनियरिंग, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, विनिर्माण सामग्री और संबंधित पर्यावरण ीय मामलों में आने वाली समस्याओं को देखता है जिनका देश की सिंचाई और बिजली विकास पर सीधा असर पड़ता है और यह भारत और विदेशों में उपरोक्त क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं और संगठनों में सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। अनुसंधान स्टेशन, मौजूदा हाइड्रोलिक संरचनाओं के सुरक्षा आकलन और विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के लिए निर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण तथा गुणवत्ता आश्वासन में शामिल है। (वेबसाइटः http://csmrs.gov.in/)

अधीनस्थ कार्यालय

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)

केंद्रीय भूजल बोर्ड जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। सीजीडब्ल्यूबी एक बहु–विषयक वैज्ञानिक संगठन है जिसमें हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोमेटोरोलॉजिस्ट और इंजीनियर शामिल हैं। सीजीडब्ल्यूबी में लगभग 600 वैज्ञानिक, 150 इंजीनियर और 3250 सहायक कर्मचारी (तकनीकी, प्रशासनिक और अनुसचिवीय) हैं। बोर्ड का प्रमुख अध्यक्ष है और इसमें पांच सदस्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य संभालते हैं और अन्य विनिर्दिष्ट कार्य भी करते हैं। सीजीडब्ल्यूबी में केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच स्थायी सदस्य भी रहते हैं। (वेबसाइटः http://cgwb.gov.in)

केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस)

केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला पुणे, जल एवं विद्युत के क्षेत्र में हाइड्रोलिक और आनुषंगिक अनुसंधान में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संस्थान है। यह जल संसाधन संरचनाओं, नदी इंजीनियरिंग, जल विद्युत उत्पादन और बंदरगाह एवं जल मार्ग परियोजनाओं की सुरक्षित एवं किफायती योजना और डिजाइन तैयार करने में अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 100 वर्षों से राष्ट्र की जरूरतों को पूरा कर रहा है। सीडब्ल्यूपीआरएस ने पड़ोसी देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, म्यामांर, नेपाल, सिंगापुर आदि के साथ–साथ मिडिल ईस्ट के देशों में बहुत–सी परियोजनाओं में अपनी सेवाएं दी हैं। (वेबसाइटः www.cwprs.gov.in)

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफ़सीसी)

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में पटना में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी। आयोग का प्रमुख एक अध्यक्ष है और इसमें दो पूर्णकालिक सदस्य और अन्य सहयोगी अधिकारी और स्टाफ है। गंगा बेसिन राज्यों के इंजीनियर–इन–चीफ/चीफ इंजीनियर के साथ–साथ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि अंशकालिक सदस्य/स्थायी रूप से आमंत्रित हैं। आयोग गंगा बेसिन राज्यों, अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को बाढ़ प्रबंधन पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। (वेबसाइटः www.gfcc.gov.in)

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड (बीसीबी)

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 1976 के संकल्प संख्या 8/17/74 डीडब्ल्यू–II द्वारा की गयी थी, इसमें दिनांक 28 मार्च, 1978 के संकल्प संख्या 8/17/74– डीडब्ल्यू –II द्वारा संशोधन किया गया था। यह संकल्प सोन नदी के पानी के बंटवारे और बाण सागर बांध की लागत के लिए 16.09.1973 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार है। (वेबसाइटः www.bcb.nic.in)

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी)

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा सह–बेसिन राज्यों के बीच ओखला बैराज (ऊपरी यमुना) तक यमुना नदी के उपयोग योग्य सतही प्रवाह के आवंटन के संबंध में 12.05.1994 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। उक्त समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार संकल्प संख्या 10(66)/71–आईटी, दिनांक 11 मार्च 1995 द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य के निर्माण के बाद, वर्ष 2001 में बोर्ड में उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) को शामिल करने के संकल्प को संशोधित किया गया था। (वेबसाइटः www.uyrb.gov.in)

फरक्का बैराज परियोजना

फरक्का बैराज परियोजना वर्ष 1975 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (पूर्ववर्ती कोलकाता पोर्ट) के संरक्षण और रखरखाव तथा भगीरथी–हुगली जलमार्ग की नवीगेशन गहराई को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। फरक्का बैराज परियोजना भारत–बांग्लादेश जल संधि 1996 में हुए समझौते के अनुसार बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा जल बंटवारे को भी सुविधाजनक बनाती है। (वेबसाइटः www.fbp.gov.in)

राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी)

वास्तविक समय और ऐतिहासिक जल आंकड़ों की निर्बाध पहुंच के माध्यम से देश के जल संसाधनों के स्थायी और सूचना–आधारित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मार्च, 2018 में राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) की स्थापना विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। इस केंद्र को राष्ट्रव्यापी जल संसाधन डाटा के केंद्रीय संग्रहण और जल संसाधनों के संबद्ध विषयों पर अद्यतन आंकड़ों का 'सिंगल विंडो' स्रोत प्रदान करने का अधिदेश है।

वर्तमान में एनडब्ल्यूआईसी नीचे दिए गए दो प्लेटफार्मों के अनुसार डाटा का रखरखाव कर रहा है:

(i) **<u>जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूआईएमएस):</u>** यह टेलीमेट्री सेंसर के

माध्यम से और देश भर में फैले विभिन्न डाटा बिंदुओं से वेब–आधारित इनपुट सुविधा के माध्यम से भूजल और सतही जल संसाधनों का नियमित समय–श्रृंखला डाटा के एकत्र करने का एक केंद्रीकृत डाटा संग्रहण का एक प्लेटफार्म है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियां इस प्लेटफार्म पर वर्षा, नदी के स्तर, निकासी, जलाशय स्तर, भूजल स्तर, सतही और भूजल की गुणवत्ता आदि पर अपना समय श्रृंखला डाटा साझा कर रही हैं।

(ii) **जल संसाधन सूचना प्रणाली (भारत–डब्ल्यूआरआईएस):**– यह जल संसाधनों की जानकारी के प्रदर्शन और प्रसार का एक जीआईएस सक्षम सार्वजनिक प्लेटफार्म (यूआरएलः indiawris.gov.in के माध्यम से सुलभ) है। उपयोगकर्ताओं की समझ में सुविधा के लिए अन्य जल–मौसम विज्ञान मानदंडों और संबद्ध विषयों पर डाटा के साथ डब्ल्यूआईएमएस के माध्यम से प्राप्त समय–श्रृंखला डाटा को पोर्टल पर एक जीआईएस फ्रेमवर्क पर मानचित्र और डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। (वेबसाइटः https://nwic.gov.in/)

पंजीकृत सोसाइटी/ स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की स्थापना जुलाई, 1982 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्विपीय घटक की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए की गई थी। एनडब्ल्यूडीए पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित है। एनडब्ल्यूडीए के कार्यों को समय–समय पर संशोधित किया गया है। (वेब साइटः www.nwda.gov.in)

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडबल्यूएम)

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडबल्यूएम) का गठन किया गया जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 30 जून 2008 को जारी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुसार किया गया। एनएपीसीसी ने सिद्धांत तैयार किए और 8 राष्ट्रीय मिशनों के संस्थाकरण के माध्यम से जिनमें से एक 'राष्ट्रीय जल मिशन' था, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का पता लगाया गया है। राष्ट्री य जल मिशन का मुख्य उद्देश्य ''जल का संरक्षण, जल की बर्बादी को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच और राज्य के भीतर दोनों में इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है।''(वेबसाइटः www.nwm.gov.in)

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत दिसंबर 1978 में रुड़की में स्थापित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), जल विज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और कार्यनीति संबंधी अनुसंधान कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संस्थान पूरी तरह से सहायता प्राप्त है। संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- जल विज्ञान के सभी पहलुओं पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय करना,
- जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और समन्वय करना,
- समाज के उद्देश्यों के अनुसरण में शोध और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना करना और रखरखाव करना और इसे पुस्तकों, समालोचनाओं, पत्रिकाओं और अन्य प्रासंगिक प्रकाशनों से सुसज्जित करना

- उन कार्यों को करना, जिन्हें सोसाइटी उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझती है आनुषंगिक या अनुकूल जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गई है। (वेबसाइटः www.nihroorkee.gov.in)

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (नेरीवालम)

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (नेरीवालम) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित और संचालित एकमात्र जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यूएलएमआई) है और यह पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को सेवाएं दे रहा है। यह जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों सहित जल संसाधन/सिंचाई, मृदा संरक्षण, कृषि एवं बागवानी, ग्रामीण विकास विभागों आदि के सेवारत कार्मिकों के ज्ञान, कौशल एवं क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा उनके निर्धारित डिग्री पाठ्यक्रम की पूर्ति के अनुरोध के अनुसार बीई/बी.टेक/एम.टेक/स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए स्व–वित्तपोषित मोड पर अनुकूलित मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। संस्थान, जल संसाधन प्रबंधन में एम.टेक में अकादमिक पाठ्यक्रम खोलकर जल और भूमि प्रबंधन में मानव संसाधन भी विकसित करता है। सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों का संचालन करके जल और भूमि प्रबंधन में संस्थान की सेवाएं राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को दी जाती हैं। (वेबसाइटः www.neriwalm.gov.in)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

एनएमसीजी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत दिनांक 12.08.2011 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के कार्यान्वयन सहयोगी के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए), 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। ईपीए, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3187(ई) दिनांक 07.10.2016 द्वारा गंगा नदी के पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में संदर्भित) का गठन के परिणामस्वरूप एनजीआरबीए को 07.10.2016 से भंग कर दिया गया था। भारत सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण और उसकी सहायक नदियों के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 13 मई, 2015 को नमामि गंगे मिशन को मंजूरी दी। पांच वर्षों के लिए, इस परियोजना के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को साफ करने के लिए चल रही और नई पहल हेतु धन आवंटन शामिल था। नमामि गंगे मिशन (एनजीएम) का पहला चरण 2021 में समाप्त हुआ था। एनजीएम को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। (वेबसाइटः https://nmcg.nic.in/)

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए)

नर्मदा जल के भंडारण, विभाजन, नियमन और नियंत्रण के संबंध में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों और आदेशों के कार्यान्वयन के लिए, सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) से बिजली को साझा करना, मध्य प्रदेश द्वारा विनियमित जल छोड़ने, संबंधित राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के तहत जलमग्न होने की संभावना वाली भूमि का अधिग्रहण, मुआवजा, अपवाहियों का पुनर्वास/पुनर्स्थापना,लागत का साझाकरण और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों का कार्यान्वित करने के लिए 1980 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और समीक्षा समिति का गठन किया गया था। (वेबसाइटः www.nca.gov.in)

ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बीबी)

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट कटाव के नियंत्रण के उपायों के नियोजन और एकीकृत कार्यान्वयन तथा उससे जुड़े मामलों के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन 01.09.1980 को संसद के एक अधिनियम और जिसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, के द्वारा की गई थी।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यों की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री–वित्त, भूतल परिवहन, बिजली, कृषि, राज्य मंत्री जल शक्ति और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, सदस्य के रूप में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य–सचिव के रूप में हैं। सदस्य (आरएम), सीडब्ल्यूसी एक स्थायी आमंत्रित सदस्य है। (वेबसाइटः www.brahmaputraboard.gov.in)

बेतवा नदी बोर्ड (बीआरबी)

बेतवा नदी बोर्ड का गठन 1976 में राजघाट बांध परियोजना और पावर हाउस को निष्पादित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। परियोजना प्राधिकरण ने बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 की घोषणा के बाद बेतवा नदी बोर्ड के समग्र मार्गदर्शन में परियोजना का निर्माण शुरू किया। उपरोक्त परियोजनाओं का लाभ और लागत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा की जा रही है। (वेबसाइटः www.brb.nic.in)

तुंगभद्रा बोर्ड (टीबी)

तुंगभद्रा बोर्ड का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, आंध्र राज्य अधिनियम,1953 की धारा 66, उपधारा (4) के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुंगभद्रा परियोजना को पूरा करने और उसके प्रचालन और अनुरक्षण के लिए किया गया था। बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार सदस्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और भारत सरकार प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल हैं। बोर्ड परियोजना के प्रशासनिक मामलों पर कार्यों का निर्वहन करते समय विभिन्न कोड, मैनुअल, नियमों और विनियमों के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। (वेबसाइटः http://tbboard.gov.in)

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए)

पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर बनी बुनियादी सिंचाई क्षमता सृजन करने वाली बांध निर्माण की एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना में 960 मेगावाट के जलविद्युत उत्पादन, 28.50 लाख आबादी को पेयजल आपूर्ति, कृष्णा नदी बेसिन में 80 टीएमसी पानी के दिशापरिवर्तन की भी परिकल्पना की गई है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 के अनुसार परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। (वेबसाइटः http://ppa.gov.in)

शीष्र परिषद और कृष्णा एवं गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 84 (2014 का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 6) की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार ने गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कामकाज की निगरानी के लिए 29 मई, 2014 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा शीर्ष परिषद का गठन किया। शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक 06.10.2020 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें भारत

सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया था कि जीआरएमबी और केआरएमबी के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की निर्दिष्ट परियोजनाओं/घटकों के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन के लिए जीआरएमबी और केआरएमबी के अधिकार क्षेत्र को दिनांक 15.07.2021 की अधिसूचना का.आ. संख्या 2843 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के उपबंध 14 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी हो गए हैं। (वेबसाइटः https://krmb.gov.in और https://grmb.gov.in/)

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए)

केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी से संबंधित कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों के बीच जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए दिनांक 2 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या का.आ. 437 (ई) के माध्यम से कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था।

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्टें और निर्णय को 5 फरवरी, 2007 को सरकार को प्रस्तुत कर दिए थे। केंद्र सरकार द्वारा सीडब्ल्यूडीटी के निर्णय को दिनांक 19.02.2013 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने 16.02.2018 के फैसले में सीडब्ल्यूडीटी आदेश को थोड़ा संशोधित किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सीडब्ल्यूडीटी के आदेश को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद, उक्त अधिनियम की धारा 6ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 01 जून, 2018 को कावेरी जल प्रबंधन योजना को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 16.02.2018 को संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (सीडब्ल्यूएमए) और 'कावेरी जल विनियमन समिति' (सीडब्ल्यूआरसी) का गठन किया गया।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए)

जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 25.04.2022 के का.ज्ञा. के तहत सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में अतिरिक्त प्रभार के आधार पर एनडीएसए की स्थापना की, जिसमें 5 सदस्यों अर्थात सदस्य (तकनीकी), सदस्य (नीति और अनुसंधान), सदस्य (विनियम), सदस्य (आपदा और अनुकूलन) और सदस्य (प्रशासन और वित्त) की सहायता प्राप्त होगी। एनडीएसए के सदस्यों के पद भी अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सीडब्ल्यूसी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा संभाले जा रहे हैं। एनडीएसए की सहायता करने के लिए, अतिरिक्त प्रभार के आधार पर निदेशक, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर, पूर्व और उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण) भी स्थापित किए गए हैं।

एनडीएसए, निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण और रखरखाव के लिए एनसीडीएस द्वारा विकसित नीति, दिशानिर्देशों और मानकों को लागू करेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 17.02.2022 की राजपत्र अधिसूचनाओं का.आ. 758 (ई) और सा.का.नि. 135 (ई) के माध्यम से क्रमशः एनडीएसए स्थापित किया एवं कार्य और शक्ति नियमावली 2022 बनाई।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं लिमिटेड (वाप्कोस)

वाप्कोस लिमिटेड केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत एक "मिनी रत्न–I" सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसे 26 जून, 1969 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया था। वाप्कोस भारत और विदेशों में जल, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं और निर्माण में कार्यरत है। वाप्कोस अपने निगमन के बाद से 50 से अधिक देशों में विशेष रूप से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में विभिन्न ग्राहकों को इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। वाप्कोस के पास अपने परिचालन के क्षेत्रों में किसी भी पैमाने और जटिलता के परामर्श और ईपीसी परियोजनाओं को शुरू करने का अपेक्षित अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है। परियोजनाओं के वाप्कोस पोर्टफोलियो की प्रकृति में विविधता है। कंपनी ने जल संसाधन, बिजली और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में परामर्श सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ–साथ आवासीय, कार्यालय भवनों, सिविल कार्यों, सड़कों और राजमार्गों, सिंचाई, कृषि और जल परियोजनाओं, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को सबस्टेशन, ट्रांसमिशन, वितरण नेटवर्क, ग्रामीण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक, आईटी, दूरसंचार और संबंधित परियोजनाओं से संबंधित इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण परियोजनाओं के लिए आईएसओ 9001:2015 की एक व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। (वेबसाइटः http://www.wapcos.gov.in/)

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्वावधान में नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) "मिनी रत्न–I" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 9 जनवरी, 1957 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत देश के आर्थिक विकास बुनियादी ढांचे की एक प्रमुख निर्माण कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। वैप्कोस ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) की 98.89% शेयरधारिता का अधिग्रहण किया था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी वाप्कोस की सहायक कंपनी बन गई। यह इंजीनियरिंग, निर्माण, योजना, संचालन और परियोजना प्रबंधन परामर्श में कार्यरत है। संगठन औद्योगिक बुनियादी ढांचे, थर्मल, जल विद्युत परियोजनाओं, सुरंग और भूमिगत परियोजनाओं, रेलवे, राजमार्गों, भू–परिवहन परियोजनाओं, टाउनशिप और अन्य आवासीय भवनों, संस्थागत भवनों, कार्यालय और खेल परिसरों, पुलों और फ्लाईओवर, बांधों में वीयर, बैराज, सीमा सड़क और बाड़ लगाने, अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं, पर्यावरण इंजीनियरिंग, बाढ़ को कम करने के कार्य आदि में काम करता है। (वेबसाइटः http://npcc.gov.in/)

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 7वें इंडिया वाटर वीक (1 से 5 नवंबर, 2022) के उद्घाटन के दौरान भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत।

2 जल संसाधन परिदृश्य

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 7वें इंडिया वाटर वीक (1 से 5 नवम्बर, 2022), के समापन समारोह के दौरान भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का स्वागत करते हुए माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत।

2. जल संसाधन परिदृश्य

2.1 जल उपलब्धता

किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता मुख्य रूप से जल–मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है। "स्पेस इनपुट्स का उपयोग करते हुए बेसिनों में जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता लगभग 3,880 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) प्रति वर्ष है। वाष्पीकरण के पश्चात, 1,999.20 बीसीएम जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है। वैज्ञानिक और अन्य कारकों के कारण उपयोज्य जल की उपलब्धता 1,128 बीसीएम प्रति वर्ष तक सीमित है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 438 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। इसमें से उपयोग की जाने वाली जल क्षमता लगभग 689 बीसीएम है, जिसमें 450 बीसीएम सतही जल और 239 बीसीएम भूजल शामिल है। वर्ष 2025 और 2050 के लिए उच्च मांग परिदृश्य के विभिन्न उपयोगों में देश की कुल आवश्यकता क्रमशः 843 बीसीएम और 1,180 बीसीएम आंकी गई है।

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर है और भारत के संदर्भ में देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता उत्तरोत्तर कम हो रही है। वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1,816 घन मीटर और 1,545 घन मीटर आंकी गई थी जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कम हो सकती है। 1,700 घन मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है, जबकि 1,000 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की अत्यधिक कमी की स्थिति माना जाता है।

2.2 जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए संवैधानिक प्रावधान

जल संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 17 में शामिल एक विषयवस्तु है जो सूची–I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अध्यधीन है। सातवीं अनुसूची की सूची–II की प्रविष्टि 17 में यह प्रावधान है कि, "जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अध्यधीन है।"

सातवीं अनुसूची की सूची–I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 में यह प्रावधान है कि "अंतर–राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास उस सीमा तक जहां तक संघ के नियंत्रण में इस तरह के विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है।" इस प्रकार, केंद्र सरकार को सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत अंतर–राज्यीय नदियों को विनियमित करने और विकसित करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जो संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित की जाती हैं। केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने की भी शक्ति है।

2.3 राष्ट्रीय जल नीति

केंद्र सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति तैयार की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2002 और 2012 में समीक्षा और संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेना, कानूनों और संस्थानों की एक व्यवस्था तैयार करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्ता वित करना और जल संसाधनों के योजना, प्रबंधन और उपयोग में एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ एक कार्य योजना का प्रस्ताव करना है।

वर्तमान में राष्ट्रीय जल नीति–2012 प्रभावी है। हालांकि, जल क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन की परिकल्पना की गई है और राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

2.4 प्रारूप राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक

राष्ट्रीय जल नीति (2012), अन्य बातों के साथ–साथ, राष्ट्रीय जल ढांचा कानून के निरूपण की सिफारिश करती है, जो जल के सामान्य सिद्धांतों का एक व्यापक राष्ट्रीय कानूनी ढांचा होगा, जिससे संघ के प्रत्येक राज्य में जल संचालन का आवश्यक विधान का मार्ग प्रशस्त करेगा और स्थानीय जल परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार के निचले स्तरों तक आवश्यक प्राधिकरणों तक इसका अंतरण होगा।

प्रारूप विधेयक को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। 11 राज्यों अर्थात राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड से प्रारूप विधेयक पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जबकि 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात उत्तराखंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और लक्षद्वीप से अंतरिम प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

2.5 राष्ट्रीय तलछट प्रबंधन फ्रेमवर्क

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यापक विचार–विमर्श और सलाह के बाद राष्ट्रीय तलछट प्रबंधन फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। यह राष्ट्रीय फ्रेमवर्क दस्तावेज देश में कुशल और स्थायी तलछट प्रबंधन के मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

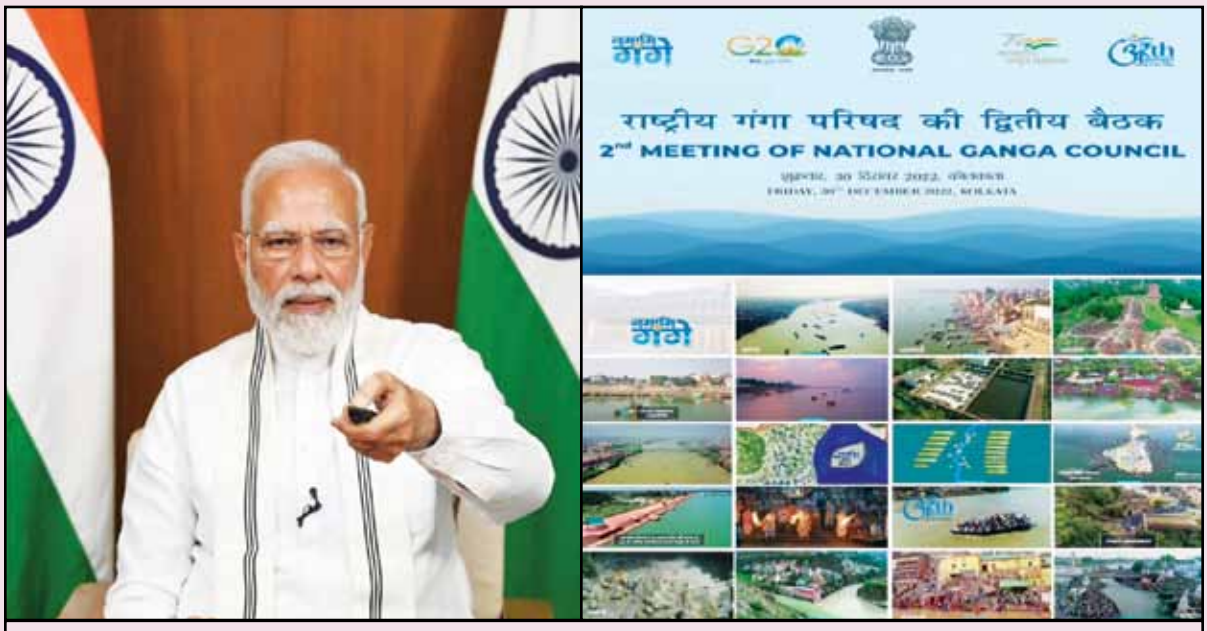

श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री ने 30.12.2022 को कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में वर्चुअली भाग लिया

3 मुख्य योजनाएं और कार्यक्रम

जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन ''वाटर विजन@2047'' विषय पर 5–6 जनवरी, 2023 को भोपाल में आयोजित किया गया

3. मुख्य योजनाएं और कार्यक्रम

3.1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन कर ग्रामीण समृद्धि लाने के एक व्यापक दृष्टि के साथ शुरू की गयी थी। अनुमोदित कार्यक्रम क्षेत्रों के कुछ विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं: –

- खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना (जिला स्तर पर और यदि आवश्यक हो उप जिला स्तरीय जल उपयोग योजनाएँ तैयार करना);
- खेत में जल की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत बुवाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना;
- उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के माध्यम से जल का इष्टतम उपयोग करने के लिए जल स्रोत, वितरण और इसके कुशल उपयोग के एकीकरण को बढ़ावा देना;
- अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधारय सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल);
- स्थायी जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना;
- मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्जनन, अपवाह को रोकने, आजीविका के विकल्प प्रदान करने और अन्य एनआरएम गतिविधियों के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग कर वर्षा पोषित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना;
- कृषकों और जमीनी स्तर के खेत कार्यकर्ताओं के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल एकरूपता से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना;

पीएमकेएसवाई घटक:

पीएमकेएसवाई में इस विभाग के निम्नलिखित घटक हैं जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)– सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर)।

वर्ष 2016–17 के दौरान परियोजनाओं की प्राथमिकता:

एआईबीपी के तहत परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब का एक प्रमुख कारण केंद्रीय और राज्य के हिस्से की निधि का अपर्याप्त प्रावधान था। परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं पर खर्च की गई बड़ी धनराशि को रोक दिया गया और परियोजनाओं के निर्माण के समय परिकल्पित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह चिंता का विषय

था और इस स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल की आवश्यकता थी। वर्ष 2016–17 के दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्री (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति में परियोजनाओं की प्राथमिकता सहित पीएमकेएसवाई के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। संबंधित राज्यों द्वारा समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 तक पूरा करने के लिए समिति द्वारा 99 परियोजनाओं की पहचान की गई थी।

योजना के तहत नवाचार/पहलें

- केंद्रीय सहायता (सीए) के लिए निधियों की व्यवस्था नाबार्ड के माध्यम से वर्ष–वार आवश्यकताओं के अनुसार की गई थी जिसका भुगतान 15 वर्षों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें, यदि आवश्यक हो, राज्य के हिस्से के लिए नाबार्ड से ऋण के रूप में निधि भी ले सकती हैं।
- नाबार्ड से राज्यों द्वारा प्राप्त राज्य के हिस्से के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि राज्यों के लिए ब्याज दर समग्र रूप से 6% हो सके और यह राज्यों के लिए आकर्षक बन सके और इससे वे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित राज्य अंशदान को जुटाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग केंद्रीय जल आयोग की फील्ड यूनिटों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक 99 प्राथमिक परियोजनाओं के लिए एक नोडल अधिकारी निर्धारित किया गया है जो इस उद्देश्य के लिए विकसित एमआईएस में नियमित रूप से परियोजना की वास्तविक और वित्तीय स्थिति को अद्यतन करेगा।
- एमआईएस प्रणाली और तृतीय पक्षकार के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है।
- दक्षता बढ़ाने के लिए जहां भी संभव हो वहां दबावयुक्त पाइप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओडिशा और महाराष्ट्र में, क्रमशः 6200 हेक्टेयर और 4920 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को भूमिगत पाइप्ड वितरण (पीडीएन) को अपनाने से वितरण प्रणाली में टाला गया है, जिससे 1500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की बचत हुई है। अन्य राज्यों को भी इसी दृष्टिकोण को अपनाने हेतु सुग्राही बनाया जा रहा है।
- इन परियोजनाओं के कमानों में कमान क्षेत्र विकास कार्य के समरूप कार्यान्वयन पर विचार किया जा रहा है ताकि किसानों द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा सके। भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) पर बल देते हुए नये दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों को पूरा करने की स्वीकार्यता के लिए जल उपयोक्ता संगठन (डब्ल्यूयूए) को सिंचाई प्रणाली के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतरण को आवश्यक शर्त बना दिया गया है।

परियोजनाओं को पूरा किया जाना

- राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं में से, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूर्णध्लगभग पूर्ण होने की सूचना दी गई है। ब्यौरे ***अनुलग्नक–IV*** में दिए गए हैं।
- पीएमकेएसवाई के तहत 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के एआईबीपी कार्यों के लिए वर्ष 2016–17 से वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान जारी केंद्रीय सहायता और राज्य के हिस्से का विवरण ***अनुलग्नक–V*** में दिया गया है।

वर्ष 2021–26 के पीएमकेएसवाई–एआईबीपी (सीएडीडब्ल्यूएम) का कार्यान्वयन

- सीएडीऔरडब्ल्यूएमसहितपीएमकेएसवाई–एआईबीपी को वर्ष 2021–26 के दौरान नई बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के साथ–साथ चल रही 60 एआईबीपी और 85 चालू सीएडी और डब्ल्यूएम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 23,918 करोड़ (केंद्रीय सहायता) रुपए के परिव्यय से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया। रेणुका और लखवार परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण को भी मंजूरी दी गई है।
- एआईबीपी के तहत किसी परियोजना को शामिल करने के लिए वित्तीय प्रगति की आवश्यकता को हटा दिया गया है और केवल 50% की वास्तविक प्रगति पर विचार किया जाना है।
- सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी), बाढ़ संभावना, जनजातीय क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, ओडिशा के कोरापुट, बलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 50% या अधिक के कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं के साथ ही राष्ट्रीय औसत से कम नेट सिंचाई में नवीकरण आधुनिकीकरण का विस्तार (ईआरएम) परियोजनाओं में उन्नत चरण (50% वास्तविक प्रगति) मानदंड में छूट दी गई है।
- बाद के वर्षों में भी देय केंद्रीय सहायता की प्रतिपूर्ति की अनुमति है।
- 90% या अधिक की वास्तविक प्रगति के साथ परियोजना पूरा किए जाने की अनुमति।
- अब तक पीएमकेएसवाई एआईबीपी के तहत 6 नई एमएमआई और 2 राष्ट्रीय परियोजनाएं शामिल की जा चुकी हैं।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम)

कार्यक्रम के घटक

परियोजना के सीएडी घटक के तहत शामिल गतिविधियों को मोटे तौर पर 'संरचनात्मक' और 'गैर–संरचनात्मक' उपायों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क) **संरचनात्मक उपायों** में निम्नलिखित का सर्वेक्षण, योजना, डिजाइन और निष्पादन शामिल है:

(i) ऑन–फार्म डेवलपमेंट (ओएफडी) कार्य;

(ii) फील्ड, मध्यवर्ती और लिंक नालियों का निर्माण;

(iii) प्रणाली की कमियों का सुधार; तथा

(iv) जलजमाव वाले क्षेत्रों का पुनर्वास।

ख) **गैर–संरचनात्मक उपायों** में सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

(i) पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान;

(ii) पंजीकृत डबल्यूयूए को एकमुश्त अवसंरचना अनुदान;

(iii) जल उपयोग दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि, और स्थायी सिंचाई सहभागी पर्यावरण के संबंध में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूल परीक्षण।

इसके अलावा, सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय चैनलों के निर्माण के लिए विकल्प के रूप में छिड़काव/ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक परियोजना

का कम से कम 10% सीसीए सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाना है। सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना में संप, पंप, एचडीपीई पाइपलाइन घटक और जल अंतरण तथा फील्ड अनुप्रयोगों (स्प्रिंकलर, रेनगन, पिवोट आदि) में दक्षता लाने के लिए आवश्यक उचित उपकरण शामिल हैं। तथापि, खेत पर व्यक्तिगत रूप से किसानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उपकरण– जैसे स्प्रिंकलर/रेन गन/ड्रिप सेट आदि सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना का हिस्सा नहीं हैं।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन :

संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए प्राथमिकता परियोजना के सीएडी एंड डब्ल्यूएम घटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीडब्ल्यूसी के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के सीएडी सेल को प्रस्तुत की जाती है।सीडब्ल्यूसी अपने सीएडी एंड डब्ल्यूएम विंग और पीएमओ के माध्यम से डीपीआर का मूल्यांकन करता है और इसकी सिफारिशों को मंत्रालय के सीएडीडब्ल्यूएम विंग को भेजता है। मंत्रालय का सीएडडब्ल्यूएम विंग, परियोजना को सीएडडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए सक्षम स्तर के अनुमोदन हेतु मामले पर कार्रवाई करता है। परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति (पीआईआरसी) द्वारा छमाही अंतराल पर समग्र परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा, समन्वय और मार्गदर्शन किया जाता है।

सभी सीएडी कार्यों को राज्य सरकारों द्वारा योजनाबद्ध, डिजाइन, निविदा और निष्पादन किया जाता है।केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने सीएडी प्रकोष्ठ के माध्यम से और मुख्यालय में परियोजना निगरानी संगठन (पीएमओ) के माध्यम से समग्र निगरानी और समन्वय सहायता प्रदान करता है।इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई–एआईबीपी और सीएडी डब्ल्यूएम परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी यूनिट (पीएमयू) को स्थापित किया है।

वित्तपोषण पैटर्न

सीएडी एंड डब्ल्यूएम घटक के लिए पीएमकेएसवाई के तहत राज्य सरकारों को लागत बंटवारे के अनुपात (जो सीलिंग लागत पर लागू किया जाना है) के अनुसार निधि प्रदान की जाएगीः

क्र. सं.	वित्त पोषण के योग्य क्रियाकलाप	लागत साझा अनुपात
(क)	संरचनात्मक कार्यकलाप की सभी गतिविधियां	50:50 (केंद्रः राज्य)
(ख)	डबल्यूयूए के लिए कार्यात्मक अनुदानको छोड़कर गैर–संरचनात्मक उपायों की सभी गतिविधियों	60:40 (केंद्रः राज्य)
(ग)	पंजीकृत डबल्यूयूए के लिए कार्यात्मक अनुदान	45:45:10 (केंद्रः राज्य किसान)
(घ)	वृद्धिशील प्रतिष्ठान लागत	50:50 (केंद्रः राज्य)

आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड के लिए 'डब्ल्यूयूए को कार्यात्मक अनुदान के अतिरिक्त गैर–संरचनात्मक कार्यों की सभीगतिविधियों' हेतु लागत साझा मानदंड अन्य राज्यों के लिए लागू 60:40 के मानदंड के स्थान पर 75:25 (केंद्र : राज्य) होगा।

सीएडीडब्ल्यूएम के तहत वास्तविक कार्यों के मुख्य घटकों में से एक प्रमुख कार्य फील्ड चैनलों के निर्माण से संबंधित हैं। वर्ष 1974–75 में अपनी स्थापना के बाद से मार्च, 2022 तक, 23.210 मिलियन हेक्टेयर के सीसीए को शामिल किया गया है और राज्यों को 9,951.43 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है। वर्ष 2016–17 से 2022–23(31. 12.2022 तक) के दौरान 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के सीएडी एंड डब्ल्यूएम के लिए 2880.91 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए जारी केंद्रीय सहायता और राज्य के हिस्से का

विवरण ***अनुलग्नक–VI*** में दिया गया है।

वास्तविक और वित्तीय प्रगति

बारहवीं योजना अवधि के दौरान 15,000 करोड़ रुपये की सीए सहित 7.6 एमएचए के सीसीए का लक्ष्य था। जिसे बाद में मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान घटाकर 3.6 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया था। वर्ष 2015–16 से इस कार्यक्रम को 1.5 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य के साथ पीएमकेएसवाई के एचकेपीपी घटक के अंतर्गत शामिल किया गया। तदुपरान्त वर्ष 2016–17 से कार्यक्रम की भूमिका 99 प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाओं तक सीमित कर दी गई है जिसमें लक्ष्य 4.5 मिलियन हेक्टेयर था। इसकी तुलना में, मार्च 2022 तक उपलब्धि लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर रही है जिसके अंतर्गत इस अवधि के दौरान 2,855.63 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम)

राष्ट्रीय जल नीति द्वारा जल संसाधन प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण पर बल दिया गया है । यह माना गया है कि लाभार्थियों की भागीदारी से सिंचाई प्रणाली के इष्टतम रखरखाव और सिंचाई के जल के प्रभावी उपयोग में काफी मदद मिलेगी। सिंचाई के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी में संचालन और रखरखाव के लिए अंतरण जिम्मेदारी और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता संघ को जल शुल्क का संग्रह भी शामिल होगा। केंद्र, राज्य और किसानों द्वारा क्रमशः 45:45:10 के अनुपात में 1,200/– रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान का भुगतान आउटलेट स्तर के जल उपयोगकर्ता संघों को प्रोत्साहन के रूप में किया जा रहा है। इससे प्राप्त ब्याज को रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा प्रत्येक डबल्यूयूए को एकमुश्त अवसंरचना अनुदान के रूप में 3.00 लाख रुपये की राशि (60% – केंद्रीयः 40% – राज्य) प्रदान की जा रही है।

देश में पीआईएम के लिए ठोस कानूनी ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, 1998 के दौरान, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नए सिंचाई अधिनियमों को लागू करने मौजूदा सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करने के लिए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अपनाए जाने के लिए एक मॉडल अधिनियम तैयार कर परिचालित किया गया। वर्तमान में 18 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पीआईएम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए या तो एक नया अधिनियम बनाया है या अपने मौजूदा अधिनियम को संशोधित किया है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत में 17.84 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) के क्षेत्र को शामिल करते हुए लगभग 93,000 जल उपयोगकर्ता संघों का गठन किया गया है।

सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पीआईएम को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016–22 के दौरान कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र को 99 प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाओं चालू 88 परियोजनाओं के तहत लगभग 14,685 डब्ल्यूयूए के गठन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 9,272 से अधिक डब्ल्यूयूए का गठन किया गया है और लगभग 2,900 डब्ल्यूयूए के संबंध में सीएडी परिसंपत्तियों को भी संबंधित डब्ल्यूयूए में अंतरण कर दिया गया है।

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाएं

एसएमआई योजना के तहत 12वीं योजना के बाद से 6,213 योजनाएं 13,473 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चल रही हैं। मार्च 2022 तक तक राज्यों को 8,017 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गयी है। इसके अलावा मार्च, 2022 तक 3,893 योजनाओं के पूरा होने की सूचना है। इन योजनाओं का लक्ष्य 10.530 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण है और मार्च 2022 तक इसमें से 6.930 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण कर लिया गया है। चालू वित्त वर्ष में

31 दिसंबर, 2022 तक एसएमआई योजनाओं को 39.07 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर)

जल निकाय योजना के आरआरआर के तहत 12वीं योजना के बाद से 2,333 योजनाएं चालू हैं, जिनकी अनुमानित लागत 1,981 करोड़ है। मार्च, 2022 तक राज्यों को 495.73 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गयी है। इसके अलावा मार्च, 2022 तक 1,591 जल निकायों के पूरा होने की सूचना है। इन योजनाओं की सिंचाई क्षमता की बहाली का लक्ष्य 1.890 लाख हेक्टेयर है और मार्च 2022 तक इसमें से 1.320 लाख हेक्टेयर को पूरा कर लिए जाने की सूचना है। चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर, 2022 तक जल निकायों के आरआरआर योजनाओं के तहत 11.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

हर खेत को पानी–भूजल योजना (पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी–जीडब्ल्यू)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– हर खेत को पानी– भूजल योजना, भूजल विकास में भविष्य की पर्याप्त क्षमता वाले क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना करती है।

यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता देते हुए छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित भूजल सिंचाई में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। फंडिंग पैटर्न पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 90:10 (सी:एस) के अनुपात में है और अन्य क्षेत्रों के मामले में यह अनुपात 60:40 (सी:एस) है। यह योजना केवल उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां भूजल विकास का चरण औसत 750 मिमी से अधिक वर्षा से 60% कम होता है और भूजल स्तर कम गहरा (जमीन के स्तर से नीचे 15 मीटर से कम) होता है।

वर्ष 2019 के बाद से, 12 राज्यों नामतः असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 15 परियोजनाओं के लिए 1,719.55 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। 15 अनुमोदित परियोजनाओं में से दस राज्यों में तेरह परियोजनाओं को कार्यान्वयित किया जा चुका है। दिसंबर 2022 तक 29,779 कुओं, 88,679 हेक्टेयर कमान क्षेत्र और 67,930 लाभार्थियों के लक्ष्य के सामने 29,229 कुओं का निर्माण किया गया है, 77,242 हेक्टेयर कमान क्षेत्र 66,600 छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित किया गया है।

लघु सिंचाई (एमआई) गणना और जल निकायों की गणना

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987–88 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता सहित लघु सिंचाई गणना के युक्तिकरणकी शुरूआत की गयी थी। वर्ष 2017–18 में, इस योजना को ''सिंचाई गणना'' के रूप में पुनरूनामित गया और केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना, ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अन्य योजनाओं'' के तहत लाया गया। सिंचाई गणना योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावीनियोजन नीति निर्धारण के लिए लघु सिंचाई (एमआई) क्षेत्र में एक व्यापक और अविश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण करना है।

भारत के भू तथा सतही जल सेक्टर के संबंध में एमआई गणना सूचना का एक बडा स्रोत है। एमआई गणना में विभिन्न पहलुओं/पैरामीटरों जैसे सिंचाई स्रोतों (खोदे हुए कुएं, उथले नलकूल, मध्यम वर्गीय कुएं, गहरे कुएं, सरफेस फ्लो और सरफेस लिफ्ट योजनाएं, सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी), सिंचाई का संभावित उपयोग (आईपीयू), स्वामित्व, मालिक द्वारा भूमि की होल्डिंग, जल लिफ्ट करने के

उपकरण, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा संरक्षण उपकरण जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर पंप, पवन चक्कियों के उपयोग आदि की विस्तृत जानकारी को एकत्र किया जाता है।

अब तक संदर्भ वर्षों क्रमशः 1986–87, 1993–94, 2000–01, 2006–07 और 2013–14 के लिए स्कीम के तहत की गई पांच गणनाओं के माध्यम से देश में लघु सिंचाई कार्यों संबंधी विस्तृत डाटा बेस तैयार किया गया है। पांचवीं लघु सिंचाई गणना डाटा के सुविधाजनक प्रसार के लिए अलग से एक डैशबोर्ड तैयार किया गया था।

100% केन्द्रीय सहायता के साथ जल निकायों की गणना को शामिल करने के लिए सिंचाई गणना के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया था। जल निकायों की प्रथम गणना राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों से छठी लघु सिंचाई योजना (वर्ष 2017–18 के सन्दर्भ के साथ) के अभिसरण के साथ शुरू की गई थी जिसमें जल निकायों की गणना में अन्य बातों के साथ–साथ इस विषय के सभी पहलुओं उनका आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, प्रयोग, भंडारण क्षमता, स्टोरेज को भरने की स्थिति आदि के संबंध में सूचना एकत्र की जाती है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा छठी एमआई गणना और जल निकायों की पहली गणना को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा मोबाइ एप्लीकेशन के विकास और आंकडा प्रविष्टि के साथ सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल निकायों की जनगणना में अक्षांश, देशांतर और फोटोग्राफ को कैप्चर करने का प्रावधान रखा गया था। इस समय, छठी एमआई संगणना और जल निकायों की पहली संगणना पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। दोनों जनगणनाओं की रिपोर्ट वर्ष 2022–23 की अंतिम तिमाही में प्रकाशित होने की संभावना है।

छठी एमआई गणना और जल निकायों की पहली गणना के पूरा होने के बाद 7वीं एमआई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना के संचालन के लिए सिंचाई गणना योजना को वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को 237 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है जो 7 वीं एमआई संगणना और जल निकायों की दूसरी संगणना के संचालन का मार्गदर्शन और सलाह देगी।

विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज

उपरोक्त योजना 18.07.2018 को 3831.41 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के विशेष पैकेज का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के 12 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली 83 एसएमआई (सतही लघु सिंचाई) और 8 एमएमआई (प्रमुख एवं मध्ययम सिंचाई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमोदित किया गया था। 1.04.2018 की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित शेष लागत 13651.61 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं को पूरा करके, उपरोक्त क्षेत्रों में 3.77 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जाएगा। अब तक इस पैकेज के तहत परियोजनाओं को (2018–19 के दौरान 500 करोड़ रुपए, 2019–20 के दौरान 300 करोड़ रुपए और 2020–21 के दौरान 400 करोड़ रुपए और 2021–22 के दौरान अब तक 725 करोड़ रुपए और 2022–23 के दौरान दिसम्बर 2022 तक 10.76 करोड़ रुपए) 1,935.76 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

विशेष पैकेज की विशेषताएं

विशेष पैकेज के तहत केंद्र सरकार 1.4.18 की स्थिति के अनुसार इन 91 परियोजनाओं की शेष लागत का 25 प्रतिशत केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करने के साथ–साथ वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए खर्च के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भी करेगी। राज्य द्वारा ऋण ली जाने वाली राज्य हिस्सेदारी की व्यवस्था यदि अपेक्षित हुआ तो इन 91 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड के माध्यम से उनकी एफआरबीएम सीमा के भीतर की जाएगी। दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार उक्त परियोजनाओं की शेष लागत 13,651.61 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

परियोजना की स्थिति

विशेष पैकेज के तहत, 28 एसएमआई परियोजनाओं को 31.12.2022 तक पूरा होने की सूचना दी गई है और वर्ष 2018–19 से 1,28,205 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

जारी की गयी केंद्रीय सहायता

क्र. सं.	वित्त वर्ष	विशेष पैकेज के तहत जारी सीए (करोड़ रुपये)		
		सीए	सीए जारी की गई परियोजनाओं की संख्या (सीए की राशि)	
			एसएमआई	एमएमआई
1	2018–19	500	56 (रु. 170.57 करोड़)	07 (329.43 करोड़ रुपए)
2	2019–20	300	72 (166.69 करोड़ रुपये)	06 (रुपए 133.31 करोड़)
3	2020–21	400	53 (97.48 करोड़ रुपये)	06 (302.52 करोड़ रुपए)
4	2021–22	725	64 (79.23 करोड़ रुपये)	08 (645.76 करोड़ रुपए)
5	2022–23 (दिसम्बर 2022 तक)	10.76	0(0)	01 (10.76 करोड़ रुपए)
	कुल करोड़ रुपए	**1,935.76**	**513.98**	**1,421.78**

राष्ट्रीय परियोजनाएं

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को अनुदान के रूप में परियोजना लागत के 90% की केंद्रीय सहायता सहित राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को वर्ष 2008 को मंजूरी दी गई थी:

- अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जहां भारत में जल का उपयोग किसी संधि द्वारा आवश्यक है या जहां देश के हित में योजना बनाना और परियोजना को जल्दी पूरा करना आवश्यक है।
- अंतर–राज्यीय परियोजनाएं जो नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं सहित लागतों के बंटवारे, पुनर्वास, बिजली उत्पादन के पहलुओं आदि से संबंधित अंतर–राज्यीय मुद्दों के समाधान न होने के कारण लंबित हैं।
- 2 लाख हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जहां जल के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहां जल विज्ञान स्थापित है।
- सितंबर, 2012 में राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशा–निर्देशों में संशोधन के अनुसार, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएं, 2.0 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक की खोई हुई सिंचाई क्षमता की बहाली की परिकल्पना कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शामिल करने के लिए पात्र हैं।

- अक्टूबर, 2015 से वित्त पोषण पैटर्न निम्नानुसार है।

	श्रेणी	केंद्रीय : राज्य
क	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की परियोजनाएं	90:10
ख	अन्य राज्यों की परियोजनाएं	60:40

अब तक सोलह परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं को संबंधित राज्यों द्वारा तकनीकी– आर्थिक मंजूरी, अन्य वैधानिक मंजूरी और निवेश मंजूरी प्राप्त करने के बाद निष्पादन कार्य आरंभ किया गया है। ये परियोजनाएं हैं: गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना, शाहपुरकंडी बांध परियोजना, तीस्ता बैराज परियोजना, सरयू नहर परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना, उझ बहुउद्देशीय परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, कुलसी बांध परियोजना, नोआ– दिहिंग बांध परियोजना, बरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, जिस्पा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, दूसरी रवि व्यास लिंक परियोजना और ऊपरी सियांग परियोजना।

इनमें से सात परियोजनाएं, आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना, उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना, महाराष्ट्र की गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना, पश्चिम बंगाल की तीस्ता बैराज परियोजना, पंजाब की शाहपुर कंडी बांध परियोजना, उत्तराखंड की लखवर बहुउद्देशीय परियोजना और हिमाचल प्रदेश की रेणुकाजी बांध परियोजना को कार्यनिष्पादन हेतु आरंभा किया गया है। गोसीखुर्द और सरयू नहर परियोजना, लखवर और रेणुकाजी को पीएमकेएसवाई के तहत शामिल किया गया है।

पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना:

पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है जो सर आर्थर कॉटन बैराज से लगभग 42 किमी ऊपर पोलावरम मंडल के रमैयापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर है, जहां नदी पूर्वी घाट की परम सीमा से निकलती है और आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इसमें अंतिम सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 के अनुसार परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। केन्द्र सरकार दिनांक 01.04.2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए केवल परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% वित्तपोषण कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार की ओर से परियोजना के सिंचाई घटक को कार्यान्वित कर रही है। परियोजना के विद्युत घटक को एपीजीईएसीओ द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

सरयू राष्ट्रीय परियोजना

सरयू नहर परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) पीएमकेएसवाई (एआईबीपी) के तहत 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है और इसे तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना है। मुख्य डाइवर्जन संरचना और लिंक चौनल पूरे किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना के तहत परियोजना के घटक परियोजना के चरण–II और चरण–III के कुछ शेष नहर कार्य हैं जिनमें राप्ती मुख्य नहर का निर्माण और इसकी पूर्ण वितरण प्रणाली शामिल है।

कुल मिलाकर परियोजना से 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की जाती है, जिसमें से 4.73 लाख हेक्टेयर राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना के तहत सृजित किया जाना है। सरयु राष्ट्रीय परियोजना को जारी कुल केंद्रीय सहायता 2,243.10 करोड़ रूपए है।

गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना

गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना पीएमकेएसवाई (एआईबीपी) के तहत 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है जिसके तहत महाराष्ट्र

के भंडारा जिले में वैनगंगा नदी पर मिट्टी के बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना अन्य लाभों के साथ–साथ 2,50,800 हेक्टेयर (चरम सिंचाई क्षमता) मौडा (भंडारा) में एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन के लिए 24 मेगावाट की बिजली और 100 एमसीएम जल के सिंचाई लाभ प्रदान करेगी। इस राष्ट्रीय परियोजना के तहत जारी कुल केंद्रीय सहायता 3,682.47 करोड़ रुपए है जिसमें से वर्ष 2021–22 के दौरान 146.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

शाहपुरकंडी बांध

जम्मू–कश्मीर और पंजाब राज्यों के बीच विवाद के बाद दिनांक 30.8. 2014 से परियोजना पर काम निलंबित कर दिया गया है। इसके पश्चात 8 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तत्वावधान में पंजाब और जम्मू–कश्मीर राज्यों के बीच रावी नदी पर पंजाब में शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए समझौता किया गया। 1 नवंबर 2018 से काम फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारत सरकार में 2715.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ पंजाब राज्य में रावी नदी पर ''शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय परियोजना) के कार्यान्वयन'' को मंजूरी दे दी है जिसमें से सिंचाई घटक (स्वीकृत लागत का 28.61%) और बिजली घटक (स्वीकृत लागत का 71.39%) क्रमशः 776. 96 करोड रुपए और 1938.74 करोड़ रुपए हैं। इस संबंध में 564.632 करोड़ रुपए की उक्त परियोजना के सिंचाई घटक के शेष कार्य के लिए 485.38 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

परियोजना के पूरा होने के बाद परियोजना के माध्यम से पंजाब और जम्मू–कश्मीर को 5000 हेक्टेयर और 32173 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में पंजाब में यूबीडीसी प्रणाली के तहत 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल छोड़ा जा रहा है, इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को कुशलतापूर्वक प्रबंधित/विनियमित किया जाएगा और क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा लाभान्वित होगी। 485.38 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता में से भारत सरकार द्वारा 256.59 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

तीस्ता बैराज राष्ट्रीय परियोजना

तीस्ता विकास योजना में तीन चरण है। परिकल्पित लाभों में 922 हजार हेक्टेयर (चरण–I), 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर (चरण–II) और ब्रह्मपुत्र और गंगा (चरण–III) के बीच नेविगेशन लिंक के सीसीए के लिए सिंचाई लाभ शामिल है। उपचरण–I के पूरा होने पर 342 हजार हेक्टेयर के सीसीए पर 5.27 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित होंगी। राष्ट्रीय परियोजना की अनुमानित लागत 2988.61 करोड़ रुपए {2008 मूल्य स्तर पर} है। राष्ट्रीय परियोजना की योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 178.20 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की है।

लखवार बहूद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना

ऊपरी यमुना बेसिन में लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 28.08.2018 को को–बेसिन राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना को 141वीं टीएसी की दिनांक 11.02.2019 को आयोजित बैठक में 5,747.17 करोड़ (जुलाई, 2018 का मूल्य स्तर) रुपए की संशोधित लागत अनुमान पर स्वीकार किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 02.02.2021 के पत्र द्वारा परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की है। परियोजना के वित्त पोषण को वर्ष 2021–22 के दौरान अनुमोदित किया गया है और इस परियोजना को पीएमकेएसवाई के तहत शामिल किया गया है। वर्ष 2022–23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान परियोजना को 38.58 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

रेणुकाजी बांध परियोजना

ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी बांध राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 11.01.2019 को को–बेसिन राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सलाहकार समिति ने 09.12.2019 को हुई अपनी 143वीं बैठक में संशोधित अनुमानित लागत 6,946.99 करोड़ रुपए (अक्टूबर, 2018 का मूल्य स्तर) को स्वीकार किया था। 07.08.2020 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की निवेश मंजूरी समिति की 13वीं बैठक में परियोजना को निवेश मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान परियोजना के वित्त पोषण को अनुमोदित किया गया है और इस परियोजना को पीएमकेएसवाई के तहत शामिल किया गया है। परियोजना को कुल 1,495.50 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है (दिसंबर, 2022 तक)।

पंजाब के सरहिंद फीडर को और राजस्थान फीडर को रिलाइन करना

मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.09.2018 को पंजाब के सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। सरहिंद और राजस्थान फीडर हरिक हेड कार्यों के अपस्ट्रीम पर टेक ऑफ करती हैं और राजस्थान को पार करने से पहले पंजाब से होकर प्रवाहित होती हैं। ये जुड़वां नहरें समानांतर बहती हैं, ये तट को साझा करती हैं और 1960 के दशक में पंजाब और राजस्थान के कमान क्षेत्रों में जल पहुंचाने के लिए लाइन (ईंट) चैनलों के रूप में इन का निर्माण किया गया था। राजस्थान फीडर विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल उपलब्ध कराने के लिए है जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित कमान की आवश्यकता को पूरा करता है। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे प्रमुख शहरों सहित पश्चिमी राजस्थान के सात जिले पेय जल के लिए पूरी तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर निर्भर हैं।इसके अलावा यह सूरतगढ़, रामगढ़ आदि में बिजली संयंत्रों को भी जल की आपूर्ति करता है। सरहिंद फीडर पंजाब और राजस्थान दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग से 560 क्यूसेक जल की बचत होगी जिससे राजस्थान में 98,739 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मे स्थिरता आएगी/सुधार होगा जिससे पूरे पश्चिमी राजस्थान को लाभ होगा। सरहिंद फीडर की लाइनिंग से 256 क्यूसेक जल की बचत होगी जिससे राजस्थान में 20,740 हेक्टेयर और पंजाब में 48,356 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई में स्थिरता/सुधार होगा और दक्षिण पश्चिम पंजाब में मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों में 84,800 हेक्टेयर भूमि में जल–जमाव की समस्या का समाधान होगा। यह इन परियोजनाओं को पहले जारी की गई 156 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त है। अब तक (दिसंबर 2022 तक) 278.05 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

3.2 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

गंगा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) की स्थापना ईपीए 1986 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसओ 3187 (ई) दिनांक 7.10.2016 के द्वारा की गई थी। "नमामि गंगे" को बेसिन दृष्टिकोण के साथ समग्र रूप से पहले और वर्तमान में चल रही पहलों को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसे 2015 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसमें प्रदूषण की रोकथाम, नगरपालिका सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, प्रदूषण के गैर–बिंदु स्रोत और पारिस्थितिक प्रवाह में सुधार के कार्य, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, नदी तट पर सुविधाओं और स्वच्छता में सुधार, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी, जन जागरूकता जैसे विविध कार्यों को शामिल किया जाता है। कार्यक्रम को 5 साल की अवधि के लिए 20,000

करोड़ रुपए का समर्पित बजट दिया गया था। ये कार्यक्रम निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा और अर्थ गंगा हैं।

प्रदूषण रोकथाम (निर्मल गंगा)

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 2500 करोड़ रुपए के संशोधित बजट आवंटन की तुलना में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने एनएमसीजी को 1600 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। एनएमसीजी ने 1,572 करोड़ (31 दिसंबर, 2022 तक) रुपए की राशि, नमामि गंगे के तहत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की है।

औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन

प्राथमिकता वाली निगरानी के लिए सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची तैयार की गई है और जीपीआई ऐसे उद्योग हैं जो 100 किलो बीओडी प्रति दिन या उससे अधिक और/या खतरनाक रसायनों के प्रदूषण भार का निर्वहन करते हैं।

टेनरी क्लस्टर

कानपुर क्षेत्र में चर्मशोधन क्षेत्र से जुड़े तीन सीईटीपी की तिमाही आधार पर निगरानी की जा रही है।

टेक्सटाइल क्लस्टरः

सीईटीपी पर विचार करते हुए भदोही, पिलकुवा, रूमा, फर्रुखाबाद और मथुरा में 5 टेक्सटाइल क्लस्टरों का चयन किया गया था।

जल गुणवत्ता निगरानी

गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी मैन्युअल रूप से और साथ ही सेंसर आधारित रीयल टाइम सिस्टम का उपयोग करके की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से 97 स्थानों पर जबकि रियल टाइम जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रणालियों का उपयोग करते हुए 76 स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है और एकत्रित डाटा सीपीसीबी में संकलित किया गया है।

पारिस्थितिकी और प्रवाह (अविरल गंगा)

ई–फ्लो : केंद्र सरकार ने दिनांक 09.10.2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5195(ई) के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में गंगा नदी के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने को विनिर्दिष्ट किया गया है।

ग्रामीण स्वच्छता

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीओडी डब्ल्यूएस) ने पांच गंगा राज्यों में स्थित 1,681 ग्राम पंचायतों (4,507 गांवों) की पहचान की थी। गंगा गांवों में लगभग 12 लाख स्वतंत्र घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए डीओडीडब्ल्यूएस को 829 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जिन्हें अब खुल में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

मंत्रालय के ओडीएफ प्लस कार्यकलाप के तहत, एनएमसीजी ने गंगा गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए 124 करोड़ रुपये जारी किए हैं ताकि नदी में पड़ने वाले गांवों से प्रदूषित पानी की समस्या का समाधान किया जा सके और गांवों की स्वच्छता में सुधार किया जा सके।

जैव विविधता

गंगा संरक्षण के लिए एनएमसीजी के दीर्घकालिक दृष्टिकोणों में से एक नदी की चयनित स्थानिक और लुप्तप्राय जैव विविधता की व्यवहार्य आबादी को बहाल करना है जिससे कि अपनी पूर्ण ऐतिहासिक विस्तार को हासिल किया जा सके और गंगा नदी की पारिस्थितिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में अपनी भूमिका को पूरा कर सकें।

वनीकरण

गंगा नदी संरक्षण में वनरोपण एक प्रमुख घटक है। तदनुसार, गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1,34,104 हेक्टेयर वनरोपण के लिए एफआरआई देहरादून द्वारा एक डीपीआर तैयार की गई थी जिसकी अनुमानित लागत 2,293.73 करोड़ रुपए है।

आर्द्रभूमि संरक्षण

आर्द्रभूमि संरक्षण भी 'नमामि गंगे' का एक अभिन्न घटक है। भारत में कुल 75 रामसर स्थलों में से गंगा बेसिन में 23 रामसर स्थल हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

अनुसंधान, नीति और ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)

नमामि गंगे विविध अनुसंधान, वैज्ञानिक मैपिंग, अध्ययन और साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण (ज्ञान गंगा) की सुविधा के लिए काम कर रही है। इसमें लिडार मैपिंग, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, गंगा ज्ञान केंद्र के तहत अनुसंधान और ज्ञान विकास आदि सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं।

पीपल रिवर कनेक्ट (जन गंगा)

नई परियोजनाएं – चुनिंदा शहरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट (आरएफडी), घाटों और शवदाह गृहों और कुंडों/तालाबों के संरक्षण कार्य शुरू किए गए हैं। 219 घाटों और प्रोमीनेड, 62 शवदाह गृहों और 8 कुंडों/तालाबों के संरक्षण के लिए 77 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 191 घाट, 49 शमशान घाट और 8 कुंड पूरे हो चुके हैं।

घाट सफाई

नमामि गंगे पहल के हिस्से के रूप में, गंगा नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर घाट सफाई परियोजनाएं शुरू की गईं। ऋषिकेश में 8 घाटों की सफाई के लिए 2.35 करोड़ रुपये की लागत से घाट सफाई परियोजना चल रही है। इसी तरह वाराणसी में 88 घाटों की सफाई के लिए 8.21 करोड़ रुपये की लागत से घाट सफाई परियोजना चल रही है।

एनएमसीजी द्वारा 04.11.2022 को आयोजित गंगा उत्सव में माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय श्री बिश्वेश्वर टुडू जी सम्बोधित करते हुए

3.3 अटल भूजल योजना (अटल जल)

अटल भूजल योजना (अटल जल) योजना को सात राज्यों नामतः गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकाओं की 8220 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में पांच साल के लिए अप्रैल, 2020 से क्रियान्वित किया जा रहा। भारत में, चुने गए राज्यों में जल की कमी वाले (अति–दोहित गंभीर और अर्ध–गंभीर) ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा है।

योजना के घटक

- राज्यों में मजबूत डेटा बेस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी प्रदान करके संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण घटक (1,400 करोड़ रुपए) ताकि वे अपने भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन कर सकें।
- केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और बेहतर भूजल प्रबंधन और भूजल परिदृश्य में परिणामी सुधार के उपाय के रूप में पूर्व– निर्धारित परिणामों की उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन घटक (4,600 करोड़ रुपए) ।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण घटक के तहत निधियों का आवंटन राज्यों द्वारा भूजल प्रबंधन के लिए अपने संस्थागत ढांचे में सुधार के लिए डोमेन विशेषज्ञों और जिला कार्यान्वयन भागीदारों (डीआईपी), उपकरणों की खरीद, प्रयोगशालाओं के उन्नयन और क्षमता निर्माण गतिविधियों जैसे गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रोत्साहन घटक के तहत निधि राज्यों को पूर्व–निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर संवितरण किया जाएगा, अर्थात् i) भूजल संबंधी जानकारी और रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकटीकरण, ii) समुदाय के नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं (डबल्यूएसपी) की तैयारी iii) चल रही/नई योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अनुमोदित जल सुरक्षा योजनाओं का सार्वजनिक वित्तपोषण, iv) कुशल जल उपयोग के लिए प्रथाओं को अपनाना और v) भूजल की स्थिति में सुधार, प्रेक्षण कूपों में जल स्तर में गिरावट पर प्रामाणिक रोक। राज्यों द्वारा प्रोत्साहनों का उपयोग उन उपायों के लिए किया जाएगा जो भूजल संसाधनों की स्थिरता में सुधार करते हैं।

इस योजना से कई लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें i) लक्षित क्षेत्रों में भूजल संसाधन की स्थिरता में सुधार, ii) जल जीवन मिशन के स्थिरता घटक में सकारात्मक योगदान, और चल रही विभिन्न योजनाओं का अभिसरण करते हुए किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य शामिल है और iii) बेहतर भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय में व्यवहार परिवर्तन को शामिल करना। इस योजना के तहत दीर्घावधि में भूजल चुनौतियों का समाधान करने के लिए परिकल्पित भागीदारी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2022–23 के दौरान उपलब्धियां

वर्ष 2022–23 के दौरान, डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर (डीएलआई) #1 और डीएलआई #2 के लिए थर्ड पार्टी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन एजेंसी (टीपीजीवीए) से सत्यापन के बाद, लगभग डीएलआई के तहत राज्यों को उनकी उपलब्धि के आधार पर 500 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

लगभग सभी जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएं (डब्ल्यूएसपी) तैयार की चुकी हैं और प्रस्तुत की जा चुकी हैं। जल बजट का उद्देश्य सतही और भूजल संसाधनों का आकलन करना और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों की पहचान करते हुए योजना तैयार करना है। जल बजट के आधार पर जल सुरक्षा योजनाएं (डब्ल्यूएसपी) तैयार हैं। ये योजनाएं स्थायी जल उपयोग सुनिश्चित करते हुए

प्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए निवेश और कार्यों को निर्दिष्ट करती हैं। डब्ल्यूएसपी को ग्राम पंचायतों में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूल बनाया गया है और उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इसमें जल संबंधी निवेश/कार्यों को शामिल किया जाता है। ग्राम पंचायतों द्वारा जिला कार्यान्वयन भागीदारों की सहायता से जल बजट के साथ–साथ डब्ल्यूएसपी भी जल प्रबंधन समितियों (डब्ल्यूएमसी)/ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के सहयोग से तैयार हैं। डब्ल्यूएसपी के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों का कार्यान्वयन संबंधित विभागों द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ फील्ड में किया जा रहा है।

चूंकि अटल भूजल योजना मुख्य रूप से भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग की सुविधा हेतु हितधारकों के बीच व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली एक योजना है, इसकी सफलता को सुनिश्चित करने में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए वर्ष 2022 में आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, राज्य/जिला/ग्राम पंचायत स्तर के प्राधिकारियों और डीआईपी का मार्गदर्शन करने और उन्हें संभालने हेतु कई राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए उपलब्ध अभिनव प्रथाओं की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए, डैमोन्स्ट्रेशन विजिट भी आयोजित किए गए हैं जहां किसानों को खेत पर इन प्रथाओं से अवगत कराया जाता है।

अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में बदलाव लाना है। इसके लिए अनिवार्य है कि यह संदेश सभी स्तरों पर, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर संचालित किया जाए जिससे कि योजना के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। अटल भूजल योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के उद्देश्यों के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वयन का एक सक्षम वातावरण बनाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। अभियान का अधिक जोर ग्राम पंचायत स्तर पर है, जहां संचार उपकरणों जैसे नुक्कड़ नाटक, ऑडियो–विजुअल क्लिप, दीवार–लेखन, डिस्प्ले बोर्ड, पैम्फलेट और केबल टीवी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ–साथ मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अंतर–विभागीय संचालन समिति ने अपनी दूसरी बैठक 28 जून, 2022 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों/ भारत सरकार के विभागों और अटल जल राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित की थी।

3.4 बाढ पूर्वानुमान

केंद्रीय जल आयोग 333 स्टेशनों पर बाढ पूर्वानुमान की सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें से 199 प्रमुख नदियों पर स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशन हैं और 134 प्रमुख बांधों/बैराजों पर इनफ्लों पूर्वानुमान स्टेशन हैं। सेंसरों और सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिस्टम सहित कुल 1022 स्वचालित डेटा संग्रह स्टेशन, तीन अर्थ रिसीविंग स्टेशन जो नई दिल्ली, जयुपर और बुर्ला में हैं और 27 मॉडलिंग केंद्र जो डाटा के विश्लेषण के लिए नवीनतम कंप्यूटर सिस्टम से लैस हैं, बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने और संबंधित एजेंसियों को इसको तेजी से प्रसारित करने के लिए विभिन्न नदी बेसिनों में स्थापित किए गए हैं।

बाढ़ के मौसम के दौरान, सीडब्ल्यूसी नई दिल्ली में मुख्यालय स्तर पर 24x7 आधार पर आढ नियंत्रण कक्ष संचालित करता है और बाढ़ की स्थिति की निगरानी के लिए पूरे देश में 29 मंडल कार्यालयों में फैला हुआ है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा हर साल औसतन बाढ के मौसम के दौरान लगभग 10,000 पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। आमतौर पर, इन पूर्वानुमानों को 6 से 30 घंटे पहले जारी किया जाते हैं। जो नदी के इलाके, बाढ के पूर्वानुमान स्थलों और बेस स्टेशनों पर निर्भर करता है। पारंपरिक बाढ पूर्वानुमान पद्धति के अलावा, कुछ क्षेत्रों में वर्षा–अपवाह पद्धति के आधार पर गणितीय मॉडल पूर्वानुमान का भी उपयोग किया जा रहा है। इसने सीडब्ल्यूसी को 5–दिवसीय अग्रिम बाढ़ एडवाइजरी जारी करने में सक्षम बनाया है।

सभी बाढ़ के स्तर और अन्तर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए स्वचालित ऑनलाइन 5 दिनों की बाढ़ एडवाइजरी बनाए रखी जाती है। 5 दिनों के परामर्श के आधार पर ''दैनिक बाढ़ स्थिति रिपोर्ट सह एडवाइजरी'' में ''अगले पांच दिनों के लिए चेतावनी'' स्तर से ऊपर होने की संभावना वाले स्टेशनों के संबंध में बाढ़ की स्थिति को जोड़ा गया है। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ 23 सदस्यीय पूर्वानुमान पर आधारित एनसेंबल पूर्वानुमान को अपनाया गया है। बेहतर 5 दिनों की बाढ़ एडवाइजरी के लिए बायस करेक्शन की तकनीक भी अपनाई गई थी।

नियमित बाढ पूर्वानुमान गतिविधि

बाढ मौसम 2022 के दौरान; 11,511 बाढ पूर्वानुमान (6779 लेवल पूर्वानुमान और 4732 इनफ्लो पूर्वानुमान) जारी किए गए थे जिनमें से 10,812 (93.93%) पूर्वानुमान सटीकता सीमा के भीतर पाए गए (±0.15 मीटर स्तर के पूर्वानुमान के लिए और इनफ्लो पूर्वानुमान के लिए ± 20%)। वर्ष 2014 के बाद से, सीडब्लयूसी प्रति घंटे के आधार पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा के प्रवेश के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर ''ई–एसडब्लयूआईएस'का उपयोग कर रहा है, नदी की वर्तमान स्थिति द्वारा विश्लेषण और बाढ पूर्वानुमान का प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2020 के बाद से, सीडब्लयूसी प्रति घंटे के आधार पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा के प्रवेश के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर ''डब्लयूआईएमएस' का उपयोग कर रहा है, नदी की वर्तमान स्थिति द्वारा विश्लेषण और बाढ पूर्वानुमान का प्रसार किया जा रहा है। 01 मई से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान आंकलन की गई बाढ की स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है:

बाढ पूर्वानुमान स्टेशनों में चरम बाढ की स्थिति:

01 मई से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान चरम बाढ की स्थिति में आठ बाढ पूर्वानुमान केंद्र बह गए; 11 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र अत्यधिक बाढ़ स्थिति में 80 बाढ़ निगरानी स्टेशन बह गए।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में गंभीर बाढ़ की स्थिति:

1 मई से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और झारखंड राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति में 95 एफएफ स्टेशन बह गए।

बाढ़ पूर्वानुमान साइटों पर 1 मई से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान अत्यधिक बाढ़ की स्थिति दर्शाने वाली तालिकाः

क्र. सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	समय	
					से	तक
1.	असम	नगांव	कोपिली	कामपुर	15/05/2022 1600 घंटे 16/06/2022 1600 घंटे	21/05/2022 2000 घंटे 22/06/2022 1600 घंटे
2.	बिहार	किशनगंज	महानंदा	तैयबपुर	29/06/2022 0400 घंटे	29/06/2022 0800 घंटे
3.		सुपौल	कोसी	बसुआ	02/08/2022 1900 घंटे	02/08/2022 2200 घंटे
4.		सिवान	घाघरा	दरौली	14/10/2022 0600 घंटे	16/10/2022 2200 घंटे
5.	तेलंगना	भूपालपल्ली	गोदावरी	कालेश्वरम	14/07/2022 0600 घंटे	15/07/2022 1200 घंटे
6.		कुमारमभीम	वर्धा	सिरपुर (टी)	14/07/2022 0300 घंटे	17/07/2022 0200 घंटे
7.	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीताराम राजू	साबरी	चिंटुरु	15/07/2022 0100 घंटे	19/07/2022 1000 घंटे
8.	राजस्थान	करौली	चंबल	मंडरियल	25/08/2022 0400 घंटे	25/08/2022 1100 घंटे
9.		धौलपुर	चंबल	धौलपुर	25/08/2022 0600 घंटे	26/08/2022 0700 घंटे
10.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	राप्ती	बलरामपुर	08/10/2022 1100 घंटे	13/10/2022 1900 घंटे
11.		सिद्धार्थनगर	राप्ती	बंसी	14/10/2022 1600 घंटे	19/10/2022 0900 घंटे

3.5 बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) और नदी प्रबंधन गतिविधियों और विभाग की सीमा क्षेत्रों (आरएमबीए) योजनाओं से संबंधित कार्यों के माध्यम से प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें एक ही योजना बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) में मिला दिया गया है। एफएमपी घटक के तहत 2,104.34 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान दिए जाने के लिए अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक के तहत 620.52 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

ग्यारहवीं योजना के दौरान, भारत सरकार द्वारा नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, बाढ़ प्रूफिंग, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों और समुद्रतट कटाव रोधी कार्य की बहाली और राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" शुरू किया गया था जिसे एफएमबीएपी घटक के अंतर्गत जारी रखा गया है।

अब तक, इस कार्यक्रम के तहत संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकारों को 6,977.42 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता राशि जारी की गई है। इस

कार्यक्रम के तहत पूरी की गई 415 परियोजनाओं ने लगभग 4.994 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल को संरक्षित किया है और 52.21 मिलियन की आबादी को सुरक्षा प्रदान की है। जारी की गई केंद्रीय सहायता और संरक्षित क्षेत्र/लाभान्वित आबादी का विवरण क्रमशः ***अनुलग्नक–VII*** और ***अनुलग्नक–VIII*** में दिया गया है।

नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा क्षेत्र से संबंधित कार्य

उपरोक्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को बारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था जिसे जारी रखा गया है। इस योजना के तीन घटक हैं अर्थात,

i) पड़ोसी देशों के साथ सीमावर्ती नदियों पर जल विज्ञान संबंधी अवलोकन और बाढ़ पूर्वानुमानः इस घटक के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

- **भारत और नेपाल के लिए सामान्य नदियों पर बाढ़ का पूर्वानुमानः** भारत और नेपाल की साझा नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान वर्तमान में नेपाली क्षेत्र में 46 मौसम विज्ञान / जल–मौसम विज्ञान स्थलों पर कार्यरत है।

- **भूटान से निकलने वाली नदियों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षण** : भारत में नियंत्रण कक्ष के लिए वास्तविक समय डेटा के प्रसारण के लिए भारत और भूटान के साझा नदियों पर जल–मौसम विज्ञान और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए एक व्यापक योजना जारी है। भूटान में इन स्थलों के संचालन और रखरखाव की लागत भारत द्वारा वहन की जाती है।

- **भारत और बांग्लादेश के लिए सामान्य नदियों और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग पर संयुक्त अवलोकनः** कम वर्षा वाले मौसम (जनवरी से मई) के दौरान, दोनों देशों के बीच 1996 में हस्ताक्षरित संधि के प्रावधानों के अनुसार, गंगा के पानी को बांग्लादेश के साथ फरक्का में साझा किया जाता है। जल विज्ञान संबंधी प्रेक्षण संयुक्त रूप से फरक्का (भारत) और हा डग ब्रिज (बांग्लादेश) में प्रति वर्ष कम वर्षा वाले मौसम के दौरान किए जा रहे हैं।

- **चीन द्वारा जलवैज्ञानिक आकडे साझा करनाः** प्रत्येक मानसून मौसम के दौरान, ब्रह्मपुत्र पर तीन स्टेशनों (नुगेशा, यांगकेन और नुक्सिया) और सतलुज पर एक स्टेशन (त्सदा) का जलवैज्ञानिक डेटा चीन द्वारा भारत को मौजूदा समझौता ज्ञापनों के अनुसार प्रदान किया जाता है और इन स्टेशनों के रखरखाव की लागत भारत द्वारा वहन की जाती है। चीन द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग भारत द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी और अग्रिम चेतावनी हेतु किया जाता है।

ii) पड़ोसी देशों में जल संसाधन परियोजनाओं की जांचः इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां/ परियोजनाएं हैं:

- **पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाः** महाकाली नदी (भारत में शारदा) के एकीकृत विकास के लिए भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित महाकाली संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत– नेपाल सीमा पर पंचेश्वर

बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित है। भारत–नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की डीपीआर को भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच वार्ता के माध्यम से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- **सप्तकोसी उच्च बांध और सूर्य कोसी भंडारण सह डायवर्जन योजना का सर्वेक्षण और जांच:** द्विपक्षीय समझौते के अनुसार सप्तकोसी उच्च बांध और सनकोसी भंडारण सह डायवर्जन स्कीम की व्यापक डीपीआर की तैयारी के लिए संयुक्त परियोजना कार्यालय – सप्तकोसी और सनकोसी जांच (जेपीओ–एसकेएसकेआई)– फील्ड जांच कर रहा है। विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच स्थापित द्विपक्षीय प्रणाली के माध्यम से नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iii) बाढ़ प्रबंधन/समुद्र तट कटावरोधी कार्य के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता:

यह योजना नदी प्रबंधन कार्यों के लिए चिन्हित सीमावर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% अनुदान प्रदान करती है। अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक के तहत 620.52 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि जारी की गई है।

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, बिहार और झारखंड के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए लंबे समय से लंबित परियोजना को शुरू किया गया है। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को 1,622.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है। परियोजना की शुरुआत से तीन वित्तीय वर्षों के दौरान परियोजना बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों और झारखंड के पलामू और गरवा जिलों के सूखा प्रवण क्षेत्रों में सालाना 1,11,521 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई लाभ प्रदान करेगी। इसमें पेयजल और औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 44 एमसीएम जल की आपूर्ति का भी प्रावधान है। परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में मैसर्स वैप्कोस लिमिटेड द्वारा टर्नकी आधार पर परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन को मंजूरी दे दी गई है। बांध और सम्बद्धित पर 10% कार्य, मोहम्मदगंज बैराज पर 95% कार्य और बाईं मुख्य नहर पर 75% कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

3.6 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) में विश्व बैंक के सहयोग से समय पर और विश्वसनीय जल संसाधन डेटा अधिग्रहण, भंडारण, परितुलन और प्रबंधन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 48 कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के साथ अखिल भारतीय कवरेज है (जिसमें केंद्र सरकार से 9, नदी बेसिन संगठनों से 3, संघ राज्य क्षेत्रों से 2 और राज्यों से 34 शामिल हैं)। यह जल संसाधन मूल्यांकन, आयोजना और प्रबंधन के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए उपकरण और प्रणाली भी प्रदान करेगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को राज्य सरकारों और केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% अनुदान के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 3,679.77 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना की अवधि वर्ष 2016–17 से 2023–24 तक 8 वर्ष है।

उद्देश्य:

- जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए,
- बाढ़ और बेसिन स्तर के संसाधन मूल्यांकन/योजना के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली तैयार करना।
- भारत में लक्षित जल संसाधन पेशेवरों और प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना।

प्रभाव:

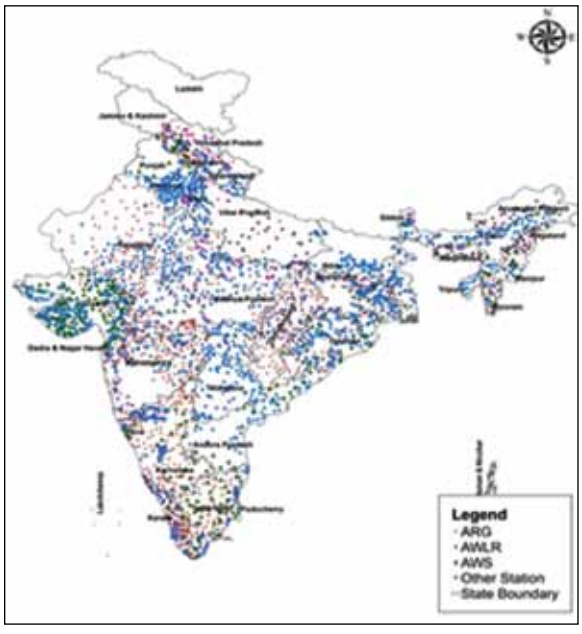

एनएचपी के तहत सतही जल वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली स्थापित की जा रही है

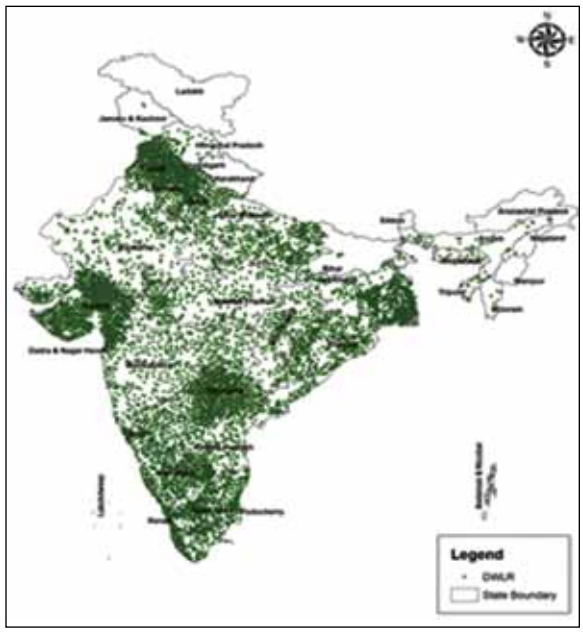

एनएचपी के तहत भूजल रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली स्थापित की जा रही है

एनएचपी का उद्देश्य देश में बहुमूल्य जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित सूचित निर्णय लेने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को एक सक्षम मंच प्रदान करना है। रीयल टाइम डेटा एक्विजिशन प्रणाली (आरटीडीएएस) की स्थापना पर जोर दिया गया है। तदनुसार, पूरे देश में लगभग 20,000 सतही और भूजल निगरानी स्थल स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केंद्रीकृत ऑनलाइन जल संसाधन सूचना प्रणाली और राज्य डेटा केंद्रों को वास्तविक समय डेटा प्रेषित किया जाएगा। ऐसी 10,000 प्रणालियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। इन स्टेशनों के डेटा को धीरे–धीरे केंन्द्रीकृत डेटाबेस प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है, क्योंकि प्रणाली को केंन्द्रीकृत डेटाबेस में स्थापित, परीक्षण और एकीकृत किया जाता है। राज्य अन्य पहलों के तहत स्थापित मैनुअल और स्वचालित अवलोकन स्टेशनों से भी डेटा साझा कर रहे हैं। इस उपलब्ध जानकारी को अब भारत डब्ल्यूआरआईएस के जल डेटा ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा एनएचपी के तहत विकसित किए जा रहे कुछ प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण, नॉलेज प्रोडक्ट और निर्णय समर्थन प्रणाली जो बाढ़ पूर्वानुमान, एकीकृत जलाशय संचालन और जल संसाधनों के बेहतर संचालन, आयोजना और प्रबंधन के लिए डेटाबेस, मॉडल और परिदृश्य प्रबंधक को एकीकृत करेगी।

कुछ मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:

क) गंगा, गोदावरी, तापी, कृष्णा–भीमा, दामोदर, पेरियार और रावी बेसिनों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली;

ख) निर्णय समर्थन प्रणाली, योजना और प्रबंधन डीएसएस (पीएम) का विकास;

ग) पूरे देश के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान मॉडल का विकास;

घ) भारतीय हिमालयन नदी बेसिन– सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सभी कैचमेंट के लिए ग्लेशियल झील एटलस तैयार किया गया है।

ङ) नर्मदा, कावेरी और यमुना बेसिन के लिए विस्तारित जल विज्ञान भविष्यवाणी (ईएचपी) 4 सप्ताह के लीड समय के साथ;

च) अवसादन प्रक्रिया, अवसादन परिवहन और 7 बेसिनों के लिए जलाशयों के मॉडलिंग में इसका जमाव।

छ) तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली

ज) जियोइड मॉडल और सीओआरएस नेटवर्क और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभिन्न विन्यास के डीईएम का अधिग्रहण।

झ) जलभृत आधारित एकीकृत जीडब्ल्यू प्रबंधन के लिए डीएसएस विकास

ञ) भारत के 450 से अधिक जलाशयों का बाथमेट्री सर्वेक्षण और अवसादन विश्लेषण।

क्षमता निर्माणः क्षमता निर्माण घटक के तहत, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, वेबिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण/वेबिनार / कार्यशालाएं/सम्मेलन शारीरिक और आभासी दोनों रूप से आयोजित किए जाते हैं। 350 से अधिक शारीरिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और 31.12.2022 तक लगभग 3,500 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई जल साझेदारी (एडब्ल्यूपी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) द्वारा आयोजित युवा जल पेशेवर (वाईडब्ल्यूपी) प्रस्तुति समारोह

3.7 सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी)

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022:

विभाग ने हितधारकों को देश में जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरूआत की है। यह पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों/संगठनों/जिलों/राज्य प्राधिकरणों को प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं। विभाग द्वारा क्रमशः 2019, 2020 और 2022 में पहले, दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने दिनांक 29 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और जल शक्ति अभियानः कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया।

पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 इस विभाग द्वारा सफलतापूर्वक शुरू किया गया था, जिससे इस अभ्यास को गति मिली। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ने स्टार्ट–अप के साथ–साथ लीडिंग संगठनों को भारत में सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के तरीके पर वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार–विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। विभाग ने 57 राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 श्रेणियों में अवार्ड किया है – सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक), सर्वश्रेष्ठ स्कूल, परिसर के रूप में उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान/आरडब्ल्यूए/धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, और सीएसआर गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग।

विभाग ने जल के क्षेत्र में लोगों द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने और अधिक से अधिक लोगों को जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए अधिक उत्साह के साथ चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार लॉन्च किए हैं। ये पुरस्कार दिनांक 30 जुलाई 2022 को 11 (ग्यारह) विभिन्न श्रेणियों में शुरू किए गए थे। इन श्रेणियों में से प्रत्येक में 3 (तीन) विजेताओं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) का प्रावधान है – कुल 33 पुरस्कारों का प्रावधान है। सभी आवेदन केवल महानिदेशक (अवार्ड), गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (www.awards.gov.in) के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की तारीख दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को समाप्त कर दी गई थी। विजेताओं की जांच और चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी और जूरी कमेटी का गठन किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत 11 श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक), सर्वश्रेष्ठ स्कूल, कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सीएसआर गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग हैं।

वाटर हीरोजः शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट 3.0

''वाटर हीरोजः शेयर योर स्टोरीज'' प्रतियोगिता का उद्देश्य सामान्य रूप से जल को महत्व देना और जल संरक्षण के साथ ही जल संसाधनों के सतत विकास पर देशव्यापी प्रयासों को समर्थन देना है। वाटर हीरोज का पहला और दूसरा संस्करणः शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था जो 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगा। प्रतिभागी अपनी सफलता की कहानियों को राइट–अप, वीडियो क्लिप और फोटो के रूप में साझा किया हैं। प्रतिभागी को माईगोव पोर्टल के माध्यम से साझा करना होगा या केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को ईमेल के माध्यम से जमा करना होगा। विजेताओं का चयन मासिक आधार पर एक चयन समिति द्वारा किया जाता है, जो विजेताओं की जांच, शॉर्टलिस्ट और चयन करने के लिए बनाई जाती है। प्रति माह अधिकतम 10 विजेताओं का चयन किया जाएगा और उन्हें एक प्रमाण पत्र के साथ 10,000/– रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार–मासिक पत्रिका "जल चर्चा"

विभाग केंद्रीय स्तर पर सूचित निर्णय लेने में मदद करने हेतु हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मासिक पत्रिका लेकर आया है। यह पत्रिका जल क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रणालियों को राष्ट्रीय मंच पर लाने

और लोगों के मन में जल चेतना पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ने का एक प्रयास भी है। विषय की विशालता को देखते हुए पत्रिका का विषय हर संस्करण में बदलता रहता है, एकीकृत तरीके से जल संसाधनों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन मुख्य विषय रहता है। पत्रिका "जल चर्चा" पूरे देश में लगभग 1,000 प्राप्तकर्ताओं को मासिक आधार पर प्रसारित की जा रही है। इसके अलावा, पत्रिका की सॉफ्ट कॉपी पूरे देश में हितधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान–वीडियो/फिल्म का निर्माण

विभाग द्वारा किए गए सफल कार्यों पर विभिन्न वीडियो स्पॉट/वृत्तचित्र फिल्में, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन तकनीकों के बारे में जागरूकता के लिए एनिमेटेड वीडियो/लघु वीडियो/फिल्में बनाई जाती हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए वीडियो एनएफडीसी और दूरदर्शन के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। इन वीडियो को जन जागरूकता के लिए और आम जनता के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर/अपलोड किया जाता है।

सोशल मीडिया अभियान

विभाग की सोशल मीडिया गतिविधियां फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कूएप पर संचालित की जाती हैं। ये लक्ष्य विभाग और विभिन्न संगठनों के सोशल मीडिया हैंडल की रीच बढ़ाना, लोगों से जुड़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री का सृजन करना, विभाग की पहलों/अभियानों को हाईलाइट करना, जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना और देश के लोगों को इसमें शामिल करना है। व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के सफल प्रयासों का जश्न मनाने वाली सफलता की कहानियों पर कैच द रेन अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) अभियान, वाटर हीरोज 3.0 प्रतियोगिता, जल जीवन मिशन, "भारत का संगमः भारतीय नदियों के संगम के साथ", से नो सिंगल यूज प्लास्टिक, रुसाइबरएवेयरनेस, अमृत सरोवर, भारत के आर्द्रभूमि, रुनेशनलन्यूट्रीशियनवीक, प्रवासी पक्षीः भारतीय उपमहाद्वीप, जल निकायों और भू–आकृतियों के प्रकार, 'गेस द प्लेस' क्विज, सूखा सहिष्णु पौधे, अद्भूत गंगा, 7 वां इंडिया वाटर वीक, जनजाति गौरव दिवस और अन्य अभियान चलाए गए हैं।

लोगो सपोर्टः

विभाग ने पीएसयू अवार्ड्स के 9 वें संस्करण, वाटर इंडिया/8 वें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2023, वाटर एंड वेस्ट एक्सपो 2023, ऑल इंडिया मेयर और आरडब्ल्यूए शिखर सम्मेलन 2023, इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक (आईएसयूडब्ल्यू 2023), तीसरे राष्ट्रीय जल नवाचार शिखर सम्मेलन, 8 वें भारत उद्योग जल सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, जल नवाचार शिखर सम्मेलन, स्मार्ट अर्बननेशन 2022, इकोनॉमिक टाइम्स एसडीजी शिखर सम्मेलन, 2022, जल सततता पुरस्कार 2022–23, वाटर एंड प्लंब एक्सपो आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए लोगो सपोर्ट प्रदान किया है।

प्रदर्शनियों/एक्सपो में भागीदारीः

विभाग ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, शाइनिंग महाराष्ट्र, जल प्रहरी सम्मान समारोह 2022, राइज इन उत्तर प्रदेश 2022, भारत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर, नई दिल्ली, शाइनिंग मध्य प्रदेश, विजन राजस्थान, अस्पायरिंग हरियाणा, कोलकाता में राष्ट्रीय प्रदर्शनी, 26वें सुंदरबन क्रिस्टी मेला संस्कृति उत्सब, एग्रोविजन समिट का 13वां संस्करण, 7वां वाइब्रेंट इंडिया–2022, जयपुर एक्सपो 2022, गरावी गुजरात 2022, सरकारी उपलब्धि योजनाएं और एक्सपो 2022, मध्य प्रदेश में नदी उत्सव आदि जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया है।

3.8 ई–गवर्नेंस गतिविधियां

- विभाग ने ई–ऑफिस को दिनांक 02 फरवरी, 2017 से पूरी तरह से चालू कर दिया है। इस विभाग के पास ई–ऑफिस में 95% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का उपयोग है और उपयोग की जा रही फिजीकल फाइलों का प्रतिशत 5% से कम है। सभी नई फाइलें इलैक्ट्रानिक रूप में खोली जाती हैं। इस समय ई–आफिस (लाइट) आ 7.0x (नवीनतम वर्जन) विभाग में दिनांक 16.01.2022 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- विभाग ने अपने ई–ऑफिस को व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पर्यटन विभाग और कानूनी कार्य विभाग के साथ इन विभागों के बीच ई–फाइलों के अंतर–विभागीय अंतरण को सक्षम करने हेतु जोड़ा है।
- ई–ऑफिस केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस), केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), अपर यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी), राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी), राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी), राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी), राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी), राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम), वैप्कोस, नेरीवालम में संलग्न/अधीनस्थ/स्वायत्त और पीएसयू कार्यालयों में पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाता है।
- मंत्रालय की वेबसाइट हर पखवाड़े अपडेट की जाती है। संलग्न कार्यालयों की वेबसाइटों पर सामग्री के नियमित अद्यतनीकरण पर फोकस है।
- ई–एचआरएमएस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाना है, इस विभाग में लागू किया गया है।
- विभाग में डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) लागू किया जा रहा है। डीजीक्यूआई मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र और मंत्रालयों/विभागों की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक स्व–प्रशासित सर्वेक्षण है। डीजीक्यूआई का उद्देश्य स्व–मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से मंत्रालयों/ के डेटा प्रणालियों की तैयारियों में सुधार करना है। विभाग के लिए कार्य योजना तैयार कर नीति आयोग को सौंप दी गई है। विभाग की लगभग 17 परियोजनाओं/योजनाओं को डीजीक्यूआई के अंतर्गत शामिल किया गया है। विभाग की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए स्व–मूल्यांकन प्रश्नावली मार्च, 2022 में ऑनलाइन मोड के माध्यम से नीति आयोग को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

3.9 बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप)

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना है, जो संस्थागत सुदृढ़ीकरण घटक के साथ देश के कुछ चयनित बांधों के पुनर्वास को लक्षित करती है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (चरण–I):

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने अप्रैल 2012 में विश्व बैंक की सहायता

से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रणाली व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सूदृढ़ीकरण के साथ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना है। यह योजना अप्रैल, 2012 में प्रभावी हुई। सात राज्यों अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड में स्थित 223 बांधों को इन बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए पुनर्वास उपायों के लिए लिया गया था।

इस योजना का वित्तीय परिव्यय मूल रूप से 2,100 करोड़ रूपए, 30 जून, 2018 को निर्धारित समापन के साथ (279.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बाहरी ऋण के साथ) था। इस योजना की लागत सितंबर 2018 में 3,466 करोड़ रुपये (416.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बाहरी ऋण के साथ) के विस्तार के साथ इस योजना को दो साल के लिए अर्थात् 30 जून, 2020 तक संशोधित किया गया था। कोविड–19 के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्याप्त अवसर देने के लिए इस योजना को 9 माह के लिए और बढ़ा दिया गया था। डीआरआईपी योजना का चरण–I 31 मार्च, 2021 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। विश्व बैंक द्वारा दी गई योजना की प्रदर्शन रेटिंग 'संतोषजनक' है। यह बैक–टू–बैक ऋण व्यवस्था के साथ एक राज्य क्षेत्र की योजना थी। मूल फंडिंग पैटर्न 80:20 था, जिसमें अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए संशोधित फंडिंग पैटर्न अर्थात् 50:50 (केंद्रीय एजेंसियां), 70:30 (सामान्य श्रेणी के राज्य), और 80:20 (विशेष श्रेणी के राज्य) थे।

डीआरआईपी चरण I – उपलब्धियाँ / गतिविधियां:

- बांधों की विभिन्न सुरक्षा चिंताओं के समाधान करने के लिए डाउनस्ट्रीम लोगों, संपत्ति और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ–साथ 221 बांधों का वास्तविक पुनर्वास पूरा किया गया। दो बांधों के शेष प्रमुख कार्यों को स्पिल ओवर गतिविधि के रूप में डीआरआईपी चरण–II में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- **वित्तीय उपलब्धि:** 2,646 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत में से, कुल 2,567 करोड़ रूपए खर्च किए गए।
- **आपातकालीन कार्य योजनाओं का प्रकाशन (ईएपी)** : 217 ईएपी तैयार किए गए थे जिनमें से 210 ईएपी प्रकाशित किए गए हैं। ईएपी का प्रसार करने और सभी संबंधित हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए 78 बांधों के लिए हितधारक परामर्शी बैठकें आयोजित की गईं।
- **संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) मैनुअल:** 221 बांधों के ओ एंड एम मैनुअल तैयार किए गए हैं, जिनमें से 215 प्रकाशित किए गए थे।
- **13 दिशानिर्देश और मैनुअल** डीआरआईपी के तहत बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर और बांध उपकरण के लिए मानक तकनीकी विशिष्टताओं में से 1 को प्रकाशित किया गया था। [ये दस्तावेज डीआरआईपी की आधिकारिक वेबसाइट (www.damsafety.in) पर उपलब्ध हैं।
- **क्षमता निर्माण** केंद्रीय और शैक्षणिक संस्थानों के साथ इन जल परिसंपत्तियों के नियमित संचालन में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों का क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। यह अत्यधिक बाढ़ और भूकंप गतिविधियों सहित किसी भी आपात स्थिति के दौरान बांधों के संचालन में सुरक्षित और कुशलता से सहायता करता है। डीआरआईपी के तहत, 10 कार्यान्वयन एजेंसियां, आठ शैक्षणिक संस्थान और दो केंद्रीय एजेंसियां इस गतिविधि का हिस्सा रही हैं। संस्थागत सुदृढ़ीकरण के एक भाग के रूप में, 191

अनुकूलित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं, जिससे लगभग 5,500 अधिकारी लाभान्वित हुए हैं।

- दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, सभी बांधों के लिए महत्वपूर्ण डेटा को कैप्चर करने और पुनर्वासन प्रोटोकॉल की उचित निगरानी और विकास के लिए इसका उपयोग करने के लिए बांध स्वास्थ्य और पुनर्वासन निगरानी अनुप्रयोग (धर्मा) नामक वेब–आधारित उपकरण विकसित किया गया है। इस उपकरण को 18 राज्यों को लाइसेंस के साथ सात मॉड्यूल के साथ कार्यान्वित किया गया है। 1,052 आधिकारिक उपयोगकर्ताओं के साथ 1,500 बांधों के लिए डेटा दर्ज किया गया है।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण के एक हिस्से के रूप में, आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बैंगलोर ने जुलाई, 2021 शैक्षणिक सत्र से बांध सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम की घोषणा की है।
- बांध सुरक्षा सम्मेलन और कार्यशालाएं दुनिया भर के बांध पेशेवरों के बीच अनुभव के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। तीन राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन – चेन्नई (2015), बेंगलुरु (2016), रुड़की (2017) में और दो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन – तिरुवनंतपुरम (2018) और भुवनेश्वर (2019) में आयोजित किए गए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बांध पेशेवरों ने इन सम्मेलनों के लिए बांध सुरक्षा प्रबंधन और बांध पुनर्वास के पहलुओं को शामिल करते हुए 500 से अधिक तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए। बांध इंजीनियरिंग में नवीनतम तकनीकी विकास और प्रथाओं से संबंधित अनुभव के समृद्ध आदान–प्रदान से लगभग 2,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। इन सम्मेलनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बांध बिरादरी से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (चरण–II और III):

डीआरआईपी चरण–I की सफलता के आधार पर, जल शक्ति मंत्रालय ने बाहरी रूप से अन्य वित्त पोषित योजना डीआरआईपी चरण–II और चरण–III की शुरुआत की। इस योजना में 19 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और 3 केंद्रीय एजेंसियां (केंद्रीय जल आयोग, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, और दामोदर घाटी निगम) में स्थित 736 बांधों के पुनर्वास का प्रावधान है। यह केंद्रीय घटक के साथ एक राज्य क्षेत्र की योजना है, जिसकी अवधि 10 साल है, जिसे प्रत्येक छह साल की अवधि के साथ दो साल के ओवरलैप के साथ दो चरणों अर्थात् चरण–II और चरण–III में लागू किया जाना है।

इस परियोजना की कुल लागत 10,211 करोड़ रूपए है। इस लागत में से 7,000 करोड़ रूपए एक बाहरी ऋण है, संबंधित भागीदार राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा 3,211 करोड़ रुपए वहन किए जाएंगे। इस योजना का वित्त पोषण पैटर्न 80:20 (विशेष श्रेणी के राज्य), 70:30 (सामान्य श्रेणी के राज्य) और 50:50 (केंद्रीय एजेंसियां) हैं। इस योजना में विशेष श्रेणी के राज्यों (मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड) के लिए ऋण राशि के 90% के केंद्रीय अनुदान का भी प्रावधान है। चरण–II को विश्व बैंक और एआईआईबी द्वारा प्रत्येक के लिए 250 मिलियन अमेरीकी डॉलर से वित्तपोषित किया जा रहा है। ऋण समझौते पर 04 अगस्त, 2021 को 10 राज्यों (गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़) के साथ हस्ताक्षर किए गए और यह 12 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी हो गया। 10 राज्यों के अलावा, चार राज्य (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक) इस योजना के तहत शामिल करने के लिए विश्व बैंक द्वारा

अधिसूचित किया जा चुका है।

एआईआईबी द्वारा ऋण समझौते पर दिनांक 19 मई, 2022 को 10 राज्यों (गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़) के साथ हस्ताक्षर किए गए थे और एआईआईबी द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2022 को प्रभावी घोषित किया गया था।

3.10 अनुसंधान और विकास

योजना के तहत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनआईएच और सीडब्ल्यूसी जैसे विभागों शीर्ष संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित कार्मिकों की अनुसंधान सुविधाओं और प्रशिक्षण का आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन और विभागों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के तहत, विभाग सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं. वि) विभाग और स्थायी सलाहकार समिति की अध्यक्षता में गठित तीन भारतीय राष्ट्रीय समितियों (आईएनसी) के माध्यम से जल क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए आईआईटी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय समितियाँ (आईएनसीएस) हैं: सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आइएनसीएसडब्ल्यू), भूजल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आइएनसीजीडब्ल्यू) और जलवायु परिवर्तन पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आइएनसीसीसी)। भारत में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम ने विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद की है।

वास्तविक उपलब्धियां:

विवरण	वर्ष							
	2019–20		2020–21		2021–22		2022.23 (दिसंबर, 2022 तक)	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
प्रस्तुत तकनीकी रिपोर्ट (संख्या)	150	241	200	207	195	204	195	140
प्रकाशित शोध पत्र (संख्या)	250	238	290	277	305	252	300	245
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमध सम्मेलन (सं.)	30	66	40	42	40	48	60	46
कार्मिकों का प्रशिक्षण (सं.)	650	791	-	752	-	1,058	-	1,245
ल.– लक्ष्य, उ.– उपलब्धि								

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनु. संधान की उपलब्धियां:

- एसवीएनआईटी सूरत, एमएनआईटी जयपुर, एमएएनआईटी भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से किए गए "तापी बेसिन के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव" शीर्षक वाला अध्ययन पूरा हो गया है।
- आईआईटी मुंबई, एनआईटी सुरथकल, सीडब्ल्यूआरडीएम कोझीकोड द्वारा संयुक्त रूप से "तादरी से कन्याकुमारी तक नदी बसिनों में जल संसाधनों पर जलवायु

परिवर्तन का प्रभाव" नामक अध्ययन पूरा हो गया है।

- आईआईटी मद्रास, अन्ना विश्वविद्यालय और बीएचयू वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए "भारत में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए गतिशील डाउनस्केलिंग" नामक अध्ययन का एक हिस्सा पूरा हो गया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन के घटक का विस्तार कर दिया गया है।

3.11 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास

जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास की योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना से निरंतर चली आर रही योजना है जो 2021–22 से 2025–26 के दौरान 715 करोड रूपए की अनुमानित लागत से कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत विश्वसनीय और साउंड डेटाबेस के सृजन, जल संसाधन परियोजनाओं के नीति निर्माण में सहायता, योजना और डिजाइन तैयार करना, बाढ पूर्वानुमान को समय से प्रचालित आदि करना है।

जल संसाधन सूचना प्रणाली योजना के विकास के तहत गतिविधियां:

- 1730 स्थलों पर जल–मौसम संबंधी अवलोकन।
- 333 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किए गए। हर साल औसतन 10,000 बाढ़ के पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सभी हितधारकों को प्रसारित किए जा रहे हैं।
- लीड टाइम बढ़ाने के लिए 5 दिन की एडवाइजरी शुरू की गई है।

3.12 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)' की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत नदियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

केंद्र सरकार ने 1985 में गंगा एक्शन प्लान (जीएपी) की शुरुआत के साथ नदी प्रदूषण उपशमन कार्यक्रम की पहल की। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत अन्य नदियों को कवर करने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है, जो कि देश का प्रमुख जल स्रोत हैं, जिसे नदियों के चिन्हित प्रदूषित हिस्सों के साथ विभिन्न शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत बंटवारे के आधार पर किया जाता है।

एनआरसीपी कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई स्कीमों का मुख्य उद्देश्य नदियों में प्रदूषण भार को कम करना है। नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के अलावा, जिससे नदी प्रणालियों का बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी होती है, एनआरसीपी के तहत किए गए प्रदूषण उपशमन कार्य शहरों में सौंदर्यशास्त्र और स्वच्छता में सुधार करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहायता करते हैं।

एनआरसीपी के तहत किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में शामिल हैं:

- खुले नालों के माध्यम से नदियों में बहने वाले कच्चे सीवेज को रोकने और उसके उपचार के लिए मोड़ने के लिए अवरोधन और मोड़ कार्य/सीवरेज सिस्टम बिछाना।
- डायवर्ट किए गए सीवेज के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना।
- नदी तट पर खुले में शौच को रोकने के लिए कम लागत वाले स्वच्छता शौचालयों का निर्माण।

- लकड़ी के उपयोग को संरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रिक शवदाहगृह और बेहतर लकड़ी शवदाहगृह का निर्माण।
- रिवर फ्रंट विकास कार्य, जैसे स्नान घाटों का सुधार।
- जनभागीदारी और जन–जागरूकता और क्षमता निर्माण, आदि।

इस समय में एनआरसीपी (गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) ने 6,248.16 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 16 राज्यों में फैले 80 शहरों में 36 नदियों के प्रदूषित हिस्सों को कवर किया है। विभिन्न प्रदूषण उपशमन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 2900 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और एनआरसीपी (गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के तहत अब तक 2745 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता सृजित की गई है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न नदियों में डिस्चार्ज किए जा रहे प्रदूषण लोड में कमी आई।

निम्नलिखित नदियाँ एनआरसीपी के अंतर्गत आती हैं:

क्र. सं.	नदी
1	अड्यार
2	बीस
3	भद्रा
4	ब्राह्मणी
5	कॉवेरय
6	कौम
7	देविका
8	दिफू एवं धनसिरी
9	घग्गर
10	गोदावरी
11	कृष्णा
12	महानदी
13	मंडोवी
14	मींढोला
15	मुलमुथा
16	मुसी
17	नर्मदा
18	नाम्बुल
19	पेन्नार
20	पम्बा
21	पंचगंगा
22	रंगित
23	रानी चु
24	साबरमती
25	सतलुज
26	सुवर्णरेखा
27	ताप्ती
28	तापी
29	तिस्ता
30	तुंगा
31	तुंगभद्रा
32	तंरबारानी
33	तवी
34	वैगई
35	वेन्नर
36	वैनगंगा

दिनांक 01.08.2014 से, गंगा और उसकी सहायक नदियों से संबंधित कार्यों को तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) को सौंप दिया गया था। तदनुसार गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, चंबल, बीहर, खान, क्षिप्रा, बेतवा, रामगंगा और मंदाकिनी नदियों को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 14 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 1763 के माध्यम

से, भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन किया है, एनआरसीपी सहित एनआरसीडी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से और एनआरसीपी के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों के अलावा अन्य नदियों के प्रदूषण उपशमन के संबंध में कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नवगठित जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है।

3.13 राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम)

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) की स्थापना जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुसार की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और 30 जून, 2008 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया था। एनडब्ल्यूएम का मुख्य उद्देश्य "जल का संरक्षण, अपव्यय को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों में इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना" है। "राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) का कार्यान्वयन" जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

राष्ट्रीय जल मिशन एक थिंक टैंक है जो नीति में गैप को भरने और जल शक्ति मंत्रालय और उसके संबद्ध विभागों/मंत्रालयों के कार्यकारी विंगों/निकायों के साथ एक समन्वय निकाय के रूप में एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य के लिए मिशन का समन्वय करता है। राष्ट्रीय जल मिशन की योजना केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों, केवीके, एनवाईकेएस, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे सभी हितधारकों को एक साथ लाने की है ताकि देश के नागरिकों के बीच जागरूकता आए और जिम्मेदारी के स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में कार्य किया जा सके।

3.14 भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर)

सीजीडब्ल्यूबी की प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं: i) जलभृत मानचित्रण और राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रबंधन योजना तैयार करना; ii) लिथोलॉजी तैयारी और पंपिंग टेस्ट सहित एक्सप्लोरेटरी –ड्रिलिंग; iii) भूजल स्तर की निगरानी; iv) भूजल गुणवत्ता की निगरानी v) कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए प्रदर्शनकारी योजनाओं का कार्यान्वयन; vi) संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से देश के भूजल संसाधनों का आवधिक मूल्यांकन; vii) भूभौतिकीय अध्ययन; viii) अपने स्वयं के कर्मियों के साथ–साथ केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ; ix) उपयोगी सूचना के प्रसार के लिए आउटरीच गतिविधियां गप) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना; x) सीजीडब्ल्यूए के तहत देश में भूजल विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण; xi) अटल भुजल योजना के एक भाग के रूप में सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना; xii) भूजल आधारित सिंचाई आदि को बढ़ावा देने के लिए पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी योजना के भूजल घटक का कार्यान्वयन।

सीजीडब्ल्यूबी एनएक्यूआईएम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुकर बनाने के लिए जलभृतों (वाटर बीयरिंग संरचनाओं) के मानचित्रण, उनके लक्षण वर्णन और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। एनएक्यूआईएम की शुरुआत वर्ष 2012 में जीडब्ल्यूएमआर योजना के एक भाग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य जलभृतों को लक्षण वर्णन करना और चिह्नित करना और भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं विकसित करना था। पूरे देश के 32 लाख वर्ग किमी में से, 25 लाख

वर्ग किमी के एक मप्पेबल क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत कवर करने के लिए चिन्हित किया गया है।

वर्ष 2022 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान, लगभग 5.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया है और अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में फैले 24.57 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए (संचयी) जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं। शेष क्षेत्र को मार्च, 2023 तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। एनएक्यूआईएम आउटपुट जिला प्राधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ शेयर किए जाते हैं।

3.15 नदी बेसिन प्रबंधन (आरबीएम)

नदी बेसिन प्रबंधन (आरबीएम) में दो व्यापक घटक नामतः ब्रह्मपुत्र बोर्ड और जल संसाधन विकास की जांच योजना (आईडब्ल्यूआरडीएस) होते हैं। इसके अलावा, आईडब्ल्यूआरडीएस (i) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) और (ii) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस स्कीम के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने माजुली द्वीप, धलेश्वरी नदी और मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की नदियों सहित ब्रह्मपुत्र की 68 प्रमुख सहायक नदियों के साथ–साथ ब्रह्मपुत्र और बराक के मेन स्टेम के मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य शुरू किया था।

मणिपुर नदी मास्टर प्लान तैयार करने और होरा नदी मास्टर प्लान को अद्यतन करने का काम चल रहा है और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मुख्य स्टेम ब्रह्मपुत्र, बराक, मेघालय की दक्षिण में बहने वाली नदी, मिजोरम की नदियों के मास्टर प्लान को अद्यतन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नवीनतम अत्याधुनिक नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तीन मास्टर प्लान (तांगानी, किंशी और संकोश–रैदक) अद्यतन किए जा रहे हैं। तीस्ता बेसिन के मास्टर प्लान के मसौदे में संशोधन का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन तथा मेघालय की दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में 14 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच शुरू की है, वर्तमान में सिमसांग बांध परियोजना, मेघालय और जियाधल बांध परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की डीपीआर तैयार करने का कार्य वैपकॉस को सौंपा गया है और यह प्रगति पर है।

माजुली द्वीप को बाढ़ और कटाव से बचाने का कार्य भी इस योजना के तहत किया जा रहा है। माजुली द्वीप को ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए 233.57 करोड़ रुपये की एक नई योजना को तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इसके लिए 207 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और शेष राशि का उपयोग नदी बेसिन प्रबंधन योजना के तहत किया गया है। इस योजना का निष्पादन प्रगति पर है। अब तक 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए जैव–इंजीनियरिंग उपाय – माजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी के कोरदोइगुरी के दाएं किनारे पर ब्रह्मपुत्र के नदी तट कटाव के लिए जैव–इंजीनियरिंग उपायों की एक पायलट परियोजना प्रगति पर है।

पगला/बैतामारी, आई, बेकी, पगलादिया, संकोश, गंगिया और सरलभंगा नदियों द्वारा बीटीसी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वैपकॉस को कार्य आवंटित किया गया है।

नदियों को परस्पर जोड़ना

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नदियों को परस्पर जोड़ना (आईएलआर) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और

गंगा संरक्षण मंत्री (अब जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में 23 सितंबर, 2014 को "नदियों को जोड़ने पर विशेष समिति" नामक एक समिति का गठन किया गया था। नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम (आईएलआर) नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (आईएलआर) की अब तक बीस बैठकें हो चुकी हैं (पिछली बैठक 13.12.2022 को हाईब्रिड मोड में नई दिल्ली में हुई थी), जिसमें विभिन्न राज्यों के सचिवों के साथ राज्य के सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों ने भाग लिया था। आईएलआर पर विशेष समिति आईएलआर परियोजनाओं की योजना बनाते और तैयार करते समय हितधारकों के सभी सुझावों/टिप्पणियों को ध्यान में रखती है।

स्कीम के आईडब्ल्यूआरडीएस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना उल्लिखित परियोजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षण एवं जांच कार्य तथा हाइड्रोलॉजिकल, सिंचाई आयोजना पर्यावरण पहलुओं, फसल पद्धति पर अध्ययन किए गए हैं:

- बेरीनियम एचईपी, जम्मू और कश्मीर
- तलावंग जल विद्युत परियोजना, मिजोरम
- मधुरा सिंचाई परियोजना, असम
- मैट–सेकावी एचई प्रोजेक्ट मिजोरम
- तुइचांग एचई परियोजना, मिजोरम
- बुरोई मध्यम सिंचाई परियोजना, असम
- मेबो क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजना
- द्रास–सिरू लिंक परियोजना
- डैमिंग सिंचाई परियोजना, मेघालय।

तमिलनाडु के सेलम जिले में 11.10.2022 को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों को श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र वितरण

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय मंत्री (जल शक्ति) दिनांक 16.06.2022 को नई दिल्ली में 'बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021' कार्यशाला में सम्बोधन करते हुए

4

अंतर-राज्यीय नदी मुद्दे

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय मंत्री (जल शक्ति) दिनांक 16.06.2022 को नई दिल्ली में 'बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021' पर राष्ट्रीय कार्यशाला में अन्य राज्य मंत्रियों समेत

4. अंतर–राज्यीय नदी मुद्दे

4.1 अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 31.07.2019 को लोकसभा द्वारा विचारित और पारित किया गया है। इसके बाद, विधेयक पर राज्यसभा में विचार किया जाना है। यह विधेयक अंतर–राज्यीय जल विवादों के समयबद्ध तरीके से न्याय निर्णयन के लिए मौजूदा अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956) में संशोधन करके कई न्यायाधिकरणों के स्थान पर एकल न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। स्थायी स्थापना और अपने स्थायी कार्यालय स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ एक नया ट्रिब्यूनल प्रत्येक जल विवाद के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल स्थापित करने की आवश्यकता, एक प्रक्रिया जो हमेशा समय लेने वाली पाई गई है, को समाप्त कर देगा।

उपरोक्त संशोधनों के अधिनियमन से जल विवादों के त्वरित न्याय निर्णयन में सुविधा होगी और इस उद्देश्य के लिए एक मजबूत संस्थागत ढाँचा स्थापित होगा। प्रस्तावित संशोधन में परिकल्पित विभिन्न पीठों के साथ एक एकल न्यायाधिकरण के गठन से भी कर्मचारियों में लगभग 25% की कमी होगी और इसके परिणामस्वरूप व्यय में कमी आएगी।

4.2 बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021

पूरे देश में एक एकीकृत बांध सुरक्षा प्रक्रिया के लिए, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को दिनांक 14 दिसंबर 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और केंद्र सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2021 को उस तारीख के रूप में नियुक्त किया था जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021, बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए का प्रावधान करता है।

अधिनियम में निम्नलिखित संस्थागत तंत्र स्थापित करने के प्रावधान हैं।

I) राष्ट्रीय स्तर पर:

- **बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस):**

  एनसीडीएस बांध सुरक्षा नीतियां विकसित करेगा तथा आवश्यक नियमों की सिफारिश करेगा और बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए

रखेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 17.02.2022 की राजपत्र अधिसूचनाओं एसओ 757 (ई) और जीएसआर 134 (ई) के माध्यम से प्रक्रियाओं, भत्ते और अन्य व्यय पर क्रमशः एनसीडीएस और एनसीडीएस नियम, 2022 का गठन किया। एनसीडीएस की पहली बैठक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2022 को आयोजित की गई थी।

- **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए):**

  एनडीएसए निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण और रखरखाव के लिए एनसीडीएस द्वारा विकसित नीति, दिशानिर्देशों और मानकों को लागू करेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 17.02.2022 की राजपत्र अधिसूचनाओं एसओ 758 (ई) और जीएसआर 135 (ई) के माध्यम से क्रमशः एनडीएसए की स्थापना की और कार्यों और बिजली नियमों 2022 को अधिसूचित किया। विवरण अध्याय–7 (उप शीर्षक–7.3.13) के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

II) राज्य स्तर परः

क. बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समिति (एससीडीएस):

एससीडीएस, राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ), राज्य बांध पुनर्वासन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगा, एसडीएसओ के कार्य की समीक्षा करेगा, और बांध सुरक्षा के संबंध में अनुशंसित उपायों पर प्रगति की समीक्षा करेगा। निर्दिष्ट बांधों के स्वामित्व वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एससीडीएस का गठन किया है।

ख. राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ):

राज्य बांध सुरक्षा संगठन ऐसे निर्दिष्ट बांधों की सतत निगरानी करेगा, निरीक्षण करेगा और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी निर्दिष्ट बांधों के प्रचालन और रख–रखाव की निगरानी करेगा ताकि ऐसे निर्दिष्ट बांधों की सतत सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। निर्दिष्ट बांधों के स्वामित्व वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एसडीएसओ की स्थापना की है।

ग. परियोजना स्तर परः बांध सुरक्षा इकाई

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निर्दिष्ट बांध के लिए, बाँध मालिक, प्रचालन और रखरखाव प्रतिष्ठान के भीतर, इंजीनियरों के ऐसे सक्षम स्तरों से युक्त एक बांध सुरक्षा इकाई प्रदान करेगा जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट हो।

कार्यशालाएं, बैठकें, विजिट

i. भारत में बांध सुरक्षा शासन के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशालाः

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के तत्वाधान में सीडब्ल्यूसी ने दिनांक 16 जून, 2022 को डॉ. अम्बेडकर

अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली में भारत में बांध सुरक्षा शासन के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना और भारत में बांध सुरक्षा शासन पर विचार–विमर्श करना था।

इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया। इसमें जल शक्ति के माननीय मंत्रियों, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्रियों, केंद्र सरकार और 11 राज्यों के माननीय मंत्रियों और विभिन्न राज्य जल संसाधन विभागों, ऊर्जा और बिजली विभागों, केंद्र सरकार के संगठनों, सीपीएसयू, अकादमिक संस्थानों, विश्व बैंक आदि के 650 अधिकारियों ने भाग लिया।

ii. बांध सुरक्षा जांच दौरे:

- दिनांक 19 नवंबर, 2021 को बांध की विफलता के कारणों की जांच करने के लिए दिनांक 23–24 मई, 2022 के दौरान सीडब्ल्यूसी से अन्नामय्या बांध, आंध्र प्रदेश के विशेषज्ञों का दौरा किया।
- बांध के सुरक्षा निरीक्षण के लिए दिनांक 27 से 29 जून, 2022 के दौरान सीडब्ल्यूसी से कोल बांध, हिमाचल प्रदेश के विशेषज्ञों का दौरा किया ।
- बांध के सुरक्षा निरीक्षण के लिए दिनांक 15–17 नवंबर, 2022 के दौरान सीडब्ल्यूसी से बगलिहार जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर के विशेषज्ञों का दौरा किया।

4.3 अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण

कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी)

अंतर्राज्यीय नदी कृष्णा तथा नदी घाटी के जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों के अधिनिर्णयन के लिये 02.04.2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया। 2008 की रिट याचिका सं. 408 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 01.02.2006 होगी। फलस्वरूप, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण की कार्य सीमा 31.12.2010 तक बढ़ा दी गई है। अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट एवं निर्णय, जल संसाधन मंत्रालय को 30 दिसंबर, 2010 को अग्रेषित किए गए थे।

इसके बाद, पक्षकार राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र और केंद्र सरकार ने भी अधिनियम के अधिकरण को अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत अपने संदर्भ आवेदन दायर किए थे। अधिकरण द्वारा 29.11.2013 को आगे की रिपोर्ट के माध्यम से आदेश सुनाया गया था और अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत उसे केंद्रीय सरकार और संबंधित पक्षकार राज्यों को उनकी जानकारी और कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया था ।

इसी बीच, आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (वर्ष 2014 का 6) के अनुसार, अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1 अगस्त, 2014 से दो वर्षों के लिए अधिकरण की अवधि को बढ़ाया गया है, ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट संदर्भों की शर्तों का समाधान किया जा सके। अधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद 19.10.2016 को 2014

के अधिनियम संख्या 6 की धारा 89 और क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय दिया। रिपोर्ट को 19.10.2016 को जल संसाधन मंत्रालय को भेज दिया गया था। अधिकरण की अवधि को 01.08.2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है। अधिकरण द्वारा किया गया व्यय:

क्र. सं.	विनिर्देश	लाख रुपये में
1	2022–23 के लिए बजट आवंटन	403
2	01.04.2022 से 31.12. 2022 तक व्यय	328
3	31/12/2022 तक संचयी व्यय (ट्रीब्यूनल की शुरूआत से)	3,852*

**23.12.2021–3430 लाख रुपए और 24.12.2021 से 422 लाख रुपए तक का व्यय शामिल है (94 लाख रुपए 2021–22 अंतिम तिमाही और 328 लाख रुपए 2022–23 के लिए 31.12.2022 तक)*

महादयी जल विवाद अधिकरण

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत 16.11.2010 को भारत सरकार ने गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच अंतर–राज्यीय नदी महादयी और इसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के अधिनिर्णयन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जिसे महादयी जल विवाद अधिकरण (एमडबल्यूडीटी) कहा जाता है। है।

सभी सबूतों की जांच के लिए प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अधिकरण ने अपना निर्णय (अवार्ड) तैयार किया और इसे 14.08.2018 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को भेज दिया।

अंतर्राज्यीय जल नदी अधिनियम 1956 की धारा 5(3) के तहत सभी तीन पक्षकार राज्यों के साथ–साथ केंद्र सरकार द्वारा संदर्भ दायर किए गए हैं। इसके अलावा, दिनांक 14.08.2018 को मुख्य निर्णय के विरूद्ध सभी तीन पक्षकार राज्यों ने भारत के माननीय उच्चतम के समक्ष अपील पेश की है। ये अपीलें सुनवाई के लिए लंबित है। वर्ष 2022–23 के लिए अधिकरण का वित्तीय व्यय इस प्रकार है:

क्र. सं.	विनिर्देश	लाख रुपये में
1.	वर्ष 2022–23 (बीई) के लिए बजट आबंटन	427
2.	1.4.2022 से 31.12. 2022 तक अधिकरण द्वारा किया गया व्यय	316
3.	01.01.2023 से 31.3. 2023 तक अधिकरण का पूर्वानुमानित व्यय	148

महानदी जल विवाद अधिकरण

ओडिशा सरकार ने अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद नियमावली, 1959 के साथ पठित अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत दिनांक 19.11.2016 को शिकायत दर्ज की थी। ओडिशा राज्य ने केंद्र सरकार से तटवर्ती ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच अंतर–राज्यीय नदी महानदी एवं इसके बेसिन से संबंधित जल विवादों के न्याय निर्णयन हेतु आईएसआरडब्ल्यू अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के तहत एक अधिकरण के गठन करने हेतु अनुरोध किया था।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 12.03.2018 की अधिसूचना संख्या 114(ई) के माध्यम से महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में नामित निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं नामतः

- श्री न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश [अध्यक्ष]
- न्यायमूर्ति रवि रंजन, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (पूर्व), झारखंड उच्च न्यायालय, रांची (वर्तमान) के मुख्य न्यायाधीश [सदस्य –1]

- श्रीमती न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर कोचर, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश [सदस्य – 2]

महानदी डब्ल्यूडीटी के समक्ष विवादों के न्याय निर्णय में प्रगतिः ट्रिब्यूनल की अब तक 32 सुनवाई हो चुकी हैं। ट्रिब्यूनल ने 29.08.2020 को हुई सुनवाई में मामले पर फैसला सुनाने के लिए मोटे तौर पर 46 मुद्दे तय किए हैं।

अधिकरण द्वारा किया गया व्ययः–

क्र.सं.	विनिर्देश	लाख रुपये में
1	वर्ष 2022–23 के लिए बजट आवंटन	330.30
2	04/2022 से 12/2022 तक व्यय (05/12/2022 तक)	231.23
3	05/12/2022 तक संचयी व्यय (अधिकरण के आरंभ से)	987.74

रावी और ब्यास जल अधिकरण

रावी और ब्यास जल अधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 में अंतर राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार तीन राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच जल विवाद के अधिनिर्णयन के लिए की गई थी। ट्रिब्यूनल ने 30.01.1987 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

पंजाब सरकार निर्णय से संतुष्ट नहीं थी और वर्ष 2004 में, पंजाब विधानसभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पारित किया। नतीजतन, भारत के राष्ट्रपति ने अधिनियम की वैधता/संवैधानिकता के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के अंतर्गत को संदर्भ जारी किया है, जो भारत के वर्ष 2004 का विशेष संदर्भ नंबर 1 था। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10.11.2016 के फैसले के तहत राष्ट्रपति संदर्भ का निपटारा किया। उच्चतम न्यायालय ने इसके संदर्भित सभी प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर दिया है। और यह टिप्पणी की थी कि पंजाब अधिनियम को भारत के संविधान उपबंधों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है और उक्त अधिनियम के आधार पर, पंजाब राज्य निर्णय और निर्णय संदर्भित डिक्री को रद्द नहीं कर सकता और दिनांक 31 दिसंबर 1981 के करार को समाप्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय की नियमावली, 2013 के भाग V में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना विचार भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित किया है।

वर्ष 2022–23 के लिए अधिकरण का वित्तीय व्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है–

अधिकरण द्वारा किया गया व्यय

क्र.सं.	विनिर्देश	लाख रुपये में
1	2022–23 के लिए बजट आवंटन(बीई)	340.00
2	2022–23 के लिए बजट आवंटन(आरई)	382.33
3	अधिकरण द्वारा किया गया व्यय (31 दिसंबर, 2022 तक)	210.00

वंसधारा जल विवाद अधिकरण (वीडब्ल्यूडीटी)

वंसधारा जल विवाद अधिकरण को 24.02.2010 को श्री न्यायमूर्ति बी.एन. अग्रवाल की अध्यक्षता में अधिसूचित किया गया था जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल सिंह और न्यायमूर्ति बी.एन. चतुर्वेदी इसके सदस्य थे। श्री न्यायमूर्ति बी.एन. अग्रवाल और श्री न्यायमूर्ति निर्मल सिंह ने क्रमशः अध्यक्ष के पद और अधिकरण के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, केंद्र सरकार ने माननीय डॉ. न्यायमूर्ति मुकुंदकम् शर्मा को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, जिन्होंने 17.09.2011 को पद का कार्यभार संभाल लिया

और न्यायमूर्ति श्री गुलाम मोहम्मद को ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नामित किया जिन्होंने 08.04.12 को पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अधिकरण ने 21 जून, 2022 को अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 5(3) के तहत अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी, जिसे अभी प्रकाशित किया जाना है। केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि उक्त अधिनियम की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 मार्च, 2022 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1051 (ई.) द्वारा उक्त प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है, इस मामले में उक्त प्राधिकरण को आगे कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं होगी।

लंबित वित्तीय और अन्य मामलों सहित वीडब्ल्यूडीटी की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मंत्रालय के बीएम प्रभाग पत्र संख्या एन–60021/1/2022–बीएम विभाग–जल शक्ति मंत्रालय के दिनांक 08.03.2022 के अनुसार रावी एवं व्यास जल प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है।

6 सितंबर, 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना की उपस्थिति में साझा सीमावर्ती नदी कुशियरा से जल की निकासी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

5 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिनांक 10.08.2022 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में जल के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डेनमार्क सरकार के विकास सहयोग और नॉरडिक सहयोग के मंत्री एच.ई. फ्लेमिंग मोलर मोर्टेन्सन के साथ बैठक की

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.1 जी–20 जल प्रतिनिधियों की बैठक

भारत ने 01 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत की जी–20 अध्यक्षता के दौरान, जलवायु सततता कार्यकारी समूह के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय दिनांक 27 से 29 मार्च, 2023 के दौरान लीला होटल, गांधीनगर में जी–20 जल प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करेगा।

बैठक के दौरान, भारत जी–20 सदस्य देशों द्वारा जल प्रबंधन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने हेतु एक प्लेटफोर्म प्रदान करने की ओर अग्रसर होगा। जी–20 सदस्यों द्वारा साझा की गई सर्वोत्तम प्रथाओं को जी–20 देशों के बीच ज्ञान के आदान–प्रदान और क्रॉस लर्निंग को सक्षम करने वाले विस्तृत विवरण का संकलन किया जाएगा।

5.2 द्विपक्षीय सहयोग

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जल संसाधन प्रबंधन एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग पर विभिन्न देशों के सात समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित विभिन्न एमओयू के तहत गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विदेशों के साथ संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) बैठकों का आयोजन किया गया।

i. **नीदरलैंड्स के साथ एमओयू**– माननीय जल शक्ति मंत्री (भारत) और अवसंरचना और प्रबंधन के माननीय मंत्री (नीदरलैंड) के बीच दिनांक 29 मार्च, 2022 को आयोजित परिचयात्मक मंत्री स्तरीय जेडब्ल्यूजी के दौरान 5 वर्षों (29.03.2022 – 28.03.2027) की अवधि के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच जल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए।

ii. **जापान के साथ एमओयू**– पारस्परिक हित के आधार पर सहयोग थीमों को प्राथमिकता देने के लिए दिनांक 07.07.2022 को संयुक्त कार्यान्वयन समूह (संयुक्त कार्यकारी समूह के तहत एक उप समूह) का गठन किया गया था और दिनांक 14.12.2022 को वर्चअल प्लेटफोर्म के माध्यम से संयुक्त कार्यान्वयन समूह (जेआईजी) की पहली बैठक आयोजित की गई थी।

iii. **जापान के साथ दूसरा एमओयू**– विकेन्द्रीकृत घरेलु अपशिष्ट जल प्रबंधन (जोखासउ तकनीक) के क्षेत्रों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच दिनांक 19.03.2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन दिनांक 08.07.2022 को दिया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व जेएस, एनआरसीडी और जापानी पक्ष का नेतृत्व निदेशक, जोखासोउ के प्रमोशन कार्यालय द्वारा किया गया।

iv. **यूरोपीय संघ के साथ एमओयू**– दिनांक 27.10.2022 को नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ दोनों की ओर से हितधारकों की एक बड़ी संख्या को साथ लाने और 5वां भारत–यूरोपीय संघ जल मंच आयोजित किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ में जल क्षेत्र में सु–प्रथाएं, नियामक दृष्टिकोण, व्यवसायिक समाधानों और अनुसंधान और नवाचार के अवसरों पर विचारों का आदान प्रदान करना है।

v. **डेनमार्क के साथ एमओयू**: जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु दिनांक 12.09.2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ (i) स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना और (ii) पणजी में स्मार्ट सिटी लैब की तर्ज पर वाराणसी में स्वच्छ नदियों हेतु एक प्रयोगशाला की स्थापना करना शामिल है। वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला के संबंध में दो समितियों नामतः (i) उद्देश्य पूर्ण और समग्र योजना को तैयार करने हेतु संयुक्त जांच समिति (जेएससी) और (ii) जेएससी द्वारा सहयोग के तहत दिन प्रति दिन होने वाली गतिविधियों की पहचान करने के लिए प्रगति समीक्षा समिति (पीआरसी) का गठन विभाग के दिनांक 16 सितंबर, 2022 को कार्यालय आदेश द्वारा किया गया। स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन (सीओईएसडब्ल्यूएआरएम) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के संबंध में सीडब्ल्यूसी मुख्यालय, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली में स्थापना किए जाने के लिए यह प्रस्ताव डेनमार्क के परामर्श में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

विदेशी दौरे/प्रतिनियुक्ति

जल क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु विदेशी प्रशिक्षणः अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 की अवधि के दौरान, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और उसके संगठनों ने अधिकारियों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए, जल संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, जल उपयोग दक्षता, सिंचाई प्रबंधन, फसल उत्पादन में बढ़ोतरी, बाढ़ आपदा जोखिम प्रबंधन, बांध सुरक्षा और पनुर्वास, अपशिष्ट जल उपचार, सीवेज उपचार, मोर्फोलॉजिकल मॉडलिंग, पारिस्थितिकी संरक्षण आदि के क्षेत्र में विदेशी प्रशिक्षणों, दौरों, सम्मेलनों और सभाओं के लिए 63 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है।

5.3 भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग

भारत–बांग्ला देश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) साझा नदी प्रणाली से अधिकाधिक लाभ के लिए अत्यधिक प्रभावकारी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने में सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1972 से कार्यरत है। इसका नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री करते हैं। अब तक जेआरसी 38 बैठकें आयोजित की जा चुकीं हैं।

भारत–बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक और मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38 वीं बैठक अगस्त, 2022 को आयोजित की गयी।

संयुक्त नदी आयोग के ढांचे के तहत भारत–बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक 23 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 25 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत

और भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के अध्यक्ष ने बैठक की अध्यक्षता की और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृव किया। बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री जहीद फारूख, सांसद, राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश गणतंत्र की सरकार और भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के सह अध्यक्ष ने किया।

भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वें बैठक 25 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई

प्रत्येक देश की उपभोग्य जल आवश्यकताओं के लिए शुष्क मौसम के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच साझा किए जाने वाली सीमा नदी कुशीयारा से प्रत्येक को 153 क्यूसेक तक जल की निकासी पर जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश गणतंत्र की सरकार के बीच 6 सितंबर, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत और बांग्लादेश दोनों शुष्क मौसम (01 नवंबर से 31 मई) के दौरान कुशीयारा नदी के साझा किए जाने वाले खंड से समान मात्रा में जल की निकासी करेंगे। भारत के असम राज्य को इस समझौता ज्ञापन से लाभ होगा, क्योंकि उपयोगीय आवश्यकताओं के लिए सुनिश्चित जल की उपलब्धता, क्षेत्र में कृषि और अन्य सहायक गतिविधियों को विशेष रूप से करीमगंज जिले में बढ़ावा देगी।

फरक्का में गंगा/गंगाजल के बंअवारे संबंधी संधि

कम वर्षा अवधि के दौरान फरक्का में गंगा के जल की भागीदारी के लिए 12 दिसंबर, 1996 को भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार गंगा के जल को संधि में दिए गए फार्मूले के अनुसार 10– प्रतिदिन आधार पर 01 जनवरी से 31 मई तक प्रतिवर्ष कम वर्षा की अवधि के दौरान फरक्का में (जो भारत में गंगा नदी के संबंध में अंतिम नियंत्रण संरचना है) शेयर किया जा रहा है। संधि की वैद्धता 30 वर्ष है। संधि के अनुसार जल की भागीदारी की निगरानी दोनों पक्षों से सदस्य जेआरसी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति द्वारा की जा रही है।

वर्ष 1996 की संधि के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा/गंगा के पानी के बंटवारे के लिए भारत–बांग्लादेश की संयुक्त समिति 77वीं, 78वीं और 79वीं की बैठकें

- 12 अप्रैल, 2022 को फरक्का में संयुक्त पर्यवेक्षी साइटों का दौरा करने के बाद 14 अप्रैल, 2022 को कोलकाता में फरक्का में गंगा/गंगा के जल की हिस्सेदारी पर संयुक्त समिति की 77वीं बैठक आयोजित की गई।
- फरक्का में गंगा/गंगा के जल के बंटवारे पर संयुक्त समिति की 78वीं बैठक 18 मई, 2022 को होर्डिंग ब्रिज, पक्षे में संयुक्त पर्यवेक्षी साइट का दौरा करने के बाद 19 मई, 2022 को ढाका में आयोजित की गई।
- फरक्का में गंगा/गंगा के जल के बंटवारे पर संयुक्त समिति की 79वीं बैठक 13 दिसंबर, 2022 के लीन/शुष्क मौसम की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई।

बैठकों के लिए, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री अतुल जैन, आयुक्त (एफएम) जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार और सदस्य भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग ने किया। बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री मो. महमुदूर रहमान, सदस्य, भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश गणराज्य की सरकार ने किया।

5.4 भारत–नेपाल सहयोग

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना

फरवरी 1996 में सरिदा बैराज, तनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास के लिए नेपाल के तत्कालिन प्रधानमंत्री शर बहादुर देवुबा की यात्रा के दौरान एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत और नेपाल ने पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना पर एक एकीकृत परियोजना के रूप में कार्यान्वयन करने की सहमति दिखाई है। पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) भी सितंबर, 2014 में दोनों सरकारों की मंजूरी के साथ स्थापित किया गया था। यह परियोजना क्षेत्र में बिजली ग्रिड को स्थिर करने के लिए पनबिजली ऊर्जा प्रदान करेगी, और नियत समय पर लंबी दूरी के जल हस्तांतरण से जल की कमी को दूर करेगी।

सपतकोसी उचच बांध बहुउद्देशीय परियोजना ओर सूर्य कोसी संग्रहण सह डायवर्सन योजना (कमला डायवर्सन सहित)

भारत–नेपाल संयुक्त परियोजना कार्यालय ने नेपाल के विराटनगर में अगस्त 2004 से संयुक्त रूप से फील्ड जांच और सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सूर्य कोसी भंडारण सह डायवर्सन योजना (एसएसडीएस) के लिए डीपीआर तैयार करने के आदेश के साथ काम करना शुरू कर दिया है। कमला बहुउद्देशीय परियोजना की जांच, जो अब एसएसडीएस का एक घटक है, और बागमती बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन अक्टूबर, 2004 में इसके अधिदेश में जोड़ा गया था। सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (एसकेएचडीएमपी) के लिए संयुक्त अध्ययन/जांच करने के लिए जांचों के तौर तरीकों और लाभों के मूल्यांकन की पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार के विशेषज्ञों के लिए एक संयुक्त दल (जेटीई) का गठन किया गया है और नियमित जेटीई बैठकें आयोजित की जा रही है।

भारत–नेपाल द्वीपक्षीय प्रणाली

बाढ़ प्रबंधन के जल प्लावन पर भारत–नेपाल की संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) की 14वीं बैठक 9 से 13 मार्च, 2022 को नेपाल में आयोजित की गई थी। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की

ओर से श्री शेर सिंह, सदस्य (योजना), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) और नेपाल की ओर से श्री सुशील चन्द्र आचार्य, डीजी, जल संसाधन और सिंचाई विभाग (डीडब्ल्यूआरआई) द्वारा की गई।

भारत और नेपाल की कोसी और गंडक परियोजनाओं (जेसीकेजीपी) पर संयुक्त समिति की 10वीं बैठक 12 से 13 अप्रैल, 2022 को पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों नदियों में परियोजनाओं के प्रबंधन, सुरक्षा और रखरखाव पर ध्यान देते हुए, जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करती हैं और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के तरीकों पर विचार–विमर्श किया गया था। भारत–नेपाल जेसीकेजीपी बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के श्री संजय अग्रवाल, सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा की गई और नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महानिदेशक श्री सुशील चन्द्र आचार्य द्वारा किया गया।

7वीं संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी) की बैठक 21 और 22 सितंबर, 2022 को नेपाल के काठमांडु में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री एम.के. श्रीनिवास, अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार द्वारा किया गया और नेपाली प्रतिनिधि मंडल का श्री कृष्णा, संयुक्त सचिव, ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय, नेपाल सरकार द्वारा किया गया।

23 सितंबर, 2022 को काठमांडु में जल संसाधनों पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) की 9वीं बैठक के दौरान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव, श्री पंकज कुमार और ऊर्जा, जल संसाधनों और सिंचाई मंत्रालय, नेपाल सरकार के सचिव श्री सागर राय।

जल संसाधनों पर भारत–नेपाल की संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) की 9वीं बैठक 23 सितंबर, 2022 को काठमांडु में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार और नेपाल प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऊर्जा, जल संसाधनों और सिंचाई मंत्रालय, नेपाल सरकार के सचिव श्री सागर राय ने किया।

5.5 भारत–चीन सहयोग

नवंबर, 2006 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान, बाढ़ के मौसम में हाइड्रोलॉजिकल डेटा के प्रावधानों आपातकालीन प्रबंधन और सीमा पार नदियों के संबंध में अन्य मुद्दों पर बातचीत और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) स्थापित करने के लिए पारस्परिक रूप

से सहमति हुई थी। ईएलएम की बैठक दोनों देशों में बारी–बारी से वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। भारत सरकार इस विशेषज्ञ स्तर तंत्र के माध्यम से सीमा पार नदियों से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों को चीनी पक्ष के साथ उठाती है। ईएलएम की अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं। भारत और चीन के बीच ईएलएम की 13वीं बैठक 18 मई, 2022 को विडियो लिंक के माध्यम से आयोजित की गई थी। भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के आयुक्त (बीएण्डबी) श्री टी.एस. मेहरा द्वारा किया गया था और चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीन जनवादी सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वाणिज्य दूत श्री ज़ोंग योंग द्वारा किया गया। विदेश मंत्रालय (एमईए) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

भारत और चीन ने 2002 में बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रोलॉजिकल सूचना के प्रावधान पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 2008, 2013 और 2018 में नवीनीकृत किया गया था। इसके अलावा, चीन द्वारा भारत के लिए बाढ़ के मौसम में लैंगकेन ज़ांगबो / सतलुज नदी की हाइड्रोलॉजिकल सूचना के प्रावधान के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 2010 और 2015 में अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था। चीनी पक्ष से प्राप्त जल विज्ञान संबंधी जानकारी का उपयोग केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में किया जाता है। इस समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2022 के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी (15.05.2022 से 15.10.2022) के लिए हाइड्रोलॉजिकल डाटा (जल स्तर, वर्षापात और निर्वहन) दिन में दो बार विधिवत प्राप्त हुआ था। तथापि, बाढ़ के मौसम वर्ष 2022 के लिए सतलुज नदी (01.06.2022 से 15.10.2022) का हाइड्रोलॉजिकल डाटा नहीं दिया गया था।

5.6 भारत–भूटान सहयोग

भूटान से निकलने वाली और भारत में आने वाली नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए इस मामले को भूटान की शाही सरकार के साथ उठाया गया था। भारत और भूटान के बीच 2004 में बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त विशेषज्ञों समूह (जेजीई) का गठन किया गया था, जो भूटान की तलहटी और भारत के आसपास के मैदानों में बार–बार आने वाली बाढ़ और कटाव के संभावित कारणों और प्रभावों पर चर्चा और आकलन करने के लिए और दोनों सरकार उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य उपचारात्मक उपायों को सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। जेजीई की अब तक नौ बैठकें हो चुकी हैं। जेजीई की पहली बैठक 1–5 नवंबर, 2004 को भूटान में आयोजित की गई थी और 9वीं बैठक 7–8 जनवरी, 2020 के दौरान पुनाखा, भूटान में आयोजित की गई थी। क्षेत्र स्थिति का आकलन करने और बाढ़ प्रबंधन पर जेजीई को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए दोनों देशों के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) का गठन किया गया था। जेटीटी ने अपनी पहली बैठक 2005 में आयोजित की और जेटीटी की 6वीं बैठक 12 –13 सितंबर, 2019 के दौरान जलपाईगुड़ी, भारत में आयोजित की गई।

भूटान में प्रवाहित होने वाली भारत और भूटान के लिए साझा नदियों पर मौसम संबंधी डेटा संग्रह और बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियाँ जल के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को विकसित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत और भूटान के लिए साझा नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना के लिए एक अलग योजना भी

संचालित कर रहा है। भूटान में वर्तमान नेटवर्क में इस कार्य के लिए भूटान से भारत में बहने वाली साझा नदियों पर 32 जल–मौसम विज्ञान स्थल शामिल हैं। इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भारत में केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार (जीओआई) और भूटान की शाही सरकार (आरजीओबी) के अधिकारियों की एक संयुक्त विशेषज्ञ टीम (जेईटी) योजना की प्रगति और अन्य आवश्यकताओं की समीक्षा के लिए वर्ष में दो बार मिलती है। जेईटी की अब तक 36 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। 28–29 सितंबर, 2022 के दौरान भारत के दार्जलिंग में 36वीं जेईटी बैठक आयोजित की गई थी।

5.7 सिंधु जल संधि, 1960

सिंधु जल संधि, 1960 के तहत, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल के लिए आयुक्त का एक–एक स्थायी पद बनाया है। प्रत्येक आयुक्त अपनी सरकार का प्रतिनिधि है और संधि के कार्यान्वयन संबंधी सभी मामलों के विषय में संपर्क के नियमित माध्यम की भूमिका निभाता है। दोनों आयुक्तों से मिलकर स्थायी सिन्धु आयोग (पीआईसी) बनता है।

सिंधु जल संधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सिन्धु प्रणाली की छह बेसिन–सिन्धु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज के जल–विज्ञानीय स्थलों के प्रतिदिन के जी एवंडी आंकड़े हर माह पाकिस्तान को भेजे गए थे। सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार फसल वर्ष 2021–22 के दौरान सिन्धु, झेलम व चेनाब के सिंचित बुआई क्षेत्र के आंकड़े संकलित करके पाकिस्तान को नवम्बर, 2022 के दौरान भेजे गए थे। सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार, पाकिस्तान में अग्रिम बाढ़ राहत उपाय करने के लिए रावी, सतलुज, रावी और चेनाब नदियों के संबंध में सहमत स्थानों के लिए असाधारण बाढ़ प्रवाह आंकड़े भी भारत ने पाकिस्तान को 01 जुलाई से 10 अक्टूबर, 2022 तक फोन द्वारा सूचित किए थे।

पीआईसी की बैठक: स्थायी सिंधु आयोग की 117वीं बैठक 01–03 मार्च, 2022 के दौरान इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई थी और पीआईसी की 118वीं बैठक 30 और 31 मई, 2022 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

पोंग बांध ऑस्टीस: पोंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की 27वीं और 28वीं बैठकें क्रमशः दिनांक 07.07.2022 और 19.10.2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 से 9 जून, 2022 के दौरान दूसरे दुशांबे जल प्रक्रिया सम्मेलन में गरिमापूर्ण सभा को संबोधित किया

6

जल संसाधन क्षेत्र में बाह्य सहायता

03 से 10 अक्टूबर, 2022 को आयोजित की गई सिंचाई और जल निकासी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी) की 24वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत

6. जल संसाधन क्षेत्र में बाह्य सहायता

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग देश में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए संसाधन अंतराल और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को भरने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से बाहरी सहायता प्राप्त करने में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करता है। वर्तमान में, विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों अर्थात विश्व बैठक (3), एशियन डेवलपमेंट बैंक (3), जापान इंटरनेशनल कॉपोरेशन एजेन्सी (जेआईसीए) (3), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) (1) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईबी) (1) की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में 10 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

परियोजना के नाम सहित उद्देश्य, परियोजना लागत और ऋण राशि आदि का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का उद्देश्य	प्रभावी तिथि/ अंतिम तिथि	परियोजना की लागत ऋण की राशि (करोड़ रुपये में लगभग।)	संचयी संवितरण (करोड़ रुपये में)
विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं						
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश एकीकृत सिंचाई और कृषि रूपान्तरण परियोजना	राज्य के 12 जिलों (गुंटूर को छोड़कर) में 2,26,552 एकड़ के आयकट को स्थिर करने वाले 1000 चिन्हित टैंकों में छोटे धारक किसानों की कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता बढ़ाना और जलवायु लचीलापन।	05.11.2018/ 31.10.2025	लागत– 1,844.25 ऋण–1,291.5	213
2.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना	चिन्हित उप–बेसिन क्षेत्रों में सिंचित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु लचीलापन, जल प्रबंधन में सुधार करना और किसानों और कृषि–उद्यमियों के लिए बाजार के अवसरों में वृद्धि करना।	23.01.2018/ 02.06.2025	लागत– 3,418.5 ऋण–2,385	1,750.09

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का उद्देश्य	प्रभावी तिथि/ अंतिम तिथि	परियोजना की लागत ऋण की राशि (करोड़ रुपये में लगभग।)	संचयी संवितरण (करोड़ रुपये में)
3.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबीएमआई एफएमपी)	दामोदर घाटी परियोजना के मौजूदा नहर नेटवर्क में सिंचाई सेवा वितरण में सुधार करना। बाढ़ जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना।	11.08.2020/ 30.11.2025	लागत– 3,438.90 ऋण – 2,407.23 (डब्ल्यूबी और एआईआईबी)	721.26
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं						
4.	कर्नाटक	कर्नाटक एकीकृत और सतत जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम–2	विजयनगर चैनल सिस्टम का आधुनिकीकरण और कृष्णा नदी बेसिन के के–8 उप–बेसिन में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) घटकों को लेना। इस कार्यक्रम में कर्नाटक में के–2, के–3 और के–4 उप–घाटियों के लिए नदी बेसिन प्रोफाइल और घाटप्रभा और मालप्रभा उप–बेसिन के लिए नदी बेसिन एटलस तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है।	24.1.2020/ 31.3.2024	लागत– 1073.89 ऋण– 751.87	120.61
5.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना	राजगढ़ में 1,25,000 हेक्टेयर नए, अत्यधिक कुशल सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क का विकास करेगी। इसमें कुशल, विश्वसनीय और लचीली जल वितरण सेवाओं के लिए स्वचालित वॉल्यूमेट्रिक नियंत्रण के साथ एक अत्यधिक कुशल और उत्पादक नई दबाव वाली सिंचाई प्रणाली का डिजाइन और निर्माण शामिल होगा।	22.11.2018/ 31.03.2026	लागत– 4425.80 ऋण– 3098.09	1536.90

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का उद्देश्य	प्रभावी तिथि/ अंतिम तिथि	परियोजना की लागत ऋण की राशि (करोड़ रुपये में लगभग।)	संचयी संवितरण (करोड़ रुपये में)
6.	ओडिशा	ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना कुशल कृषि (ओआईआई पीसीआरए)	कृषि उत्पादन में वृद्धि और विविधता लाने और जलवायु लचीलापन मे संवृद्धि करने के लिए	16.12.2019/ 13.12.2025	लागत– 1,618/ ऋण– 1114	106.30
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं						
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई और आजीविका सुधार परियोजना चरण –2	आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 20 बड़ी और मध्यम सिंचाई उप परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण और 445 लघु सिंचाई उप परियोजनाओं को बहाल करना और किसानों और अन्य ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार करना।	06.07.2018/ 31.07.2025	लागत– 2000 ऋण– 1,410.4	150
8.	ओडिशा	रेंगाली सिंचाई परियोजना चरण –2	सिंचाई प्रणाली (मुख्यनहर और वितरण प्रणाली) का निर्माण करके, जल उपयोगकर्ता संघों की स्थापना करके और उन्नत कृषि तकनीक और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका समर्थन गतिविधि को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना; इस प्रकार, किसानों के जीवन स्तर में सुधार और ओडिशा राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान करना।	14.7.2015/ 14.7.2026	लागत– 2,255.20 ऋण– 1,787.30	427.57

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का उद्देश्य	प्रभावी तिथि/ अंतिम तिथि	परियोजना की लागत ऋण की राशि (करोड़ रुपये में लगभग।)	संचयी संवितरण (करोड़ रुपये में)
9.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना	परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता सेवाओं में सुधार के माध्यम से, जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में सुधार करके, राजस्थान राज्य में किसानों की आजीविका में सुधार के साथ–साथ कृषि और सिंचाई क्षेत्र में लैंगिक मुख्यधारा को बढ़ावा देना।	26.10.2017/ 26.10.2024	लागत– 2348.8 ऋण–1062.12 (किश्त– II)	446.79
न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं						
10.	राजस्थान	मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	इस परियोजना में इंदिरा गांधी नाहर परियोजना (आईजीएनपी) प्रणाली के पुनर्वास और आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है जिससे सीसीए के 1,81,618 हेक्टेयर में पानी की उपलब्धता में सुधार होगा और क्षेत्र में 33,312 हेक्टेयर जल–जमाव वाले क्षेत्र को भी पुनः प्राप्त किया जाएगा।	31.03.2018/ 12.08.2025	लागत– 2254.38 ऋण– 1578.07 (किश्त–II)	0

एनएमसीजी, नई दिल्ली में दिनांक 08.12.2022 को नमामि गंगे के अधिकार प्राप्त कार्य दल की 10वीं बैठक के दौरान माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

7

संगठन और संस्थाएं

दिनांक 05–06 जनवरी, 2023 को भोपाल में आयोजित 'जल विजन@2047' पर अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान 'जल विजन पार्क' में पौधे लगाते हुए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्ति

7. संगठन और संस्थाएं

7.1 संबद्ध कार्यालय

7.1.1 केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)

केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता भारत सरकार के पदेन सचिव स्तर वाले अध्यक्ष दवारा की जाती है। आयोग के तीन तकनीकी स्कन्ध हैं अर्थातः

- अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कन्ध
- जल आयोजना एवं परियोजना स्कन्ध
- नदी प्रबंधन स्कन्ध

प्रत्येक स्कन्ध की अध्यक्षता पद भारत सरकार के पदेन अपर सचिव स्तर के सदस्य द्वारा की जाती है। स्कन्धों की गतिविधियां मुख्यालय में 18 कार्यरत इकाइयों द्वारा की जा रही हैं, जिनमें प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष मुख्य अभियंता हैं। आयोग के 13 क्षेत्रीय संगठन भी हैं जिनमें प्रत्येक का अध्यक्ष एक मुख्य अभियंता हैं। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे भी आयोग का एक भाग है। केंद्रीय जल आयोग की गतिविधियों का सार निम्मलिखित है :–

- बाढ़ पूर्वानुमान एवं राज्य सरकारों को बाढ़ प्रबंधन में सहायता प्रदान करना।
- जल विज्ञान आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- परियोजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन।
- केंद्रीय सहायता करने वाली प्राप्त परियोजनाओं सहित चयनित परियोजनाओं की मानीटरिंग करना।
- परियोजनाओं का नियोजन एवं डिजाइनिंग।
- सर्वेक्षण, जांच एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।
- पर्यावरण एवं सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर अध्ययन।
- सिंचाई नियोजन एवं जल प्रबंधन संबंधी अध्ययन।
- बेसिन नियोजन एवं प्रबंधन।
- राष्ट्रीय जल संसाधन मूल्यांकन।
- अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान में सहायता।
- निर्माण उपकरण नियोजन।
- बांध सुरक्षा पर अध्ययन।
- अनुसंधान एवं विकास।
- अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
- जलाशयों का प्रचालन।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।
- जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- तटीय डाटा का संग्रहण और विश्लेषण।

प्रमुख गतिविधियां

i) जल विज्ञान टिप्पणियां:

देशभर में सभी प्रमुख नदी बेसिनों में 1730 जल मौसम विज्ञान अवलोकन केंद्रों (1543 एचओ केन्द्रों और 187 विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों सहित) का एक नेटवर्क है जो चयनित

मौसम विज्ञानी पैरामीटरों के अलावा मुख्य केंद्रों में हिम अवलोकनों सहित जल स्तर (गैज), बहिस्राव, जल गुणवत्ता, जमा गाद का अवलोकन करता है। साइटों से एकत्र किए गए डाटा की जांच, सत्यापन किया जाता है और वाटर इयर बुक, वाटर क्वालिटी इयर बुक और सेडिमेंट इयर बुक आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए डाटा का उपयोग जल संसाधन परियोजनाओं की नियोजन और विकास जलवायु परिवर्तन अध्ययन, जल उपलब्धता अध्ययन, बाढ़ अंतर्वाह पूर्वानुमान, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर–राज्यीय मुद्दों की जांच, नदी रूपात्मक अध्यय, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास, जलाशय गाद अध्ययन और अनुसंधान संबंधी गतिविधियां आदि के लिए किया जाता है।

ii) जल गुणवत्ता निगरानीः

भारत के सभी प्रमुख नदी बेसिनों को कवर करते हुए 764 प्रमुख स्थलों पर (652 एचओ नेटवर्क पर और 112 जल गुणवत्ता सैम्पलिंग केंद्रों पर) जल गुणवत्ता को मॉनीटर किया गया है। एक तीन स्तरीय प्रयोगशाला प्रणाली में, स्तर–I प्रयोगशालाएं क्षेत्र गुणवत्ता प्रबोधन केंद्रों पर स्थित हैं जो भौतिक पैरामीटरों अर्थात तापमान, रंग, विद्युत चालकता/कुल घुलित ठोस, पीएच और नदी जल की घुलित आक्सीजन का अवलोकन करने के लिए जल की 25 प्रकार की भौतिक–रासायनिक विशेषताओं तथा जीवाणुतत्व संबंधी पैरामीटरों का विश्लेषण करने के लिए देश भर में चुनिंदा मंडलीय कार्यालयों में स्तर–II की 18 प्रयोगशालाएं स्थित हैं। कोयंबटूर, दिल्ली, गुवाहटी, हैदराबाद और वाराणसी में 5 स्तर–III प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं जहां भारी धातु/विशैले पैरामीटरों और कीटनाशकों सहित 41 पैरामीटरों का विश्लेषण किया जाता है।

राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली को अप्रैल, 2016 से रासायनिक और जैविक के विषय में टेस्टिंग के लिए मानक आईएसओ/आईईली 17025:2017के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद, वाराणसी, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, बंगलुरू, आगरा, कोच्ची, पुणे, गांधीनगर, भुवनेश्वर, नागपुर, लखनऊ, जम्मू और चेन्नई रायपुर, बहरामपुर, भोपाल और जलपाइगुड़ी में स्थित सीडब्ल्यूसी के विभिन्न मंडल कार्यालयों के तहत कार्य कर रही सीडब्ल्यूसी की 18 जलगुणवत्ता प्रयोगशालाओं ने रसायन के विषय में एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया है।

iii) सर्वेक्षण और अन्वेषणः

कलेजखोला एचई परियोजना (असम) का सर्वेक्षण और अन्वेषण पूरा किया गया है। तीन अन्य परियोजनाओं नामतः तलवंग एचईपी (मिज़ोरम), कटखल सिंचाई परियोजना (असम), बरिनियम एचईपी (जम्मू और कश्मीर) के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य जारी रखा गया। इसके अलावा सीतामढ़ी जिले में सिंचाई परियोजनाओं के लिए डीईएम की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिराटनगर (नेपाल) में स्थित सप्तकोसी, सनकोसी अन्वेषण के लिए एक संयुक्त परियोजना कार्यालय दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए सप्तकोसी उच्च बांध और सनकोसी भंडारण एवं डायवर्जन परियोजना की डीपीआर तैयार क लिए नेपाल के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य कर रहा है।

iv) परियोजना मूल्यांकन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग संबंधी सलाहकार समिति मध्यम और वृहत सिंचाई बहुद्देशीय तथा बाढ़ नियंत्रण

परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी–आर्थिक व्यनहार्यता पर विचार करती है। वर्ष 2022 के दौरान सलाहकार समिति द्वारा कुल 25 एमएमआई परियोजनाओं (13 सिंचाई और 12 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं) पर विचार किया गया और स्वीकार की गई हैं। चालू वर्ष के दौरान (दिसंबर, 2022 तक) 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत अनुमान के मूल्यांकन सहित सिविल पहलुओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं के अन्य घटकों का मूल्यांकन सहित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में किया जाता है। वर्तमान वर्ष (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 8 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को स्वीकार किया गया है।

इन परियोजनाओं को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) भी सीईए द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान (दिसंबर, 2022) सीईए द्वारा दो परियोजनाओं को टीईसी नहीं प्रदान की गयी है। सीडब्ल्यूसी ने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सिंचाई और बहुद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर के आनलाइन प्रस्तुत करने और तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए एक वेब–सक्षम परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली (ई–एसडब्ल्यूआईएस) विकसित की है। इस समय, 30 सिंचाई परियोजनाएं और 33 बाढ़ परियोजना प्रस्तुत की गई है और और ई–पीएएमएस के संबंध में मूल्यांकन किया जा रहा है।

इसके अलावा, ''वृहत और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशयीय परियोजनाओं हेतु लाभ लागत अनुपात की गणना और संशोधित लागत अनुमान हेतु प्रक्रिया'' की समीक्षा को अगस्त, 2022 में कार्य दल द्वारा तैयार किया गया था।

v) परियोजना मॉनीटरिंग

सीडब्ल्यूसी को केंद्र, राज्य और परियोजना स्तर पर निगरानी की 3 स्तरीय प्रणाली सौंपी गई थी। निगरानी का मुख्य उद्देश्य वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। वर्ष 2021–222 के दौरान, पीएमकेएसवाई–एआईवीपी के तहत 66 परियोजनाएं (43 वृहत और 18 मध्यम और 5 ईआरएम) चालू परियोजनाएं और महाराष्ट्र और पंजाब के विशेष पैकेज के तहत 9 वृहत और मध्यम परियोजनाओं की सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा निगरानी की गई।

वर्ष 2022–23 के दौरान पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के लिए 29 दौरे किए गए और 28 स्थिति रिपोर्ट जारी की गई और महाराष्ट्र और पंजाब के विशेष पैकेज के तहत परियोजनाओं के लिए 4 मॉनिटरिंग दौरे किए गए और 3 स्थिति रिपोर्ट जारी की गई।

vi) आकृति विज्ञान अध्ययन

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किए जा रहे मौजूदा बाढ़ नियंत्रण उपायों के बावजूद प्रत्येक वर्ष बाढ़ों से जीवन और संपत्ति को क्षति पहुंच रही है। ''जल क्षेत्र में आर एंड डी कार्यक्रम'' योजना स्कीम के तहत रिमोट सैंसिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 15 नदियों (गंगा, शारदा, राप्ती, कोसी, बागमती, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सुबानसिरी, पगलादिया, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानंदा, महानदी, हुगली और ताप्ती के आकृति विज्ञान अध्ययन के लिए परामर्शी कार्य आईआईटी/एनआईटी को सौपा गया।

इन अध्ययनों का विवरण और स्थिति आगे दी गई हैः–

क्र. सं	केंद्र	नदी का नाम	स्थिति
1.	आईआईटी रुड़की	गंगा, शारदा, राप्ती	पूर्ण
2.	आईआईटी दिल्ली	कोसी, बागमती, यमुना	प्रक्रियाधीन
3.	आईआईटी गुवाहटी	ब्रह्मपुत्र, सुबनसीरी, पगलादिया	पूर्ण
4.	आईआईटी रुड़की	गंगा, शारदा, राप्ती	पूर्ण
5.	आईआईटी दिल्ली	कोसी, बागमती, यमुना	प्रक्रियाधीन
6.	आईआईटी गुवाहटी	ब्रह्मपुत्र, सुबनसीरी, पगलादिया	पूर्ण

vii) ग्लेशियल झीलों और जल निकायों की मॉनीटरिंग

केन्द्रीय जल आयोग ने रिमोट सेंसिंग पर आधारित ग्लेशियल झीलों/जल निकायों की मॉनिटरिंग को बढ़ा कर 477 से 902 कर दिया है। प्रसंस्करण की प्रक्रिया को कम करने के लिए जीएल/डब्ल्यूबी की मॉनिटरिंग को काफी हद तक स्वचालित कर दिया गया है। 10 मीटर रिजोल्यूशन पर ओपन–सोर्स सेटेलाईट ईमेजिज़ का उपयोग किया जा रहा है। एसएआर ईमेजिज़ का उपयोग बादल होने की स्थिति में भी झीलों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है।

जून से अक्टूबर की मासिक मॉनिटरिंग रिपोर्टों को जल शक्ति मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी के संबंधित फील्ड कार्यालयों, संबंधित हिमालयी राज्यों और अन्य शेयर धारकों के साथ साझा किया जा रहा है।

viii) तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)

केन्द्रीय जल आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान योजना स्कीम डीडब्ल्यूआरआईएस के तहत ''तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)'' के विकास की पहल की है। सीएमआईएस में प्रासंगिक तटीय प्रक्रियाओं का डाटा एकत्र करने के लिए भारत के समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तटीय स्थलों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस कार्य मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और चुनौतियों को मद्देनजर वैज्ञानिक तरीके से भारतीय तट के संवेदनशील खंडों के साथ–साथ तटीय अभियांत्रिकी समस्याओं से निपटने के लिए एकीकृत डाटा बैंक का सृजन करना है।

केन्द्रीय जल आयोग ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीएमआईएस का कार्यान्वयन आरम्भ किया है जिसमें, सीडब्ल्यूसी 'परियोजना कार्यान्वयनकर्ता', विशेषज्ञ अभिकरण 'परियोजना निष्पादक' और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार 'परियोजना सुविधा प्रदाता' के रूप में शामिल थे। सीएमआईएस के तहत लहर, ज्वार, करंट, वायु, तटीय तलछट, बीच प्रोफाइल, बाथमिट्री, नदी से संबंधित डाटा, तट रेखा परिवर्तन से संबंधित डाटा एकत्र किया जाता है।

इस परियोजना के अंतर्गत तीन तटीय डाटा संग्रहण साइटों (देवा नरी– तमिलनाडु, कराईकल–पद्दुचेरी और पोन्नानी–केरल) की स्थापना की जा चुकी है और दिनांक 31.05.2021 को सीडब्ल्यूसी द्वारा साइटों को अपने तहत लिया गया था। 5 तटीय डाटा

संग्रहण साइटें (सत्पती–महाराष्ट्र, नानीदंती मोतीदंती–गुजरात) (तारखली–महाराष्ट्र, बेनोलियम–गोआ, बागा–गोआ) प्रक्रियाधीन हैं।

ix) जल विज्ञानी अध्ययन

परियोजना की सफलता बहुत हद तक जलविज्ञानी सूचनाओं पर निर्भर करती है। जलविज्ञानी संगठन (एचएसओ), केंद्रीय जल आयोग की डी एवं आर विंग के अंतर्गत एक विशेषीकृत इकाई देश में जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में जलविज्ञानी अध्ययन करता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) या व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) स्तर में इनपुट निम्नलिखित रूप में उपलब्ध कराए जाने हैः–

- जल उपलब्धता/यील्ड अध्ययन
- डिजाइन बाढ़ अनुमान
- अवसादन अध्ययन
- डायवर्जन बाढ़ अध्ययन

देश को 7 जोनों में बांटा गया है और उसके पश्चात इसे 26 जल मौसम विज्ञानी होमोजीनियस उपजोनों में बांटा गया है और गैर गॉज कैचमेंट क्षेत्रों में बाढ़ डिजाइन तैयार करने के लिए प्रत्येक उप–जोन हेतु बाढ़ पूर्वानुमान माडल विकसित किए गए हैं। अभी तक 24 उप–जोनों की बाढ़ अनुमान रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान केंद्रीय जल आयोग में 76 परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के जल विज्ञानीय पक्षों का तकनीकी परीक्षण किया गया। इनमें से 44 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 12 परियोजनाओं के लिए अभ्युक्तियां जारी की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग ने निम्नलिखित राज्यों में 20 परियोजनाओं का अभिकल्प बाढ़ समीक्षा का भी अध्ययन किया:

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1
2	कर्नाटक	2
3	केरल	1
4	मध्य प्रदेश	4
5	तमिलनाडु	9
6	तेलंगाना	2
7	पश्चिम बंगाल	1

इस अवधि के दौरान कुछ मुख्य कार्य किए गए:

- सुबर्णरेखा – महानदी का रूपरेखा बाढ अध्ययन परामर्शीय आधार पर आरंभ किया गया।
- इस अवधि के दौरान पोलावरम का समेकित रूपरेखा बाढ निरीक्षण भी आरंभ किया गया।
- महानंदा बैराज का जल उपलब्धता अध्ययन।

तकनीकी सहायता/एडवाइस टेंडरर्ड

एचएसओ ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेष अध्ययन करने के लिए विभिन्न तकनीकी / विशेषज्ञ समितियों को सचिवालय सदायता प्रदान की है। वर्ष 2022–23 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार हैः

- फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में बाढ़ और अवसादन की समस्या का अध्ययन करने के लिए परामर्श कार्य (एनएचपी के तहत): यह परामर्शी कार्य आरएमएसआई प्रा.लि. को अवार्ड किया गया था। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता के तहत जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से गठित समिति द्वारा परामर्शी कार्य पर मसौदा अंतिम

रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। समिति ने अंतिम रिपोर्ट को दिनांक 15.12.2022 को आयोजित समिति की 9वीं बैठक में स्वीकार कर लिया।

- भारत के 7 नदी वेसिनों में तलछट रेट और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के अनुमान के लिए फिजिकल आधारित मैथेमेटिकल मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं (एनएचपी के तहत): परामर्श कार्य मैसर्स हसकोनिंग डीएचवी कंसल्टिंग प्रा.लि. को 16.11.2020 (18+12 महीने) की प्रभावी तिथि से सौंपा गया है। दिनांक 30.09.2022 को परियोजना की अंतिम रिपोर्ट को टीएआरसी द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया गया। परियोजना का चरण–।। दिनांक 16.11.2022 को आरंभ किया गया।

x) जल संसाधन परियोजनाओं का नियोजन और अभिकल्प

केंद्रीय जल आयोग, भारत एवं पड़ोसी देशों यथा–नेपाल और भूटान में अधिकांश वृहद जल संसाधन परियोजनाओं के अभिकल्प से परामर्श या परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन से सक्रिय रूप से संबद्ध है। इस समय के.ज.आ. 92 परियोजनाओं को डिजाइन कंसल्टेंसी उपलब्ध करा रहा है। इनमें से, 26 परियोजनाएं (पड़ोसी देशों की 3 सहित) निर्माण चरण में हैं, 34 परियोजनाएं (पड़ोसी देशों की 3 सहित) डीपीआर चरण में एवं 32 परियोजनाओं में विशिष्ट समस्याएं शामिल हैं।

xi) भूकम्पीय डिजाइन पैरामीटर राष्ट्रीय समितिः

भूकम्पीय डिजाइन पैरामीटर राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) का गठन 21 अक्टूबर, 1991 को जल संसाधन मंत्रालय के एक आदेश द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य बांध स्वामियों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए भूकम्पीय डिजाइन पैरामीटर का सुझाव देना था। सदस्य (डी एवं आर), सीडब्ल्यूसी समिति के अध्यक्ष हैं और विभिन्न तकनीकी संस्थाओं और सरकारी संगठनों से विभिन्न इंजीनियरी क्षेत्रों से 12 अन्य विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। निदेशक (एफई एवं एसए), सीडब्ल्यूसी एनसीएसडीपी के सदस्य सचिव हैं। 28 परियोजनाओं की साइट विशिष्ट अध्ययन रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और अवलोकन जारी कर दिया है।

xii) वृहत बांध राष्ट्रीय रजिस्टर

बांध सुरक्षा संगठन (डीएसओ), सीडब्ल्यूसी राज्य सरकारों/पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर वृहद बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) के रूप में देशभर में वृहद बांधों का रजिस्टर तैयार करता है और उसका रख–रखाव करता है। के.ज.आ. द्वारा रख–रखाव किए जा रहे वृहद बांधों का रजिस्टर में संकलित नवीनतम सूचना के अनुसार जून, 2019 की स्थिति के अनुसार देश में 5745 वृहद बांध हैं। इनमें से, 5334 वृहद बांध पूर्ण हो चुके हैं और 411 वृहद बांद निर्माणाधीन हैं। एनआरएलडी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वृहद बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर–2019, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 27 जून, 2019 को जारी किया गया था। अब, एनडीएसए एनआरएलडी को अद्धतन करने की प्रक्रिया चल रही है।

xiii) परियोजनाओं के इंस्ट्रुमेंटेशन पहलुओं का तकनीकी परीक्षणः

5 नदी घाटी परियोजनाओं विभिन्न राज्यों नामतः हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्रप्रदेश, नेपाल और राजस्थान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/निर्माण ड्रॉइंग की में

जांच की गई है, जिसमें से 4 परियोजनाओं को इंस्ट्रुमेंटेशन पहलुओं के संबंध में स्वीकृत कर लिया गया है और शेष 1 परियोजनाओं के अवलोकन अनुपालन के लिए संबंधित परियोजना प्राधिकारियों को भेजा जा चुका है।

अन्य भूकम्पीय कार्यः

- डीआरआईपी के तहत आईआईटी, रूडकी और सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे द्वारा विकसित की जा रही वैब आधारित उपकरण भकम्पीय जोखिम आकलन सूचना प्रणाली (एसएचएआईएसवाईएस) के तकनीकी मूल्यांकन और महत्वपूर्ण परीक्षण से संबंधित कार्य। प्रगति की समीक्षा करने और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सीडब्ल्यूसी के सदस्य (डी एण्ड आर), की अध्यक्षता में क्रमशः 04 अगस्त, 2022 और 13 सितंबर, 2022 को दो संगठनों से शामिल टीमों के साथ बैठकें आयोजित की गई।
- सोफ्टवेयर प्रबंधन निदेशालय के साथ एसएचएआईएसवाईएस के सोफ्टवेयर आवश्यकता विशिष्टताओं (एसआरएस) के मैनुअल का पुनरीक्षण / मूल्यांकन से संबंधित कार्य।

अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापनाः

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण–।। और चरण–।।। में विश्वभर में बांध अभियांत्रिकी में हुई प्रगति को अपनाने और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए दो उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना का प्रावधान है। इन केन्द्रों में बांध अभियांत्रिकी में नेतृत्व, सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान, समर्थन और प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। इन उत्कृष्टता केन्द्रों की सुविधाओं का उपयोग भारत में बांध सुरक्षा समस्याओं को संबोधित करने के साथ–साथ बांध से संबंधित परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने और बांध इंजिनियरों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है।

सीओई को आईआईटी, रूडकी और आईआईएससी, बैंग्लोर में स्थापित किया जाना नियोजित है। इस संबंध में आईआईटी, रूडकी से संबंधित चर्चा समाप्त की जा चुकी है। मंत्रालय द्वारा अंतिम मसौदा प्रस्ताव के साथ–साथ समझौता ज्ञापन का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

xiv) सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के लिए सहायताः

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा देश में प्रमुख / मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के तकनीकी समर्थन के साथ "सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के लिए समर्थन" की एक नई पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, फसल जल उत्पादकता में वृद्धि करना और अंततः राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुप्रयोग करने के माध्यम से परियोजना के कमान क्षेत्र में किसान की आय में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए, राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा समर्थित मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), सीडब्ल्यूसी के तहत एक केंद्रीय सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यालय (सीआईएमओ) स्थापित किया गया है। सीडब्ल्यूसी को राष्ट्रीय/अतंराष्ट्रीय परामर्शदाताओं का समर्थन प्राप्त है।

एसआईएमपी को 4 चरणों में शुरू करने का प्रस्ताव है। एसआईएमपी चरण–1 सितंबर, 2020 में शुरू किया गया था और समापन के कगार पर है। एसआईएमपी चरण–1 दिनांक 31.12.2021 को सम्पन्न हुआ जिसके तहत 14 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रो से प्राप्त 57 प्रस्तावों में से सिंचाई आधुनिकीकरण योजनाओं (आईएमपीएस) की तैयारी के लिए परियोजनाओं के पहले बैच के अंतर्गत 4 एमएमआई परियोजनाओं को शोर्टलिस्ट किया गया है। आईएमपी की तैयारी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), विस्तृत डिजाइन और अंतिम कार्यान्वयन / परियोजना निष्पादन सहित पूरी प्रक्रिया चरण–4 तक पूरी होने की उम्मीद है। परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों पर निर्भर होगा जिनके पास उसे अपने संसाधनों से वित्त पोषित करने का विकल्प होगा या वे एडीबी या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

फरवरी से अगस्त, 2022 के दौरान, एडीबी ने भारत में एसआईएमपी के लिए परामर्शीय मिशन आयोजित किया जिसके दौरान सचिव (ज.स.,न.वि.और ग.सं. विभाग), अध्यक्ष (सीडब्ल्यूसी), संबंधित बैच–। राज्यों के जल संसाधन विभाग, आदि के साथ विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद, एसआईएमपी चरण–।। का आरंभ चरण–।। से जुडे परामर्शों (टीम लीडर और उप टीम लीडर) के साथ आरंभ किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग और एडीबी द्वारा संबंधित परियोजनाओं के मुख्य अभियन्ताओं और जल संसाधन विकास विभाग से संबंधित राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक संयुक्त परामर्शी बैठक आयोजित की गई जिसमें चरण–।। कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई और राज्यों से उनके विचार शामिल किए गए।

आईएमपी तैयार करने के लिए प्रथम चरण के रूप में एफएओ ने चरण–।। परामर्श दाताओं के सहयोग से प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में आरएपी–एमएएसएससीओटीई (रैपिड अप्रेजल प्रोसिजर–मैपिंग सिस्टम और सर्विसेज फोर कैनाल ऑपरेशन टैक्नीक्स) कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ऐसी पहली कार्यशाला 05–16 दिसंबर, 2022 के दौरान वाणी विलास सागर परियोजना (कर्नाटक) हेतु सफलता पूर्वक आयोजित की गई। जिसमें प्रत्येक बैच–। राज्य के जल संसाधन विकास से 40 प्रतिभागियों सहित संबंधित विभागों जैसे कृषि, भूजल, सीएडी, राजस्व आदि के अधिकारी शामिल थे। सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारियों को भी कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए नामित किया जा रहा है।

xv) जलाशय अवसादन मूल्यांकन अध्ययनः

सीडब्ल्यूसी ने सेटेलाईट रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए देशभर में स्थित जलाशयों का अवसादन मूल्यांकन अध्ययन किया है। वर्ष 2022–23 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 40 जलाशयों के अध्ययन का कार्य मैसर्स जिओ मैरीन सोल्यूशन्स प्रा.लि. मैंग्लोर, कर्नाटक को सौंपा गया है।

सीडब्ल्यूसी ने रिमोट सेंसिंग प्रोद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक जलाशय का इन–हाउस अवसादन मूल्यांकन अध्ययन किया है। ये इन–हाउस अध्ययन माइक्रोवेव डेटा (ऑप्टिकल डेटा के बजाय) का उपयोग करके किए गए हैं। माइक्रोवेव डेटा का उपयोग करने का लाभ यह है कि इमेजिस क्लाउड कवर से प्रभावित नहीं होती हैं, और हमें मानसून के मौसम के दौरान भी एफआरएल के पास जलाशयों की इमेजिस मिलती हैं (जो ऑप्टिकल इमेजरी के साथ अपेक्षाकृत कठिन है क्योंकि बादल होने पर मानसून के मौसम में जलाशय भर जाता है)।

xvi) प्रमुख जलाशय भण्डारण की मॉनिटरिंग:

सीडब्ल्यूसी साप्ताहिक आधार पर देश के जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और साप्ताहिक बुलेटिन को प्रत्येक गुरूवार को जारी करता है। 143 जलाशयों की निगरारी की जा रही है जिनकी कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 177.46 बीसीएम है जो देश में अनुमानित 257.81 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का 68.83% है। इन जलाशयों में से 46 जलाशयों में 60 मेगावॉट से अधिक संस्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत का लाभ है। साप्ताहिक बुलेटिन में पिछले वर्ष के समान दिन की स्थिति की तुलना में वर्तमान भंडारण स्थिति और समान दिन के गत 10 वर्षों का औसत शामिल है।

साप्ताहिक बुलेटिन को पीएमओ, नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, एमओपी, एमओए एंड एफडब्ल्यू, आईएमडी और संबंधित राज्यों के जल संसाधन विभागों के साथ साझा किया जाता है और सीडब्ल्यूसी की वैबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इस साप्ताहिक बुलेटिन को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्लूजी) के साथ साझा किया जाता है, जिसका सीडब्ल्यूसी भी प्रतिनिधि सदस्य है। सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी की बैठक देशभर में कृषि गतिविधियों की समीक्षा करने और संकट की स्थिति में राज्यों को उपचारात्मक उपायों की सलाह देने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जाती है।

xvii) आईसीआईडी की 24वीं कांग्रेस और 73वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) में भागीदारी:

सिंचाई और निकासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी) 24वीं कांग्रेस और 73वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) 03–10 अक्टूबर, 2022 के दौरान एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। माननीय जल शक्ति मंत्री और सीडब्ल्यूसी से अन्य अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सिंचाई और निकासी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीआईडी) ने इन कार्यक्रम के दौरान स्टॉल का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा, विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ जल संसाधन से संबंधित मुद्दों पर बैठकें आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, आईएनसीआईडी ने 01–08 नवंबर, 2023 के दौरान विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में अगला कार्यक्रम (आईसीआईडी की 25वीं कांग्रेस और 75वीं आईईसी) आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।

xviii) केन्द्रीय जल आयोग/राष्ट्रीय जल अकादमी:

केन्द्रीय जल आयोग/राष्ट्रीय जल अकादमी ने सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और इसके फील्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित कीं। उपरोक्त के अतिरिक्त, कुछ अधिकारियों ने दिनांक 01.04.2022 – 31.12.2022 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया।

7.1.2 केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस)

केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस), नई दिल्ली, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। सीएसएमआरएस एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन है जो देश में सिंचाई और ऊर्जा के विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाले क्षेत्र और योगशाला जांच, बेसिक और अप्लाइड अनुसंधान, जीओ तकनीकी इंजीनियरिंग में अनुसंधान और समस्याओं, कंक्रीट प्रौद्योगिकी,

निर्माण सामग्री और संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के कामकाज को देखता है और भारत और विदेश में विभिन्न परियोजनाओं संगठनों के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। अनुसंधान केंद्र मौजूदा हाइड्रोलिक संरचनाओं के सुरक्षा मूल्यांकन और विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन में शामिल है। सीएसएमआरएस की गतिविधि का क्षेत्र निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है:

- मृदा का विषय, मृदा के लक्षण वर्णन, रॉक फिल सामग्री लक्षण वर्णन और जियोसिंथेटिक सामग्री लक्षण वर्णन से संबंधित है। यह विषय संरचनाओं के निर्माण के लिए नींव के स्तर की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए नींव की जांच करता है और संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले बोरो क्षेत्र से एकत्रित मिट्टी की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए बोरो क्षेत्र की जांच करता है। यह इस क्षेत्र में विस्तार और फैलाव मिट्टी अध्ययन, कोर सामग्री हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, मिट्टी की गतिशीलता और संख्यात्मक मॉडलिंग आधारित अनुसंधान भी करता है।
- रॉक विषय इन–सीटू रॉक मास कैरेक्टराइजेशन, इनटैक्ट चट्टानों के प्रयोगशाला मूल्यांकन, भूभौतिकीय जांच और भू–तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित है। यह विषय इनटैक्ट चट्टान की प्रयोगशाला जांच, कतरनी शक्ति गुणों के निर्धारण के लिए इन–सीटू परीक्षण, रॉक मास की विकृति विशेषताओं, इन–सीटू तनाव माप, रॉक और रॉक बोल्ट / एंकर पुल–आउट परीक्षणों में ग्राउट क्षमता परीक्षण करता है। यह उप–सतह की जमीनी स्थितियों को समझने के लिए, बेड रॉक का चित्रण, ओवरबर्डन की मोटाई, भूवैज्ञानिक विसंगतियों का पता लगाना, विस्फोट कंपन निगरानी अध्ययन आदि की भूभौतिकीय विधियों का उपयोग करके जांच करता है। यह इंस्ट्रूमेंटेशन भूभौतिकीय अध्ययन और संख्यात्मक मॉडलिंग के माध्यम से संरचनाओं की हेल्थ निगरानी भी करता है।
- कंक्रीट विषय निर्माण सामग्री के लक्षण वर्णन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, कंक्रीट पर विशेष अध्ययन और कंक्रीट संरचनाओं के गैर–विनाशकारी निदान से संबंधित है। यह पानी के घर्षण परीक्षण, कंक्रीट पारगम्यता परीक्षण, एपॉक्सी सामग्री के परीक्षण, क्षार समग्र प्रतिक्रियाशीलता अध्ययन आदि के तहत कंक्रीट स्थायित्व मूल्यांकन के लिए विशेष परीक्षण करता है। यह मिश्रण सहित सभी निर्माण सामग्री का रासायनिक लक्षण वर्णन भी करता है। यह कंक्रीट संरचनाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं के लिए परामर्श प्रदान करता है। यह निदान स्वास्थ्य निगरानी, संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्वास, कंक्रीट के स्थायित्व आदि में भी शामिल है।

सीएसएमआरएस प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित परामर्श कार्य करता है, अधिकतर जल संसाधन क्षेत्र में, प्रयोगशाला के संदर्भ में जांच के क्षेत्र में और मिट्टी और चट्टानों पर फाउंडेशन के लिए इन–सीटू परीक्षण और निर्माण सामग्री के लिए जांच, जैसे – कंक्रीट (और इसके घटक), मिट्टी, भू–संश्लेषण, रॉकफिल आदि। परामर्श कार्य में सुझाव शामिल हैं, जो जांच की गई सामग्री (संरचनाओं के डिजाइन के लिए आवश्यक) के लिए सुझाव दिया गए मापदंडों और परियोजना में आने वाली समस्याओं के लिए अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर आधारित हैं।

परियोजनाओं के लिए जांच

विदेशों में 3 और भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में 4 और 3 इंटरलिंकिंग परियोजनाओं सहित 33 परियोजनाओं की जांच की गई है। जांच में मृदा,

रॉक, रॉकफिल, जियोसिंथेटिक, कंक्रीट और इसके घटकों के क्षेत्र में फील्ड और प्रयोगशाला जांच शामिल है। जांच किए गए परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

उत्तर–पूर्वी परियोजनाः

- दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरूणाचल प्रदेश
- कटखल सिंचाई परियोजना, असम
- हाओरा बांध परियोजना, त्रिपुरा
- चंप्पई चेर्रा बांध परियोजना, त्रिपुरा

इंटरलिंकिंग परियोजनाएंः

- दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, महाराष्ट्र
- केन–बेतवा लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश (एनडब्ल्यूडीए)
- सोन बांध एसटीजी लिंक नहर परियोजना, बिहार

राष्ट्रीय परियोजनाएं

- आदि बद्री (यमुना नगर), हरियाणा
- बस्तवा माता और इंद्रोका बांध परियोजनाएं, जोधपुर, राजस्थान
- भौनरत बांध परियोजना, उत्तर प्रदेश
- भागपुर लिफ्ट सिंचाई योजना, महाराष्ट्र
- बरिनियम जल विद्युतीय परियोजना, जम्मू और कश्मीर
- इसरदा बांध टोंक, राजस्थान
- कनहर सिंचाई परियोजना, उत्तर प्रदेश
- खेतरी टेलिंग बांध, खेतरी, राजस्थान
- नाथपा झाकरी जलविद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश (एसजेवीएन)
- राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी), कहल गांव, भागलपुर, बिहार
- उत्तरी कोयल परियोजना, झारखंड
- पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश
- पुर्थी जल विद्युतीय परियोजना, हिमाचल प्रदेश
- रिओली दुगली जल विद्युतीय परियोजना, हिमाचल प्रदेश
- रिहंद बांध परियोजना, उत्तर प्रदेश
- सरस्वती जलाशय योजना, हरियाणा
- सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात
- सुबर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना, झारखंड
- सुलवाडे जमफल लिफ्ट सिंचाई योजना, महाराष्ट्र
- टिहरी पम्प भंडारण परियोजना, उत्तराखंड
- विष्णुगढ़ पीपलकोटि एच ई परियोजना, उत्तराखंड
- व्यासी एच ई परियोजना, उत्तराखंड

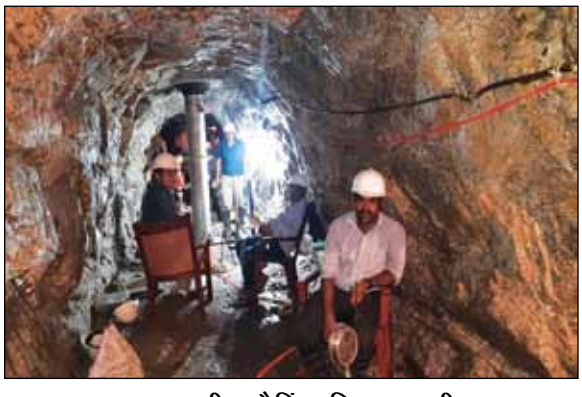

एकअक्षीय जैकिंग विरूपण परीक्षण

डायरेक्ट शियर टेस्ट

मृदा नमूनों का संग्रहण

कोर ड्रिलिंग

टीआरटी में रॉक बोल्ट के लिए ड्रिलिंग

एचआरटी रॉक बोल्ट परीक्षण

वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसएमआरएस की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

सफलता संकेतक	उपलब्धियां (संख्या)
निकाली/प्रकाशित की गई तकनीकी रिपोर्टें	63
शोध पत्रों का प्रकाशन	48
डीपीआर के अनुपालन पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों और तकनीकी टिप्पणियों का मूल्यांकन	10 26
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	08

स्व–प्रायोजित अनुसंधान योजनाएं:

वर्तमान में प्रगति पर चल रही स्व–प्रायोजित अनुसंधान योजनाएं इस प्रकार हैं:

- मिट्टी की पारगम्यता विशेषताओं पर मोल्डिंग पानी और संघनन घनत्व का प्रभाव
- मिट्टी की अपरूपण शक्ति विशेषताओं पर पानी की मात्रा को ढालने का प्रभाव
- फैलाने वाली मिट्टी के फूलने वाले दबाव पर पानी को ढालने का प्रभाव
- नरम चट्टानों की फूलने की विशेषताओं पर अध्ययन
- रॉकफिल सामग्री के व्यवहार पर जुर्माने का प्रभाव

7.2 अधीनस्थ कार्यालय

7.2.1 केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)

सीजीडब्ल्यूबी की अधिकांश गतिविधियां 'भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के भाग के रूप में की जाती हैं। उपरोक्त के अलावा, सीजीडब्ल्यूबी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) की एक कार्यान्वयन एजेंसी है। सीजीडब्ल्यूबी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अन्य योजनाओं के विशिष्ट

घटकों को भी लागू करता है जैसे i) एचआरडी का आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई घटक और क्षमता निर्माण योजना ii) पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी योजना का भूजल घटक iii) अटल भुजल योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करना।

बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं: i) एनएक्यूयूआईएम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन योजना तैयार करना; ii) लिथोलॉजी तैयारी और पंपिंग परीक्षण सहित खोजपूर्ण ड्रिलिंग; iii) भूजल स्तर की निगरानी; पअ) भूजल गुणवत्ता की निगरानी; v) कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए प्रदर्शनकारी योजनाओं का कार्यान्वयन; अप) संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से देश के भूजल संसाधनों का आवधिक मूल्यांकन; vii) भूभौतिकीय अध्ययन; viii) अपने स्वयं के कर्मियों के साथ–साथ केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ; ix) उपयोगी सूचना के प्रसार के लिए आउटरीच गतिविधियां; x) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना; xi) सीजीडब्ल्यूए के तहत देश में भूजल विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण; xii) अटल भुजल योजना के एक भाग के रूप में सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना; गपपप) भूजल आधारित सिंचाई आदि को बढ़ावा देने के लिए पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी योजना के भूजल घटक का कार्यान्वयन;

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम):

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यबी) राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) को लागू कर रहा है, जिसमें भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन की सुविधा के लिए जलभृतों (जल असर संरचनाओं) के मानचित्रण, उनके लक्षण वर्णन और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। एनएक्यूयूआईएम को 2012 में जीडब्ल्यूएमआर योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जलभृत्तों को चित्रित करना और उन्हें चिह्नित करना और भूजल प्रबंधन के लिए योजना विकसित करना था। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के 32 लाख वर्ग किमी 1 में से् 25 लाख वर्ग किमी को मैप करने योग्य क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। देश के विभिन्न भागों में फैले 24.57 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र के लिए जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन योजनाओं को तैयार किया गया है। शेष क्षेत्र को मार्च, 2023 तक कवर किए जाने का लक्ष्य है। एनएक्यूयूआईएम के परिणामों को जिला प्राधिकरणों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया जाता है।

दिनांक 30.11.2022 को डीएम, जिला रायगढ, ओडिशा के साथ एनएक्यूयूआईएम परिणामों और रिपोर्टों को साझा करना

भारत के शुष्क क्षेत्रों में उच्च विभेदन जलभृत मानचित्रण और प्रबंधनः

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में फैले शुष्क क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में आधुनिक हेली–जनित भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए जलभृतों के उच्च विभेदन मानचित्रण की शुरुआत की है। इस अध्ययन का उद्देश्य जलभृत ज्यामिती की स्थापना करना, असंतृप्त और संतृप्त जलभृतों का सीमांकन, भूजल निकासी के लिए संभावित स्थलों के पैलियो चैनल नेटवर्क की पहचान करना और जल संरक्षण संरचनाओं के लिए साइटों की पहचान करना आदि है। परियोजना के पहले चरण के तहत राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए 1 लाख वर्ग किमी क्षेत्र के लिए काम आरंभ किया गया है। सीएसआईआर–एनजीआरआई के सहयोग से ये अध्ययन किए जा रहे हैं।

भूजल स्तर की निगरानीः

भूजल स्तर की निगरानी केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। भूजल निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य भूजल व्यवस्था पर विभिन्न प्राकृतिक और मानवजनित तनावों की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करना है जो पुनर्भरण और निर्वहन मापदंडों को प्रभावित करता है। वर्तमान में, सीजीडब्ल्यूबी के पास पूरे देश के लगभग 23,000 भूजल अवलोकन कुओं का नेटवर्क है। भूजल स्तर को वर्ष में चार बार जनवरी, मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त और नवंबर के महीनों के दौरान मापा जाता है।

भूजल गुणवत्ता अध्ययनः

केंद्रीय भूजल बोर्ड के पास पानी के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए 16 क्षेत्रीय रासायनिक प्रयोगशालाएं हैं। ये रासायनिक प्रयोगशालाएं आईसीपी–एमएस, परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (एएएस) आदि जैसे परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित हैं। गुणवत्ता की निगरानी के लिए भूजल का नमूना पूर्व–मानसून अवधि के दौरान वर्ष में एक बार लिया जाता है। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में भूजल के नमूने भी एकत्रित और विश्लेषित किए जाते हैं। वर्ष 2022 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी ने अपनी इन–हाउस प्रयोगशालाओं के माध्यम से बुनियादी घटकों और भारी धातुओं के लिए 37950 नमूनों का विश्लेषण किया।

भूजल में यूरेनियम का अध्ययनः

सीजीडब्ल्यूबी ने देश भर में यूरेनियम सामग्री के लिए भूजल के नमूनों का नमूना और विश्लेषण किया है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अब तक लगभग 46,000 भूजल नमूने एकत्र किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया गया है।

भूभौतिकीय अध्ययनः

भूभौतिकीय अध्ययन गैर–आक्रामक तकनीक हैं और जलभृतों के स्वभाव और विशेषताओं के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। सीजीडब्ल्यूबी में विभिन्न भूभौतिकीय अध्ययनों के लिए आंतरिक सुविधा है। भूभौतिकीय अध्ययनों के आउटपुट का उपयोग ज्यादातर जलभृत मानचित्रण अध्ययन और अन्य मामले विशिष्ट जांच में किया जाता है। वर्ष 2022 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 1261 वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग (वीईएस), 1534 ट्रांसिएंट इलेक्ट्रो–मैग्नेटिक (टीईएम) अध्ययन और 35 बोरहोल लॉगिंग किए।

एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंगः

भूजल अन्वेषण केंद्रीय भूजल बोर्ड की मुख्य गतिविधियों में से एक है। ड्रिलिंग सहायता प्राप्त भूजल अन्वेषण जलभृतों के स्वभाव और विशेषताओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है। आंतरिक संसाधनों के माध्यम से भूजल की खोज के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा हर साल लगभग 650 कुओं की खुदाई की जाती है। सीजीडब्ल्यूबी के पास 78 परिचालन ड्रिलिंग रिग का है और देश में विभिन्न प्रकार के इलाकों में कुओं के निर्माण की क्षमता है। एनएक्यूआईएम कार्यक्रम के तहत भूजल अन्वेषण की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को देखते हुए, सीजीडब्ल्यूबी ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से खोजपूर्ण ड्रिलिंग भी की है। आवश्यक परीक्षण और

रासायनिक गुणवत्ता मूल्यांकन करने के बाद, सफल कुओं को राज्य उपयोगकर्ता एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। वर्ष 2022 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी ने ईडब्ल्यू, ओडब्ल्यू और पीजोमीटर सहित 551 कुओं का निर्माण किया।

जलभृत कायाकल्प और जल संरक्षणः

- **राजस्थान और हरियाणा के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम रिचार्ज अध्ययनः** वर्ष 2022–23 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी ने 170 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ जीडब्ल्यूएम एंड आर योजना के तहत 'राजस्थान और हरियाणा के कुछ पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल वृद्धि' पर परियोजना शुरू की है। करोड़। वैपकोस लिमिटेड के सहयोग से कार्य किया जा रहा है।
- **भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लानः** कृत्रिम पुनर्भरण– 2020 के मास्टर प्लान का कार्यान्वयन 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों 36 जिलों में आरंभ किया गया। कृत्रिम पुनर्भरण – 2025 और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय नोडल अभिकरणों की पहचान की गई है।

भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलनः

सीजीडब्ल्यूबी और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से गतिशील भूजल संसाधनों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। गतिशील भूजल संसाधनों के स्वचालित आकलन के लिए आईआईटी–हैदराबाद के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा विकसित वेब–आधारित एप्लिकेशन "इंडिया–ग्राउंडवाटर रिसोर्स एस्टीमेशन सिस्टम (आईएन–जीआरईएस) पूरे देश के लिए एक सामान्य और मानकीकृत मंच प्रदान करता है। आईएन–जीआरईएस का उपयोग करके आधार वर्ष 2022 के लिए भूजल संसाधन आकलन किया गया है। सीजीडब्ल्यूबी और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए गतिशील भूजल संसाधनों (2022) के हालिया आकलन के अनुसार, 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 (14%) इकाइयों को 'अति–दोहित', 260 (4%) के 'क्रिटिकल' के रूप में', 885 (12%) को 'सेमी–क्रिटिकल' के रूप में और शेष 4,780 (67%) को 'सुरक्षित' के रूप में रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आजादी का अमृत महोत्सवः

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सार्वजनिक संवाद कार्यक्रमों (पीआईपी) का आरंभ किया गया था। जनवरी से दिसंबर, 2022 के दौरान, ऐसे 318 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15000 लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और एनएक्यूयूआईएम के अध्ययन के विषय में जागरूक किया गया।

दिनांक 01.07.2022 को आंध्र प्रदेश के विशाख वैली स्कूल विशाखापट्टनम में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम

केंद्रीय भूजल प्राधिकरणः केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को देश में भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीजीडब्ल्यूए के कार्यों/जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट सभी मामलों के संबंध में निर्देश जारी करने और ऐसे उपाय करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना।
- उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में निहित दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लेना।
- देश में भूजल का विनियमन और नियंत्रण, प्रबंधन और विकास करना और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक नियामक निर्देश जारी करना।
- अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना।

वर्ष 2022 के दौरान सीजीडब्ल्यूए की महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गठित दिनांक 24.09.2020 के अधिसूचित दिशानिर्देशों के संचालन के लिए समिति की सिफारिश के अनुसार दिशानिर्देशों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है और यह जल शक्ति मंत्रालय के विचारधीन है।

भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के अनुदान/नवीकरण के लिए आवेदनों की प्रक्रियाः सीजीडब्ल्यूए ने अधिसूचित दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उद्योगों/अवसंरचना इकाइयों/खनन परियोजनाओं से आवेदनों का मूल्यांकन करना जारी रखा। जनवरी से दिसंबर, 2022 मे13897 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 3067 नये और नवीकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र और 8081 छूट दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए, 1307 आवेदनों को खारिज कर दिया गया और 718 अनापत्ति प्रमाण पत्रों को अनुमोदित किया गया है।

एनओसी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए स्व–निरीक्षण मॉड्यूलः एक स्व–निरीक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है और एनओसी के अनुपालन शर्तों की निगरानी के लिए एनओसीएपी पोर्टल में उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता एनओसी में निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन की स्थिति भर सकते हैं और पोर्टल पर जियोटैग्ड फोटो अपलोड कर सकते हैं।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा ऑन–साइट निरीक्षणः सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली को नवीनीकरण आवेदनों की सिफारिश करने से पहले सीजीडब्ल्यूए द्वारा दी गई एनओसी के अनुपालन की जांच करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऑन–साइट निरीक्षण किए गए थे। सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी एनओसी की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले परियोजना प्रस्तावकों को 'आवश्यक कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए थे।

राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई):

भूजल क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान में आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई अपनी तरह का एक मात्र ऐसा समर्पित संस्थान है। वर्ष 2012 (12वीं योजना), से आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई एक त्रिस्तरीय (टियर–I राष्ट्रीय स्तर, टियर–II: राज्य/जिला, टियर–III: ब्लॉक स्तर) प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। क्रियान्वित किए जा रहे त्रिस्तरीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जनवरी से दिसंबर, 2022 के दौरान विभिन्न प्रकार के कुल 165 प्रशिक्षण (टियर–I: 68, टियर–II: 30, टियर–III: 67) आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में भूजल पेशेवरों के साथ 9576 प्रतिभागियों सहित ही जमीनी स्तर के उपयोगकर्ता शामिल थे।

क्र. सं.	प्रशिक्षण	जनवरी – दिसंबर, 2022 की अवधि		
		आयोजित प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की संख्या	महिला प्रतिभागियों की संख्या
1	टियर–I	68	1,427	523
2	टियर–II	30	912	425
3	टियर–III	67	7,237	2,685
कुल		**165**	**9,576**	**3,633**

7.2.2 केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस)

सीडब्ल्यूपीआरएस नदी प्रशिक्षण और बाढ़ नियंत्रण,हाइड्रोलिक संरचनाओं,पोर्ट और बंदरगाहों,तटीय सुरक्षा,नींव इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री,पंप और टर्बाइन,जहाज हाइड्रोडायनामिक्स,पुलों काहाइड्रोलिक डिजाइन, पर्यावरण अध्ययन,पृथ्वी विज्ञान,थर्मल और परमाणु ऊर्जा कूलिंग वॉटर इनटेकमें भौतिक, गणितीय मॉडल अध्ययन और क्षेत्र, प्रयोगशाला जांच के माध्यम से विशेष सेवाएं प्रदान कर रहा है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

सीडब्ल्यूपीआरएस में अनुसंधान गतिविधियों को नीचे सूचीबद्ध सात प्रमुख विषयों में बांटा जा सकता है:

i) नदी इंजीनियरिंग: नदी इंजीनियरिंग अध्ययन के तहत नदी प्रशिक्षण और बैंक संरक्षण कार्यों,बैराजों और पुलों के हाइड्रोलिक डिजाइन,पानी और गाद निर्वहन आदि से संबंधित प्रमुख अध्ययन किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण अध्ययनों में शामिल हैं:

- हरियाणा और पंजाब राज्यों में घग्गर नदी में बाढ के सुरक्षित रूप से निकलने के लिए गणितीय मॉडल अध्ययन।
- बिहार में भागलपुर नदी के पास गंगा नदी के बैंक की सुरक्षा के लिए हाईड्रोलिक मॉडल अध्ययन।
- कोसी बैराज के 4 किमी. अनुप्रवाह से 14 किमी. अनुप्रवाह में केन्द्रीय प्राकृतिक चैनल को सक्रिय करने के लिए हाईड्रोलिक मॉडल अध्ययन।
- हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह के अंतर्गत सतलुज नदी घाटी में विभिन्न नालों के लिए बाढ सुरक्षा कार्यों हेतु गणितीय मॉडल अध्ययन।
- प्रस्तावित नदी फ्रंट विकास और नदी पुनरूद्धार के लिए पीसीएमसी के आस–पास के क्षेत्र में पवाना नदी में हाईड्रोलिक प्रवाह मापदंडों हेतु गणितीय मॉडल अध्ययन।
- महाराष्ट्र के चिपलून शहर के पास वशिष्ठि नदी के लिए विकसित होने वाले बाढ सुरक्षा उपायों के लिए संख्यात्मक मॉउल अध्ययन।
- उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ बैराज के नष्ट हो चुके घटकों के जीर्णोद्धार के लिए हाईड्रोलिक मॉडल अध्ययन।

ii) नदी और जलाशय प्रणाली मॉडलिंग: बाढ़ के आकलन और पूर्वानुमान, जलाशय अवसादन और जल की गुणवत्ता के अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन गणितीय मॉडल के उपयोग से पूरा किया जाता है और इस विधा के तहत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। इस अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों में शामिल हैं:

- एम/एस एसजेवीएन के लिए नाथपा बांध, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश की आपातकालीन कार्य योजना के लिए ब्रेक वाटर विश्लेषण और बाढ़ क्षेत्र मानचित्रण
- कुरुमुर्थ्यरा जलाशय, पलामुरु – रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (पीआरएलआईएस), तेलंगाना के लिए आपातकालीन कार्य योजना हेतु ब्रेक वाटर विश्लेषण और इनपुट

iii) जलाशय और सहायक संरचनाएं: जलाशय और संलग्न संरचनाएं: स्पिलवे और ऊर्जा अपव्यय प्रणाली,जलाशय अवसादन और फ्लाशिंग के लिए भौतिक और गणितीय मॉडल के हाइड्रोलिक डिजाइन का उपयोग करके जल कंडक्टर प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जलाशयों में तलछट का आकलन भी किया जाता है। इस विषय के तहत किए गए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों में शामिल है:

- पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के स्पिलवे के लिए एप्रोच चैनल के लेआउट के अनुकूलन हेतु हुए अध्ययन।
- इंदिरा सागर बांध, मध्य प्रदेश के लिए अनुप्रवाह निर्देशक भित्ति (डाउनस्ट्रीम गाइड वॉल) के साथ सहायक स्पिलवे हेतु हुए अध्ययन।
- क्वार जल–विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर के स्पिलवे की निर्वहन क्षमता और ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था हेतु हुए अध्ययन।
- पुनात्सांगछु–I जल–विद्युत परियोजना, भूटान के स्पिलवे के लिए संशोधित ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था पर अध्ययन।
- देवसारी जल–विद्युत परियोजना, उत्तराखंड के स्पिलवे के लिए संशोधित ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था पर अध्ययन।
- लखवाड़ जल–विद्युत परियोजना, उत्तराखंड के स्पिलवे की क्षमता और ऊर्जा अपव्यय की व्यवस्था हेतु हुए अध्ययन।
- तारली सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र की कोपर्डे लिफ्ट सिंचाई योजना की साइफन पाइपलाइन की निर्वहन क्षमता और सुरक्षित कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु साइफन पाइपलाइन पर हुए अध्ययन।
- तीस्ता–VI जल–विद्युत परियोजना, सिक्किम के बेसिन की डिसिल्टिंग हेतु हुए हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन।

iv) तटीय और अपतटीय इंजीनियरिंग: इस विधा के तहत विभिन्न पोर्टों और बंदरगाहों के विकास के लिए ब्रेकवाटर,जेटी, बर्थ, एप्रोच चैनल, टर्निंग सर्कल आदि की लंबाई और संरेखण के अनुकूलन से संबंधित शुरू की गई प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजनाएो का ब्योरा निम्नअनुसार है:

- नेत्रावती–गुरुपुर नदी, कर्नाटक में एकीकृत जलमार्ग और मरीना विकास हेतु हुए अध्ययन।
- टूना–टेकरा, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांडला, गुजरात में शिप जेटी के विकास के लिए हाइड्रोडायनामिक्स, सेडिमेंटेशन पर हुए अध्ययन।
- कामोर्टा खाड़ी, अंडमान–लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वेव ट्रैंक्विलिटी हेतु भौतिक मॉडल पर हुए अध्ययन।
- मत्स्यन बंदरगाह, पर विझिंजम सी–पोर्ट (वीआईएसएल), केरल के

विकास के प्रभाव का आकलन करने के लिए वेव ट्रांकुईलिटी का अध्ययन।

- अल्वेदांडे, कर्नाटक में मत्स्यन बंदरगाह, के प्रस्तावित विकास के लिए अध्ययन।
- कल्पसर बांध, गुजरात के लिए लहर की स्थिति के तहत स्पिलवे डिस्चार्जिंग क्षमता का आकलन करने हेतु हुए हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन।
- मेपल, कर्नाटक में बहुउद्देशीय बंदरगाह के प्रस्तावित विकास हेतु वेव हिंड कास्टिंग और स्टॉर्म सर्ज विश्लेषण के लिए अध्ययन (डीपीआर–5)।
- कामराजर बंदरगाह, तमिलनाडु में बर्थ के विकास हेतु वेव ट्रांक्विलिटी अध्ययन।
- रेवदंडा, तहसील, अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में रो–रो जेटी के विकास हेतु वेव ट्रांक्विलिटी और तटरेखा परिवर्तन पर हुए अध्ययन।
- चौथे कंटेनर टर्मिनल (फेज़–II), जेएन पोर्ट पर लहर की स्थिति का आकलन करने के लिए वेव ट्रांसफ़ॉर्मेशन अध्ययन।
- मुंबई बंदरगाह में नए लंगरगाहों के विकास के लिए गणितीय मॉडल का अध्ययन।
- नक्टी क्रीक, कांडला, गुजरात में मौजूदा टूना बैराज जेट्टी में लाइटर एज की रिज़म्प्शन की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए फील्ड डेटा संग्रहण।
- नानी दांती–मोती दांती, गुजरात और सतपती, पालघर, महाराष्ट में सीएमआईएस के तहत स्प्रिंग और नीप टाइड के लिए फील्ड डेटा संग्रहण
- मुलगाँव, श्रीवर्धन, महाराष्ट्र में हाइड्रोडायनामिक और अवसादन अध्ययन के लिए फील्ड डेटा संग्रहण और विश्लेषण।
- अस्तरंगा, पुरी, ओडिशा में मत्स्यन बंदरगाह के लिए टाइडल हाइड्रो–डायनामिक्स और अवसादन पैटर्न का आकलन करने के लिए फील्ड डेटा संग्रहण और गणितीय अध्ययन।
- मैसर्स देव साल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मोरबी, गुजरात में जेटी के विकास के लिए हाइड्रो–डायनामिक्स के लिए फील्ड डेटा संग्रहण और गणितीय मॉडल अध्ययन।

v) **नींव और संरचनाएं**: मिट्टी,चट्टान और ठोस गुणों को निर्धारित करने के लिए इस विधा के तहत प्रयोगशाला और क्षेत्रा परीक्षण अध्ययन किए जाते हैं। इस विधा द्वारा किए गए अधिकांश अध्ययन बांधों,बिजली संयंत्रों आदि से संबंधित हैं। इसके अलावा, मिट्टी के बांधों, टेलिंग बांधों, ऐश डाइक्स, बैराज, पहाड़ियों, तटबंधों, ब्रेकवाटर, नेविगेशन चैनल और बैंक ढलानों जैसे तटीय संरचनाओं की सुरक्षा और रिसाव का आकलन करने के लिए संख्यात्मक मॉडलिंग के माध्यम से भू–तकनीकी अध्ययन किए जाते हैं। प्रमुख अध्ययनों में शामिल हैं:–

- पेनस्टॉक द्विभाजन, अरुण–3 जल विद्युत परियोजना, नेपाल, सतलुज जल विकास निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के एफईएम का उपयोग करते हुए 3डी स्ट्रैस विश्लेषण द्वारा संरचनात्मक डिजाइन में सत्यापन और सुधार के लिए अध्ययन।
- कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तेलंगाना के मल्लानसागर जलाशय

और कुरुमुर्थिरया जलाशय या पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (पीआरएलआईएस), तेलंगाना के ज़ोन वाले मिट्टी के बांधों के लिए भू–तकनीकी अध्ययन।

vi) **अनुप्रयुक्त पृथ्वी विज्ञानः** नदी–घाटी परियोजनाओं की भूकंपीय निगरानी, सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग अध्ययन, विभिन्न बांधों, नहरों, परमाणु और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए परमाणु लॉगिंग और भूभौतिकीय विधियों का उपयोग करके संरचनाओं के रिसाव और इंजीनियरिंग गुणों का पता लगाने से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन किए जाते हैं। किए गए प्रमुख अध्ययन नीचे दिए गए हैं:

- कुरी–गोंगरी जलविद्युत परियोजना, भूटान के लिए सूक्ष्म भूकंपीय अध्ययन।
- कीर्थाई–II जलविद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर के लिए साइट–स्पेसिफिक भूकंपीय डिजाइन मापदंडों का आकलन।
- कोंधाने बांध परियोजना, महाराष्ट्र के लिए साइट–स्पेसिफिक भूकंपीय डिजाइन मापदंडों का आकलन।
- सरस्वती नदी कायाकल्प और इसकी विरासत विकास परियोजना, हरियाणा के लिए साइट– स्पेसिफिक भूकंपीय डिजाइन मापदंडों का आकलन।
- सिलाहला परियोजना, तमिलनाडु के लिए साइट– स्पेसिफिक भूकंपीय डिजाइन मापदंडों का आकलन।
- गैर–विनाशकारी परीक्षण विधियों, रेंगाली, ओएचपीसी लिमिटेड, ओडिशा द्वारा रेंगाली पावर हाउस संरचना के कंक्रीट की इन–सीटू गुणवत्ता का मूल्यांकन।
- जोबरा महानदी बैराज, ओडिशा में पुराने एनीकट को तोड़ने के दौरान विस्फोट कंपन की निगरानी।
- रेंगाली एचई परियोजना, ओडिशा के लिए कंपन अध्ययन।

vii) **इंस्ट्रमेंटेशन, कैलिब्रेशन और परीक्षण सुविधाएंः** बांधों, जलविद्युत बिजली संयंत्रों आदि में उपकरणों की स्थापना और निगरानी से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन, उपकरणों का अंशांकन और उनका परीक्षण सीडब्ल्यूपीआरएस में किया जा रहा है। भौतिक हाइड्रोलिक मॉडल पर डेटा अधिग्रहण के लिए हाइड्रोलिक इंस्ट्रमेंटेशन का उपयोग किया जा रहा है। जल स्तर, धाराओं, लहर–ऊंचाई आदि जैसे तटीय मानकों के लिए फील्ड डेटा संग्रह किया जा रहा है। प्रोटोटाइप के लिए बांध उपकरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों में शामिल हैं:

- आर्डनेंस फैक्टरी, खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश में जलाशय तालाब का बाथीमेट्री सर्वेक्षण।
- रिहंद बांध, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के लिए बैथीमेट्री सर्वेक्षण।
- बीरभूम, पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर बांध का बाथीमेट्री सर्वेक्षण।
- पोलावरम बांध के लिए बांध यंत्रीकरण का प्रयोग करते हुए बांध की स्थिरता का आकलन।
- बांध पुनर्वास सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के तहत तमिलनाडु में 17 बांधों के लिए बांध यंत्रीकरण।
- जिहे काटापुर एलआईएस, जिला–सतारा, महाराष्ट्र के तहत नेर लिफ्ट सिंचाई योजना–I एवं II के लिए सर्ज विश्लेषण।

- हाई हेड ट्विन सेंट्रीफ्यूगल पंप का पर्फॉर्मन्स टेस्टिंग।
- कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (स्टेज I – (4 x 70) = 280मेवॅ और स्टेज II – (4 x 80) = 320मेवॅ) के पेनस्टॉक के माध्यम से पानी के निर्वहन का मापन।
- केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे में डीजल इंजन द्वारा संचालित 150 मीटर हेड क्षमता पर 400 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे के फायर वाटर सबमर्सिबल पंप का परीक्षण।
- कोयना हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट [स्टेज IV – (4 × 250) = 1,000 मेगावाट] के पेनस्टॉक के माध्यम से पानी के निर्वहन का मापन।
- "बड़े पंपों और टर्बाइनों के डिजाइन, स्थापना और संचालन में प्रगति" पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
- कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट [स्टेज III – (4 × 80) = 320 मेगावाट, के पेनस्टॉक के माध्यम से पानी के निर्वहन का मापन।
- बैरासिल पावर स्टेशन, चंबा के वाटर कंडक्टर सिस्टम में हेड लॉस जांच/मापन।

7.2.3 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी)

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पटना में है। आयोग में एक अध्यक्ष होता है जिसमें दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ गंगा बेसिन राज्यों के इंजीनियर–इन–चीफ/चीफ इंजीनियर अंशकालिक सदस्य /स्थायी आमंत्रित हैं।

आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- गंगा बेसिन में नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजना तैयार करना और अद्यतन करना।
- बेसिन–वार योजनाओं में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन के कार्यक्रम का चरणबद्ध/अनुक्रमण करना।
- बाढ़ प्रबंधन पर गंगा बेसिन राज्यों नामतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड , उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- ताजेवाला से ओखला बैराज तक यमुना नदी पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों की योजनाओं को छोड़कर, 12.5 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपए तक से अधिक अनुमानित लागत वाले गंगा बेसिन राज्यों की बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को तकनीकी–आःथक मूल्यांकन और स्वीकृति प्रदान करना। 25 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत वाली योजनाओं का मूल्यांकन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) द्वारा किया जाता है और उनकी तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी–एमओडब्ल्यूआर) मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।
- महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंधन योजनाओं, विशेषकर जो बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्रा कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली और केन्द्रीय क्षेत्र के तहत निष्पादित योजनाओं के कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग।
- सड़क और रेल पुलों के नीचे मौजूदा जलमार्गों की पर्याप्तता का आकलन और जल निकासी को उचित सीमा तक कम करने के लिए अतिरिक्त जलमार्ग उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

- अंतर्राज्यीय बाढ़ प्रबंधन योजनाओं सहित राज्यों द्वारा क्रियान्वित प्रमुख बाढ़ प्रबंधन उपायों का निष्पादन मूल्यांकन।

2022–23 के दौरान उपलब्धियां:

i) कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव:

कोसी और गंडक नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रत्येक बाढ़ के मौसम के बाद स्थल निरीक्षण और कोसी उच्च स्तरीय समिति (केएचएलसी) और गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति (जीएचएलएससी) की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। नेपाल के हिस्से में किए गए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के रखरखाव पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा क्रमशः कोसी के लिए बिहार राज्य सरकार और गंडक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद की जा रही है। केएचएलसी/जीएचएलएससी ने क्रमशः 10–13 नवंबर, 2022 और 22–24 नवंबर, 2022 के दौरान कोसी और गंडक नदी पर बाढ़ संरक्षण कार्यों का वार्षिक निरीक्षण किया, बैठक की और इन नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया और 2023 के बाढ़ के मौसम से पूर्व समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया।

ii) बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजना का अद्यतनीकरण:

गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजनाएँ वर्ष 1975 और 1990 के बीच तैयार की गई थी। बाद के वर्षों में इन व्यापक योजनाओं को अद्यतन करने का काम बेसिन में जल–मौसम विज्ञान और आकृति विज्ञान पर परिवर्तन, अतिरिक्त जानकारी/डेटा के कारण शुरू किया गया था। कोसी नदी प्रणाली के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना को छोड़कर सभी व्यापक योजनाओं को अद्यतन किया गया है। 6 योजनाओं का दूसरा अद्यतनीकरण भी पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोसी नदी प्रणाली के लिए बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजना की तैयारी पर एक पायलट परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया था और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक व्यापक योजना तैयार करने पर एक उप–समिति का गठन जीएफसीसी, बिहार राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य विषय विशेषज्ञ को शामिल करते हुए किया गया था। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यह जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा संरक्षण के सक्रिय विचाराधीन है। हाल ही में 13 दिसंबर 2022 को हुई जीएफसीसी की 53 वीं बैठक में अंतर–राज्यीय/सीमा–पार पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से एक नदी उप–बेसिन के बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत व्यापक योजना के विकास पर जोर दिया गया था। संबंधित राज्यों से उनके डोमेन के तहत उपलब्ध डेटा की आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था।

iii) सड़क और रेल पुलों के तहत मौजूदा जलमार्गों की पर्याप्तता का आकलन

मुख्य धारा गंगा को 5 भागों में विभाजित किया गया था क) साहेबगंज तक बहिर्वाह, ख) साहेबगंज से बक्सर, ग) बक्सर से हरिद्वार, घ) हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, च) रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ। चयनित 5 रीच में से 3 रीच के लिए मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक सर्वे और डाटा कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के लिए मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट प्रगति पर है और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के

लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया में है।

iv) बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकनः

अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान गंगा बेसिन राज्यों से जीएफसीसी में पैंतीस बाढ़ प्रबंधन योजनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें पिछले वर्षों की स्पिल ओवर परियोजनाएं भी शामिल हैं। एक योजना राज्य सरकार को वापस कर दी गई और एक योजना के तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन को मंजूरी दी गई। अनुपालन के लिए राज्य सरकारों के पास सात योजनाएं लंबित हैं। जीएफसीसी में 26 योजनाएं जांच के अधीन हैं।

7.2.4 बाणसागर नियंत्रण बोर्ड (बीसीबी)

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, कृषि और सिंचाई मंत्रालय भारत सरकार के संकल्प संख्या 8/17/74–डीडब्ल्यू–II दिनांक 30 जनवरी, 1976 द्वारा की गई थी। इसे संकल्प संख्या 8/17/74–डीडब्ल्यू–II दिनांक 28 मार्च, 1978 के संशोधित किया गया था। यह संकल्प 16 सितंबर, 1973 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे और बाणसागर बांध की लागत के लिए हुए समझौते के अनुसार था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय विद्युत मंत्री, मुख्यमंत्री. तीनों राज्यों के सिंचाई और वित्त मंत्री और मध्य प्रदेश के बिजली प्रभारी मंत्री बोर्ड के सदस्य होते हैं। बोर्ड के कार्यालय के व्यय को जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के बजट अनुदान से पूरा किया जाता है और बाद में तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बोर्ड की एक कार्यकारी समिति, बोर्ड की गतिविधियों का प्रबंधन करती है। जून 2006 में 18 रेडियल क्रेस्ट गेट्स के निर्माण के साथ बाणसागर बांध को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ाया गया था। वर्ष 2022–23 में दिनांक 28.09.2022 को जलाशय 341.64 (एफआरएल) मीटर के जलाशय स्तर तक भर गया।

बाणसागर बांध परियोजनाः बाणसागर मध्य प्रदेश में सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें सिंचाई और जलविद्युत बिजली उत्पादन दोनों की परिकल्पना की गई है। बाणसागर परियोजना का क्रियान्वयन बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के निर्देशन में जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। पार्टी राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से नहरों और बिजली व्यवस्था का निष्पादन कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों के लिए छोड़ा गया कुल पानी नवंबर, 2021 से दिसंबर, 2022 तक क्रमशः 2632.07 एम.सी.एम. 511.66 एम.सी.एम. और 1097.46 एम.सी.एम. है।

7.2.5 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी)

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) का गठन जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के संकल्प संख्या 10(66)/71–आईटी दिनांक 11 मार्च, 1995 द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा 12 मई, 1994 को ओखला बैराज तक यमुना नदी के उपयोग योग्य सतही प्रवाह के आवंटन के संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार ऊपरी यमुना) सह–बेसिन राज्यों के अनुसरण में किया गया था। 2000 में उत्तरांचल राज्य के निर्माण के बाद, 2001 में उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) को भी बोर्ड में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को संशोधित किया गया था।

बोर्ड में सदस्य, केंद्रीय जल आयोग, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में और उत्तर प्रदेश,

उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से एक–एक नामित व्यक्ति होता है जो मुख्य अभियंता के पद से कम का न हो। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुख्य अभियंता और केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि अंशकालिक सदस्य के रूप में होते हैं। बोर्ड में एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव होता है जो लाभार्थी राज्यों से संबंधित नहीं होता है। बोर्ड पर होने वाला व्यय, छह बेसिन राज्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

ऊपरी यमुना समीक्षा समिति

ऊपरी यमुना समीक्षा समिति (यूवाईआरसी) में माननीय मंत्री, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों के मुख्यमंत्री (राष्ट्रपति शासन के मामले में राज्यपाल) ऊपरी यमुना समीक्षा समिति के कामकाज के आकलन और 12.05.1994 के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शामिल होते है।

यूवाईआरबी के कार्यः

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आवंटन को विनियमित करना और वापसी प्रवाह की निगरानी करना है; सतही और भूजल की गुणवत्ता के संरक्षण और उन्नयन की निगरानी करना; बेसिन के लिए जल–मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों को बनाए रखना; वाटरशेड प्रबंधन के लिए योजनाओं का अवलोकन करना; ओखला बैराज तक एवं सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

यूवाईआरबी की गतिविधियांः

यूवाईआरबी ने ऊपरी यमुना के बेसिन राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए काम किया जो कि ईएक्स– ताजेवाला में राजस्थान हेतु यमुना के पानी का हिस्सा, ओखला हेडवर्क से राजस्थान को यमुना के पानी की कम आपूर्ति, यमुना नदी के लिए इंटरसेप्टर सीवर योजना, गुड़गांव फीडर नहर और आगरा नहर के लिए योजनाएं, वजीराबाद में यमुना के पानी का प्रदूषण, यमुना नदी के उपयोग योग्य जल संसाधन का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विभाजन आदि करना।

तीन भंडारण परियोजनाओं अर्थात लखवार (उत्तराखंड राज्य यमुना नदी पर में 330 एमसीएम लाइव स्टोरेज और 300 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए), किशाऊ (टोंस नदी पर, यमुना नदी की एक सहायक नदी 1,324 एमसीएम लाइव स्टोरेज और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में 660 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए) और रेणुकाजी (गिरि नदी पर यमुना नदी की एक सहायक नदी जिसमें 498 एमसीएम लाइव स्टोरेज और हिमाचल प्रदेश राज्य में 40 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए ऊपरी यमुना बेसिन में एमपीपी के निर्माण के लिए पहचान की गई है। बेसिन राज्यों के बीच क्रमशः 28.08.2018 और 11.01.2019 को लखवार और रेणुकाजी के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। किशाऊ एमपीपी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश द्वारा उठाए गए विभिन्न चिंताओं को हल करने के लिए यूवाईआरबी द्वारा प्रयास किए गए हैं। दिनांक 22.03.2022 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ किशाऊ एमपीपी के लिए अंतर–राज्य समझौते से संबंधित मुद्दों पर एक हाइब्रिड बैठक आयोजित की गई थी। दिनांक 26.07.2022 को गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उत्तराखंड,

हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग /के.ज.आ. और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के प्रतिनिधि उपस्थित थे। दिनांक 21.09.2022 को माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ प्रस्तावित अंतर–राज्य समझौते एवं किशाऊ एमपीपी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई।

दिनांक 04.03.2022 को श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, यूवाईआरबी की अध्यक्षता में, सदस्य (जल आयो.एवं परि.), के.ज.आ.,पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार, प्रधान सचिव, डब्ल्यूआरडी,राजस्थान सरकार और के.ज.आ के अन्य अधिकारियों के साथ राजस्थान के हिस्से के यमुना के पानी को ताजेवाला हेड पर, हरियाणा से राजस्थान के झुंझुनू और चूरू जिलों में स्थानांतरित करने और इसके उपयोग के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। दिनांक 04.03.2022 को वीसी के माध्यम से हुई बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में दोनों राज्यों की सहमति से एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। इसी क्रम में, दिनांक 26.05.2022 को श्री आर.डी. देशपांडे, सदस्य सचिव, यूवाईआरबी और 22.11.2022 को श्री बी.पी. पाण्डे, सदस्य सचिव (स्वतंत्र प्रभार), यूवाईआरबी की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों के साथ तकनीकी समिति की क्रमशः पहली और दूसरी बैठक आयोजित की गई।

दिनांक 10.11.2022 और 11.11.2022 को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) के अधिकारियों ने राजस्थान सीमा पर ओखला बैराज, आगरा नहर, गुड़गांव नहर और भरतपुर फीडर नहर का दौरा किया और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ ओखला हेडवर्क्स में जल की उपलब्धता और विनियमन के विवरण के बारे में चर्चा की और आस–पास के स्थानों/सिंचाई संरचनाओं का दौरा किया। राजस्थान एवं उ0प्र0 के अधिकारियों ने रेगुलेटर क्षेत्र में मलबा, खरपतवार एवं जलकुंभी की सफाई एवं हैड रेगुलेटर की मरम्मत आदि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर राशि जारी कर करने का अनुरोध किया तथा राजस्थान में पानी की कम आपूर्ति के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। राजस्थान से यूपी तक नहर व्यवस्था की मरम्मत हेतु राजस्थान से यूपी को फंड जमा करने को भी कहा गया है।

अध्यक्ष, यूवाईआरबी और सदस्य सचिव, यूवाईआरबी, ने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के साथ जयपुर, राजस्थान में दिनांक 08.04.2022 को राजस्थान में जल की उपलब्धता के संबंध में एक बैठक में भाग लिया था।

7.2.6 फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी)

फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पूर्वकालिक कोलकाता बंदरगाह) के संरक्षण और रखरखाव और भागीरथी– हुगली जलमार्ग की नौवहन गहराई बढ़ाने के लिए वर्ष 1975 में चालू किया गया था। फरक्का बैराज परियोजना भारत–बांग्लादेश जल संधि 1996 में समझौते के अनुसार बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा जल के बंटवारे की सुविधा को भी प्रदान करती है। इसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का में गंगा नदी पर 2,245 मीटर लंबा बैराज, फीडर नहर और जंगीपुर बैराज में पानी मोड़ने के लिए फरक्का में एक कैनाल हेड रेगुलेटर, इसके अलावा फरक्का में गंगा पर सड़क–सह–रेल पुल, नेविगेशन लॉक, जंगीपुर, फरक्का और जंगीपुर में नेविगेशन लॉक, फीडर नहर के पार एक सड़क–सह–रेल पुल, फरक्का,

अहिरोन और खेजुरिया घाट में लगभग 4,000 आवास इकाइयां, 1,200 की छात्र क्षमता वाला एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक अस्पताल शामिल हैं। इसकी संलग्न संरचनाओं में बाढ़ तटबंध, सीमांत बांध, एफ्लैक्स / गाइड बांध आदि शामिल हैं।

एफबीपी प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

i) मुख्य बैराज का संचालन और रखरखाव

- मुख्य बैराज पर 112 गेट
- हेड रेगुलेटर पर 11 गेट
- जंगीपुर बैराज के 15 गेट
- दोनों बैराज और हेड रेग्यूलेटर के यू/एस और डी/एस में एप्रन और रिवर बेड के सुरक्षात्मक उपाय।

ii) फीडर नहर (लंबाई में 38.38 किमी), फीडर नहर, पुलिया, इनलेट, नौका सेवाओं, निरीक्षण सड़क (दोनों किनारे), साइफन, भवन आदि के रखरखाव और सुरक्षात्मक उपाय।

iii) मूल अधिकार क्षेत्र में रखरखाव और सुरक्षात्मक कटाव रोधी कार्य (12.5 किमी अपस्ट्रीम और 6.9 किमी डाउनस्ट्रीम बैराज): बैराज की सुरक्षा के लिए इसके संबद्ध ढांचे जैसे सीमांत बांध, एफ्लैक्स बांध, निरीक्षण सड़क, नियामक, पुलिया, गाइड बांध आदि के साथ।

iv) फरक्का टाउनशिप खेजुरियाघाट टाउनशिप, जंगीपुर बैराज कॉलोनी, कालिंडी रेग्यूलेटर पर कॉलोनी का रखरखाव जिसमें सभी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर का रखरखाव शामिल है।

v) सभी उपकरणों, वाहनों और मशीनरी आदि का संचालन और रखरखाव।

प्रमुख उपलब्धियां

- फरक्का बैराज में चरण–द्वितीय और चरण–III में नौ बैराज गेटों का प्रतिस्थापन।
- बैराज के सीएच 1530 से सीएच 3450 मीटर प्रतिप्रवाह के बीच गंगा नदी के बाएं किनारे पर आपातकालीन स्थिति में 2,280 मीटर की लंबाई में तट सुरक्षा कार्य।
- एफबीपी में गंगा नदी के बाएं किनारे पर खेजुरिया घाट कॉलोनी (कुल लंबाई = 1.185 किमी) की चारदीवारी का निर्माण।
- 13,254.25 एकड़ एफबीपी भूमि और 2,718 भवनों को जीएलआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
- फीडर नहर में आरडी 0.00 पर जियो मेगा बैग का उपयोग कर स्कायर भरने का कार्य किया गया।
- सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति की 118वीं बैठक 21 दिसंबर, 2022 को बुलाई गई थी।
- मुख्य बैराज पर पीएससी सड़क की मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है।

7.2.7 राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी)

राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) देश के जल संसाधनों के संबंध में देशव्यापी डेटा के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है।राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) जल संसाधन डेटा के पर सिंगल खिड़की स्रोत के रूप में कार्य करता है और निम्नलिखित के लिए अधिदेशित है:–

- जल संसाधन और संबंधित सूचना पर डेटा का रखरखाव करना, अद्यतन करना, एकत्र

करना और उसका प्रसार करना

- केंद्र और राज्य सरकारों, संस्थानों, शिक्षाविदों. योजनाकारों और आम जनता के बीच हाइड्रो–मौसम संबंधी डेटा
- निर्णय लेने के लिए उपकरण और प्रणालियों का विकास (डिसिजन सपोर्ट सिस्टम)
- हाइड्रोलॉजिकल चरम सीमाओं के लिए जल आपातकालीन प्रतिक्रिया से निपटने वाले संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) की

निम्नलिखित प्राथमिक गतिविधियां हैः–

- राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) देश के जल संसाधनों के संबंध में देशव्यापी डेटा के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। केंद्र को बडी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ–साथ, जल संसाधनों की जल सूचना प्रबंधन सिस्टम (डब्ल्यूआईएमएस) का रख–रखाव एक डाटा संग्रहन प्लेटफार्मः और भारत जल संसाधन सूचना सिस्टम (भारत– डब्ल्यूआरआईएस) – जल डाटा के प्रसार के लिए एक पब्लिकलि पहुंच रखने वाला ऑनलाइन बेब पोर्टल। इस पोर्टल में डेटा संग्रह, तैयार करना और प्रस्तुति निरंतर गतिविधियां हैं। विभिन्न मॉड्यूल के माध्यम से। भारत– डब्ल्यूआरआईएस में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के डेटा वर्षा, जलाशय भंडारण स्तर, नदी जल स्तर और निस्सरण, भूजल स्तर और पानी की गुणवत्ता आदि हैं।
- मौजूदा मॉड्यूल्स को बढ़ावा देना और नए मॉड्यूल का विकास।
- नए डाटा और नई परतों को जोड़कर भारत–डब्ल्यूआरआईएस की मौजूदा सामग्री को समृद्ध करना।
- सर्वर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव।
- केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के बीच आंकड़ों को साझा करना, बेब पोर्टल की आसान पहुंच प्रदान करके और उनकी रुचि के क्षेत्र पर डेटा डाउनलोड की सुविधा प्रदान करके जानकारी का प्रसार।

वर्ष 2022–23 के दौरान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र एनडब्ल्यूआईसी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँः

जल और संबद्ध संसाधन सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएआरआईएमएस/ (पहले आईडब्ल्यूसीआईएमएस)

एकीकृत जल एवं फसल सूचना तथा प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूसीआईएमएस/ का पुनःनामकरण करके जल और संबद्ध संसाधन सूचना और प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएआरआईएमएस कर दिया गया है। इसे एक समग्र और व्यापक मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है जो सिंचाई प्रबंधन, जलाशय प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता, जल मांग प्रबंधन, मांग पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्वानुमान, जल संसाधनों से संबंधित चिन्हित उपयोग हेतु डेटाबेस, एप्लिकेशन, मॉडल और सूचना को एकीकृत करेगा जिसका उद्देश्य नदी बेसिन दृष्टिकोण पर विचार करते हुए जल संसाधनों और संबद्ध क्षेत्रों की योजना, अभिकल्प, सूत्रीकरण और प्रबंधन के संबंध में 9 विषयों के माध्यम से भूजल गुणवत्ता और प्रबंधन आदि में सहायता प्रदान करना है।

वार्षिक उपलब्धियांः

- अत्याधुनिक एकीकृत डीएसएस प्रणाली के लिए, एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है जिसमें प्रौद्योगिकी स्टैक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की सिफारिश करना, हितधारक विभागों और एजेंसियों की पहचान करना और संबंधित आईटी/गैर–आईटी प्रणालियों के गहन अध्ययन और डब्ल्यूआरआईएमएस

के साथ एकीकरण, कार्यान्वयन रणनीतियों का विकास, कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान और लागत अनुमान शामिल हैं।

- एक सहायता केंद्र और एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की परिकल्पना की गई है। डब्ल्यूआरआईएमएस–आईसीसीसीसी दिन–प्रतिदिन के संचालन प्रबंधन करेगा और संबंधित हितधारकों को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से आपात स्थिति की सूचना देगा। डब्ल्यूआरआईएमएस के विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों द्वारा सामना किए जाने वाले तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए इसमें एक उपयुक्त हेल्प डेस्क भी होगा।
- एनडब्ल्यूआईसी में डब्ल्यूआरआईएमएस परियोजना के अंतर्गत एक भू–स्थानिक विश्लेषण प्रयोगशाला प्रस्तावित की गई है। जीएएल का उद्देश्य अनुकूलित डेटा उत्पादन हेतु अन्य एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से आंतरिक उपग्रह छवि प्रसंस्करण करना होगा।
- आवश्यक डेटा के साथ वर्तमान डेटा उपलब्धता की तुलना करने के लिए, उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान एक अंतर विश्लेषण भी किया गया है, जिससे उपभोग मामलों के कार्यान्वयन की प्राथमिकता निर्धारित की जा सके।
- वास्तविक समय के वातावरण में चिन्हित उपभोग मामलों के विकास की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक अवधारणा प्रमाण (पीओसी) विकसित किया गया है।

राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्रों का विकास (एसडब्ल्यूआईसी)

एनडब्ल्यूआईसी राज्यों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और आईटी अवसंरचना सहायता प्रदान करते हुए राज्य जल डेटा रिपोजिटरी के रूप में एसडब्ल्यूआईसी के विकास और राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली (राज्य – डब्ल्यूआरआईएस) के विकास में सहायता करने की योजना बना रहा है। एनडब्ल्यूआईसी राज्य स्तर पर जल संसाधनों की बेहतर अयोजना और प्रबंधन के लिए आवश्यक डिजिटल, मान्य, ऑनलाइन जल संसाधन सूचना प्रणाली के साथ राज्यों को सशक्त बनाने के लिए और साथ ही बेसिन और क्षेत्रीय स्तर की नीति नियोजन के लिए केंद्रीय प्रणाली को फीड करने और प्रमाणित डाटा विश्लेषण के आधार पर कार्यनीतिक निर्णय लेने की परिकल्पना करता है। एनडब्ल्यूआईसी के समन्वय में, एसडब्ल्यूआईसी क्षेत्रीय और सूक्ष्म स्तर के डेटा समामेलन और इसके प्रसार के लिए एकल बिंदु समाधान के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचा राज्यों के साथ–साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है। अब तक, 11 राज्यों ने राज्य जल सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, राज्य डब्ल्यूआरआईएस की स्थापना में राज्यों के विशेषज्ञों/पेशेवरों को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

भारत–डब्ल्यूआरआईएस और डब्ल्यू आई एम एस के सुधार और डेटा संवर्धन से संबंधित गतिविधियां:

i) भारत–डब्ल्यूआरआईएस

- **अंतरबेसिन स्थानांतरण लिंक:** नया नक्शा, सारांश और मुख्य विशेषताएं, 16 हिमालयी घटकों के डेटा की रिपोर्ट अपडेट की गई और नए विजेट उत्पन्न किए गए।
- **मॉड्यूल का सुधार:** जलाशय, मिट्टी की नमी, वाष्पीकरण–वाष्पोत्सर्जन, जल संसाधन परियोजना और नदी सूचना प्रणाली मॉड्यूल को

उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाने के लिए नया रूप दिया गया है। सुधार प्रक्रिया में मिट्टी की नमी और वाष्पोत्सर्जन की डाउनलोड कार्यक्षमता को भी लागू किया गया है।

- **नए मॉड्यूल का विकासः** देश भर में फैले वन और पेड़ कवर को दिखाने के लिए 'फ़ॉरेस्ट/ट्री कवर' मॉड्यूल मॉड्यूल विकसित किया गया है और एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए एफएसआई और एनआरएससी से वन जानकारी एक साथ लाया गया है।
- एआरसी जीआईएस सर्वर संस्करण का उन्नयन (10.6 से 10.8)
- **डेटा अपडेशनः** हाइड्रो संरचना का नया डेटा जोड़ा गया।
- **डेटा प्रसारः** एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) यानी data.gov.in, एनआरएससी के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों को डेटा प्रसारित किया गया है।
- **प्रशिक्षणः** उपयोगकर्ताओं और एनएचपी कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्य सरकारों/केंद्रीय एजेंसियों) के लिए डब्लूआरआईएस और डब्ल्यूआईएमएस पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली ((डब्ल्यूआईएमएस):

- **नई संरचना में डब्ल्यूआईएमएस अनुप्रयोगों का माइग्रेशनः** डब्ल्यूआईएमएस अनुप्रयोगों को नए विकसित और उन्नत क्लाउड आर्किटेक्चर में माइग्रेट कर दिया गया है।
- **मेटाडेटा बल्क इंसर्शन ऑटोमेशन स्क्रिप्टः** एक्सेल आधारित मेटाडेटा टेम्प्लेट का उपयोग करके भूजल और सतही जल दोनों साइटों के लिए बल्क स्टेशन निर्माण के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाई गई है।
- **भूजल संबंधी मॉड्यूल का विकासः**

  क) भूगर्भ जल रिपोर्टः निश्चित उपयोगकर्ता क्षेत्र के लिए जल स्तर की गहराई, वार्षिक, मौसमी और दशक – उच्चावच आदि से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए नया मॉड्यूल विकसित किया गया है।

  ख) भूजल गुणवत्ताः केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अनुसार जल गुणवत्ता डेटा प्रविष्टि और रिपोर्ट निर्माण मॉड्यूल के लिए विभिन्न अपडेट लागू किए गए।

  ग) अन्य मॉड्यूलः केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अनुसार भूभौतिकीय जांच, भूजल अन्वेषण और पम्पिंग टेस्ट चल रहा है।
- **हिस्टोरिकल डेटा माइग्रेशनः** भूजल संबंधी मॉड्यूल का विकास (डब्ल्यूआईएमएस) डेटाबेस में कई एजेंसियों के लिए विभिन्न हाइड्रोलॉजिकल, मौसम संबंधी और पानी की गुणवत्ता संबंधी मापदंडों के लिए ऐतिहासिक डेटा माइग्रेशन किया गया।

- **विभिन्न तरीकों के माध्यम से डेटा साझा करना:** एनडब्ल्यूआईसी हेल्प–डेस्क पर अनुरोध के अनुसार एफटीपी, एपीआई, डीबी एक्सपोर्ट के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ मेटाडेटा के साथ विभिन्न हाइड्रो–मौसम संबंधी मापदंडों पर डेटा साझा किया जाता है।

- **टेलीमेट्री स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन फ़ंक्शन:** जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआईएमएस) डेटाबेस में स्वचालित टेलीमेट्री डेटा फ्लो के लिए डब्ल्यूआईएमएस स्टेशनों पर सेंसर कॉन्फ़िगरेशन विवरण, यानी टेलीमेट्री प्रेक्षित मापदंडों की मैपिंग को सम्मिलित करने के लिए डेटाबेस फ़ंक्शन बनाया गया है।

- **बाढ़ पूर्वानुमान मॉड्यूल अद्यतन:** बाढ़ पूर्वानुमान वेबसाइट से संबंधित विभिन्न मुद्दों का वेबसाइट में उन्नत सुविधाओं के कार्यान्वयन के साथ समाधान किया गया है।

7.3 पंजीकृत सोसाइटी/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय

7.3.1 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की स्थापना जुलाई, 1982 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में तत्कालीन सचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के प्रायद्विपीय घटक की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के कार्यों को समय–समय पर संशोधित किया गया है और वर्तमान कार्य नीचे दिए गए हैं:

- पूर्व सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा जल संसाधन विकास के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भाग यद्वीपीय नदियों के विकास और हिमालयी नदियों के विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों और इंटर–कनेक्टिंग लिंक का विस्तृत सर्वेक्षण और जांच करना।

- प्रायद्वीपीय नदियों के विकास और हिमालयी नदीयों के प्रणालियों में पानी की मात्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करना, जो कि निकट भविष्य में बेसिन/राज्यों की उचित जरूरतों को पूरा करने के बाद अन्य घाटियों/राज्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

- प्रायद्वीपीय नदियों के विकास और हिमालयी नदियों के विकास से संबंधित योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

- जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत सर्वेक्षण और जांच कार्य करना और नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और उसके बाद परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्यों से संपर्क करना।

- राज्यों द्वारा प्रस्तावित इंट्रा–ऑलक की पूर्व–व्यवहार्यता/व्यवहार्यता/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। ऐसे प्रस्तावों के लिए संबंधित सह–बेसिन राज्यों की सहमति उनके एफआर/डीपीआर लेने से पहले प्राप्त की जा सकती है।

- एनडब्ल्यूडीए इस तरह से ब्याज या अन्यथा दिए गए जमा या ऋण पर उधार ली गई

निधि या प्राप्त धन के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर (अब एमओजेएस) द्वारा निर्देशित किया गया है और वर्तमान और भविस्य दोनों में किसी भी बंधक, प्लेज, परिवतन या सभी या किसी अन्य संपत्ति, संपत्ति या सोसायटी के राजस्व पर ऐसी उधार ली गई धनराशि/ पैसा/ जमा/ऋण आदि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करना।

- ऐसी गतिविधियों जिन्हें समाज आवश्यक, प्रासंगिक और प्रेरक मानता है, ऐसे अन्य सभी कार्यों को करने के लिए जिन्हें समाज आवश्यक, प्रासंगिक अनुपूरक या प्रेरक मानता है, ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई।

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सचिव (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जिआर), भारत सरकार की अध्यक्षता में एनडब्ल्यूडीए सोसायटी की गवर्निंग बॉडी, सोसायटी के नियमों, उपनियमों और आदेशों के अधीन सोसायटी के मामलों और निधियों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और निमंत्राण करती है और आमतौर पर सोसायटी की गतिविधियों को आगे बढाती है और पूरा करती है।

मुख्य गतिविधियां

i) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत नदियों को जोड़नाः

केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)

- जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के बाद, केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 22.03.2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भारत संघ राज्य, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त रूप से एक त्रिपक्षीय सम्झौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- पीआईबी मेमो का मूल्यांकन पीआईबी द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में किया गया था और पीआईबी ने कुछ शर्तों के साथ इस परियोजना के लिए (90 (केन्द्र):10 (राज्य)) के फंडिंग पैटर्न की सिफारिश की थी। पीआईबी की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल ने दिनांक 08.12.2021 को 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ 2020–21 मूल्य पर 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर केबीएलपी के कार्यान्वयन को अनुमोदन दिया।
- केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया जिलों में 10.62 लाख हेक्टेयर (मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर) के क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों के साथ–साथ मध्य प्रदेश के विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिलों में वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगा। यह परियोजना 62 लाख (मध्य प्रदेश में 41 लाख और उत्तर प्रदेश में 21 लाख) की आबादी को पेयजल आपूर्ति के लिए 194 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) पानी प्रदान करेगी।

  यह परियोजना 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेगी। अन्य लाभों के अलावा, यह परियोजना लिंक नहर के मार्ग क्षेत्र में सभी टैंकों को, जहां भी संभव हो, लिंक नहर के माध्यम से भरकर पुनर्जीवित करेगी और जमीन के पुनर्भरण में सहायता करेगी।
- भारत सरकार और मध्य प्रदेश औरएवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति

और विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन दिनांक 11.02.2022 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार किया गया है।

- वित्त वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान (आरई) के तहत बजट आवंटन के साथ ही परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 4,639.46 करोड़ रुपये मुख्य रूप से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) फंड और भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए हैं। केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के लिए वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार 394.77 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। दिनांक 30.11.2022 तक परियोजना पर कुल 7,534.18 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, जिसमें राज्य के बजट से 2,496.71 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर), पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस और वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस की शर्तों के अनुपालन को पूरा करता है।
- सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक 02.06.2022 को पन्ना टाइगर रिजर्व की एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जारी की गई।
- सचिव जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में केन–बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति (एससी–केबीएलपी) की तीन बैठकें क्रमशः 07.04.2022, 20.07.2022 और 18.01.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं।
- यूएवी/ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पैलानी और बांदा में प्रस्ताव बैराज के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया। बैराज स्थलों पर डायमंड कोर डीप ड्रिलिंग का कार्य प्रगति पर है। बैराज स्थलों का कंटूर प्लान प्राप्त हो गया है।
- संचालन समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भोपाल, झांसी और छतरपुर में केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के कार्यालय खोले गए हैं।
- भारतीय भू वैज्ञानिक सवेक्षण (जीएसआई), लखनऊ से बांदा में प्रस्तावित बैराज एक्सिस के साथ ड्रिल किए गए चार बोर होल्स की कोर लॉगिंग पर रिपोर्ट प्राप्त हुई और बैराज के डिजाइन के लिए केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को भेजी गई।
- लोअर ओर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना जैसे राज्य–विशिष्ट घटकों पर काम पहले से ही प्रगति पर है।

अन्य परियोजनाएँ:

- दिनांक 18.08.2022 को संशोधित पी–के–सी लिंक का संशोधित व्यावहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) संबंधित राज्यों के बीच मुख्य अभियंता (उत्तर), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) लखनऊ द्वारा परिचालित किया गया।
- दिनांक 31.03.2022 को ऊपरी उदंती सिंचाई परियोजना का संशोधित व्यावहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) मुख्य अभियंता (उत्तर), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए), लखनऊ द्वारा परिचालित किया गया।
- दिनांक 31.03.2022 को खडगा जल–विद्युत परियोजना का ड्राफ्ट पीएफआर मुख्य अभियंता (उत्तर), राष्ट्रीय जल विकास

अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा परिचालित किया गया।

- (क) मानस–संकोश–तिस्ता–गंगा लिंक (ख) सुबर्णरेखा–महानदी लिंक (ग) गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा लिंक और (घ) फरक्का–सुंदरवन लिंक परियोजना के सिस्टम अध्ययन के लिए परामर्श कार्य क्रमशः आईआईटी (गुवाहाटी), एनआईटी (वारंगल), एनआईटी (पटना) और एनआईएच (रुड़की) को प्रदान किया गया है।
- पेन्नार (सोमासिला) – पलार – कावेरी (कट्टालाई) लिंक परियोजना के पीएफआर को 3 खंडों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए), हैदराबाद द्वारा पार्टी राज्यों में परिचालित किया गया था।

ii) अन्तः राज्यीय लिंक

अन्तः राज्यीय लिंक परियोजनाओं के तहत एनडब्ल्यूडीए को 10 राज्यों से 49 लिंक प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 39 लिंक परियोजनाओं की पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की गई और संबंधित राज्यों को भेजी गई। शेष लिंक या तो राज्यों द्वारा वापस ले लिए गए हैं या इंट्रा–स्टेट लिंक श्रेणी के अंतर्गत नहीं हैं। संबंधित राज्यों के अनुरोध के आधार पर, चार लिंकों की डीपीआर यथा; बिहार के कोसी–मेची, बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक, महाराष्ट्र के वैनगंगा–नलगंगा लिंक और तमिलनाडु के पोन्नैयार (नेदुंगल)–पलार इंट्रा–स्टेट लिंक को पूरा किया गया और उन्हें भेजा गया। इसके अलावा, दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी लिंक और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर के मसौदे को भी पूरा कर लिया गया है।

सातवां भारत जल सप्ताह (7वां आईडब्ल्यूडब्ल्यू) – 2022:

'सातवां भारत जल सप्ताह–2022' 1 से 5 नवंबर, 2022 तक इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में "समानता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा" विषय के साथ आयोजित किया गया था।

- भारत की महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में 01.11.2022 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया।
- माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 01.11.2022 को पूर्ण सत्र आयोजित किया गया।
- श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति और मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा "जल भरो" के शुभ समारोह के साथ पोत में जलार्पण कर किया गया, जिससे जल शक्ति की सशक्त दूरगामी दृष्टि परिलक्षित होती है।
- डेनमार्क, फ़िनलैंड, जर्मनी, इज़राइल और यूरोपीय संघ ने 7वें आईडब्ल्यूडब्ल्यू–2022 में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के लगभग 2,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- आईडब्ल्यूडब्ल्यू–2022 के दौरान, चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिनमें 10 सेमिनार, 10 पैनल परिचर्चा, इवेंट और साइड इवेंट शामिल थे। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक बड़े समूह ने भाग लिया और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए।
- एच.ई. श्री शोइमज़ोदा जमशेद, ऊर्जा और जल संसाधन के पहले उप मंत्री,

ताजिकिस्तान गणराज्य, और एच.ई. इंग. मैरीप्रिस्का विनफ्रेड महुंडी, उप जल मंत्री, तंजानिया ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में भारत जल सप्ताह 2022 के 7वें संस्करण में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

- 7वें भारत जल सप्ताह–2022 का समापन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की गरिमामयी उपस्थिति में 05.11.2022 को समापन समारोह के साथ हुआ। माननीय केंद्रीय जल मंत्री, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, माननीय जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, और विशेष सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी (एनआईआरए)

- नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी (एनआईआरए) के गठन का प्रस्ताव मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। टास्क फोर्स–आईएलआर (टीएफआईएलआर) की 15वीं बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया, जिसमें इसके गठन की आवश्यकता, इसके निर्माण के लिए उपयुक्त तरीका, अधिदेश और कार्य, संरचना, एनडब्ल्यूडीए के कर्मचारियों को एनआईआरए में सम्मिलित करना और पदों की अतिरिक्त आवश्यकताएं, परामर्श तंत्र आदि शामिल थे।
- एनडब्ल्यूडीए के पुनर्गठन और एनआईआरए के निर्माण के लिए संशोधित प्रस्ताव पर आईएलआर पर विशेष समिति द्वारा 12.11.2021 को आयोजित अपनी 19वीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया, जिसमें एनआईआरए के शासनादेश और कार्यों, प्रस्तावित संरचना, एनडब्ल्यूडीए के कर्मचारियों को एनआईआरए में शामिल करना और पदों आदि की अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल थीं।
- एनआईआरए के गठन का प्रस्ताव एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार किया गया है और मंत्रालय को 17.12.2021 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

7.3.2 राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम)

जल, जीवन और विकास के लिए अनिवार्य है। अपनी प्राकृतिक अवस्था में जल, प्रकृति का उपहार है और घरों में पेय, खाद्य, वस्त्र और विकास में सहायता करने के लिए मूल्यवान उत्पाद है। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए, एनडब्ल्यूएम की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुसार की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और 30 जून 2008 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया था। मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना है जो जल के संरक्षण, अपव्यय को कम करने और राज्यों के बाहर एवं भीतर अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

मिशन के पांच लक्ष्य जल के लिए एक गैर–पृथक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। मिशन अपने लक्ष्यों के माध्यम से जल के लिए एक एकीकृत समग्र दृष्टिकोण के लिए जल नीति में समग्र बाधाओं को खत्म करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय जल मिशन के लिए व्यापक मिशन दस्तावेज़ द्वारा चिन्हित किए गए लक्ष्य हैं:

- सार्वजनिक डोमेन में व्यापक जल डेटा बेस और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन;

- जल संरक्षण, वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना;
- अति–शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना;
- जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि;
- बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

एनडब्ल्यूएम मिशन दस्तावेज़ में निर्धारित 39 रणनीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से उपरोक्त पाँच लक्ष्यों की उपलब्धियां प्रदर्शित कर रहा है।

वर्ष के दौरान की गई गतिविधियां और नई पहलें

i) जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

"जल विजन @ 2047" विषय के साथ "जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन" 05–06 जनवरी, 2023 को भोपाल में जल विजन @ 2047 पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। यह अब तक का पहला वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें जल संसाधन/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सिंचाई के राज्य मंत्रियों ने भाग लिया था, जिन्होंने जल के लिए माननीय प्रधान मंत्री के विजन @ 2047 पर केंद्र सरकार के सहयोगी विभागों/मंत्रालयों के साथ प्रस्तुतियां दी थीं।

सम्मेलन की शुरुआत भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एक ई–पता के साथ हुई। माननीय जल शक्ति मंत्री और माननीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन/ग्रामीण विकास/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के 13 माननीय राज्य मंत्रियों ने अपनी उपस्थिति से सम्मेलन की शोभा बढ़ाई।

कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों और हितधारक मंत्रालयों के साथ साझेदारी कर उसे मजबूत करना और जल से संबंधित मुद्दों के लिए समग्र और अंतर–अनुशासनिक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत विधि से जल को एक अनमोल संसाधन के रूप में प्रबंधित करने के लिए साझा दृष्टिकोण प्राप्त करना था।

माननीय केंद्रीय मंत्री (जल शक्ति) श्री गजेंद्र सिंह शेखावत अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भोपाल में 5–6 जनवरी, 2023 को जल के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान

श्रीमती अर्चना वर्मा, एएस और एमडी, एनडब्ल्यूएम 5–6 जनवरी, 2023 को भोपाल में जल के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान

ii) जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना

एनडब्ल्यूएम के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए,अर्थात, डब्ल्यूयूई में 20% तक सुधार, मिशन मोड पर काम करने के लिए अक्टूबर, 2022 के दौरान राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) के रूप में एक समर्पित संगठन की स्थापना की गई है। बीडब्ल्यूयूई, देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति,

विद्युत उत्पादन, उद्योगों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल के उपयोग की दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एवं सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, विनियमन और नियंत्रण के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेगा।

उक्त ब्यूरो के प्रस्तावित कार्य निम्नलिखित हैं:

- देश में सिंचाई, घरेलू जल आपूर्ति, नगरपालिका और/या औद्योगिक उपयोगों में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
- जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नियामक निर्देश बनाना।
- जल संरक्षण संहिताओं के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना, संहिताओं का मानकीकरण और विकास करना और संबंधित अधिकारियों से उनकी अधिसूचना की सुविधा प्रदान करना।
- शहरी/ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल का उपयोग करने वाले यंत्रों, उपकरणों, सैनिटरी वेयर और अन्य उपकरणों के लिए मानकों का विकास करना, यंत्रों और उपकरणों या उपकरण/उपकरणों की श्रेणी को निर्दिष्ट करने के लिए, जैसा भी मामला हो, जल उपयोग दक्षता के उद्देश्य से हो सकता है।
- दक्षता लेबलिंग/ब्लू लेबलिंग, जल पदचिह्न और प्रोटोकॉल की एक प्रणाली विकसित करना।
- जल के आभासी निर्यात को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में जल फुट प्रिंट और जल ऑडिटिंग का आकलन।
- जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के लिए प्रचारात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना।
- जल आपूर्ति, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में दिशा–निर्देश विकसित करना, बढ़ावा देना और जल लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना।
- जल उपयोग दक्षता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक संसाधन केंद्र और डाटा बैंक बनाना।
- जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान सहित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- जल के कुशलतम उपयोग और इसके संरक्षण की तकनीकों में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करके सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यम से क्षमता निर्माण और जन जागरूकता की दिशा में काम करना।
- केंद्र/राज्य सरकार के संस्थानों के सहयोग से जल उपयोग दक्षता पर क्षेत्र विशेष परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

iii) जल विरासत संरचनाएं

आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, एनडब्ल्यूएम ने पूरे भारत में 75 प्राचीन जल संरक्षण संरचनाओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की है और उन्हें "जल विरासत संरचनाओं" के रूप में घोषित किया है। इस संबंध में, श्री राजीव रंजन मिश्रा, पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, एएसआई और इनटैक के सदस्य शामिल हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे "जल विरासत संरचनाओं" के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पारंपरिक जल संरक्षण स्थलों के नामांकन भेजें। एनडब्ल्यूएम को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/हितधारकों से प्रतिक्रियाएँ मिलनी शुरू हो गई हैं और अब तक एनडब्ल्यूएम को विभिन्न टाइपोलॉजी के 421 नामांकन प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा 75 जल विरासत संरचनाओं की एक अस्थायी सूची का प्रस्ताव किया गया है और यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

भारत डब्ल्यूआरआईएस (डब्ल्यूआरईएस) पोर्टल पर एक उप–पोर्टल "जल–इतिहास" भी

बनाया जा रहा है। 75 ढांचों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, ढांचों का विवरण "जल–इतिहास" पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

iv) "जल शक्ति अभियान– कैच द रेन (जेएसएः सीटीआर)" 2022 अभियान

वर्ष 2019 में देश के 256 जल संकट वाले जिलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों में जल शक्ति अभियान–I (जेएसए–I) आयोजित किया गया तथा देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए 2021 में "जल शक्ति अभियानः कैच द रेन" के रूप में "कैच द रेन – व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" थीम विस्तारित किया गया था। "जल शक्ति अभियानः कैच द रेन" (जेएसएः सीटीआर) 2022 अभियान, जेएसए की श्रृंखला में तीसरा, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 29.03.2022 को देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में 29 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक – प्री–मानसून और मानसून अवधि में कार्यान्वित करने हेतु लॉन्च किया गया था।

जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन का एक प्रमुख अभियान है, जिसमें मनरेगा, अमृत मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरोद्धार योजना, वाटरशेड विकास योजना, प्रति बूंद अधिक फसल आदि जैसे सभी विकास कार्यक्रमों का अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण शामिल है। अभियान, अभिसरण का लाभ उठाने और जल संरक्षण की एक बड़ी दृष्टि की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है। जल शक्ति अभियानः कैच द रेन में एकीकृत रूप से काम करने हेतु विभिन्न केंद्रीय विभागों/मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकारों से सहकार्यता प्राप्त होती है।

अभियान के केंद्रित उद्यम

अभियान के केंद्रित उद्यमों में शामिल हैं (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; (2) सभी जल निकायों की गणना, भू–टैगिंग और सूची बनाना; इसके आधार पर जल संरक्षण की वैज्ञानिक योजना तैयार करना; (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना; (4) गहन वनीकरण; और (5) जागरूकता पैदा करना।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों और राज्य के नोडल अधिकारियों की नियुक्तिः अभियान के निर्बाध समन्वय और बेहतर कार्यान्वयन के लिए, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारी और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दिनांक 4 मई, 2022 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों के जागरूकता और अभियान के कार्यान्वयन के दौरान उनकी अपेक्षित भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

दिनांक 04 मई, 2022 को आयोजित नोडल अधिकारियों की उन्मुखीकरण कार्यशाला

सीएनओ और टीओ का उन्मुखीकरणः केंद्रीय नोडल अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के फील्ड दौरों से संबंधित व्यवहार पर चर्चा करने के लिए, जेएसएः सीटीआर–2022 हेतु नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारियों और नियुक्त तकनीकी अधिकारियों के लिए 19 और 20 मई, 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला–सह– उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव, जल संसाधन, नदी विकास

एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने की। अन्य अधिकारियों के अलावा, बैठक में भूमि संसाधन विभाग के सचिव; सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और अतिरिक्त सचिव तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान, 'जेएसए का परिचयः सीटीआर–2022 तथा सीएनओ और टीओ की भूमिका', 'झरनों का आविष्कार और कायाकल्प', 'जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना और जल निकायों की सूची' और 'मिशन अमृत सरोवर' पर प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यशाला में सीएनओ और एसएनओ को उन्हें आवंटित जिलों के दौरे पर उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

दिनांक 19 एवं 20.05.2022 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय नोडल अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों का कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम

गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारीः

गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठन (वीओ) अभियान के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न राज्यों में जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को जुटाया जा रहा है और जेएसएः सीटीआर–2022 के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जा रहा है। अभियान में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने और अभियान के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जल शक्ति अभियानः कैच द रेन के तहत सतत विकास–अधिगम तथा विकास के लिए जल सुरक्षा में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 23 और 24 जून, 2022 को हैदराबाद के पास कान्हा शांति वनम में आयोजित किया गया, जिसमें 82 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया।

23 और 24 जून, 2022 को हैदराबाद के पास कान्हा शांति वनम में आयोजित जल सुरक्षा में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन

राज्य नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें–जेएसएः सीटीआर–2022 की प्रगति पर चर्चा करने के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की गई। इस श्रृंखला में, जुलाई और अगस्त के बीच वर्चुअल मोड के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पांच बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें राज्यों ने जेएसएःसीटीआर–2022 अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं के विषय में अवगत कराया गया। प्रत्येक बैठक के लिए कार्रवाई बिंदु तैयार किए गए और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रत्येक राज्य के एसएनओ को भेजे गए।

जेएसएः सीटीआर–2022 अभियान के तहत प्रगति पर चर्चा करने के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक

जल शक्ति अभियान के तहत प्रगतिः कैच द रेन–2022

जेएसएः सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.nic.in) पर विभिन्न हितधारकों द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, जेएसएः सीटीआर अभियान के तहत 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान 10,58,591 जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया/जारी है, 2,34,467 पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण किया गया/ जारी है, 7,18,884 पुनः उपयोग तथा पुनर्भरण संरचनाओं का किया गया/जारी है, और 13,32,506 वाटरशेड विकास संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं/चल रही है। इसके अलावा, अभियान के तहत 78,26,40,139 वनीकरण गतिविधियाँ की गईं। 262 जिलों ने जल संरक्षण योजना तैयार कर ली है।

v) जल निकायों की जीआईएस मैपिंग और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए जिलों को वित्तीय सहायता

जल निकायों की जीआईएस मैपिंग करने और जेएसएः सीटीआर अभियान के तहत वैज्ञानिक कार्य योजना तैयार करने में होने वाले खर्च के हिस्से को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले को 2.00 लाख रुपये तक का वित्तीय अनुदान 1.00 लाख रुपये की दो किस्तों में प्रदान किया गया। किसी जिले के जल निकायों का जीआईएस मानचित्रण क्षेत्र, भौगोलिक विशेषताओं आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। साथ ही, कार्य को पूरा करने के लिए तकनीकी श्रम–शक्ति को काम पर रखने की आवश्यकता है। 2.00 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान केवल जिला अधिकारियों को गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और इसका

उद्देश्य लागत का केवल एक हिस्सा कवर करना था।

अब तक 579 जिलों को एक–एक लाख रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। 135 जिलों को एक लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है।

vi) जल शक्ति केंद्र

चूंकि जल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे सचाई– वृहत/लघु; जल संसाधन; लोक स्वास्थ्य इंजनियरिंग, ग्रामीण जल आपूर्ति, नगर पालिका, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास आदि और उपयुक्त वर्ष जल संहचयन प्रणाली (आरडब्ल्यूएचएस) पर तकनीकी ज्ञान भी स्थानीय स्तर (ग्रामीण और शहरी) पर सीमित है, देश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। सभी राज्य सरकारों से अभियान के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय में 'जल शक्ति केंद्र' स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। जल शक्ति केंद्र (जेएसके) जल संरक्षण तकनीकों से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए ''ज्ञान केंद्र'' के रूप में काम करेंगे और लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जल शक्ति अभियानः कैच द रेन' पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न राज्यों/केंद्र राज्य क्षेत्रों में 606 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं।

vii) नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की भागीदारी

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और इसके युवा क्लबों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करते हुए "जल शक्ति अभियान – कैच द रेन" (जेएसएःसीटीआर) अभियान पर 623 जिलों के 31,150 गांवों में जागरूकता पैदा करने के लिए युवा कार्यक्रम विभाग के साथ सहबद्ध किया है। एनवाईकेएस द्वारा जागरूकता ड्राईव्ह दिसंबर, 2020 में शुरू किया है। एनवाईकेएस ने 36.60 लाख गतिविधियों में 3.82 करोड़ लोगों को रैलियों, जलचौपाल, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, नारा लेखन प्रतियोगिताओं और भित्तिचित्रों जैसी गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया है। जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जनता को संवेदनशील बनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) को शामिल करके देश की युवा शक्ति का उपयोग किया गया है। एनवाईकेएस की भागीदारी को जेएसएः सीटीआर 2022 में विस्तारित किया गया है ताकि देश में अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से अपनी गतिविधियों को लागू किया जा सके।

viii) जल क्षेत्रा के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना

राष्ट्रीय जल मिशन ने राज्यों /संघ राज्य

जल शक्ति केंद्र का उद्घाटन और जिला जल संरक्षण समिति, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश की पहली बैठक।

क्षेत्रों के संबंध में ऑसचाई, औद्योगिक जलापूखत और अपशिष्ट जल उपयोग को शामिल करते हुए जल क्षेत्रा के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करनी शुरू की है। एनडब्ल्यूएम जल क्षेत्रा के लिए एसएसएपी के नियमन के लिए बड़े राज्यों को 50 लाख और छोटे राज्यों को 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुदान देगा। एसएसएपीके नियमन के समन्वयन और निगरानी के लिए एंडब्ल्यूएम ने दो नोडल एजेंसियों को काम पर लगाया हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम), तेजपुर 19 राज्यों तथा राष्ट्रीय हाड्रॉलॉजी संस्थान (एनआईएच), रुड़की बचे हुए 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसएसपी के समन्वयन और निगरानी के लिए एसएसएपी सूत्रीकरण का समन्वय और निगरानी कर रहा है। अब तक, 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (पिछले एक वर्ष में दो) नोडल एजेंसीज़ के साथ सम्झौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 18 राज्यों (जिनमें से पिछले एक वर्ष में सात) ने मसौदा स्थिति रिपोर्ट का पहला चरण प्रस्तुत किया है।

ix) मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.) और क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम

राज्य सरकारों और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम), तेजपुर जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यूएएलएमआई), धारवाड़ और जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूआरडीएम), केरल जैसे सरकारी एजेंसियों के सहयोग से नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ''कैच द रेन'' पर संवाद सीरीज़ भी शुरू की गई है जहां कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों/आयुक्तों और जल कार्यकर्ताओं को अपने जिलों में पानी के मुद्दों के समाधान के लिए अपने द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

x) बेसलाइन अध्ययन

सिंचाई सेक्टर में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने 4 संस्थानों (नेरीवालम, वालमतारी, वालमी और सीडब्ल्यूआरडीएम) के सहयोग से 26 बेसलाइन अध्ययन सौंपे हैं। ये अध्ययन 5 राज्यों असम (5 परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश (5 परियोजनाएं), तेलंगाना (5 परियोजनाएं), महाराष्ट्र (6 परियोजनाएं) और केरल (5 परियोजनाएं) को शामिल करते हुए प्रमुख मध्यम परियोजनाओं पर विचार करते हुए किए गए हैं। 18 अध्ययनों की प्रारम्भिक रिपोर्ट बेसलाइन अध्ययनों संबंधी कोर

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा दिनांक 21.10.2022 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित 41वीं जल चर्चा।

समूह द्वारा अनुमोदित की गई हैं। संस्थानों द्वारा 12 अंतिम रिपोर्ट और 5 मसौदा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं।

xi) जल चर्चा

एक मासिक 'जल चर्चा' लेक्चर सीरीज एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिनका लक्ष्य जागरूकता बढ़ाना, पणधारियों की क्षमताओं का निर्माण और पृथ्वी पर जल को बचाते हुए जीवन को सतत बनाने के लिए सक्रिय भागीदार बनने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना है। 'जल चर्चा' लेक्चर सीरीज में देश में जल के वर्तमान मुद्दों पर प्रेरक और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख जल विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। 22 मार्च 2019 को विश्व जल दिवस के अवसर पर 'जल चर्चा' सीरीज का शुभारंभ किया गया। कोविड–19 महामारी के कारण लोगों के इकट्ठा होने पर सरकार के प्रतिबंधों के कारण मई, 2020 के बाद से ये जल चर्चाएं वेबीनार फार्मेट में ई–जल चर्चा के रूप में आयोजित की जा रही हैं। एनडब्ल्यूएम ने अब तक 42 'जल चर्चा' का आयोजन किया है, जिसमें से पिछली 30 चर्चा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है।

7.3.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच)

दिसम्बर 1978 में रुड़की में एनआईएच की स्थापना हुई। इस संस्थान को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पूर्ण सहायता प्राप्त है। इस संस्थान के लक्ष्य है:

- हाईड्रोलॉजी के सभी पहलुओं पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य को आरम्भ करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वयन करना
- हाईड्रोलॉजी के क्षेत्रा में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता व सहयोग करना
- समाज के उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए अनुसंधान और सन्दर्भ पुस्तकालय की स्थापना व रखरखाव करना और उन्हें पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं और अन्य प्रासंगिक प्रकाशनों से लैस करना,
- ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें समाज आवश्यक, प्रासंगिक और प्रेरक मानता है, ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है।

प्रमुख विषय–वार अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियाँ: (1) पर्यावरणीय हाईड्रोलॉजी, (2) भूजल हाईड्रोलॉजी; (3) हाईड्रोलॉजिकल जांच पड़ताल (4) भूतल जल हाईड्रोलॉजी (5) जल संसाधन प्रणाली। इसके अलावा, संस्थान के पास एक अनुसंधान प्रबंधन और आउटरीच डिवीजन (आरएमओडी) है, जो अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों के साथ–साथ विभिन्न अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों को इंटरफेस प्रदान करता है।

संस्थान ने छः क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र हैं (1) हार्ड रॉक क्षेत्रीय केंद्र (बेलागवी), (2) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रीय केंद्र (जम्मू), (3) डेल्टिक क्षेत्रीय केंद्र (काकीनाड़ा), (4) केन्द्रीय भारत हाईड्रोलॉजी क्षेत्रीय केंद्र (भोपाल), (5) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) (गुवाहाटी); (6) गंगा बेसिन के लिए बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र (पटना)। इसके अलावा, शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों के हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में जोधपुर (राजस्थान) में एक नया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है।

अध्ययन और अनुसंधान:

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का एनआईएच महत्वपूर्ण क्षेत्र:

- चरम सीमाओं का जलविज्ञान
- पर्यावरणीय जलविज्ञान
- क्षेत्रीय जल विज्ञान

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन
- उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए जलविज्ञानीय अध्ययन
- हिमालयी क्षेत्र के लिए जलविज्ञानीय अध्ययन
- वाटरशेड प्रबंधन के लिए जल विज्ञान
- राष्ट्रीय जल मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास
- तकनीकी हस्तांतरण और आउटरीच गतिविधियां

संस्थान में अध्ययन और अनुसंधान मुख्यतः निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत किए जा रहे हैं:–

- बुनियादी अध्ययन और अनुसंधान
- अनुप्रयुक्त अध्ययन और अनुसंधान
- सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
- क्षेत्र और प्रयोगशाला उन्मुख और सामरिक अनुसंधान
- प्रायोजित अनुसंधान और परामर्श

क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए संस्थान के पास अत्याधुनिक उपकरणों के साथ निम्नलिखित अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं:

- परमाणु जल विज्ञान
- रिमोट सेंसिंग और जीआईएस
- मृदा जल
- जल की गुणवत्ता
- हाइड्रो–मौसम विज्ञान वेधशाला

वर्ष 2022–2023 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, संस्थान ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 100 से अधिक पत्र प्रकाशित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों की कार्यवाही की है। वर्ष के दौरान, 50 आंतरिक और 46 प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास अध्ययन जारी थे। 11 परामर्श परियोजनाएं और 3 तकनीकी सेवाएं पूरी की गईं और 91 वर्ष 2022–2023 में जारी हैं।

वर्ष के दौरान पूरे किए गए कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों में भारत के दुर्लभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के आंकड़ों पर वैश्विक वर्षा अनुमानों का सांख्यिकीय मूल्यांकन; कार्सिनोजेनिक प्रदूषकों और उनके संभावित उपचारात्मक उपायों पर जोर देते हुए दक्षिण पश्चिम पंजाब का जल गुणवत्ता मूल्यांकन; गोदावरी और नर्मदा नदी के किनारों में वार्षिक बाढ़ पर कम आवृत्ति वाले वातावरण महासागर दोलनों के प्रभाव का मूल्यांकन; बनास बेसिन के हिस्से में जल उपलब्धता और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन; गोदावरी और नर्मदा नदी घाटियों में वार्षिक बाढ़ पर कम आवृत्ति वाले वातावरण–महासागर दोलनों के प्रभाव का मूल्यांकन; भविष्य के जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के तहत फ्लडप्लेन इनडेशन मैपिंग के लिए हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक मॉडलिंगः तवी नदी, भारत का एक केस स्टडी; जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में दो मध्यम आकार के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों का हाइड्रोलॉजिकल व्यवहार; और आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण पर जोर देने के साथ असम के मोरियागांव जिले का भूजल गुणवत्ता मूल्यांकन शामिल है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के अलावा, संस्थान ने वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान फील्ड इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं आदि की क्षमता निर्माण के लिए 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने आजादी का अमृत महोत्सव @ भारत 75 के तहत विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया है।

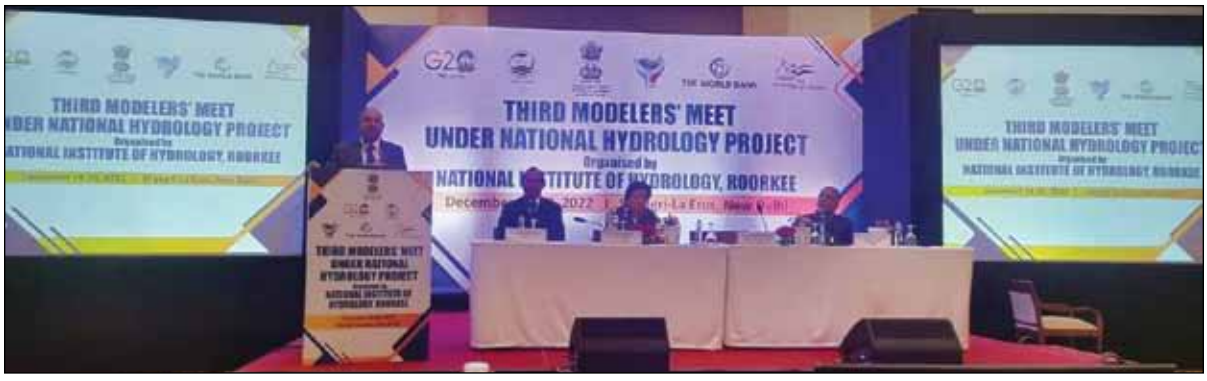

एनएचपी के तहत 19–20 दिसंबर, 2022 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित तीसरी मॉडलर्स बैठक

'आ.का.अ.म. @ इंडिया 75' के तहत 29 जुलाई, 2022 को हरिद्वार में जागरूकता कार्यक्रम का एक दृश्य

एनएचपी के उद्देश्यों और पहलों को ध्यान में रखते हुए, एनआईएच एनएचपी की निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल है:

- उद्देश्य प्रेरित अध्ययन (पीडीएस): एनआईएच उद्देश्य प्रेरित अध्ययन (पीडीएस) के तहत अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय कर रहा है। 40 पीडीएस को मंजूरी दी जा चुकी है और 21 पीडीएस का काम पूरा हो चुका है।
- हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र: एनआईएच, रुड़की में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग (सीईएचएम)" बनाया गया है। सीईएचएम में विभिन्न मॉडलों के अनुप्रयोग पर दो अध्ययन शुरू किए गए हैं। हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग पर स्थिति रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।आईआईटी खड़गपुर के साथ "राष्ट्रीय जल विज्ञान मॉडल (एनएचएम)" का विकास प्रगति पर है। राज्य के विभागों के अनुरोध पर 8 अध्ययन शुरू किए गए हैं।
- निर्णय समर्थन तंत्र (डीएसएस): एचपी–II प्रोजेक्ट के दौरान एनआईएच द्वारा 9 राज्यों के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) विकसित किया गया है। डीएसएस –पीएम (योजना और प्रबंधन) के नए एप्लिकेशन राज्यों के सहयोग से बनाए गए हैं।

  एनआईएच रुड़की में 5 अगस्त, 2019 को डीएचआई इंडिया के साथ डीएसएस–पीएम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पेटेंट /समझौता ज्ञापन/अवार्ड:

- वर्ष 2022 के दौरान, एनआईएच को पर्यावरण जलविज्ञान प्रभाग के तहत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए पेटेंट संख्या 395135 प्राप्त हुआ, जिसका शीर्षक था "खोई फ्लाई ऐश से विकसित फ्लोराइड रिमूवल मीडिया और इसके संश्लेषण के लिए एक विधि"।
- राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की (भारत) और यूके सेंटर ऑफ इकोलॉजी एंड इकोलॉजी (यूकेसीईएच), वॉलिंगफोर्ड (यूनाइटेड किंगडम) के बीच समन्वय को पर्यावरण–जल विज्ञान, पर्यावरण प्रवाह और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं, जल विज्ञान निगरानी और मॉडलिंग, जल गुणवत्ता मॉडलिंग, और प्रयोगात्मक

जलग्रहण और डेटा प्रबंधन के अनुसंधान डोमेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके आपसी हितों के लिए अनुसंधान सहयोग के माध्यम से मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को नवीनीकृत और हस्ताक्षरित किया गया है।

एनआईएच, रुड़की द्वारा यूके–सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी (यूके–सीईएच) के साथ 06 दिसंबर, 2022 को समझौता ज्ञापन

7.3.4 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (नेरीवालम)

नेरीवाल्म, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह एकमात्र जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यूएएलएमआई) है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित और प्रशासित है और पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों की कार्यरत है। यह जल संसाधन/सिंचाई, मृदा संरक्षण, कृषि और बागवानी, ग्रामीण विकास आदि विभागों में सेवारत कर्मियों के ज्ञान, कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसान शामिल हैं। बीई/बीटेक/एमटेक/स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उनके निर्धारित डिग्री कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के अनुरोध पर स्व–वित्तपोषित मोड पर अनुकूलित मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के दौरान, अधिकारियों, किसानों, जल उपयोगकर्ता संघों, महिला समूह/किसानों, अन्य हितधारकों और छात्रों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के लिए एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य 65 था। संस्थान द्वारा वर्ष 2022 में जनवरी से दिसम्बर तक 72 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिससे 3099 व्यक्ति लाभान्वित हुए। जनवरी से दिसंबर, 2022 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रतिभागियों की संख्या का ब्रेकअप ऊपर दिया गया है, एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम ने मंत्रालय के निर्देश पर जनवरी से दिसंबर, 2022 के दौरान सात वाटरशेड प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित समूह	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या के लिए लक्ष्य (जनवरी से दिसंबर, 2022)	उपलब्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या (जनवरी से दिसंबर, 2022)	उपलब्धि प्रतिभागियों की संख्या (जनवरी से दिसंबर, 2022)
अधिकारियों	20	21	860
डब्ल्यूयूए/किसान	26	28	1,007
महिला समूह/किसान	04	6	232
गैर सरकारी संगठन	02	0	0
विद्यार्थी	13	15	1,000
हितधारक	07	02	–
सकल योग	**72**	**72**	**3,099**

**नोटः चूंकि अधिकारियों/किसानों/छात्रों/एनजीओ प्रतिभागियों द्वारा हितधारकों के कार्यक्रमों में पदनाम के अनुसार भाग लिया जाता है, इसलिए पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रतिभागियों के कॉलम में शामिल किया जाता है।*

और चार स्प्रिंगहेड प्रबंधन प्रशिक्षण/कार्यशाला/वेबिनार/संगोष्ठी का भी आयोजन किया।

7.3.5 स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)

एनएमसीजी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 12.08.2011 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजी. आरबीए) के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (प.सं. अ.), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। ईपीए,1986 के तहत अधिसूचना संख्या एसओ 3187(ई) दिनांक 7–10–2016 द्वारा गंगा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में संदर्भित) के गठन के परिणामस्वरूप एनजीआरबीए को 07.10.2016 से भंग कर दिया गया है।अधिनियम में गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन उपाय करने और गंगा नदी का पुनरुद्धार करने हेतु जल के निरंतर पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पांच स्तरीय संरचनाओं की निम्नानुसार परिकल्पना की गई है:

- भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद (30 दिसंबर, 2022 को आयोजित एनजीसी की अंतिम बैठक)।
- माननीय केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स (ईटीएफ)।
- एनएमसीजी।
- राज्य गंगा समितियां, और
- गंगा नदी से सटे प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले तथा राज्यों में उसकी सहायक नदियों में जिला गंगा समितियां।

एनएमसीजी में दो टीयर की प्रबंधन संरचना है जिसमें गवर्निंग परिषद तथा कार्यकारी समिति शामिल है। दोनों के अध्यक्ष महानिदेशक, एनएमसीजी हैं। कार्यकारी परिषद 1000 करोड़ रु. तक की सभी परियोजनाओं को अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। एनएमसीजी ने इसके बहु–आयामी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सफलता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जैसे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है।

नमामि गंगे को बेसिन दृष्टिकोण के साथ समग्र रूप से पिछली और वर्तमान में चल रही पहलों को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसे 2015 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसमें प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों जैसे नगरपालिका सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, प्रदूषण के गैर–बिंदु स्रोत और पारिस्थितिक प्रवाह सुधार के लिए कार्यकलाप, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, नदी तट पर सुविधाओं और स्वच्छता में सुधार, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी, जन जागरूकता जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप शामिल हैं। कार्यक्रम को चार श्रेणियों अर्थात निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा और ज्ञान गंगा में रखा जा सकता है।

II. प्रदूषण उपशमन (निर्मल गंगा)

क) 408 परियोजनाओं में से अब तक 228 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ये परियोजनाएं सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण स्वच्छता, नालों में अपशिष्ट जल के इन–सीटू उपचार हेतु पायलट प्रोजेक्ट, औद्योगिक प्रदूषण उपशमन, घाटों और श्मशान घाटों के आधुनिकीकरण/विकास, नदी की सतह की सफाई हेतु कचरा छानने, जैव विविधता संरक्षण और मत्स्य पालन में सुधार, घाट की सफाई, वनीकरण, और औषधीय वृक्षारोपण, आदि से संबंधित हैं।

दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक परियोजनाओं की स्थिति					
क्रं सं	चालू परियोजनाएं	परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	स्वीकृति लागत (राशि करोड़ में)	कुल व्यय (राशिकरोड़ में)
सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर					
1	सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर	176	98	26,263.06	11,753.62
2	मॉड्यूलर एसटीपी विकेंद्रीकृत उपचार	1	0	410.00	0.00
घाट और शवदाह गृह/रिवर फ्रंट विकास					
3	आरएफडी, घाट और श्मशान घाट और कुंड (पश्चिम बंगाल की 24 पुरानी स्वीकृत परियोजनाएं शामिल हैं)	101	71	1,689.23	1,165.96
4	घाटों की सफाई	5	3	59.84	51.82
5	नदी की सतह की सफाई	1	1	33.53	19.49
6	ठोस अपशिष्ट/स्वच्छता	5	5	201.59	120.93
	योग	**112**	**80**	**1,984.19**	**1,358.20**
संस्थागत विकास (गैर–बुनियादी ढांचा)					
6	गंगा ज्ञान केंद्र	7	2	145.77	40.97
7	गंगा निगरानी केंद्र	1	0	46.69	0.00
8	औद्योगिक प्रदूषण उपशमन	17	2	1,427.10	416.70
9	जिला गंगा समिति	1	0	2.30	0.00
	उप योग	**26**	**4**	**1,621.86**	**457.67**
परियोजना कार्यान्वयन सहायता/अनुसंधान और अध्ययन परियोजनाएं/जनसंपर्क और जन पहुंच					
10	परियोजना कार्यान्वयन सहायता/अनुसंधान और अध्ययन परियोजनाएं और जन पहुंच	27	3	95.86	28.06
जैवविविधताएं					
11	गंगा नदी डाल्फिन के प्रकृतिक भाग के संरक्षण के लिए स्कूलों एवं समुदायों को शिक्षित करना	1	1	1.28	1.28
12	उपयुक्त संरक्षण तथा बहाली योजना विकसित करने के लिए गंगा नदी प्रणाली की मछलियों और मत्स्यपालन का आंकलन	4	3	20.83	14.21
13	जैव विविधता संरक्षण	5	2	166.92	53.34
	उप योग	**10**	**6**	**189.03**	**68.83**
वनीकरण					
14	वनीकरण	35	27	482.37	323.60
संयुक्त इकोलोजिकल टास्क फ़ोर्स एवं गंगा मित्र					
15	संयुक्त इकोलोजिकल टास्क फ़ोर्स एवं गंगा मित्र	6	4	200.18	124.76
बायोरेमेडिएशन					
16	बायोरेमेडिएशन	14	6	238.38	37.34
गंगा नदी के निकट ग्राम पंचायतों में आईएचएचएल का निर्माण					
17	गंगा नदी के निकट ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण (राज्य यूके, यू.पी. बीएच, जेएच, डब्ल्यूबी)	1	0	1,421.26	1,020.44
कुल योग		**408**	**228**	**32,906.19**	**15,172.52**

जनवरी–दिसंबर 2022 की प्रमुख उपलब्धियां

- **राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठकः** राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक दिनांक 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माननीय पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए, जबकि एनजीसी के अन्य सदस्य अर्थात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री (बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व), जल शक्ति के माननीय केंद्रीय मंत्री; कृषि एवं किसान कल्याण; शिपिंग; शक्ति; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; आवास और शहरी मामले; पर्यटन; केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और उपाध्यक्ष नीति आयोग; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव; पेयजल और स्वच्छता विभाग; भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और महानिदेशक, एनएमसीजी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे।

30 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक

बैठक के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने एनएमसीजी के कामकाज की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा दुनिया भर के 160 से अधिक ऐसे बहाली कार्यक्रमों में से शीर्ष 10 इको–रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में से एक के रूप में नमामि गंगे के चयन के विषय में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे को और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने का यह एक उत्तम अवसर है। माननीय प्रधान मंत्री ने छोटे शहरों में सीवेज उपचार संयंत्रों के नेटवर्क के विस्तार सहित स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ाने के तरीकों के विषय पर बात की। उन्होंने गंगा के किनारे हर्बल खेती के विभिन्न रूपों को बढ़ाने के तरीकों और नदी के किनारे पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो कई लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान कर सकता है।

- 30 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोहः 30 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने 20 एसटीपी और 612 किमी सीवरेज नेटवर्क वाली 7 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी लागत रु 992 करोड़ है। उन्होंने 8 एसटीपी और 80 किमी सीवरेज नेटवर्क वाली 5 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसकी अनुमानित लागत रु 1,585 करोड़ है।

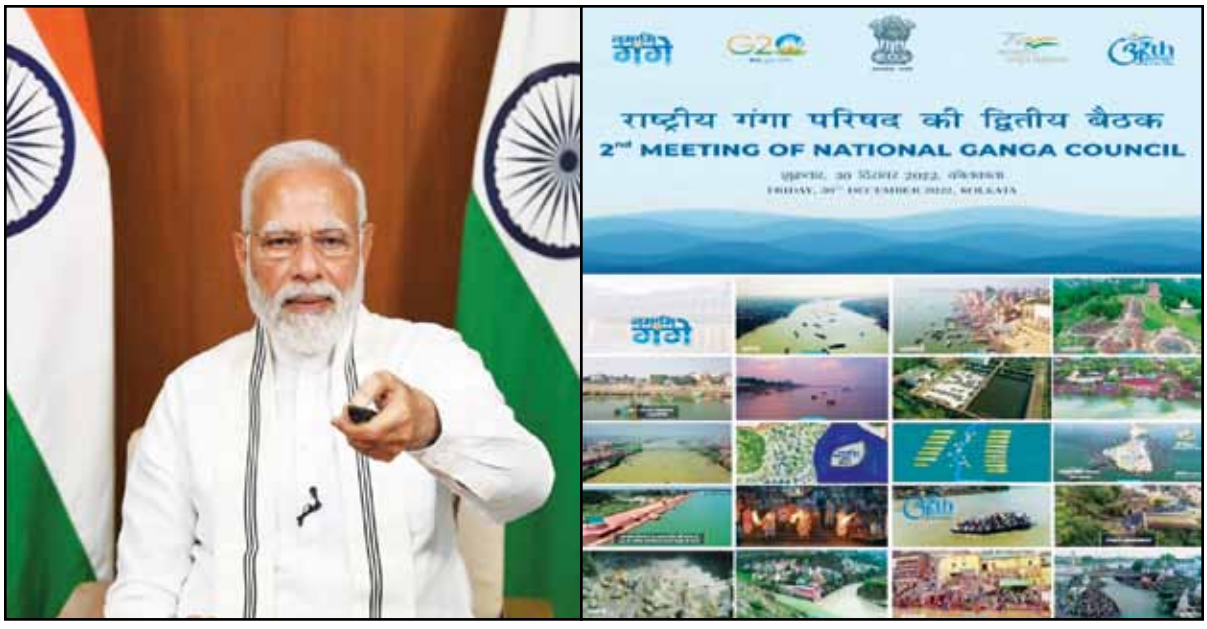

30 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह

- **संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की:** संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। 14 दिसंबर 2022 को विश्व बहाली दिवस पर मॉन्ट्रियल, कनाडा में जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के पार्टियों के 15 वें सम्मेलन (सीओपी 15) के एक समारोह में महानिदेशक, एनएमसीजी द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया था।

6 अप्रैल 2022 को डीजीसी डिजिटल डैशबोर्ड के लॉन्च के दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री,जल शक्ति मंत्रालय

- **जिला गंगा समितियों (डीजीसीएस) के प्रदर्शन प्रबोधन प्रणाली (जीडीपीएमएस) हेतु डिजिटल डैशबोर्ड की शुरुआत:** 6 अप्रैल 2022 को, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति ने जिला गंगा समितियों (डीजीसीएस) के प्रदर्शन प्रबोधन प्रणाली (जीडीपीएमएस) के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया। 4 एम, (अनिवार्य मासिक मिनट बैठक) यानी हर महीने के दूसरे शुक्रवार को डीजीसी की अनिवार्य मासिक कार्यवृत्त बैठकें आयोजित की जाएंगी।

- **परियोजनाओं को पूर्ण करनाः** जनवरी 2022 से नवंबर 2022 के बीच, 25 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की गई हैं जिनमें 910 एमएलडी शोधन क्षमता के निर्माण/पुनर्स्थापना और 427 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाने के लिए 41 एसटीपी शामिल हैं।
- **अर्थ गंगाः** अर्थ गंगा के तहत, छह प्रमुख कार्यक्षेत्र चिन्हित किए गए गए हैं (i) शून्य बजट प्राकृतिक खेती; (ii) कीचड़ और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का मुद्रीकरण; (पपप) सार्वजनिक भागीदारी; (iv) संस्कृति विरासत और पर्यटन; (v) आजीविका सृजन के अवसर; (vi) संस्थागत भवन।
- वर्ष 2022 के दौरान, विभिन्न प्रमुख पहलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सहकार भारती, पतंजलि, आर्ट ऑफ़ लिविंग, और अन्य के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, आजीविका सृजन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इमअवतार के साथ समझौता ज्ञापन, तथा संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

हाइब्रिड एन्यूटी आधारित पीपीपी मॉडल

भारत सरकार ने नमामि गंगा के तहत सीवरेज के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हाइब्रिडएन्यूटी आधारित सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल को अपनाने को मंजूरी दे दी है।

- एचएएम के तहत, एनएमसीजी ने 11,292.49 करोड़ रुपये लागत वाली 22 पैकेजों में 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।। ये परियोजनाएं हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, बरेली, उन्नाव, शुक्लाग. ंज, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुढाना, मुरादाबाद, पटना, कोलकाता, हावड़ा, बाली, बारानगर, आसनसोल, बर्दवान, दुर्गापुर, उत्तर बैरकपुर, अयोध्या, सहारनपुर और गार्डन रीच के शहरों के लिए हैं। ये परियोजनाएं 2,588.88 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित/पुनर्वासित करेंगी।
- हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल पर लिए गए 22 पैकेजों में से हरिद्वार में 82 एमएलडी एसटीपी के लिए 1 पैकेज, रमना में 50 एमएलडी एसटीपी के लिए 1 पैकेज और मथुरा में 30 एमएलडी नए एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी के 1 पैकेज को पहले ही लागू और कमीशन जा चुका है।

औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन

टेनरी क्लस्टरः

कानपुर क्षेत्र में चर्मशोधन क्षेत्र से जुड़े तीन सीईटीपी की तिमाही आधार पर निगरानी की जा रही है।

- **जाजमऊ चर्मशोधन समूहः** कानपुर के जाजमऊ संकुल में 320 चर्मशोधन कारखाने कार्यरत हैं। उन्होंने प्राथमिक प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित किया है और आउटलेट के प्रवाह को 36 एमएलडी सीईटीपी (9 एमएलडी टेनरी अपशिष्ट जल + 27 एमएलडी सीवेज) में एकत्र और उपचारित किया जाता है। एनएमसीजी ने जाजमऊ टेनरी क्लस्टर, कानपुर, उत्तर प्रदेश के लिए 617 करोड़ रुपये (फेज–I) की 20 एमएलडी सीईटीपी और इससे जुड़े घटकों की परियोजना को मंजूरी दी है।
- **उन्नाव और बंथर टेनरी क्लस्टरः** बंथर टेनरी क्लस्टर, उन्नाव, यूपी में 4.5 एमएलडी सीईटीपी है और इसकी 27 सदस्य इकाइयां हैं। एनएमसीजी ने करों को छोड़कर 108.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ जेडएलडी प्रणाली (फंडिंग पैटर्न 75% केंद्र सरकार का हिस्सा और 25% बंथर एसपीवी से) के साथ 4.5 एमएलडी सीईटीपी के

उन्नयन के लिए परियोजना को मंजूरी दी है।

- **मथुरा टेक्सटाइल क्लस्टरः** एनएमसीजी ने 13.87 करोड़ रुपये की मौजूदा 6.25 एमएलडी मथुरा सीईटीपी परियोजना के उन्नयन को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि एनएमसीजी और एसपीवी की हिस्सेदारी 75%; 25% यानी क्रमशः 10.40 करोड़ रुपये और 3.47 करोड़ रुपये और 100% होगी। संचालन और रखरखाव की लागत एसपीवी द्वारा वहन की जाएगी। काम (सिविल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल) पूरा हो चुका है और परियोजना चालू हो गई है।

जल गुणवत्ता निगरानी

मैनुअल जल गुणवत्ताः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 97 स्थानों और एकत्र किए गए डेटा को सीपीसीबी में संकलित किया जाता है।

रीयल–टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस):

- गंगा नदी पर आरटीडब्ल्यूक्यूएम स्टेशनों की स्थापनाः मार्च 2017 से 36 रीयल–टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस) गंगा नदी की मुख्य धारा , सहायक नदियों और नालों पर स्थापित किए गए हैं। मौजूदा 36 आरटीडब्ल्यूक्यूएम स्टेशनों के अलावा, अतिरिक्त 40 आरटीडब्ल्यूक्यूएम स्टेशनों को स्थापित किया गया है।
- 76 आरटीडब्ल्यूक्यूएम स्टेशनों के लिए डेटा योग्यता सलाहकार की नियुक्तिः डेटा योग्यता सेवा सलाहकार ने 05.07.2022 से 40 आरटीडब्ल्यूक्यूएम स्टेशनों के लिए डेटा का सत्यापन शुरू कर दिया है।

III. पारिस्थितिकी और प्रवाह (अविरल गंगा)

एनएमसीजी प्राधिकरण अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के तहत दिए गए शासनादेश के अनुसार, गंगा नदी में पानी के पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए, एनएमसीजी ने 9 अक्टूबर, 2018 को गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह को गंगा नदी की सभी प्रमुख धाराओं से लेकर उत्तराखंड में हरिद्वार तक और हरिद्वार से उन्नाव तक हर समय अलग–अलग हिस्सों में अलग–अलग बिंदुओं पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की मदद से ई–प्रवाह व्यवस्था की निगरानी के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया गया है।

ग्रामीण स्वच्छता

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के 4,507 गांवों में 12 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है। एनएमसीजी ने आईएचएचएल के निर्माण के लिए डीओडीडब्ल्यूएस को 829 करोड़ रुपये, एसएलडब्ल्यूएम के लिए 124 करोड़ रुपये और गंगा गांवों में वनीकरण के लिए 67 करोड़ रुपये जारी किए हैं। गंगा नदी के किनारे बसे सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया है।

जैव विविधता

एनएमसीजी ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून, उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग (यूपीएसएफ़डी), केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), बैरकपुर, पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीईई), प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) भारत और टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया (टीएसएआई) जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प के लिए कई हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से एक बेसिन आधारित दृष्टिकोण अपना रहा है।

एनएमसीजी के जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के तहत, कई हितधारकों को शामिल करके और गंगा में इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए गंगा की स्वदेशी और लुप्तप्राय जलीय प्रजातियों, जैसे गंगा डॉल्फिन, ऊदबिलाव, घड़ियाल, कछुए और जलीय पक्षी आदि के संरक्षण और बहाली के लिए गंगा की स्वदेशी और लुप्तप्राय जलीय प्रजातियों, जैसे कि गंगा डॉल्फिन, ऊदबिलाव, घड़ियाल, कछुए और जलीय पक्षी आदि के संरक्षण और बहाली के लिए 189 करोड़ रुपये की लागत से 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

नमामि गंगे के तहत जैव विविधता संरक्षण गतिविधियाँ

वनीकरण

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन राज्यों में 2,293.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,34,104 हेक्टेयर वनीकरण के लिए एफआरआई देहरादून द्वारा एक डीपीआर तैयार किया गया था। डीपीआर का कार्यान्वयन वर्ष 2016–17 से शुरू हो गया है, और 30,071 हेक्टेयर में वृक्षारोपण के लिए 5 राज्य वन विभागों द्वारा अब तक 347.0 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सभी 5 राज्यों के संबंधित राज्य वन विभागों को वनीकरण कार्यों के लिए 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022–23 के लिए राज्य वन विभाग उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को अब तक 3 परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं।

स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	वित्त वर्ष 2016–17 से 2021–22*		
	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (व्यय करोड़ रुपये में)	वृक्षारोपण के तहत कवर किया गया कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उत्तराखंड	6	128.54	10,356
उत्तर प्रदेश।	6	71.09	8,820
बिहार	6	97.76	7,896
झारखंड	6	26.25	884
पश्चिम बंगाल	6	23.39	2,115
कुल योग	**30**	**347.02**	**30,071**
	वित्त वर्ष 2022–23 जारी		
	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृति लागत (करोड़ रुपए में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उत्तराखंड	-	-	-
उत्तर प्रदेश।	1	9.86	2100.25 + रखरखाव
बिहार	-	-	-
झारखंड	1	1.56	रखरखाव
पश्चिम बंगाल	1	0.45	रखरखाव
कुल योग	3	11.88	2,100.25
सकल योग	**33**	**358.9**	32,171

**नोटः वर्ष 2016–17 से 2021–22 के लिए उल्लिखित लागत संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है।*

फरवरी, 2021 में, आईआईएफएम, भोपाल को पांच गंगा राज्यों में हस्तक्षेप की प्रभावकारिता जानने के लिए "एनएमसीजी द्वारा वित्त पोषित वानिकी वृक्षारोपण के मध्यावधि मूल्यांकन" के लिए एक अध्ययन परियोजना स्वीकृत की गई थी। परियोजना के निष्कर्ष प्राकृतिक, सहायक और पुनर्रचनात्मक गंगा रिवर स्केप/लैंड स्केप में अच्छी प्रथाओं और उपयुक्त वृक्षारोपण मॉडल को अपनाने के कारण समग्र अच्छी उत्तरजीविता दर और पौधों की वृद्धि का संकेत देते हैं

गंगा बेसिन के किनारे वनीकरण आर्द्रभूमि संरक्षण

आर्द्रभूमि संरक्षण

वेटलैंड संरक्षण 'नमामि गंगे' कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसके तहत वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए 7.17 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

IV. अनुसंधान, नीति और ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)

अग्रणी अनुसंधान और विकास

- **भुवन गंगाः** एनएमसीजी ने 2015 में भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए एनआरएससी/इसरो के साथ समझौता ज्ञापन किया है। भुवन गंगा, एक मोबाइल ऐप जियोपोर्टल, एनएमसीजी उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए भू–स्थानिक डेटा, गैर–स्थानिक डेटा उत्पादों और सेवाओं का प्रबंधन, उपयोग, कल्पना, साझा और विश्लेषण करने के लिए मंच प्रदान करता है। गंगा नदी बेसिन के भीतर पर्यावरण और पारिस्थितिक सुधार। औद्योगिक अपशिष्ट जल, प्राकृतिक नाली/नाले, खुले में शौच सीवेज, अर्ध शहरी/ग्रामीण सीवेज, ठोस अपशिष्ट निपटान, शहरी सीवेज, वृक्षारोपण और अन्य जैसे परिभाषित वर्गों के साथ आज तक 3,066 भू–टैगिंग हैं। आम जनता द्वारा साझा की गई जानकारी प्रदूषित क्षेत्र की डीपीआर तैयार करने में बहुत उपयोगी है। एनएमसीजी द्वारा भुवन गंगा ऐप का व्यापक रूप से नाले की निगरानी में उपयोग किया जा रहा है।
- **एलआईडीएआर मैपिंगः** एनएमसीजी ने डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) उत्पन्न करने वाले उच्च रिज़ॉल्यूशन में गंगा बेसिन की मैपिंग के लिए सर्वे ऑफ़ इंडिया के साथ सहयोग किया है। डिजिटल एलीवेशन मॉडल/डिजिटल टेरेन मॉडल (बेयर अर्थ मॉडल में 50 सेमी से बेहतर वर्टिकल एक्यूरेसी है), 1.0 मीटर की कंटूर, ऑर्थो–फोटो (25 सेमी ग्राउंड सैंपलिंग दूरी या बेहतर), जीआईएस तैयार डेटासेट, आउटलेट/मैपिंग, सभी रिहायशी इकाइयों, औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य सभी प्रकार के संस्थानों से सीवरेज और अन्य निर्वहन के स्रोत आउटलेट से सार्वजनिक जल निकासी नेटवर्क तक मानचित्रण, वर्तमान परियोजना मानचित्रण, श्मशान, घाट, आरएफडी, ठोस अपशिष्ट के साथ एकीकृत संपूर्ण सार्वजनिक नेटवर्क ब्याज के निर्धारित परियोजना क्षेत्र के लिए निपटान स्थल, एसटीपी/ईटीपी/सीईटीपी आदि के डिलिवरेबल होंगे।। यह तकनीक किसी क्षेत्र की संपूर्ण स्थलाकृति की पहचान करने में सक्षम बनाती है जिससे नीति निर्माताओं के लिए उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना आसान हो जाता है। इस तकनीक के माध्यम से गंभीर प्रदूषण हॉटस्पॉट की भी आसानी से पहचान की जा सकती है। मैपिंग क्षेत्र नदी के 10 किमी बफर के साथ 43,084 वर्ग कि.मी. है।
- **जीआईएस, आरएस, सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए पर्यावरणीय प्रवाह मूल्यांकनः** हथनीकुंड बैराज से ओखला बैराज तक यमुना नदी के लिए पर्यावरणीय प्रवाह मूल्यांकन एनआईएच, रुड़की द्वारा कार्यान्वित किया गया था। परियोजना की लागत 104.62 लाख रुपये थी।
- **जीआईएस का उपयोग कर सांस्कृतिक मानचित्रणः** एनएमसीजी इनटैक के साथ साझेदारी में समृद्ध प्राकृतिक, निर्मित और अमूर्त विरासत का दस्तावेजीकरण करते हुए उद्गम से लेकर गंगा सागर तक गंगा के मुख्य तने का सांस्कृतिक मानचित्रण कर रहा है।

- **रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हुए 'सैटेलाइट इमेज–व्युत्पन्न जल गुणवत्ता अनुसंधान':** 'सैटेलाइट इमेज–व्युत्पन्न जल गुणवत्ता अनुसंधान (एसआईडब्ल्यूएआर)–गंगा नदी' पर पायलट प्रोजेक्ट को विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआइ) भारत द्वारा निष्पादित किया गया था, यह समझने के लिए कि क्या उपग्रह इमेज–व्युत्पन्न है पानी की गुणवत्ता माप प्रभावी रूप से इन–सीटू पानी की गुणवत्ता निगरानी को पूरक कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सम्मेलनः

- **सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022**– 17 अप्रैल 2022 को, एनएमसीजी ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 में 'विकासशील देशों में सतत अपशिष्ट जल प्रबंधन – नदी पुनर्जीवन में एक अभिनव भारतीय दृष्टिकोण' विषय पर एक हॉट इश्यू वर्कशॉप की मेजबानी की। कार्यशाला में डीजी–एनएमसीजी और ईडी–तकनीकी ने वर्चुअली भाग लिया।
- **इज़राइल दौराः** कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), एनएमसीजी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के 25 अधिकारियों ने 7 से 17 मई 2022 तक "शहरी जल–विनियमन, प्रौद्योगिकी और शहरी केंद्रों में सतत जल प्रबंधन के अर्थशास्त्र" पर एक पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए इज़राइल का दौरा किया।.
- **स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022:** एनएमसीजी ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में भाग लिया और सत्रों का आयोजन किया। एनएमसीजी ने 'अर्थ गंगाः मॉडल फॉर इकोनॉमिक रिवर–पीपल कनेक्ट फॉर सस्टेनेबल रिवर रिजुवनेशन यूजिंग इकोना. ॅमिक ब्रिज' पर एक वर्चुअल सत्र और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज शहरों पर एक ऑनसाइट सत्र का आयोजन किया।

स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022

- **विश्व जल कांग्रेस डेनमार्कः** 12 सितंबर 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री और डीजी–एनएमसीजी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, महानिदेशक एनएमसीजी ने एक सत्र में एक वक्ता के रूप में भाग लिया, जो 'एसडीजी और जलवायु परिवर्तन के लिए अभिनव वित्त पोषण' पर केंद्रित था, जिसमें उन्होंने नमामि गंगे मिशन के तहत किए गए कई प्रयासों को साझा किया।

विश्व जल कांग्रेस डेनमार्क

- **अंतर्राष्ट्रीय नदी संगोष्ठी, वियनाः** 28 से 30 नवंबर 2022 तक एनएमसीजी ने अंतर्राष्ट्रीय नदी संगोष्ठी, वियना में भाग लिया। 28 नवंबर को, डीजी एनएमसीजी ने 'नदी की निगरानी, सुरक्षा, पुनर्स्थापन और नदियों को एक ट्रिपल ग्रहीय संकट कोण (प्रकृति–जलवायु–प्रदूषण)' सत्र में 'गंगा में प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र गिरावट को संबोधित करना' विषय पर प्रस्तुत किया।

V. पीपुल रिवर कनेक्ट (जन गंगा)

क) रिवर फ्रंट डेवलपमेंट (आरएफडी), घाट, शमशान घाट और कुंड/तालाब का जीर्णोद्धार

219 घाटों एवं सैरगाहों, 62 शमशान घाटों के निर्माण तथा 8 कुंडों/तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 77 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 191 घाट, 49 शमशान घाट और 8 कुंड बनकर तैयार हो चुके हैं।

ख) घाट की सफाई

नमामि गंगे पहल के तहत गंगा नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर घाटों की सफाई की परियोजनाएं शुरू की गईं। ऋषिकेश में 8 घाटों की सफाई के लिए 2.35 करोड़ रुपये की लागत से घाट सफाई परियोजना चल रही है। इसी प्रकार वाराणसी में 88 घाटों की सफाई के लिए 8.21 करोड़ रुपये की लागत से घाट सफाई परियोजना चल रही है।

ग) महत्वपूर्ण गतिविधियां (जन गंगा के तहत)

प्रयागराज में माघ मेलाः 14 जनवरी, 2022 से गंगा नदी के तट पर माघ मेले का वार्षिक उत्सव शुरू हो गया है। इस वर्ष, टीम नमामि गंगे द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी और एक प्रस्तुति दी गई थी जिसमें आगंतुकों को नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी।

हैदराबाद में विंग्स इंडियाः स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 24 से 27 मार्च 2022 तक बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में नागरिक उड्डयन, विंग्स इंडिया –2022 में एक मंडप स्थापित किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया था (एमओसीए) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) ने 'इंडिया@75: एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज' विषय पर किया। मंडप को तेलंगाना के माननीय राज्यपाल, डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की उपस्थिति में सम्मानित किया गया।

नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 24 से 27 मार्च 2022 तक बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में आयोजित नागरिक उड्डयन, विंग्स इंडिया–2022 में एक पैविलियन स्थापित किया

यमुना पार आजादी का अमृत महोत्सवः एनएमसीजी ने 16 अगस्त 2022 को श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री पंकज कुमार, सचिव, डीओ डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, श्री जी. अशोक कुमार, महानिदेशक, एनएमसीजी और श्री गंजी के. वी. राव, महानिदेशक, पर्यटन, पर्यटन मंत्रालय की उपस्थिति में यमुना नदी के किनारे जीरो पुश्ता, सोनिया विहार में 'यमुना पार आजादी का अमृत महोत्सव' का आयोजन किया।

एनएमसीजी द्वारा 16 अगस्त 2022 को यमुना पार आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया

उत्तोलन (लेवरज) के रूप में जल प्रशिक्षण कार्यक्रमः 17 और 18 अक्टूबर 2022 को, एनएमसीजी ने नीदरलैंड के दूतावास के साथ मिलकर भारत में अवधारणा की प्रयोज्यता, मापनीयता और पुनरावृत्ति का पता लगाने के लिए जल के रूप में उत्तोलन (डब्ल्यू एल) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यशाला में एनएमसीजी के अधिकारियों, कार्यक्रम प्रबंधक और प्रतिनिधि आयुक्त, अवसंरचना और जल प्रबंधन मंत्रालय और सीडब्ल्यूसी, एनआईएच, केरल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, जीआईजेड इंडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एनएमसीजी ने नीदरलैंड के दूतावास के सहयोग से 17 और 18 अक्टूबर 2022 को लीवरेज के रूप में जल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

गंगा उत्सव 2022– 4 नवंबर 2022 को एनएमसीजी ने देश में सभी नदियों को मनाने के साथ–साथ गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव 2022 का आयोजन किया। जैसा कि यह आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा था, सुबह के सत्र के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी थे, जिनके साथ माननीय राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू भी शामिल हुए थे। जल शक्ति मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय, महामहिम फ्रेडी स्वान, भारत में रॉयल डेनिश राजदूत, श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय और श्री जी अशोक कुमार, महानिदेशक, एनएमसीजी। शाम के सत्र के मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे। उनके साथ श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और महानिदेशक, एनएमसीजी भी थे। नेशनल स्टेडियम परिसर, दिल्ली में दिन भर चलने वाले कार्यक्रमों में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

4 नवंबर, 2022 को गंगा उत्सव 2022 समारोह की झलकियां

7वां भारत जल सप्ताह 2022: 1 नवंबर 2022 को, 7वें भारत जल सप्ताह 2022 के दौरान, एनएमसीजी ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के दृष्टिकोण से गंगा संरक्षण पर एक सत्र का आयोजन किया। सत्रों के वक्ताओं में इज़राइल, नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों के राजदूत, प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रतिष्ठित नेता और नीति व्यवसायी, वर्तमान और पूर्व सरकारी अधिकारी आदि शामिल थे। एनएमसीजी ने नमामि गंगे मंडप भी स्थापित किया था, जिसका उद्घाटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सुश्री मैरीप्रिस्का विनफ्रेड महुंडी (एमपी), माननीय उप जल मंत्री, तंजानिया ने डीजी, एनएमसीजी और अन्य एनएमसीजी अधिकारियों की उपस्थिति में किया था।

7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (आईडब्ल्यूआईएस): भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण एनएमसीजी और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज (सी–गंगा) द्वारा डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी), न्यू में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। 15 से 17 दिसंबर 2022 तक दिल्ली। शिखर सम्मेलन का विषय '5पीएस के मानचित्रण और अभिसरण' – लोग, नीति, योजना, कार्यक्रम और परियोजना के चुनिंदा पहलुओं पर जोर देने के साथ 'एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण' था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में नदियों और जल निकायों की रक्षा के लिए जल और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करना है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू, जल शक्ति राज्य मंत्री, सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, डीजी, एनएमसीजी और संस्थापक प्रमुख, सीगंगा, आईआईटी–कानपुर की उपस्थिति में किया गया।

5 से 17 दिसंबर 2022 तक 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की झलकियां

गंगा विचार मंच (जीवीएम) कार्यशाला: 19 दिसंबर, 2022 को महानिदेशक, एनएमसीजी ने केंद्रीय मंत्री जल शक्ति की अध्यक्षता में आयोजित गंगा विचार मंच कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला गंगा हितधारकों के बीच परस्पर संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। जीवीएम सदस्यों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जीवीएम लोगों को गंगा नदी के संरक्षण में ठोस समाधान, बहस और स्वयंसेवक का सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है, और उन्होंने नमामि गंगे के रूप में जीवीएम स्वयंसेवकों को जमीन पर उनके प्रयासों के लिए बधाई भी दी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा प्रकृति को बहाल करने के लिए दुनिया की शीर्ष दस प्रमुख पहलों में से एक है।

एनएमसीजी ने 19 दिसंबर 2022 को गंगा विचार मंच का आयोजन किया

मन की बातः 25 दिसंबर 2022 को, मन की बात के 96वें एपिसोड के दौरान, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने हमारे जीवन के तरीके के साथ गंगा नदी के महत्व और अभिन्न संबंध के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है और इसी कारण आठ साल पहले नमामि गंगे की शुरुआत हुई थी। उन्होंने नमामि गंगे के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसने न केवल भारत में विशाल सार्वजनिक भागीदारी प्राप्त की है, बल्कि दुनिया भर में ऐसी 160 पहलों के बीच पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए शीर्ष दस पहलों के रूप में चयनित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त की है।

VI. अर्थ गंगाः

अर्थ गंगा के लिए पहचाने गए छह प्रमुख कार्यक्षेत्रः (i) शून्य बजट प्राकृतिक खेती; (ii) कीचड़ और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का मुद्रीकरण; (iii) सार्वजनिक भागीदारी; (iv) संस्कृति विरासत और पर्यटन; (v) आजीविका सृजन के अवसर; (vi) संस्थागत भवन।

सतत कृषि और संबद्ध क्षेत्रः

गंगा बेसिन में इसकी प्रतिकृति का पता लगाने के लिए कृषि मंत्रालय, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, फिक्की, आईएफएडी, डब्ल्यूआरआई, प्राकृतिक खेती के आईयूसीएन चिकित्सकों आदि सहित महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं।

- बीपीकेपी के तहत प्राकृतिक खेती के लिए 2022–23 और 2024–25 की वार्षिक कार्य योजना में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, द्वारा उत्तराखंड (6,400 हेक्टेयर), यूपी (85,710 हेक्टेयर), बिहार (52,000 हेक्टेयर) और झारखंड (4,000 हेक्टेयर) शामिल है।
- नमामि गंगे मिशन के तहत जैविक खेती के लिए 6,181 क्लस्टर और 1,23,620 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
- वालमतारी, आंध्र प्रदेश द्वारा "पानी और ऊर्जा की बचत और मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में वृद्धि पर प्राकृतिक खेती के तरीकों का मूल्यांकन" पर अध्ययन, 20 जून 2022 को स्वीकृत।
- आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि आदि सहित कई कॉर्पोरेट्स की मदद से गंगा बेसिन के जैविक/प्राकृतिक कृषि उत्पादों के विपणन की संभावना तलाशना।
- 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.6 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए।
- सीआईएफआरआई द्वारा 65 लाख से अधिक आईएमसी अंगुलिकाओं का पालन – गंगा नदी में 740 से अधिक कार्यक्रमों में 76,000 से अधिक वयस्क हिल्सा और 5.8 लाख अंडों का पालन–पोषण किया गया।

- किसानों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से गंगा बेसिन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ईओआई में 56 आवेदन आए।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 31 अक्टूबर 2022 को पतंजलि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 16 अगस्त 2022 को सहकार भारती के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

उपचारित अपशिष्ट जल (टीडब्ल्यूडब्ल्यू) और कीचड़ का पुनः उपयोग

- 3 दिसंबर 2015 को रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर – आगरा, झांसी और प्रयागराज रेलवे मंडलों के डीएसई को एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

- मथुरा सीवेज योजना के तहत, 20 एमएलडी तृतीयक उपचार संयंत्र पूरा हो गया है और अब गैर–पीने योग्य उद्देश्य के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी को उपचारित पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। अभी तक आईओसीएल को लगभग 8 एमएलडी शोधित पानी की आपूर्ति की जाती है।

- विद्युत मंत्रालय के सहयोग से एनएमसीजी ने ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के 50 किमी के दायरे में 15 एसटीपी की मैपिंग की है। मानचित्रण के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने चिन्हित एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए पहल की है।

आजीविका सृजन के अवसर

- **जलज परियोजना** – "अर्थ गंगा को साकार करने के लिए नदी और लोगों को जोड़ना" एक आजीविका मॉडल है जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी और सशक्तिकरण शामिल है, विशेष रूप से महिलाओं को जैव–विविधता संवेदनशील पर्यटन को साकार करने की दिशा में नाव सफारी, होम स्टे, स्थानीय हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों का विपणन आदि शामिल है। जिसे डब्ल्यूआईआई के माध्यम से 75 स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.3.6 नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए)

प्राधिकरण के अध्यक्ष, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के सचिव हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्रालयों के विद्युत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय कल्याण के सचिव, चार पार्टी राज्यों के मुख्य सचिव हैं। अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, एक पूर्णकालिक कार्यकारी सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्य और पार्टी राज्यों द्वारा नामित चार अंशकालिक सदस्य।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (आरसीएनसीए) की समीक्षा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और चार पार्टी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य और सचिव (सदस्य के रूप में) जल संसाधन , नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग इसके संयोजक हैं।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर (मध्य प्रदेश) में है और क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, भोपाल और वडोदरा में, संपर्क इकाई नई दिल्ली में और क्षेत्रीय कार्यालय मंडला, होशंगाबाद, केवडिया और इंदौर में हैं।

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के उपखण्ड 16(1) खण्ड–XIV के अनुसरण में सरदार सरोवर परियोजना की इकाई–1 एवं 3 का कुशल, मितव्ययी एवं शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 04.09.1980 को सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन किया गया। आगे खंड–XIV के उप–खंड 16 (1) के अनुसरण में, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) को 11 अगस्त 2020 को भंग कर दिया गया था और यूनिट– I और II का पोस्ट निर्माण प्रबंधन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) की देखरेख में गुजरात द्वारा किया जाएगा।

सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) की प्रगति

i) सरदार सरोवर बांध

16 जून, 2017 को आयोजित एनसीए की 89वीं बैठक के निर्णय के अनुसार, एसएसपी के गेट को नीचे करने का कार्य गुजरात सरकार द्वारा पूरा किया गया था और एसएसआरआरसी द्वारा 51वीं बैठक मे एफआरएल ईएल 138.68 मीटर तक एसएसपी जलाशय को भरने के लिए जलाशय अनुमति कार्यक्रम को। भारतीय मानक संहिता 15272:2004 के दिशानिर्देशों और अन्य तकनीकी मानकों के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा अनुसूची के आधार आंतिम रूप किया गया था। वर्ष 2017 में कम बारिश के कारण 45% के क्रम में उपयोग योग्य प्रवाह में कमी के कारण, एसएसपी जलाशय केवल सितंबर, 2017 के महीने में ईएल 130.75 मीटर तक भर गया था। जलाशय इस दौरान एफआरएल (138.68 मीटर) तक बेसिन में पर्याप्त वर्षा के कारण मानसून वर्ष 2019, 2020 और 2022 में भर गया था। सरदार सरोवर परियोजना पर अक्टूबर, 2022 तक 73,611.89 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

ii) नर्मदा मुख्य नहर

नर्मदा मुख्य नहर (एनएमसी) पर हेड रेगुलेटर से गुजरात राजस्थान सीमा (चौ. 0 से 458.318 किमी) तक का काम पूरा हो चुका है। राजस्थान में नर्मदा मुख्य नहर का 74.0 किमी का कार्य भी पूरा हो गया है। गुजरात में कच्छ शाखा नहर को छोड़कर एनएमसी की 0 से 458.138 किमी तक की सभी शाखा नहरों पर काम पूरा कर लिया गया है। गुजरात में वितरिकाओं का 96.15%, माइनर का 92.83% और सब–माइनर का 88.64% काम पूरा हो चुका है।

राजस्थान में मार्च, 2022 तक मुख्य नहर, वितरिका (फ्लो) और डिस्ट्रीब्यूटरी (लिफ्ट), माइनर और सब माइनर (फ्लो) का 100% काम पूरा हो चुका है और माइनर और सब माइनर (लिफ्ट) का 99.9% काम पूरा हो चुका है। परियोजना को पूर्ण माना जा सकता है।

iii) पानी का उपयोग

सरदार सरोवर बांध से नर्मदा का पानी मध्य गुजरात, उत्तरी गुजरात और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आपूर्ति की जा रही है। गुजरात सरकार ने 16.93 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बनाई है, जिसमें से 10. 59 लाख हेक्टेयर की सिंचाई जल वर्ष, यानी जुलाई, 2021 से जून, 2022 के दौरान की गई है। इस जल वर्ष के दौरान 8,764.12 एमसीएम पानी की मात्रा प्रदान की गई थी। गुजरात और राजस्थान भाग, जिसमें से 516.86 एमसीएम पानी राजस्थान

द्वारा उपयोग किया गया है। राजस्थान ने नर्मदा के पानी का उपयोग करने के लिए 2.46 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता भी बनाई है। राजस्थान में जालौर जिले के 1,541 गांवों और 3 शहरों – सांचौर, भीनमाल और जालोर टाउन को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जल वर्ष के दौरान 1.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गई है।

एसएसपी पुनर्वास और पुर्नस्थापन पहलू

एसएसपी के पुनर्वास और पुर्नस्थापन मुद्दों पर एनसीए की 37वीं टास्क फोर्स की बैठक 26 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। दिसंबर, 2020 तक परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) पर डेटा को पार्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर 30 सितंबर, 2022 तक संकलित और अद्यतन किया गया था। राज्य। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

श्रेणी	राज्य			कुल
	गुजरात	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	
पूरी तरह से प्रभावित गांवों की कुल संख्या	03	00	01	04
आंशिक रूप से प्रभावित गांवों की कुल संख्या	16	33	177	226
कुल	**19**	**33**	**178**	**230**
परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	4,765	4,188	23,603	32,556^
में बसाए गए पीएएफ की कुल संख्या	गुजरात: 4,765	गुजरात: 752	गुजरात: 5,540	11,057
	महाराष्ट्र शून्य	महाराष्ट्र 3,436	महाराष्ट्र शून्य	3,436
	मध्य प्रदेश शून्य	मध्य प्रदेश शून्य	मध्य प्रदेश 18,063	18,063
नियोजित/विकसित आर एंड आर स्थलों की संख्या	236	14	88	338
परिचालन योग्य आर एंड आर साइटों की संख्या	223	14	83	320

^ जीआरए/राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक/झूठे पीएएफ को जोड़ने/हटाने के कारण पीएएफ की संख्या में बदलाव हो सकता है।

7.3.7 ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बीबी)

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था और 01.09.1980 को ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट कटाव के नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने और एकीकृत कार्यान्वयन के लिए और इससे जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

बोर्ड में अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (4 पूर्णकालिक सदस्य और 17 अंशकालिक सदस्य) के अधीन 21 सदस्य हैं। बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सिक्किम और उत्तर बंगाल सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। 10.01.2019 को भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्गठन आदेश के बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे को संशोधित किया गया है, जिसमें उप निदेशक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों की राजधानियों में मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता। पुनर्गठन के एक भाग के रूप में स्थापित सभी 9 क्षेत्रीय कार्यालयों ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है।

जल शक्ति, केंद्रीय मंत्री, की अध्यक्षता मे और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्री / राज्य मंत्री– वित्त, भूतल परिवहन, विद्युत, कृषि, राज्य मंत्री – जल शक्ति और सचिव, जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण भारत सरकार और, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य–सचिव के रूप में एक उच्याधिकार प्राप्त समिति गढित की गई थी जिसमै सदस्य (आरएम), सीडब्ल्यूसी एक स्थायी आमंत्रित सदस्य है।

उत्तर पूर्वी हाइड्रोलिक और संबद्ध अनुसंधान संस्थान (नेहरी):

यह संस्थान 1996 में असम समझौते के खंड 7 के अनुसार रुद्रेश्वर, उत्तरी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि, विभिन्न कारणों से, संस्थान के कामकाज में गिरावट आई और प्रयोगशालाएं बेकार हो गईं। 2018–2019 के दौरान प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 2018–19 से एक परियोजना शुरू की गई थी जिसे प्रयोगशालाओं को अद्यतन बनाकर संस्थान के संपूर्ण बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण करते हुए सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। पुनर्निर्मित नेहारी का उद्घाटन 14.01.2021 को माननीय मंत्री जल शक्ति द्वारा गुवाहाटी में किया गया था। आईआईटी गुवाहाटी और नेहारी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के बीच अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों में आपसी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएसएमआरएस, नई दिल्ली और सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल संसाधन नियोजन में क्षमता निर्माण के लिए 2021–22 से 2022–23 तक एनआईएच, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएसएमआरएस, नेरीवाल्म, एनईसैक, सीजीडब्ल्यूबी और सीडब्ल्यूसी के सहयोग से जनशक्ति हेतु एक साल भर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

नॉर्थ ईस्टर्न हाइड्रोलिक एंड एलाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट (नेहरी) – कवर मॉडल ट्रे में भौतिक मॉडल का अध्ययन– ब्रह्मपुत्र बोर्ड

प्रमुख कार्य

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जलविद्युत, नौवहन और अन्य लाभकारी उद्देश्यों के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों के विकास और उपयोग को उचित महत्व देते हुए बाढ़ और तट कटाव का प्रबंधन और नियंत्रण और जल निकासी में सुधार करना है।

उपलब्धियां:

i) मास्टर प्लान

बोर्ड ने तीन भागों में माजुली द्वीप, धलेश्वरी नदी और मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की नदियों सहित 68 प्रमुख सहायक नदियों के साथ–साथ ब्रह्मपुत्र और बराक के मुख्य प्रवाह की मास्टर प्लान तैयार किया था।

मणिपुर नदी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और होरा नदी मास्टर प्लान को अद्यतन किया जा रहा है और मुख्य धारा ब्रह्मपुत्र, बराक, मेघालय की दक्षिण बहने वाली नदी, मिजोरम की नदियों के मास्टर प्लान को इस वर्ष के दौरान शुरू करने के लिए अद्यतन किया गया है।

तीन मास्टर प्लान (तांगानी, किंशी और संकोश–रायडक) अत्याधुनिक आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अद्यतन किए जा रहे हैं। तीस्ता बेसिन के मास्टर प्लान के मसौदे में संशोधन भी किया जा रहा है।

ii) सर्वेक्षण और जांच और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना:

- ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन और मेघालय की दक्षिण बहने वाली नदियों में 14 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच की। इन परियोजनाओं की स्थिति का सारांश ***अनुलग्नक–IX*** में दिया गया है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थानीय जनजातियों और स्वदेशी लोगों के जल प्रबंधन प्रथाओं के वैज्ञानिक प्रसार और सुधार के तहत, बोर्ड ने (i) अरूणाचल प्रदेश में अपातानी बसे जीरो घाटी और पक्के घाटी की जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया है; (ii) नागालैंड में फेक जिले की चखेसांग जनजाति की जल संरक्षण और प्रबंधन प्रथाएं; और (iii) नेरीवाल्म के सहयोग से असम में बक्सा जिले की बोडो जनजातियों की डोंग जल प्रबंधन प्रथाएं।
- 2022–23 के दौरान मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्प्रिंगशेड प्रबंधन की प्रायोगिक योजनाएँ भी प्रस्तावित हैं।
- बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए बायो–इंजीनियरिंग उपाय – माजुली द्वीप में ब्रह्मपुत्र नदी के कोर्डोइगुरी के निचले किनारे पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के कटाव के लिए बायो–इंजीनियरिंग उपायों की एक पायलट परियोजना प्रगति पर है।
- पगला/बैतामारी, ऐ, बेकी, पगलादिया, संकोश, गंगिया और सरलभंगा नदियों द्वारा बीटीसी क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ और कटाव की जांच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वैपकोस को काम आवंटित किया गया है। डीपीआर का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

iii) कटाव रोधी और बाढ़ प्रबंधन योजनाएँ

बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षणः

माजुली दुनिया में ताजे पानी का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। यह अक्षांश 26°45'N और 27°10'N के बीच और देशांतर 93°40'E और 94°35'E के बीच स्थित है। माजुली द्वीप शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र द्वारा लगातार कटाव का शिकार रहा है। वर्ष 1999 में माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य करने की जिम्मेदारी ब्रह्मपुत्र बोर्ड को दी गई थी। वर्ष 2004 में धरातल पर भौतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई।

माजुली मुख्य द्वीप वर्ष 2004 में 502.21 वर्ग किमी था। तब से, कटाव–रोधी/बैंक सुरक्षा उपायों के नियमित कार्यान्वयन के साथ, वर्ष 2016 तक माजुली द्वीप का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 524.29 वर्ग किमी हो गया था। उपायों, चरण–I, चरण–II और III को पूरा कर लिया गया है। माजुली द्वीप को बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से बचाने के लिए 233.57 करोड़ रुपये की एक नई योजना को तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और डोनर मंत्रालय ने इसके लिए 207 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। अब तक 97 फीसदी काम पूरा हो चुका है। बोर्ड ने संरक्षण कार्य की निगरानी और आगे के सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों के लिए पीएमसी के रूप में मजुली में कार्यालय परिसर का काम एनपीसीसी को सौंपा है और नवंबर 2022 तक 61% काम पूरा कर लिया गया है।

बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षण – कमलाबाड़ी घाट, माजुली (असम) में सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक का निर्माण

ढोला–हतीगुली में दिबांग और लोहित नदियों का पुनरुद्धारः

तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''ढोला–हतीगुली (दिबांग और लोहित नदियों को उनके मूल पाठ्यक्रमों में मोड़ने के लिए उनके मूल पाठ्यक्रमों के मोड़ के लिए उपाय) में ब्रह्मपुत्र का उन्मूलन'' योजना को मंजूरी दी गई थी। मई, 2002 में बैठक हुई और बोर्ड को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। चरण–I, चरण–II, चरण–III, चरण–IV और चरण–V के तहत परिकल्पित कार्यों के निष्पादन पर बोर्ड द्वारा अब तक 93.93 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

धोल्ला हाटघुली में ब्रह्मपुत्र के अपवर्जन योजना के कार्यों के चार चरणों में कार्यान्वित योजनाओं से प्राप्त लाभों को जारी रखने के लिए, बाहबारी में मौजूदा टाई–बंड को पूर्ण तटबंध में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। अनुमानित 24.95 करोड़ रुपये का कार्य कार्यान्वयन के अधीन है और नवंबर, 2022 तक 91% कार्य पूरा हो चुका है।

डिब्रूगढ़, असम के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर टाई–बंड का तटबंध में रूपांतरण

7.3.8 बेतवा रिवर बोर्ड (बीआरबी)

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22 जुलाई, 1972 को हुई एक बैठक में बेतवा नदी के उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन का निर्णय लिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 9 दिसंबर 1973 को आयोजित एक बैठक में दोनों राज्यों की विभिन्न अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के त्वरित, सुचारू और कुशल निष्पादन के लिए एक त्रिपक्षीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की। राजघाट बांध परियोजना और बिजली घर को क्रियान्वित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1976 में बीआरबी का गठन किया गया था। परियोजना प्राधिकरण ने बीआरबी अधिनियम 1976 की घोषणा के बाद बीआरबी के समग्र मार्गदर्शन में परियोजना का निर्माण शुरू किया। उपरोक्त परियोजनाओं के लाभ और लागत दोनों राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री (जल शक्ति) बोर्ड के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, मुख्य मंत्री और दोनों राज्यों के वित्त, सिंचाई और बिजली के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोर्ड की एक कार्यकारी समिति बोर्ड की गतिविधियों का प्रबंधन करती है।

राजघाट बांध परियोजना

उत्तर प्रदेश में 1.38 लाख हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 1.21 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सहायक संरचनाओं के साथ राजघाट बांध का निर्माण राजघाट जलविद्युत परियोजना के माध्यम से 45 मेगावाट की बिजली उत्पादन के साथ बाएँ किनारे पर किया गया है। परियोजना की लागत और लाभ दोनों राज्यों द्वारा समान रूप से साझा किए जाने हैं। डैम और पावर हाउस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

i) भूमि अधिग्रहण

यह बांध यूपी के 38 गांवों और म.प्र. में 31 गाँव को जलमग्न कर देता है। मध्य प्रदेश में मुआवजा देने का काम पूरा हो गया है। उ.प्र. में जिला प्रशासन ललितपुर ने तथा बेतवा नदी बोर्ड ने आपसी बातचीत से एफआरएल और एमडब्ल्यूएल के बीच कालापहाड़ गाँव की संपत्ति के मुआवजे को छोड़कर 25 गाँवों की भूमि हेतु मुआवजा दे दिया है 13 गाँवों

का मुआवजा भुगतान कर दिया है और उत्तर प्रदेश के संबंधित विभाग को इसके मूल्यांकन के लिए मामला पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

ii) राजघाट पावर हाउस के कार्यों की योजना और वर्तमान स्थिति

1997 के मूल्य स्तर पर राजघाट जलविद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 131.26 करोड़ रुपये थी जिसमें सिविल कार्यों के लिए 58.41 करोड़ रुपये शामिल थे। विद्युत गृह के सिविल कार्यों की संशोधित लागत दिसम्बर, 1999 के मूल्य स्तर पर रू. 66.89 करोड़ है। एमपीपीजीसीएल ने 59.51 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। जून, 2008 तक राजघाट विद्युत गृह के सिविल कार्यों पर कुल 63.15 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है।

1999–2000 के दौरान पावर हाउस की तीन इकाइयों का परीक्षण और कमीशन किया गया है। 1999–2000 से 2021–2022 (22 वर्ष) तक राजघाट पावर हाउस से बिजली उत्पादन 19,748.88 लाख यूनिट है। 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान बिजली उत्पादन 1,049.82 लाख यूनिट है। राजघाट बांध की पूर्णता लागत 2000 मूल्य स्तर पर 300.60 करोड़ रुपये है। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में 02.02.2006 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अक्टूबर, 2005 से बांध पर व्यय को ओ एंड एम शीर्ष में दर्ज किया जा रहा है। यूपी राज्य ने 213.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और एम.पी. दिसंबर, 2022 तक अपने देय हिस्से के एवज में 135.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

7.3.9 तुंगभद्रा बोर्ड (टीबी)

तुंगभद्रा बोर्ड का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा तुंगभद्रा परियोजना को पूरा करने और इसके संचालन और रखरखाव के लिए आंध्र राज्य अधिनियम 1953 की उप धारा (4), धारा 66 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से किया गया था। बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

आंध्र प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार सहमत अनुपात में धन प्रदान करते हैं और सहमत अनुपात के अनुसार विभिन्न निर्दिष्ट पदों पर कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी करते हैं।

भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां और नई पहल

i) सिंचाई विंग

- तुंगभद्रा जलाशय इस वर्ष में पूर्ण जलाशय स्तर 497.740 मीटर (1633.00 फीट) तक भरा गया है। जून, 2022 से दिसंबर, 2022 तक जलाशय में अंतर्वाह 17,173.116 मिलियन क्यूबिक मीटर (606.481 टीएमसी) है। जल वर्ष 2022–23 के दौरान दिसंबर 2022 के अंत तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा उपयोग नीचे दी गई तालिका के अनुसार है;

क्र. सं.	राज्य का नाम	केडब्ल्यूडीटी अवार्ड के अनुसार आवंटन (टीएमसी)	अमूर्तता पर यथानुपात पात्रता (टीएमसी)	टीएमसी में वास्तविक उपयोगिता (31.12.2022 तक)	एम कम में वास्तविक उपयोगिता (31.12.2022 तक)
1.	कर्नाटक	138.99	123.255	82.965	2,349.237
2.	आंध्र प्रदेश	66.50	58.972	36.008	1,019.602
3.	तेलंगाना	6.51	5.773	0.00	0.00
	कुल	**212.0**	**188.000**	**118.973**	**3,368.839**

जून, 2022 से दिसंबर, 2022 तक वाष्पीकरण हानियाँ 174.115 एम कम (6.149 टीएमसी) हैं। जलाशय के वाष्पीकरण के नुकसान को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा 12.50:5.50 के अनुपात में साझा किया जाता है। जल वर्ष 2022–23 के दौरान सिंचाई हितों को खतरे में डाले बिना बांध के दोनों किनारों पर बिजली घरों द्वारा अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए खींचे गए 1,001.650 एमसीयूएम (35.374 टीएमसी) पानी के अलावा स्पिल वे पर पानी का अधिशेष 11,447. 281 एमसीयूएम (404.269 टीएमसी) है।

इस वर्ष तुंगभद्रा बांध को 61 वर्षों के बाद 17173.116 घन मिमी (606.481 टीएमसी) का रिकॉर्ड प्रवाह प्राप्त हुआ और 61 वर्षों के बाद (अर्थात, 1961–62 के बाद) 11,447.281 घन मिमी (404. 269 टीएमसी) के स्पिलवे के माध्यम से बाढ़ के पानी का रिकॉर्ड बनाया गया।

- 0.00 किमी से 105.00 तक आरबीएचएलसी के आधुनिकीकरण के पूरा होने के कारण (कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स (यूटी, एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज) को छोड़कर, किमी 0 से 40 तक गहरी कट पहुंच और कुछ पहुंच पर स्थिरीकरण कार्य, नहर में पानी के प्रवाह का वेग काफी हद तक सुधार हुआ है और नहर अब अपने शीर्ष पर 4,000 क्यूसेक (3,200 क्यूसेक के पहले के निर्वहन के खिलाफ) के डिजाइन किए गए निर्वहन को निकालने में सक्षम है और आंध्र में 2,350 क्यूसेक के डिजाइन निर्वहन को पहले ही वितरित कर चुकी है और 2,575 क्यूसेक (1,500 क्यूसेक के पहले के निर्वहन के खिलाफ) के डिजाइन निर्वहन को ले जाने में सक्षम है।।

- 115 किमी (250 किमी में से) तक पावर कैनाल के आधुनिकीकरण और आरबीएलएलसी (पुरानी बिना लाइन वाली नहर) के आधुनिकीकरण और 115 किमी से 205 किमी तक आरबीएलएलसी के आंशिक आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप किमी 133 (के खिलाफ) पर लगभग 1,100 क्यूसेक की वृद्धि हुई है 750 क्यूसेक की पूर्व वसूली) और लगभग 600 क्यूसेक (औसत) किमी 250 पर यानी आंध्र प्रदेश सीमा पर 400 क्यूसेक (औसत) की पूर्व वसूली के मुकाबले और कुछ अवधि के लिए डिस्चार्ज 700 क्यूसेक को भी पार कर गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश की ओर से नहर की तैयारी के अधीन प्रदेश सीमा (1,500 क्यूसेक के पहले निर्वहन के विरूद्ध) आरबीएलएलसी की 205.450 किमी से 250.580 किमी तक की शेष पहुंच के लिए आधुनिकीकरण कार्य 2023–24 की समापन अवधि के दौरान शुरू किया जाएगा।

- **जल लेखांकन और मापन में पारदर्शिताः**

  अब अच्छी बारिश के दौरान टीबी नहरों को बंद कर दिया जाता है और अच्छे जल जवाबदेही के निशान के रूप में इष्टतम पानी के उपयोग के तरीकों को अपनाया जाता है।

- **तुंगभद्रा बांध के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कार्य (यानी, ड्रिप–II के तहत) – डीएसआरपी टीम और विश्व बैंक टीम द्वारा निरीक्षणः**

तुंगभद्रा बांध को ड्रिप–II में शामिल किया गया था। चूंकि टीबी बोर्ड की देखरेख में कार्य के निष्पादन और उत्तरदायित्व की प्रक्रिया में कुछ अंतर थे, इसलिए टीबी बोर्ड नहरों अर्थात आरबीएचएलसी, पावर नहर और आरबीएलएलसी के लिए, बोर्ड ने 26.05.2022 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में तुंगभद्रा बांध के दाहिने तरफ के बांध सुरक्षा कार्यों को अपने स्वयं के धन से करने का निर्णय लिया।

ii) जल विद्युत योजना

तुंगभद्रा बोर्ड द्वारा 72 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले दो बिजली घरों का रखरखाव किया जा रहा है और जल वर्ष 2022–23 के दौरान 160 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके विपरीत, दिसंबर 2022 के अंत तक उत्पादित बिजली 137 मिलियन यूनिट है। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक अनुमानित बिजली उत्पादन 68 मिलियन यूनिट होगा, जिसके द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए उत्पादन 205 मिलियन यूनिट होगा जो लगातार दूसरे वर्ष 2022–23 के लिए 2021–22 के 12 वर्षों के बाद 200 मिलियन यूनिट को पार कर जाएगा जिसकी कीमत 61.50 करोड़ रुपये है। उत्पादित बिजली को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच 20:80 के अनुपात में साझा किया जाता है।

एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक के माध्यम से बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफर (बी ओ ओ टी) प्रणाली के तहत तुंगभद्रा परियोजना के राइट बैंक हाई लेवल कैनाल के शीर्ष पर एक और मिनी हाइडल प्लांट 27.10.2004 को चालू किया गया है। मिनी हाइडल प्लांट में 2.75 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं, जो दिसंबर 2022 तक 27.00 मिलियन यूनिट का उत्पादन करती हैं। उत्पादित बिजली कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पारेषण निगमों द्वारा 20:80 के सहमत अनुपात में खरीदी जाती है।

एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक के माध्यम से बीओओटी प्रणाली के तहत तुंगभद्रा परियोजना की रायबासवन्ना नहर के शीर्ष पर एक और नया मिनी हाइडल प्लांट लागू किया गया। परियोजना का निर्माण सितंबर 2012 में शुरू किया गया था और 11 महीने के रिकॉर्ड समय में यानी 31.08.2013 को चालू किया गया था। कुल परियोजना पूंजी लागत 11.50 करोड़ रुपये है। 1.4 मेगावाट की एकल इकाई वाले मिनी हाइडल प्लांट ने दिसंबर 2022 तक 5.8 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। उत्पन्न बिजली जीईएससीओएम, गुलबर्गा (कर्नाटक) द्वारा 2.80 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाती है।

iii) मत्स्य विंग

मछली पकड़ने के संरक्षण की सुविधा के लिए, बोर्ड 31.05.2022 तक एक बर्फ–सह–शीत भंडारण संयंत्र चला रहा था। आइस प्लांट और फिश फार्म से मई, 2022 तक कुल कमाई 25.68 लाख रुपये है।

7.3.10 पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए)

पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है जो सर आर्थर कॉटन बैराज से लगभग 42 किमी ऊपर की ओर पोलावरम मंडल के रमैयापेटा गाँव के पास गोदावरी नदी पर है, जहाँ नदी पूर्वी घाट की अंतिम सीमा से निकलती है और नदी में प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में मैदानी भाग। यह अंतिम सिंचाई क्षमता बनाने के लिए एक बांध के निर्माण की परिकल्पना करता है।

इस परियोजना में उद्योगों को जलापूर्ति के लिए 960 मेगावाट जलविद्युत, 23.44 टीएमसी और 28.50 लाख आबादी और विशाखापत्तनम को पीने के पानी की आपूर्ति, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जलाशय रिम से क्रमशः 5 टीएमसी और 1.5 टीएमसी पानी की साझेदारी, गोदावरी डेल्टा में स्थिरीकरण की भी परिकल्पना की गई है। समरलकोटा शाखा नहर के लिए 8 टीएमसी और जीडब्ल्यूडीटी पुरस्कार के अनुसार कृष्णा नदी बेसिन में 80 टीएमसी पानी का डाईवर्जन शामिल है।

परियोजना को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 के अनुसार एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। केंद्र सरकार 01.04.2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए केवल परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% वित्त पोषण कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार की ओर से परियोजना के सिंचाई घटक को क्रियान्वित कर रही है। परियोजना का विद्युत घटक एपीजीईएनसीओ द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय की दिनांक 28 मई, 2014 की अधिसूचना के तहत पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के लिए एक शासी निकाय का गठन किया। प्राधिकरण परियोजना निष्पादन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे परियोजना प्रभावित लोगों के डिजाइन, प्रगति की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास (एलए और आर एंड आर) आदि में डब्ल्यूआरडी के मार्गदर्शन में परियोजना को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैसर्स वैपकोस लिमिटेड को परियोजना निगरानी और समन्वय परामर्श सेवाओं और सीएसएमआरएस, नई दिल्ली को गुणवत्ता सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना की अनुमानित लागतः

2017–18 पीएल में दूसरे संशोधित लागत अनुमान (द्वितीय आरसीई) की सीडब्ल्यूसी में जांच की गई और डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की सलाहकार समिति द्वारा 11.02.2019 को आयोजित अपनी 141वीं बैठक में 55,548.87 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग सबंध सलाहकार समिति की स्वीकृति के बाद, 02.04.2019 को जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग के जेएस और एफए की अध्यक्षता में एक संशोधित लागत समिति (आरसीसी) का गठन किया गया था, ताकि पोलावरम सिंचाई परियोजना की लागत में वृद्धि की जांच की जा सके। समिति ने 17.03.2020 को जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 2017–18 पीएल पर 47,725.74 करोड़ रुपये की दूसरी आरसीई की सिफारिश की।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की स्थिति

8 मंडलों में 222 राजस्व गांवों की 373 बस्तियां आंध्र प्रदेश में एएसआर जिले (पूर्व पूर्वी गोदावरी) और एलुरु जिले (पूर्व में पश्चिम गोदावरी) में जलमग्न क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में हैं। इनमें से 5 मंडलों (चिंटूरू, वीआरपुरम, यतापका, कुनावरम और देवीपट्टनम) में 165 राजस्व गांव एएसआर जिले में हैं और 3 मंडलों (पोलावरम, कुकुनूर और वेलेयरपाडु) में 57 राजस्व गांव एलुरु जिले में हैं।

सलाहकार समिति (द्वितीय आरसीई) की 141 वीं बैठक के अनुसार, सरकारी और वन भूमि को छोड़कर, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1,55,464.88 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से आरसीसी ने मार्च 2020 की अपनी रिपोर्ट में 1,27,262.79 एकड़ के रूप में सिफारिश की है। 1,27,262.79 एकड़ में से 1,13,119.07 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नवंबर 2022 तक किया जा चुका है और शेष 14,143.72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन का विवरण				
क्र. सं.	मद	ईएल+41.15 एम तक (चरण 1)	ईएल + 41.15 मीटर से ऊपर (चरण 2)	कुल
1	मंडल प्रभावित	6	2	8
2	राजस्व ग्राम प्रभावि	54	168	222
3	बस्तियां प्रभावित	123	250	373
4	बस्तियां स्थानांतरित की गई	38	0	38
5	शेष बस्तियां	85	250	335
6	कुल आर एंड आर कॉलोनियां	75	138	213
7	आर एंड आर कॉलोनियों को पूरा किया गया	26	0	26
8	शेष आर एंड आर कॉलोनियां	49	138	187
9	कुल पीडीएफ	20,946	85060	1,06,006
10	स्थानांतरित किए गए पीडीएफ की संख्या	11,521	0	11,521
11	**शेष पीडीएफ को स्थानांतरित किया जाना है**	**9,425**	**85,060**	**94,485**

भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां:

परियोजना निर्माण के उन्नत चरण में है। नवंबर, 2022 तक जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत पोलावरम सिंचाई परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	भौतिक प्रगति का प्रतिशत (नवंबर, 2022 तक)
1	अर्थ वर्क	86.99
2	ठोस	81.15
3	संरचनाएं	69.83

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत (नवंबर, 2022 तक)
1	हेड वर्क	76.69
2	दाहिनी मुख्य नहर	92.75
3	बायीं मुख्य नहर	72.33
4	कुल परियोजना (कार्य)	78.64
5	एलए और आर–आर	22.16
समग्र परियोजना (वर्क्स + एलए और आर–आर)		**48.04**

परियोजना पर व्यय:

परियोजना की शुरूआत से नवंबर, 2022 तक 20,736.31 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा से पहले यानी 01.04.2014 से पहले 4,730.71 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा जारी/प्रतिपूर्ति:

मार्च, 2014 तक एआईबीपी के तहत राज्य को 562.47 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। केंद्र सरकार दिनांक 01.04.2014 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए केवल परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% उस तिथि को सिंचाई घटक की लागत की सीमा तक प्रदान करेगी।पीपीए के स्थापना शुल्क के लिए व्यय सहित परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के बाद परियोजना के निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक 13,226.04 करोड़ रुपये की पात्र राशि जारी की गई है।

7.3.11 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी और जीआरएमबी)

शीर्ष परिषद

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम 6) की धारा 84 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के कामकाज की निगरानी के लिए शीर्ष परिषद का गठन किया और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने 29 मई, 2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत निम्नलिखित को शामिल किया:

क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार – अध्यक्ष;

ख) आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री–सदस्य; और

ग) तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री – सदस्य।

अब तक शीर्ष परिषद की दो बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 21.09.2016 को हुई थी। दूसरी बैठक 06.10.2020 को आयोजित की गई थी।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी)

केआरएमबी का गठन राजपत्र अधिसूचना संख्या: एस.ओ.1391 (इ) दिनांक: 28 मई, 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 की उप–धाराओं (1), (4) और (5) के अनुसार किया गया था।

बोर्ड के गठन के बाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में अनिवार्य बोर्ड के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में चर्चा की गई। राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए तकनीकी स्तर के साथ–साथ बोर्ड स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की गईं। राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए तकनीकी स्तर के साथ–साथ बोर्ड स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की गईं। केआरएमबी का अधिकार क्षेत्र जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभागा द्वारा दिनांक: 15.07.2021 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2842 (इ) द्वारा अधिसूचित किया गया है। विभिन्न तकनीकी बैठकों के अलावा बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 06.05.2022 को आयोजित की गई। 16वीं बैठक में, बोर्ड ने "बोर्ड मीटिंग्स के व्यवसाय के लेन–देन के लिए विनियम" को मंजूरी दी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या आर–12011/7/2/2016–पेन रिव दिनांक: 05.10.2018 के तहत अध्यक्ष, केआरएमबी की अध्यक्षता में चेन्नई शहर को पीने के पानी की आपूर्ति हेतु कृष्णा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

समिति की बैठकें प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। समिति की सातवीं बैठक दिनांक 24.06.2022 को हुई। कआरएमबी का अधिकार क्षेत्र जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभागा द्वारा राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2842 (ई) दिनांक 15.07.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके बाद, खंड 1(एल), 2(एफ) और 2(जी) में संशोधन राजपत्र अधिसूचना एसओ 1563 (ई) दिनांक 01.04.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया था। राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2842(ई) दिनांक 15.07.2021 को राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 3511(ई) दिनांक 27.07.2022 द्वारा और संशोधित किया गया।

गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी)

जीआरएमबी का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 के अनुसार राजपत्र अधिसूचना संख्या: एस.ओ.1403 (ई) दिनांक 28 मई, 2014 द्वारा किया गया था। बोर्ड के गठन के बाद, बोर्ड के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में अनिवार्य किए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों

को हल करने के लिए, बोर्ड स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

2022–23 के दौरान, गजट अधिसूचना के कार्यान्वयन, प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी मुद्दों पर बोर्ड की 13वीं बैठक 27.04.2022 को हैदराबाद में आयोजित की गई थी।

बोर्ड की तकनीकी टिप्पणियों के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से जीआरएमबी में प्राप्त तीन परियोजनाओं को 29.11.2022 को आयोजित 151वीं सलाहकार समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया, जो इस प्रकार हैं:

- **रुधा (चन्नखा–कोरटा) बैराज (मध्यम):** नियोजित वार्षिक उपयोग 1.5 टीएमसी (तेलंगाना के लिए 1.2 टीएमसी और महाराष्ट्र के लिए 0.3 टीएमसी) है। तेलंगाना में, आदिलाबाद जिले के 14 गांवों में लगभग 5,466 हेक्टेयर में 1.2 टीएमसी के अपने हिस्से का उपयोग करके सिंचाई की जाती है। महाराष्ट्र में, यवतमाल के 9 गांवों में लगभग 1,214 हेक्टेयर में 0.3 टीएमसी के अपने हिस्से का उपयोग करके सिंचाई की जाती है।
- **चौटपल्ली हनमंथ रेड्डी एलआईएस:** इस योजना में श्री राम सागर परियोजना की लक्ष्मी नहर की डी4 वितरिका से 0.80 टीएमसी पानी का उपयोग करके दो चरणों में पानी उठाने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना निजामाबाद जिले में खरीफ सीजन में 3,359 हेक्टेयर के एक अयाकट की सिंचाई करेगी, जिसमें 1,009 हेक्टर प्रत्यक्ष अयकट और 2,350 हेक्टेयर स्थिरीकरण के लिए 28 टैंक भरे जाएंगे।
- **मुक्तेश्वर (चिन्ना कालेश्वरम) एलआईएस:** इस योजना में जयशंकर भूपालपल्ली जिले के 4 मंडलों के 63 गांवों में 0.3 टीएमसी पीने के पानी की आपूर्ति सहित 14 लघु सिंचाई टैंकों के माध्यम से 18,211 हेक्टेयर की सीमा तक सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए गोदावरी जल के 4.5 टीएमसी का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।

7.3.12 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए)

केंद्र सरकार ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवादों पर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनिर्णयन के लिए अधिसूचना संख्या एसओ 437 (ई) दिनांक 2 जून, 1990 के तहत कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया।

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 5 फरवरी, 2007 को अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के तहत सरकार को अपनी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया। सीडब्ल्यूडीटी का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 19.02.2013 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दिनांक 16.02.2018 में सीडब्ल्यूडीटी के आदेश में थोड़ा संशोधन किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को सीडब्ल्यूडीटी के आदेश को लागू करने के लिए एक 'योजना' तैयार करने का निर्देश दिया, जैसा कि इसके द्वारा संशोधित किया गया है। इसके बाद, उक्त अधिनियम की धारा 6ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 16.02.2018 के निर्णय को प्रभावी करने के लिए 01 जून, 2018 को ''कावेरी जल प्रबंधन योजना'' को अधिसूचित करने के साथ–साथ, 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (सीडब्ल्यूएमए) और 'कावेरी जल विनियमन

समिति '(सीडब्ल्यूआरसी)' का गठन किया।

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, दो अंशकालिक सदस्य, पार्टी राज्यों – केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्राधिकरण इस तरह की शक्ति का प्रयोग करता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा संशोधित ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक, पर्याप्त और समीचीन कुछ या सभी चीजों को करने के लिए इस तरह के कर्तव्य का निर्वहन करेगा।

(i) कावेरी जल का भंडारण, विभाजन, विनियमन और नियंत्रण;

(ii) जलाशयों के संचालन का पर्यवेक्षण और विनियमन समिति की सहायता से जल निकासी का विनियमन;

(iii) वर्तमान में कर्नाटक और तमिलनाडु की साझी सीमा पर स्थित बिलिगुंडुलु गेज और डिस्चार्ज स्टेशन के रूप में पहचाने जाने वाले अंतर–राज्यीय संपर्क बिंदु पर कर्नाटक द्वारा विनियमित रिलीज,

वर्ष 2022–23 (1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक) के दौरान, सीडब्ल्यूएमए की 3 बैठकें और सीडब्ल्यूआरसी की 13 बैठकें आयोजित की गईं।

7.3.13 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए)

जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 25.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एनडीएसए की स्थापना सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में अतिरिक्त प्रभार के आधार पर 5 सदस्यों यानी सदस्य (तकनीकी), सदस्य (नीति और अनुसंधान), सदस्य (विनियमन), सदस्य (आपदा और लचीलापन) और सदस्य (प्रशासन और वित्त)। एनडीएसए के सदस्यों के पद सीडब्ल्यूसी और डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रभार के आधार पर रखे जा रहे हैं। एनडीएसए का समर्थन करने के लिए, अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सीडब्ल्यूसी के निदेशक की अध्यक्षता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर, पूर्व और उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण) भी स्थापित किए गए हैं।

एनडीएसए निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण और रखरखाव के लिए एनसीडीएस द्वारा विकसित नीति, दिशानिर्देशों और मानकों को लागू करेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 17.02.2022 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 758(ई) और जी.एस.आर.135 (ई) द्वारा क्रमशः एनडीएसए और कार्य और शक्ति नियम 2022 की स्थापना की।

एनडीएसए द्वारा कार्रवाई:

- डीएसए, 2021 की धारा 31(1) के अनुसार, एक निर्दिष्ट बांध का प्रत्येक मालिक अपनी बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से हर साल ऐसे प्रत्येक बांध के संबंध में मानसून पूर्व और मानसून के बाद निरीक्षण करेगा। 16.12.2022 तक, बांध की स्वामित्व वाली एजेंसियों ने बताया कि वर्ष 2022 में 3,919 बांधों के लिए मानसून पूर्व निरीक्षण और 1,112 बांधों के लिए मानसून के बाद के निरीक्षण किए गए हैं। एनडीएसए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न राज्यों के एससीडीएस और एसडीएसओ को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी बांधों का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
- अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, एनडीएसए को एनसीडीएस की सिफारिश पर 19 विनियम तैयार करने की आवश्यकता

है। 12.05.2022 को मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए एक उप–समिति का गठन किया गया था। एनसीडीएस द्वारा अपनी पहली बैठक में प्राथमिकता वाले 7 नियमों को एनडीएसए द्वारा तैयार किया गया है।

- हाल ही में बांध से संबंधित तीन घटनाओं की सूचना मिली है (i) करम बांध, मध्य प्रदेश का धार जिला; (ii) अर्दला बांध, मध्य प्रदेश का जिला खंडवा; और (iii) परम्बिकुलम बांध, जिला– पलक्कड़, केरल। एनडीएसए में घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, एनडीएसए के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार तुरंत एनडीएसए के अधिकारियों को परियोजना स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया और अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपाय किए गए/सुझाए गए।

एनडीएसए ने 19.05.2022 और 25.08.2022 को दो बैठकें की हैं। एनडीएसए ने देश के सभी चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक–सह कार्यशाला का भी आयोजन किया – 3 सितंबर 2022 को कोयंबटूर में, 10 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ में, 11 नवंबर 2022 को पुणे में और 19 नवंबर 2022 को गुवाहाटी में, और राज्यो को संवेदनशील बनाने और उन पर बल देने के लिए डीएसए, 2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिए संबंधित क्षेत्र में राज्य एससीडीएस और एसडीएसओ और केंद्रीय/राज्य पीएसयू के अधिकारियों ने उनमें भाग लिया।

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री को 11 जनवरी, 2023 को श्री आर. के. अग्रवाल, सीएमडी, वैपकोस और एनपीसीसी द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश चेक प्रदान किया गया

8 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री 06.06.2022 को वाप्कोस में समीक्षा बैठक के दौरान

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

8.1 जल और विद्युत परामर्श सेवा लिमिटेड (वाप्कोस)

वाप्कोस लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 26 जून, 1969 को निगमित जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभागा के तत्वावधान में एक "मिनिरत्ना–I" सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वाप्कोस भारत और विदेशों में पानी, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं और निर्माण में लगी हुई है। वाप्कोस पचास से अधिक देशों में विशेष रूप से दक्षिण एशिया और पूरे अफ्रीका में अपने निगमन के बाद से विभिन्न ग्राहकों को इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। वाप्कोस के पास अपने संचालन के क्षेत्रों में किसी भी पैमाने और जटिलता की परामर्श और ईपीसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अपेक्षित अनुभव और विशेषज्ञता है। परियोजनाओं का वैपकोस पोर्टफोलियो प्रकृति में विविध है। कंपनी ने जल संसाधन, बिजली और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में परामर्श सेवाओं के लिए **आईएसओ 9001:2015** साथ ही आवासीय, कार्यालय भवनों, सिविल कार्यों, सड़कों और राजमार्गों, सिंचाई, कृषि और जल परियोजनाओं, उत्पादन, सबस्टेशन, पारेषण, वितरण नेटवर्क, ग्रामीण विद्युतीकरण और अक्षय ऊर्जा, औद्योगिक, आईटी, दूरसंचार और संबंधित परियोजनाओं से संबंधित इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण परियोजनाओं के लिए **आईएसओ 9001:2015** दोनों की आवश्यकताओं के अनुपालन में एक व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

कंपनी के विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं–

- सिंचाई, जल निकासी और जल प्रबंधन
- भूजल अन्वेषण और लघु सिंचाई
- बाढ़ नियंत्रण और नदी आकृति विज्ञान
- जल विभाजन प्रबंधन
- बांध और जलाशय इंजीनियरिंग
- नदी बेसिन योजना
- पनबिजली, ताप विद्युत
- सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा विकास
- जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी
- बंदरगाह, बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास
- सड़कें, रेलवे और राजमार्ग इंजीनियरिंग
- भवन और टाउनशिप
- रोपवे

वाप्कोस अपने विविध अनुभव, मुख्य दक्षताओं और अपने निपटान में उपलब्ध नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके 'अवधारणा–से–कमीशनिंग' और पानी, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं से परे कई सेवाएँ प्रदान करता है। इन वर्षों में, वाप्कोस ने परियोजना विकास चक्र के प्रत्येक चरण में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए विशेषज्ञता विकसित की है।

किसी भी दी गई परियोजना के लिए वाप्कोस सेवाओं में कोई एक या (i) प्रारंभिक जांच और टोही; (ii) व्यवहार्यता अध्ययन, योजना और परियोजना तैयार करना; (iii) क्षेत्र सर्वेक्षण और परीक्षण; (iv) डिजाइन इंजीनियरिंग; (v) बेसलाइन और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण; (vi) टेंडर इंजीनियरिंग; (vii) संस्थागत और मानव संसाधन विकास; (viii) परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण; (ix) संचालन और रखरखाव; (x) इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंसी, टर्नकी और डिपॉजिट वर्क्स; और (xi) अन्य परामर्श सेवाएं शमिल हैं।

वैपकोस की यूएसपी

वाप्कोस के अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव (यूएसपी) में सिंचाई, जल संसाधन और कृषि क्षेत्र में 550 से अधिक परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और जांच/पूर्व–व्यवहार्यता/डीपीआर शामिल हैं, जो 17 मिलियन हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता के विकास में योगदान करते हैं; बंदरगाहों और अंतर्देशीय नेविगेशन में 200 से अधिक परियोजनाएं; जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण और शहरी विकास, सड़कों और राजमार्ग इंजीनियरिंग में 500 से अधिक परियोजनाएं; भारत और विदेशों में सिंचाई, हाइड्रो/थर्मल पावर, बंदरगाहों और बंदरगाहों के क्षेत्र में 300 से अधिक परियोजनाओं के लिए ईआईए। इसी प्रकार, पनबिजली क्षेत्र में; वाप्कोस ने 19 देशों में 9,500 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाली लगभग 60 पनबिजली परियोजनाओं के लिए परामर्श और ईपीसी सेवाएँ प्रदान की हैं; भारत में 22,500 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाली 107 से अधिक पनबिजली परियोजनाएं। थर्मल पावर में, कंपनी ने लगभग 6,100 मेगावाट की क्षमता वाली 10 विदेशी परियोजनाओं और भारत में लगभग 15,000 मेगावाट की क्षमता वाली 19 परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

वाप्कोस विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक, परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और जर्मन विकास बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जैसी बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित कई विकास परियोजनाओं से जुड़ा है। यूरोपीय निवेश बैंक और पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक। यह अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, नेपाल, घाना और तंजानिया जैसे विभिन्न देशों के लिए भारत सरकार की द्विपक्षीय वित्त पोषण पहल के हिस्से के रूप में प्रमुख विकास परियोजनाओं से भी जुड़ा हुआ है।

वाप्कोस आपरेशन

वाप्कोस ने पचास (50) से अधिक देशों में अपने ग्राहकों को इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। वाप्कोस ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं लेकर जल, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विशेष रूप से दक्षिण एशिया और पूरे अफ्रीका में वैश्विक उपस्थिति विकसित की है। विदेशों में व्यापक उपस्थिति और असाइनमेंट वर्षों से इसके वैश्विक अनुभव और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में, वाप्कोस 33 देशों, अर्थात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलीज, भूटान, बोत्सवाना, बुरुंडी, कंबोडिया, क्यूबा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डीआर कांगो, इस्वातिनी, इथियोपिया, फिजी द्वीप समूह, घाना, गाम्बिया, इंडोनेशिया, लाइबेरिया , लाओ पीडीआर, मोजाम्बिक, म्यांमार, मंगोलिया, निकारागुआ, नाइजर, नेपाल, रवांडा, श्रीलंका, सूरीनाम, सिएरा लियोन, तंजानिया, टोगो, युगांडा, वियतनाम और जिम्बाब्वे में परियोजनाएं चला रहा है ।

वाप्कोस भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल होने के गौरव के साथ, सभी सरकारी

और निजी क्षेत्रों में फैले 100 से अधिक परियोजना कार्यालयों के माध्यम से भारत के सभी राज्यों में काम करता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

वैपकोस कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और समय–समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में विविध क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों का संचालन करता है।

वर्ष के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, स्कूली शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता क्षेत्र, समाज के वंचित सदस्यों का सामाजिक–आर्थिक विकास और पीएम केयर फंड में योगदान शामिल है।

8.2 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी)

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) की स्थापना 9 जनवरी, 1957 को देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एक प्रमुख निर्माण कंपनी के रूप में की गई थी। एनपीसीसी लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में एक मिनी रत्न (श्रेणी–I) और आईएसओ 9001:2015 मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और आईएसओ 9001: 2015 जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से मान्यता प्राप्त है और नई दिल्ली में अपने पंजीकृत कार्यालय, गुरुग्राम में कॉर्पोरेट कार्यालय और विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ देश में अच्छी तरह से स्थापित है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

- टाउनशिप और अन्य आवासीय भवन,
- संस्थागत भवन,
- कार्यालय परिसर,
- सड़कें, पुल और फ्लाईओवर,
- अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं,
- औद्योगिक संरचनाएं,
- भूतल परिवहन परियोजनाएं,
- पर्यावरणीय परियोजनाएं,
- विरासत परियोजनाएं,
- ताप विद्युत परियोजनाएं,
- हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट,
- बांध, बैराज और नहरें, और
- सुरंग और भूमिगत परियोजनाएं

पूरे किए गए प्रमुख कार्य:

- राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), चरण–II, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की स्थापना।
- कराड (महाराष्ट्र) में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए भूकंपीय अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण।
- आयुष मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), सिलचर, असम की स्थापना।
- बागवानी और वानिकी कॉलेज, थेनजावल, मिजोरम का निर्माण।
- 12वीं योजना के तहत सेलेसिह, मिजोरम में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय में बहु प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र (एमटीटीसी) और व्यावसायिक परीक्षण केंद्र (वीटीसी) का निर्माण।
- हथियारी सरफेस पावर हाउस (120 मेगावाट क्षमता) के साथ–साथ सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, 7 मीटर व्यास का निर्माण। और 1.35 किमी लंबी हेड रेस टनल, देहरादून, उत्तराखंड।
- राजस्थान में (धौलपुर, जयपुर और नागौर में), झारखंड (खूंटी, लोहरदगा, चतरा,

गिरिडीह और दुमका में) और गुजरात में (पाटन में) केंद्रीय विद्यालय स्कूल का निर्माण और विकास।

- मेरठ, उत्तर प्रदेश में एसटीपीआई भवन का निर्माण।
- मंतलाई, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पर्यटक सुविधाओं का विकास।
- बख्शी स्टेडियम, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) में खेल सुविधाओं का नवीनीकरण, उन्नयन और विकास।
- असम में आयुष मंत्रालय के तहत शिलांग में आयुर्वेद और होम्योपैथी के पूर्वोत्तर संस्थान (एनईआईएएच) का निर्माण।

मंतलाई, जम्मू और कश्मीर में पर्यटक सुविधाओं का विकास

बख्शी स्टेडियम, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं का विकास

निष्पादन के तहत प्रमुख कार्यः

- गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभिन्न स्थानों पर एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) और एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) का निर्माण।
- राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश,

हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभिन्न स्थानों में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) स्कूलों का निर्माण।

- सरिता विहार (नई दिल्ली) में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) भवन का निर्माण, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषधि विकास अनुसंधान संस्थान (एनआरआईएडीडी) भवन और जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) भवन निर्माण कार्य। राजस्थान) आयुष मंत्रालय के तहत।
- नवोदय विद्यालय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर काम करता है।
- केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में काम करता है।
- अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के पूर्वोत्तर राज्यों में असम राइफल्स के जेसीओ क्लब, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार और शस्त्रागार की दुकान, अधिकारी मेस, कुक हाउस सह डाइनिंग हॉल, एकल पुरुष बैरक आदि का निर्माण कार्य।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान (ऐएसआर–आईआईआईएम) के लिए औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) के लिए सीमा चौकियों (बीओपी), सड़कों और बाड़ लगाने के कार्यों का निर्माण।
- पूर्वोत्तर राज्यों में गृह मंत्रालय (एमएचए) के लिए बॉर्डर फ्लडलाइटिंग कार्यों का निर्माण।
- सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कैंपस, गांदरबल (जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) में जी+1 लोड बेअरिंग वॉल टाइप स्ट्रक्चर का निर्माण।
- कर्नाटक के गांधीनगर और बोमनहल्ली में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नालियों का निर्माण और पुनर्निर्माण।
- पुलिस मुख्यालय, लेह के लिए सोलर कॉलोनी, चोगलामसर, लेह (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख) में विभिन्न पुलिस भवन अवसंरचनाओं का निर्माण।
- ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर विज्ञान केंद्र सह तारामंडल का निर्माण।
- लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआईपी) के नए भवन का निर्माण।
- पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर विकास प्राधिकरण (टीडीए) के तहत तारकेश्वर, हुगली के नगरपालिका शहर के लिए तूफान जल निकासी योजना।

एनआरआईएडीडी, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में नए भवन का निर्माण

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नोएडा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय भवन का निर्माण

कठुआ, जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा असम के गोलाघाट में कटाव प्रबंधन, 2022 विषय पर दिनांक 16.12.2022 को आयोजित कार्यशाला का वर्चुअल उद्घाटन

9 पूर्वोत्तर में की गई पहलें

केन्द्रीय जल आयोग कार्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम (13 – 15 अगस्त, 2022)

9. पूर्वोत्तर में की गई पहलें

9.1 राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान

उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग (तीस्ता बेसिन) की भूजलवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी, गुवाहाटी) द्वारा इस क्षेत्र में जल संसाधन के क्षेत्र में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और शैक्षणिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से संवाद जारी है। एनईआरसी, गुवाहाटी में अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं (i) बाढ़ अनुमान और रूटिंग; (ii) बाढ़ प्रबंधन के लिए संरचनात्मक/गैर संरचनात्मक उपाय; (iii) बाढ़ नियंत्रण के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन; (iv) भूजलवैज्ञानिक डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली; (v) जल निकासी में बाधा और कटाव की समस्या; (vi) जल गुणवत्ता की समस्या; और (vii) बाढ़ आपदा का सामाजिक–आर्थिक पहलू।

वर्ष 2022–23 के दौरान एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा निम्नलिखित अध्ययनों पर कार्य किया गया है :

- ब्रह्मपुत्र बेसिन के कुछ भागों में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए उपग्रह अवक्षेपण डेटासेट का उपयोग करते हुए रैखिक भूजलवैज्ञानिक रूटिंग।
- पूर्वी जयंतिया हिल्स, मेघालय में वर्षा प्रेरित बाढ़ जोखिम भेद्यता आकलन।
- बेकी नदी बेसिन में बाढ़ जलप्लावन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
- असम में सूखा विशिष्टीकरण और भेद्यता मूल्यांकन।
- सिक्किम में रंगित नदी के साथ संगम तक तीस्ता बेसिन में नदी बेसिन योजना अध्ययन।
- मेघालय के गारो हिल्स जिले में बाढ़ और अप्रत्याशित सूखे जैसी स्थितियों पर अध्ययन।
- विश्व में सबसे बड़ी बसावट वाली माजुली नदी द्वीपके साथ बैंकलाइन कटाव प्रक्रिया के फोरेंसिक विश्लेषण के लिए एक युग्मित हाइड्रोडायनामिक और बैंक गतिशील मॉडलिंग दृष्टिकोण।

केंद्र द्वारा गुवाहाटी में आजादी का अमृत महोत्सव@इंडिया 75 के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया गया है।

9.2 केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला

सीएसएमआरएस द्वारा 33 परियोजनाओं, 3 विदेश में, 4 भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और 3 इंटरलिंकिंग परियोजनाओं की जांच की गई। जांच में मिट्टी, चट्टान, रॉकफिल, जियोसिंथेटिक्स, कंक्रीट और इसके घटकों के क्षेत्रों में फील्ड और

प्रयोगशाला जांच शामिल थी। पड़ोसी देश की तीन परियोजनाओं खोलोंगछू जलविद्युत परियोजना, भूटान, कुरी गोंगरी परियोजना, भूटान और पुनातसांगछू–I जलविद्युत परियोजना, भूटान की शुरुआत की गई। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश, कटखल सिंचाई परियोजना, असम, हेओरा बांध परियोजना, त्रिपुरा और चंपैचेरा बांध परियोजना, त्रिपुरा चार परियोजनाएं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित हैं।

9.3 केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड गुवाहाटी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य एकक कार्यालयों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) में अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। वर्ष 2022 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी की प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों का सार निम्नलिखित है:

क्र. सं.	गतिविधियां	उपलब्धियां
1.	जलभृत मैपिंग के लिए फील्ड गतिविधियां	नैक्यूम कार्यक्रम के तहत जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 19,184 वर्ग किमी का क्षेत्र को शामिल किया गया है।
2.	भूजल अन्वेषण	जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक,सीजीडबल्यूबी द्वारा 9 कुओं का निर्माण किया गया है।
3.	जल गुणवत्ता विश्लेषण	मूल घटकों और भारी धातुओं के लिए 2,258 जल के नमूनों का विश्लेषण किया गया।
4.	भूजल संसाधन आकलन (आधार वर्ष 2020)	सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भूजल संसाधन आकलन (मार्च 2022 तक) किया गया था। सभी राज्यों के साथ रिपोर्ट साझा की गई।
5.	भूजल क्षेत्र मानीटरिंग	659 भूजल मानीटरिंग स्टेशनों पर वर्ष में चार बार (जनवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर) की नियमित मानीटरिंग की जा रही है।
6.	लघु अवधि जल आपूर्ति जांच	23 अन्वेषन किए गए।
7.	जन संपर्क कार्य हम (पीआईपी)	वर्ष 2022 के दौरान 19 जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षणों में कुल 1,807 प्रतिभागी थे, जिनमें से 876 महिला प्रतिभागी थीं।
8.	सीजीडब्ल्यूए के तहत देश में भूजल विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण	406 एनओसी जारी किए गए और 702 को छूट दी गई।
9.	प्रशिक्षण	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (जनवरी 2022 – दिसंबर 2022 के दौरान) के तत्वावधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 02 टियर III प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षणों में कुल 242 प्रतिभागी थे जिनमें से 131 महिला कर्मचारी थीं।

पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी– पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल सिंचाई योजनाएं:

वर्तमान में, 6 पूर्वोत्तर राज्यों– असम चरण–I और II, अरुणाचल प्रदेश चरण–I और II, त्रिपुरा चरण– I और II, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में 785.85 करोड़ रुपये की लागत से 9 परियोजनाओं को इस योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की कुल केन्द्रीय सहायता 707 करोड़ रुपए हैं जिसमें से 630.15 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

इन परियोजनाओं के तहत, 31 दिसंबर, 2022 तक 12,746 सिंचाई कुओं का निर्माण (लक्ष्य 12,829 कुएं) किया गया है, जिसमें 46,501 हेक्टेयर कमान क्षेत्र (लक्ष्य 48,808 हेक्टेयर) का निर्माण किया गया है, जिससे 47,695 छोटे और सीमांत किसान (48,452 किसानों का लक्ष्य) लाभान्वित हुए हैं।

केंद्रीय सहायता (सीए) के प्रासंगिक विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	राज्य	प्रस्ताव की लागत (करोड़ रुपए)	केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए)	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए)	केंद्रीय सहायता जारी करने का माह
1	असम– चरण–I	246.07	221.07	183.67	अगस्त–19 मार्च–22
2	अरुणाचल प्रदेश – चरण–I	45.3	40.77	40.45	अगस्त–19 जनवरी–22 मार्च–22
3	अरुणाचल प्रदेश चरण –II	44.95	40.25	39.45	फरवरी–20 दिसंबर–21 मार्च–22
4	नागालैंड	18.15	16.25	15.60	फरवरी–20 मार्च–22
5	त्रिपुरा चरण–I	13.31	11.91	9.53	जनवरी–20 फरवरी–22 मार्च–22
6	मणिपुर	61.68	55.51	54.40	जुलाई–20 फरवरी–22 मार्च–22
7	मिज़ोरम	16.04	14.44	8.66	जुलाई–20
8	असम चरण – II	292.01	262.81	252.29	फरवरी–21 जुलाई–21 मार्च–22
9	त्रिपुरा चरण– II	48.34	43.51	26.10	दिसंबर–21
	कुल	**785.85**	**706.91**	**630.15**	

श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री त्रिपुरा के धलाई जिले में 13.04.2022 को आयोजित त्रिपुरी नृत्य के 20वें राज्य स्तरीय बुसू उत्सव में उपस्थित हुए

9.4 बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

मणिपुर और मेघालय राज्य (कार्यान्वयन एजेंसियां: मणिपुर जल संसाधन विभाग और मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एमईपीजीसीएल)) क्रमशः 311 करोड़ रुपये और 441 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच (5) और छह (6) बांधों के पुनर्वास प्रावधान के साथ डीआरआईपी चरण II और चरण III के तहत भागीदार राज्य हैं। ये राज्य 90% ऋण राशि के केंद्रीय अनुदान के लिए पात्र हैं। विशेष श्रेणियों के राज्यों के लिए वित्त पोषण पैटर्न 80:20 (ऋणः प्रतिपक्ष वित्तपोषण) है। डीआरआईपी चरण II के तहत, मणिपुर जल संसाधन विभाग द्वारा 140 करोड़ रुपये की राशि के साथ सिविल कार्यों के लिए 3 निविदाएँ प्रदान की गई हैं जबकि मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा 27 करोड़ रुपये की राशि का एक टेंडर स्वीकृत किया गया है।

9.5 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

एनपीसीसी पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे और अन्य सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिए पिछले 36 वर्षों से आठ पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत है।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना और सड़क निर्माण कार्य:

एनपीसीसी त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के अधिकांशतः उग्रवाद प्रवण क्षेत्र में 640.753 किमी (वास्तविक रूप में 623.301 किमी), 529.998 किमी (वास्तविक रूप में 509.566 किमी) सड़क और 154.72 किमी (वास्तविक रूप में 101.59 किमी) सड़क पर बाड़ लिंक रोड के निर्माण पर कार्य कर रहा है। एनपीसीसी द्वारा सीमा पर फेंसिंग के साथ सड़क का जाल बिछाकर उस क्षेत्र को पहुंच योग्य बना दिया गया है, जहां पहले सड़क नहीं होने के कारण बीएसएफ के जवान 20 से 30 किमी पैदल चलते थे।

भारत–बांग्लादेश सीमा फ्लड–लाइटिंग कार्य:

गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा और मेघालय की सीमा पर फ्लड–लाइटिंग के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। एनपीसीसी ने त्रिपुरा में 687.90 किमी और मेघालय में 341.60 किमी का बॉर्डर फ्लड लाइट का कार्य पूरा कर लिया है। बॉर्डर फ्लड लाइट बीएसएफ को विद्रोही समूहों और अवैध प्रवासियों पर 24 घंटे निगरानी रखने में मदद कर रही है।

सीमा चौकी (बीओपी) कार्यः

एनपीसीसी ने बीएसएफ द्वारा सीमा गतिविधियों की निगरानी के लिए पूर्वोत्तर के कठिन क्षेत्रों में बीओपी निर्माण कार्य पूरा कर लिया हैः त्रिपुरा–48 चौकी (कुल–50), मिजोरम–4 चौकी (कुल–21), असम–5 चौकी (कुल–6), मेघालय–12 चौकी (कुल–17) और पश्चिम बंगाल–76 चौकी (कुल–94)।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) के कार्यः

एनपीसीसी सूचना प्रौद्योगिकी के कौशल के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में 10 विस्तार केंद्रों और नाइलिट के एक केंद्र के लिए आधारभूत संरचना बनाने में भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने में योगदान प्राप्त होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कार्यः

धेमाजी, असम में आईएआरआई के भवन, निदेशालय ब्लॉक, गेस्ट हाउस, लड़कों के छात्रावास, लड़कियों के छात्रावास, सड़कों, चारदीवारी का निर्माण और विभिन्न साइट विकास कार्य।

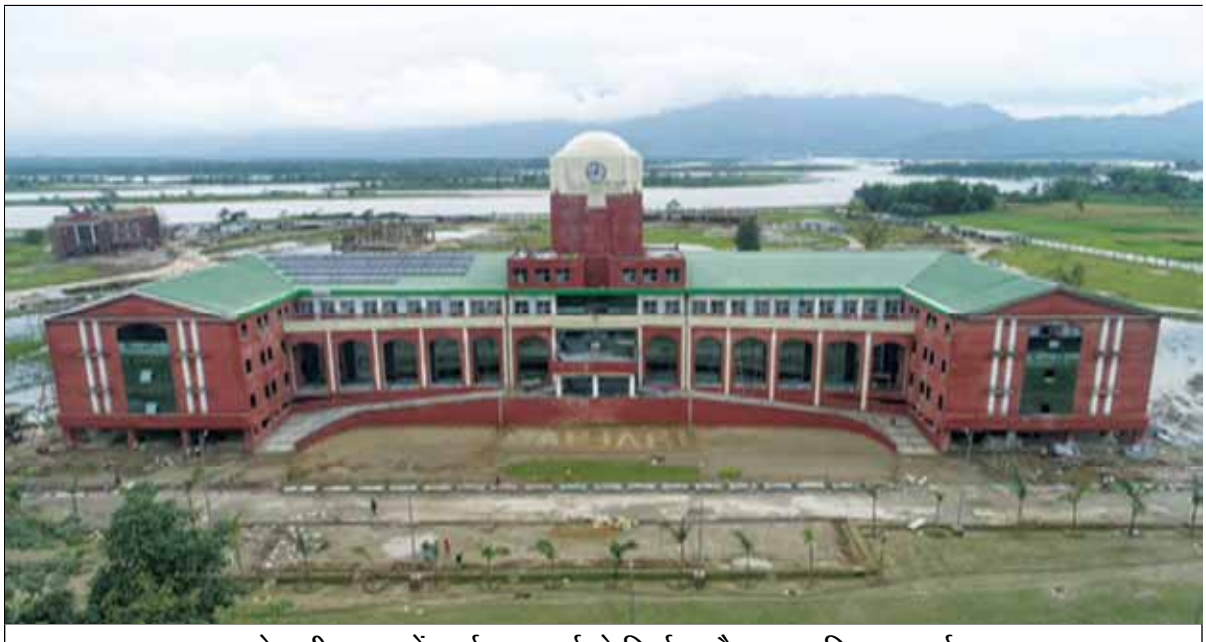

धेमाजी, असम में आईएआरआई के निर्माण और साइट विकास कार्य

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) के कार्यः

सेलेसिह (मिजोरम) में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज में बहु प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र (एमटीटीसी) और व्यावसायिक परीक्षण केंद्र (वीटीसी), जलुकी (नागालैंड) में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, थेनजावल में बागवानी और वानिकी कॉलेज का निर्माण (मिजोरम), केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) के तहत आइरोइसेम्बा, इंफाल (मणिपुर) में कृषि महाविद्यालय।

असम राइफल्स के कार्य

पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में प्रशासनिक ब्लॉक, सभी प्रकार के आवासीय क्वार्टरों के साथ अस्पतालों, बैरक, चौकी, मनोरंजन केंद्रों, पुस्तकालय भवन, संग्रहालय भवन, एमटी पार्क आदि के साथ असम राइफल्स की पूर्ण स्थापना का निर्माण।

9.6 ब्रह्मपुत्र बोर्ड

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा नेरीवालम के सहयोग से स्थानीय जनजातियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय लोगों की जल प्रबंधन प्रथाओं का वैज्ञानिक प्रसार और सुधार कार्य किया गया है। पहले चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चार क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए कठोर और नरम उपायों जिन्हें बायो–इंजीनियरिंग विधि के रूप में जाना जाता है, के लिए आईआईटी, गुवाहाटी के सहयोग से माजुली द्वीप में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। पगला/बैतामारी, ऐई, बेकी, पगलादिया, संकोश, गंगिया और सरलभंगा नदियों द्वारा बीटीसी क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ और कटाव की जांच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंत्रालय के एक सार्वजनिक उपक्रम वैपकोस को कार्य आवंटित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा की गई गतिविधियों को पहले ही ***अध्याय 7*** में विस्तार से शामिल किया जा चुका है।

9.7 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान

प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करता है। वर्ष 2022 (जनवरी से दिसंबर, 2022 तक) के प्रशिक्षण के प्रतिभागियों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित हैः

राज्य का नाम	प्रतिभागियों की कुल संख्या	राज्य का नाम	प्रतिभागियों की कुल संख्या
असम	1,599	नागालैंड	355
अरुणाचल प्रदेश	156	त्रिपुरा	11
मणिपुर	326	सिक्किम	123
मेघालय	190	अन्य राज्य	175
मिज़ोरम	164		
कुलः	**3,099**		

आउटरीच गतिविधिः

नेरीवाल्म द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सहयोग से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल प्रबंधन की अच्छी प्रथाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। जीरो और पक्के कसांग, अरुणाचल प्रदेश में जल प्रबंधन और जल संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को सामुदायिक भागीदारी के साथ शुरू किया गया है। भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रभावी जल प्रबंधन हेतु समुदाय के सदस्यों के लिए बुनियादी शिक्षण कार्यशालाओं और पायलट गतिविधि योजना का आयोजन किया गया है। इस संस्थान द्वारा असम के जमुगुरी में किसान के खेत में आलू की फसल हेतु जल प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर एक प्रदर्शनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

प्रायोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी

इस संसाठन द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित किए गए 72 कार्यक्रमों में से, 03 प्रशिक्षण/कार्यशालाओं प्रायोजित थे, जबकि 12 स्व– वित्तपोषित थे और शेष 57 संस्थान की निधि से आयोजित किए गए थे।

जल संसाधन प्रबंधन में एम.टेक. पाठ्यक्रम

नेरीवाल्म की स्थापना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सिंचाई और कृषि के लिए जल और भूमि प्रबंधन में पाठ्यक्रम निर्धारित करना और विश्वविद्यालयों और अन्य उपयुक्त शैक्षणिक निकायों की संबद्धता से परीक्षाएं आयोजित करना और प्रमाण पत्र, डिप्लोमा आदि प्रदान करना है। इस संस्थान द्वारा वर्ष 2019–2020 में जल संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.टेक.) पाठ्यक्रम की शुरुआत कर इस उद्देश्य को पूरा किया गया ।

नेरीवाल्म शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी से संबद्ध है। यह पाठ्यक्रम एआईसीटीई, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। डिग्री कोर्स की अवधि दो वर्ष की है और इसके लिए 66 क्रेडिट सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2022 में एम.टेक. पाठ्यक्रम के चतुर्थ बैच में 12 छात्र हैं। पाठ्यक्रम में शामिल मुख्य विषय सतही जल, भूजल, जल गुणवत्ता, सिंचाई, ऑन–फार्म विकास, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान पद्धति और आईपीआर, जल संबंधी कानूनी पहलू आदि हैं।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियां

इस संस्थान द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य सरकार के विभागों के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ संचालित की गई हैं। वर्ष 2022–2023 के दौरान, इस संस्थान द्वारा असम में सिंचाई परियोजना (पीएमकेएसवाई–एआईबीपी) का सहवर्ती मूल्यांकन, मेघालय में पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी सिंचाई परियोजना का सहवर्ती मूल्यांकन, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा में हाओरा और चंपामुरा जलाशय योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए कमान क्षेत्र हेतु अर्ध–विस्तृत मृदा सर्वेक्षण और सिंचाई योजना तैयार करना, अरुणाचल प्रदेश में उन्नत बेसिन योजना तैयार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी जल प्रबंधन प्रथाएं लागू करना।

9.8 पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना संबंधी कार्य

विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं:

सिक्किम: एनआरसीपी के तहत, सिक्किम में रानी चू, तीस्ता और रंगित नदियों के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए 569.09 करोड़ रुपये की लागत से 6 शहरों नामतः गंगटोक, रानीपूल, सिंगटम, ममगन, चुंगथांग और गेजिंग में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। परियोजनाओं के तहत स्वीकृत कार्य सीवेज अवरोधन और डायवर्जन, सीवेज उपचार संयंत्रों, सीवर मेन्स के पुनर्वास, कम लागत वाली स्वच्छता, रिवर फ्रंट विकास और बेहतर लकड़ी के शवदाह गृहों के निर्माण से संबंधित हैं। इन कस्बों में 26.00 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के तहत, अन्य सीवरेज बुनियादी सुविधाओं और रिवर फ्रंट विकास कार्यों के साथ 20.12 एमएलडी का एक एसटीपी पहले ही चालू किया जा चुका है। वर्तमान में योजना का कार्यान्वयन जारी है।

नागालैंड: नागालैंड के दीमापुर में दिफू और धनसिरी नदियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए 78.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एनआरसीपी के तहत काम स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना के तहत परिकल्पित कार्य 25.43

एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य संबद्ध सीवरेज कार्यों, कम लागत वाली स्वच्छता, वनीकरण आदि से संबंधित हैं। परियोजना के अंतर्गत अन्य संबद्ध सीवरेज कार्य, कम लागत वाली स्वच्छता, वनीकरण, कार्य आदि के साथ 25.43 एमएलडी का एक एसटीपी पहले ही चालू किया जा चुका है।

मणिपुरः इंफाल, मणिपुर में नामपुल नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 97.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एनआरसीपी के तहत कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत अन्य संबद्ध सीवरेज कार्यों, कम लागत वाली स्वच्छता, वनीकरण आदि के साथ साथ 16 एमएलडी और 1 एमएलडी क्षमता के 2 सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में योजना का कार्यान्वयन जारी है।

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री, सचिव और संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान

10

विभाग के विंग, प्रशिक्षण और शासन

श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री दिनांक 21.06.2022 को मयूरभंज, ओडिशा में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान

10. विभाग के विंग, प्रशिक्षण और शासन

10.1 विभाग के विंग

विभाग के विभिन्न विंगों/प्रभागों के कार्यों के आवंटन का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन/आईसी और जीडबल्यू) के नेतृत्व में प्रशासन विंग

i. प्रशासन अनुभाग (एससी/एसटी एवं ओबीसी सेल सहित)

- (विभाग (सचिवालय) के सभी (समूह 'क', 'ख' और 'ग' कर्मचारियों) के स्थापना मामले
- सलाहकारों की नियुक्ति
- प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
- अग्रिम
- सहायक सचिवों की प्रतिनियुक्ति
- माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री कार्यालय से संबंधित मामले
- ई–एचआरएमएस
- एफआर 56(जे)
- रिपोर्ट/रिटर्न
- छुट्टी/एलटीसी/सर्विस बुक आदि संबंधित मामले
- एपीएआर सेल
- कोर्ट केस
- एयर टिकट सेल
- भर्ती नियम
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी प्रकोष्ठ
- कार्य आवंटन नियम, 1961 से संबंधित मामले
- चुनावी मामले
- विविध मामले

ii. सामान्य प्रशासन अनुभाग :

- स्टेशनरी, कार्ट्रीजेज, क्रॉकरी, ब्रीफकेस, उपभोज्य वस्तुओं आदि की खरीद और ऑनलाइन वितरण;
- सभी कार्यालयों के साथ समन्वय सहित स्वच्छ भारत कार्य और विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन से संबंधित कार्यों की पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को रिपोर्ट करना;
- विभाग के सभी भवनों में शौचालय सहित कार्यालय स्थान का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- हाउसकीपिंग से संबंधित सभी कार्य जैसे हाउसकीपिंग कार्य के लिए सेवाओं की आउटसोर्सिंग, ऑफिस स्पेस का सैनिटाइजेशन आदि।

iii. केंद्रीय रजिस्ट्री (सी.आर.) अनुभाग

- प्राप्ति, स्कैन/डायरी और आने वाली डाक का वितरण।
- जाने वाली डाक का प्रेषण।
- डाक टिकटों और फ्रैंकलिंग मशीनों के डाक मूल्यों के खातों का रखरखाव।

- स्पीड पोस्ट बिलों का निपटान।

iv. रोकड़ अनुभाग

- वेतन बिल
- जीपीएफः पीएफएमएस पोर्टल में 252 अधिकारियों/कर्मचारियों (पुरानी पेंशन योजना के अधिकारियों) का जीपीएफ विवरण होता है, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में वार्षिक ब्याज की गणना की जाती है। जीपीएफ ट्रांसफर के मामले पूरे वर्ष आते रहते हैं।
- सेवानिवृत्तिलाभों के पश्चातः उपदान का भुगतान, पेंशन की गणना, मृत्यु उपदान, सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण और पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीजीईआईएस भुगतान आदि।

v. समन्वय अनुभाग

- ई–समीक्षा, वीआईपी/पीएमओ संदर्भों, आरटीआई पोर्टल आदि पोर्टलों की मानीटरिंग
- संबंधित पीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अनुरोध/अपील अग्रेषित करना।
- समन्वय अनुभाग से संबंधित आरटीआई अनुरोधों और अपीलों की जानकारी प्रस्तुत करना और उनका निपटान करना।
- संसद के दोनों सदनों में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए सामग्री तैयार करना।
- माननीय प्रधान मंत्री हेतु स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए सामग्री तैयार करना और स्वतंत्रता दिवस आदि पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर स्थिति/की गई कार्रवाई तैयार करना;
- मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रिपोर्टों का संग्रहण, संकलन और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत करना।

vi. ओ एवं एम अनुभाग

अभिलेख प्रबंधन गतिविधियाँः

- एनएआई टीम द्वारा विभागीय अभिलेख कक्ष का निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई;
- एनएआई टीम द्वारा 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेख/फाइलों का मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई;
- अभिलेख प्रबंधन संकलन पर विभिन्न अर्धवार्षिक / वार्षिक रिपोर्ट और रिटर्न और एनएआई और डीएआर एंड पीजी को प्रस्तुत करना;
- संबंधित अनुभागों/प्रभागों द्वारा डीआरआर में पड़े वास्तविक अभिलेखों की समय–समय पर समीक्षा करवाना;
- विभाग में पुराने अभिलेखों की रिकॉर्डिंग करना, समीक्षा करना और नष्ट करना;
- विभाग के मूल कार्यों के लिए रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची की समीक्षा पर सूचना का संकलन और एनएआई से उसका पुनरीक्षण करवाना;
- सीएसएमआरएस बिल्डिंग, हौज खास, नई दिल्ली में स्थित विभागीय रिकॉर्ड रूम (डीआरआर) का रखरखाव और अद्यतन रखना।

vii. ई–गवर्नेंस अनुभागः

- इस विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यों की देखभाल करना और ई–गवर्नेंस।
- विभाग (खास) और इसके संगठनों में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन
- ई–गवर्नेंस संबंधी कार्य और उनका कार्यान्वयन।

viii. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अनुभागः

सूचना, शिक्षा और संचार अनुभाग को विभाग

के जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन पर जन जागरूकता गतिविधियों/कार्यक्रमों को चलाने का कार्य सौंपा गया है;

ix. पीएसयू

पीएसयू अनुभाग दो सीपीएसई आदि के बोर्ड स्तर के पदों के सभी मामलों अर्थात नियुक्ति, विस्तार और सृजन को देखता है।

x. स्थापना – I अनुभागः

स्थापना–I केंद्रीय जल आयोग के लिए सब्जेक्ट मैटर डिवीजन है। सीडब्ल्यूसी जल क्षेत्र में एक शीर्ष संगठन है। यह जल संसाधन विभाग के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है। यह विभाग के नियंत्रण में सबसे बड़ा संगठन है। सीडब्ल्यूसी से संबंधित सभी प्रशासनिक और संगठनात्मक मामले स्थापना–I अनुभाग में संसाधित किए जाते हैं।

xi. स्थापना – II अनुभागः

सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनआईएच और नेरीवलम से संबंधित सभी प्रशासनिक और संगठनात्मक मामले।

xii. स्थापना – III अनुभागः

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जीएफसीसी, फरक्का बैराज परियोजना और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले।

xiii. स्थापना– IV अनुभागः

एनसीए, एनडबल्यूडीए, बीसीए, बीआरबी, टीबी, केआरएमबी, जीआरएमबी, पीपीए, सीडबल्यूएमए के संबंध में स्थापना मामलों को देखता है और लिम्ब्स पोर्टल के माध्यम से कोर्ट केस कीमानीटरिंग करता है लेकिन कोई नीतिगत मामला नहीं देखता है।

xiv. भूमि जल (स्था.):

- सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए के समूह 'क' अधिकारियों से संबंधित स्थापना मामले, जिसमें भर्ती, पदोन्नति, स्थायीकरण आदि शामिल हैं।
- बोर्ड के समूह क, ख, ग, घ अधिकारियों की संवर्ग समीक्षा।

xv. ईए एवं आईसीः

- **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएंः** विश्व बैंक, जेआईसीए, जर्मनी, एडीबी और अन्य बहुपक्षीय बैंकों द्वारा वित्त पोषित।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** जल संसाधन के क्षेत्र में विदेशों के साथ सहयोग/द्विपक्षीय समझौते/सहयोग जिसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल हैं
- **विदेशी प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्तिः** विश्व जल मंच, विश्व जल सप्ताह, विश्व जल दिवस, जी–77, जी–20 और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी से संबंधित मामले (आमंत्रण के आधार पर)। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से संबंधित मामले के लिए माननीय मंत्री (जल शक्ति), माननीय राज्य मंत्री (जल शक्ति) द्वारा आधिकारिक विदेश यात्राओं से संबंधित मामलों का निपटान। विदेशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों के लिए अधिकारियों के विदेश दौरों से संबंधित मामले।

xvi. संसद अनुभागः

अल्प सूचना प्रश्नों सहित लोक सभा और राज्य सभा के सभी प्रश्नों के उत्तरों का समन्वय; जल संसाधन विभाग आदि के नियंत्रणाधीन संगठन की वार्षिक रिपोर्ट/लेखा–परीक्षित लेखा/समीक्षा/विलंब विवरण को प्रस्तुत करने के लिए संसद के संबंधित सदन के साथ समन्वय।

xvii. भूमि जल डेस्क:

भूजल डेस्क सीजीडब्ल्यूबी और सीजीडब्ल्यूए के सभी तकनीकी मामलों के लिए विषय वस्तु प्रभाग (एसएमडी) होगा। सभी कर्मियों/स्थापना और प्रशासनिक मामलों को मंत्रालय के जीडबल्यूई डिवीजन द्वारा निपटाया जाएगा।

xviii. सतर्कता अनुभाग:

- सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964/ सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के उन मामलों के संबंध में लागू होगा जो सतर्कता की दृष्टिकोण के अंतर्गत हैं और उनकी व्याख्या/स्पष्टीकरण।
- विभाग के सभी कर्मचारियों (खास) के साथ–साथ सीएसएस/सीएससीएस/ सीएसएसएस संवर्गों और संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के सतर्कता प्रकृति के अनुशासनात्मक मामले और उन पर संबंधित कार्रवाई।
- सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 और एआईएस नियमावली के तहत विभाग खास के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में अचल संपत्ति रिटर्न/चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान की सूचना ।

xix. अटल जल:

सभी प्रशासनिक, वित्तीय, लेखापरीक्षा आदि सहित अटल भूजल योजना की वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और एमआईएस पोर्टल का विकास, अद्यतन और रखरखाव;

2. वित्त विंग: संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के नेतृत्व में

i. बजट अनुभाग/वित्त–I :

- निम्नलिखित बजटीय चरण दस्तावेजों की जांच/संकलन/तैयारी
- बजट अनुमानों का विवरण
- विस्तृत अनुदान मांग
- संशोधित अनुमान
- अनुपूरक अनुदान
- निधियों के पुनर्विनियोजन संबंधी कार्य
- संसद के पटल पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अनुदान मांगों और आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज़ को रखना।
- वित्तीय सलाहकारों के साथ वित्त मंत्री एवं सचिव (व्यय) की बैठकों से संबंधित कार्य।
- योजनान्तर्गत व्यय समीक्षा एवं स्थापना व्यय आदि;
- बजट: एक नज़र में ***अनुलग्नक–X*** पर उपलब्ध कराया गया है।

ii. एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी)/ वित्त–II:

- वित्तीय निहितार्थ वाले सभी नीतिगत मुद्दों पर विभाग और उसके संगठनों को सलाह देना
- ईएफसी/एसएफसी मूल्यांकन/कैबिनेट नोट आदि के लिए मसौदे मेमो की जांच और टिप्पणियां प्रस्तुत करना
- विभाग की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर वित्तीय सहमति की आवश्यकता वाले सभी विंगों के प्रस्तावों की जांच
- व्यय प्रस्तावों, पदों के सृजन/पुनरुद्धार के प्रस्तावों और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता वाले सभी मामलों की जांच
- विदेशों में प्रतिनियुक्ति और विदेश यात्राओं के मामलों की जांच करना और सलाह देना

iii. लेखा नियंत्रक (सीए)

- मासिक और वार्षिक (वित्तीय और विनियोग) लेखों की तैयारी।
- व्यय और प्राप्तियों की नियमित निगरानी।

- आंतरिक लेखा परीक्षा।
- बाह्य (सीएजी) लेखापरीक्षा के लिए मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं का समन्वय।
- विनियोग लेखों की तैयारी

3. नदी विकास और लोक नीति विंगः संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी) के नेतृत्व में

i. नीति और योजनाः

- देश के जल संसाधनों से संबंधित नीतिगत मामले जैसेः राष्ट्रीय जल नीति तैयार करना और संशोधन; हाइड्रो–मौसम डेटा प्रसार नीति से संबंधित मामले; तलछट प्रबंधन नीति;
- राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडीएम) से संबंधित मामले;
- राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एनडब्ल्यूआरसी) और राष्ट्रीय जल बोर्ड (एनडब्ल्यूबी) की बैठकों का समन्वय;
- जल संसाधन, सूचना प्रणाली (डीडब्ल्यूआरआईएस) के विकास से संबंधित निगरानी और अन्य मामले।

ii. बेसिन प्रबंधन – 1:

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 का क्रियान्वयन और संशोधन;
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 का क्रियान्वयन और संशोधन तथा नदी घाटी प्रबंधन विधेयक से संबंधित मामले;
- बांध सुरक्षा विधेयक– 2020 (केवल विधायी मामले);
- गंगा प्रबंधन बोर्ड (जीएमबी) के गठन संबंधी कार्य;
- नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) से संबंधित कार्यों का समन्वय;

iii. बेसिन प्रबंधन – 2:

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत जल विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना और अधिकरणों को विवादों का संदर्भ। साथ ही इससे जुड़े प्रशासनिक और कानूनी मामलेः रावी–ब्यास जल न्यायाधिकरण (आरबीडब्ल्यूटी); महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण; कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी); महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) आदि।

iv. पेन रिवर– I:

गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, तापी से तदरी और तदरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से संबंधित जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण पर अंतर्राज्यीय मुद्दे/विवाद।

v. पेन रिवर– II:

सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी–बैतरणी, महानदी, पेन्नार और अंडमान–निकोबार द्वीप समूह और पुड्डुचेरी की नदियों से संबंधित जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण पर अंतर्राज्यीय मुद्दे/विवाद; महानदी और पेन्नार के बीच और पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ; लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की नदियाँ; दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव के द्वीपों की नदियाँ; राजस्थान में मरुस्थल से निकलने वाली नदियाँ।

सूखे से संबंधित कार्य जैसे आईएमसीटी और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के लिए विभाग से नामांकन, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन

से संबंधित मुद्दे, मुल्लापरिया बांध के सुरक्षा मुद्दे, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड और बेतवा नदी बोर्ड के तकनीकी मामले।

vi. नदी विकासः

- नदियों/झरनों के कायाकल्प से संबंधित अध्ययन और योजनाएँ
- नदी जल गुणवत्ता प्रबंधन, नदियों में प्रदूषण में कमी
- नदियों पर जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर के पिघलने आदि के प्रभाव से संबंधित अध्ययन
- पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक वास और जैविक जीवों पर ई–प्रवाह के प्रभाव का पता लगाने के लिए नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह/अधोमुखी कनेक्टिविटी

vii. एनएचपी–यूनिट–Iः

- आरटीडीएएस एसडब्ल्यू, एससीएडीए और प्रापण सहित संबंधित उपकरणों, हाइड्रो–मेट नेटवर्क भौतिक और वित्तीय प्रगति, आरटीडीएएस एसडब्ल्यू सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित सभी मामले
- डब्ल्यूआरआईएस/डब्ल्यूआईएमएस से संबंधित डेटा साझा करने के लिए समन्वय।
- एनडब्ल्यूआईसी से संबंधित सभी मामले।
- भारत डबल्यूआरआईएस–राज्य डब्ल्यूआरआईएस एकीकरण।

viii. एनएचपीः यूनिट– IIः

- सतही जल से संबंधित ज्ञान उत्पादों और अध्ययनों से संबंधित सभी मामले।
- वास्तविक और वित्तीय प्रगति सहित सतही जल पीडीएस से संबंधित सभी मामले।

ix. एनएचपीः यूनिट– IIIः

- आरटीडीएएस–भूजल और संबंधित उपकरणों से जुड़े सभी मामले जिसमें प्रापण, भौतिक और वित्तीय प्रगति, निविदाओं की जांच और अंतिम रूप देना, स्थापना, और कमीशनिंग और डब्लूआईएमएस को डेटा ट्रांसमिशन शामिल है।
- पीजोमीटर – हाइड्रो–नेटवर्क, निर्माण, भौतिक और वित्तीय प्रगति

x. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)

केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) अर्थात् राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) संयुक्त रूप से भारत की पहचान की गई नदी के हिस्सों (गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) में प्रदूषण के उन्मूलन के लिए लागत साझा करने के आधार पर राज्य सरकारों के साथ है।

4. आर्थिक सलाहकारी विंगः आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में

i. योजना इकाईः

- विभाग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- आंतरिक एसएमडी के साथ समन्वय में विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन; और नीति आयोग द्वारा विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए आंतरिक एसएमडी की प्रतिक्रिया और टिप्पणियों का समन्वय करना।
- आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज़ तैयार करने और विभाग की योजनाओं के संबंध में त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय प्रगति को अद्यतन करने के लिए नीति आयोग के साथ संपर्क करना।
- एनआईपी, पीएमजी और पीएम गति शक्ति पोर्टल को अपडेट और एकीकृत करना।
- जेंडर बजटिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संसाधनों का आवंटन, इंडिया कोड पोर्टल का अद्यतनीकरण, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट भाषण आदि के लिए

इनपुट से संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय।

- पीएसी और सीएंडएजी लेखापरीक्षा पैराग्राफों के त्वरित निपटान के लिए मासिक स्थायी लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित करना।

ii. हिंदी अनुभाग:

- विभाग एवं उसके अधीनस्थ संगठनों में राजभाषा, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम आदि पर संवैधानिक प्रावधानों/निर्देशों/निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेशों काकार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अनुभागों एवं अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
- संसदीय प्रश्नों के उत्तर, कैबिनेट नोट, स्थायी समिति सामग्री, वार्षिक रिपोर्ट, वैधानिक रिपोर्ट, आदेश, पत्र आदि का हिंदी में अनुवाद।

5. राज्य परियोजना विंग: आयुक्त (एसपीआर) के नेतृत्व में

i. एसपीआर–I:

- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के लिए पीएमकेएसवाई–एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत केंद्रीय सहायता जारी करना;
- पोलावरम सिंचाई परियोजना (एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित) से संबंधित कार्य;
- एसपीआर–I प्रभाग को आवंटित कार्य से संबंधित संसद प्रश्न/वीआईपी संदर्भ/पीएमओ संदर्भ और संबंधित संसदीय मामले;
- उपर्युक्त पीएमकेएसवाई–एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम और राष्ट्रीय परियोजना जब शुरू किए गए हों, के मूल्यांकन, लेखापरीक्षा, अदालती मामलों आदि से संबंधित कार्य;

ii. एसपीआर–II:

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) से संबंधित कार्य। छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख राज्यों के लिए प्रमुख और मध्यम सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) – एआईबीपी और सीएडी एंड डब्ल्यूएम के तहत जारी केंद्रीय सहायता।
- राष्ट्रीय परियोजनाओं (नदियों को जोड़ने (आईएलआर) परियोजनाओं के अतिरिक्त से संबंधित कार्य। उपरोक्त राज्यों की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता जारी करना।

iii. लघु सिंचाई (एसएमआई और आरआरआर):

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के हर खेत को जल (एचकेकेपी) घटक के तहत सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं से संबंधित कार्य।
- सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना में शामिल करने के लिए योजनाओं की जांच।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) की योजना से संबंधित कार्य।

- जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) योजना में शामिल करने के लिए योजनाओं की जांच।

6. कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) विंग: आयुक्त (सीएडीडबल्यूएम) के नेतृत्व में

- पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के तहत पीएमकेएसवाई के अतिरिक्त सीएडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता जारी करना।
- पीएमकेएसवाई और मूल्यांकन अध्ययनों के अलावा सीएडी परियोजनाओं की मानिटीरिंग और समीक्षा। सीडब्ल्यूसी से प्राप्त पीएमकेएसवाई के तहत प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जल प्रबंधन/सीएडी पहलुओं की जांच।
- सीएडी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए परियोजनाओं की जांच। नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, आईसीएआर आदि के साथ संपर्क।
- आईसीएआर और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ऑन–फार्म जल प्रबंधन परियोजनाओं के संबंध में समन्वय।
- राज्यों में किसान अदला–बदली कार्यक्रम और कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम।

7. ब्रह्मपुत्र और बराक विंग: आयुक्त (बी एंड बी) के नेतृत्व में

i. ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बराक:

- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र बोर्ड से संबंधित तकनीकी और वित्तीय मामले।
- आरबीएम योजना के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सहायता अनुदान जारी करना।
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार मास्टर प्लान के अनुमोदन से संबंधित मामलेद्य

ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र:

- चीन और भूटान के साथ जल संसाधन क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय मामले, जिसमें चीन के साथ सामरिक आर्थिक संवाद (एसईडी) बैठकें शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत विकास से संबंधित मामले, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की मंजूरी।

8. लघु सिंचाई सांख्यिकी विंग: अतिरिक्त महानिदेशक (सांख्यिकी) के नेतृत्व में

- केंद्र प्रायोजित योजना 'सिंचाई गणना' का कार्यान्वयन।
- पंचवार्षिकी आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं के साथ–साथ जल निकायों की गणना का संचालन।
- लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की गणना करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान जारी करना/पुनर्वैधीकरण।
- सिंचाई गणना योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में बनाए गए सांख्यिकीय सेल के निष्पादन की समीक्षा करना।
- सिंचाई गणना योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकीय सेल के लिए फंड जारी करना।

9. बाढ़ प्रबंधन विंगः आयुक्त (एफएम) के नेतृत्व में

i. डिवीजन –I:

- सामान्य सीमा/सीमा पार नदियों से संबंधित भारत–बांग्लादेश जल संसाधन संबंधी मामलेः लीन सीजन के दौरान फरक्का में गंगा/गंगा जल के बंटवारे पर बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारा संधि (1996) का कार्यान्वयन। संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त समिति से संबंधित मामले और संधि के प्रावधानों के अनुसार गंगा नदी पर फरक्का (भारत) और हार्डिंग ब्रिज (बांग्लादेश) में संयुक्त हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन की व्यवस्था करना। संयुक्त हाइड्रोलॉजिकल अवलोकनों के लिए बांग्लादेश में हार्डिंग ब्रिज के लिए भारतीय टीम का चयन और इसकी प्रतिनियुक्ति।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी), तकनीकी स्तर की समिति और द्विपक्षीय बैठकों के आयोजन सहित संयुक्त नदी आयोग के ढांचे के तहत समय–समय पर गठित विभिन्न अन्य संयुक्त समितियों/समूहों से संबंधित मामले।
- वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पहचान की गई सामान्य सीमा/सीमा पार नदियों पर बांग्लादेश के साथ नदी डेटा का आदान–प्रदान और संयुक्त रूप से पहचान की गई प्राथमिकता के अनुसार इन नदियों पर अंतरिम जल साझाकरण समझौते के लिए रूपरेखा तैयार करना।

ii. डिवीजन – II:

- देश में केंद्र प्रायोजित योजना "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफ़एमबीएपी)" का कार्यान्वयन जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एफ़एमपी) घटक और "नदी प्रबंधन गतिविधियाँ और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए)" घटक।
- बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञ समितियां/कार्य बल/कार्य समूह।
- बाढ़ से संबंधित संकट प्रबंधन योजना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मामले।

iii. डिवीजन – III:

- भारत–नेपाल मामलेः "शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास" के लिए महाकाली संधि का कार्यान्वयन। स्थापना मामलों को छोड़कर पंचेश्वर विकास प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले।
- जल संसाधन पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), जल संसाधन पर संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर), संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी) ।विशेषज्ञों की संयुक्त टीम (जेटीई), बाढ़ पर संयुक्त समिति सहित विभिन्न संयुक्त भारत–नेपाल समितियों से संबंधित मामले और बाढ़ प्रबंधन (जेसीआईएफ़एम), कोसी और गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी)।
- सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सन कोसी भंडारण सह डायवर्जन योजना, कमला बांध परियोजना और बागमती बांध परियोजना सहित भारत–नेपाल संयुक्त परियोजनाओं से संबंधित मामले।

iv. डिवीजन – IV:

- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, ऊपरी यमुना समीक्षा समिति और यमुना स्थायी समिति से संबंधित तकनीकी मामले।
- उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों के कार्यान्वयन का संचालन करना।

- यमुना जल के बंटवारे, यमुना बेसिन में रेणुका, किशाऊ और लखवार–व्यासी बांधों पर समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन।

10. सिंधु विंगः आयुक्त (सिंधु) के नेतृत्व में

- **सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियों और बीबीएमबी से संबंधित मामलेः** सतलज–यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर – इसके कार्यान्वयन, अदालती मामलों, बैठकों, वित्त पोषण और सहायता अनुदान जारी करने से संबंधित कार्य।
- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी से संबंधित मुद्दे – रावी ब्यास के अधिशेष जल के राजस्थान के हिस्से के 0.6 एमएएफ की बहाली, रोपड़, फिरोजपुर और हरिके में प्रमुख कार्यों के नियंत्रण का हस्तांतरण, बीएमएल–हांसी शाखा–बुटाना शाखा बहुउद्देशीय लिंक चैनल, उसके अदालती मामले आदि।
- **सिंधु जल संधि 1960 से संबंधित मामले।**

11. राष्ट्रीय जल मिशन विंगः मिशन निदेशक (एनडब्ल्यूएम)के नेतृत्व में

i. सलाहकार (तकनीकी) और सलाहकार (समन्वय और निगरानी):

- राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (एनबीडब्ल्यूयूई) की स्थापना;
- राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं की तैयारी और उस पर कार्यान्वयन;
- जल संरक्षण के लिए उद्योगों, किसानों, स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता संघों आदि जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना;
- जल उपयोग दक्षता के लिए आधारभूत अध्ययन, बेंचमार्किंग और प्रदर्शन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समन्वय करना;
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय जल मिशन से संबंधित मामले;
- जल संरक्षण पर अंतर–मंत्रालयी समिति।

ii. अनुसंधान एवं विकास प्रभागः

"जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन" नामक योजना के घटक "जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम" के तहत जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित गतिविधियों का समन्वय।

12. गंगा संरक्षण विंगः महानिदेशक (एनएमसीजी) के नेतृत्व में

नमामि गंगे मिशनः

- गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के मामले और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अन्य विंगों के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के समन्वय कार्य से संबंधित।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए बजट और अन्य वित्तीय प्रस्तावों को बनाने का काम।

10.2 विभाग की प्रशिक्षण नीति का कार्यान्वयन

प्रशासन प्रभाग विभिन्न क्षेत्रों में भारत और विदेश में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, विभाग में चयन/भर्ती पर प्रेरण प्रशिक्षण देता है। अधिकारियों को ज्वाइनिंग पर इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। अधिकारियों को उनके कैरियर के विभिन्न स्तरों/चरणों के साथ–साथ नेतृत्व विकास, तनाव प्रबंधन, नैतिकता और मूल्यों, वित्त, प्रशासन आदि जैसे विषयगत प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिनियुक्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान,

कोविड –19 महामारी के कारण कोई गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। हालांकि, आईएसटीएम द्वारा आयोजित अनिवार्य ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस विभाग के सीएसएस और सीएसएसएस अधिकारियों ने भाग लिया।

10.3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः 2022

आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर आयुष मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होने के नाते, ने विविध गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई। 7 अप्रैल 2022, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी था से शुरू होकर, और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के काउंट डाउन का 75वां दिन, आयुष मंत्रालय ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को 21 जून से पहले सामान्य योग प्रोटोकॉल और अन्य योग संबंधी गतिविधियों का अभ्यास करने के लिए एक निर्धारित तारीख आवंटित की। जल शक्ति मंत्रालय को आवंटित तारीख 28 अप्रैल 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 के काउंट डाउन का 54वें दिन के रूप में थी।

आयुष मंत्रालय के निर्देश पर इस विभाग ने 28 अप्रैल 2022 को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में विशेषज्ञों द्वारा योग व्याख्यान/प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस अवसर पर, दिल्ली/एनसीआर स्थित इस विभाग के भीतर सभी संगठनों और पीएसयू ने भाग लिया।

आचार्य प्रियतोष और उनकी टीम ने 28 अप्रैल 2022 को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में योग के विभिन्न मुद्राओं, व्यायामों और आसनों का प्रदर्शन किया।

आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर, आयुष मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होने के नाते, भारत ब्रांडिंग के लिए देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर आईडीवाई का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को सेम सेंड डयूनस, जैसलमेर, राजस्थान और माननीय राज्य मंत्री (जल शक्ति और जनजाति कार्य) को किंचाकेशवरी मंदिर, मयूरभंज, ओडिशा आवंटित किए गए हैं।

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री 21.06.2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान सेम सेंड डयूनस, जैसलमेर, राजस्थान में

10.4 कोविड टीकाकरण अभियान

विभाग ने 17 अगस्त, 2022 को कोविड टीकाकरण – अमृत महोत्सव शिविर का आयोजन किया है। शिविर का आयोजन डॉ. सुहास धंदौर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली की टीकाकरण टीम के समन्वय से किया गया था। शिविर में 117 लोगों को टीका लगाया गया।

10.5 हर घर तिरंगा कार्यक्रम

विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री (जल शक्ति) ने 8 अगस्त 2022 को मंत्रालय में झंडे वितरित किए। 13 से 15 अगस्त, 2022 तक घरों पर फहराने के

लिए विभाग में 758 झंडे वितरित किए गए। विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया और 13 से 15 अगस्त, 2022 तक अपने घरों पर ध्वजारोहण किया।

10.6 लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 2.0 (02–10–2022 से 31–10–2022)

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, इस विभाग और इस विभाग के तहत कार्यरत सभी संगठनों द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। डीएआर एंड पीजी को अभियान की निगरानी करने हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया था।

विशेष अभियान 2.0 दो चरणों में आयोजित किया गया था अर्थात 14 से 30 सितंबर, 2022 तक प्रारंभिक चरण और 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक मुख्य चरण। प्रारंभिक चरण में अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जुटाना, नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना, पहचान की गई श्रेणियों/मानदंडों में पेंडेंसी की पहचान करना, अभियान स्थलों को अंतिम रूप देना, स्क्रैप और अनावश्यक सामग्रियों की पहचान करना और उनके निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करना था।

विशेष अभियान 2.0 के मुख्य चरण के दौरान, अभियान के सभी मापदंडों पर विभाग के भीतर और विभाग के तहत सभी संगठनों से डेटा एकत्र किया गया था और दैनिक आधार पर एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया था। विभाग (मुख्यालय) एवं इसके अंतर्गत कार्यरत संगठनों के संबंध में विशेष अभियान 2.0 के मापदंडों पर समेकित जानकारी निम्नानुसार है: –

क्र. सं.	पैरामीटर	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धि (%)
1	सांसद संदर्भ	49	40	82%
2	संसदीय आश्वासन	19	16	84%
3	आईएमसी संदर्भ	5	5	100%
4	लोक शिकायत	139	139	100%
5	पीएमओ संदर्भ	4	4	100%
6	फाइलों की समीक्षा की जानी है	60,513	60,513	100%
7	फाइलों की छंटाई	21,626	21,626	100%
8	स्थलों की स्वच्छता	321	321	100%
9	राजस्व उत्पन्न किया जाना है (रुपये में)	68,17,887/-	68,17,887/-	100%
10	स्थान मुक्त किया	65,844 वर्गफूट	65,844 वर्गफूट	100%
11	सरलीकरण के नियम	76	76	100%
12	पहले और बाद की तस्वीरें	8	8	100%

10.7 स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0

माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों पर एक विशेष अभियान 2.0 (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022) उसी तरह से शुरू किया गया है जिस तरह से पिछले साल लॉन्च किया गया था। विशेष अभियान 2.0 का मुख्य फोकस पेंडेंसी को कम करना और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना है। विशेष अभियान 2.0 की तैयारी के चरण के दौरान 12 अभियानों को लक्षित किया गया था जिसमें उन सभी भवनों को शामिल किया गया था जहां विभाग सचिवालय के कार्यालय स्थित हैं।

10.8 संविधान दिवस–2022 का आयोजन

संसदीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए 26 नवंबर, 2022 को "संविधान दिवस" मनाया गया। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के सम्मेलन कक्ष में प्रस्तावना का वाचन कराया।

10.9 स्वच्छता पखवाड़ा – 2022

विभाग ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्देश पर 16 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा–2022 मनाया। स्वच्छता पखवाड़ा–2022 के दौरान कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं, उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

स्वच्छता पखवाड़ा 2022 का उद्घाटन कार्यक्रम 16 मार्च 2022 को इस विभाग द्वारा मनाया गया था। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिवद्वारा स्वच्छता शपथ दिलाई गई, जिसके बाद श्रम शक्ति भवन में श्रमदान किया गया। कार्यक्रम में विभाग के कर्मचारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा अवधि के बीच में पड़ने विश्व जल दिवस अर्थात् 22 मार्च 2022 को देखते हुए श्रमदान के माध्यम से आईटीओ, दिल्ली में छठ घाट की सफाई का आयोजन वाप्कोस लिमिटेड के समन्वय से किया गया। छठ घाट पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा विधिवत विश्व जल दिवस की शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाप्कोस लिमिटेड, महानिदेशक, एनएमसीजी, एडीजी (एमआई) स्टेट. और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने छठ घाट की सफाई के नेक काम में भाग लिया। विभाग के सभी अधिकारियों के लिए 24 और 25 मार्च 2022 को "स्वच्छता" विषय पर निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0

पहले **बाद में**

श्रम शक्ति भवन

एनआरसीडी

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी (असम)

श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, वरिष्ठ महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ श्रम शक्ति भवन में दिनांक 08.03.2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर

11

जेंडर सशक्तिकरण/ महिला कल्याण गतिविधियां

श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग 08.03.2022 को श्रम शक्ति भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए

11. जेंडर सशक्तिकरण / महिला कल्याण गतिविधियां

महिलाएं जल संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं द्वारा जल संरक्षण, घरेलू और फील्ड (कृषि/औद्योगिक) में जल उपयोग की दिशा में सही दृष्टिकोण और उठाए गए कदम काफी समग्र प्रभाव ड़ालते हैं। राष्ट्रीय जल नीति में जल संसाधन प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपयुक्त भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले आवश्यक कानूनी और संस्थागत परिवर्तनों का प्रावधान है।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम), जिसमें सभी पहलुओं और सिंचाई प्रबंधन के सभी स्तरों पर अंत–उपयोगकर्ताओं/किसानों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है, किसान समूहों के माध्यम से कार्य करता है जिन्हें आमतौर पर डब्ल्यूयूए के रूप में जाना जाता है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने दिशानिर्देश जारी करते समय विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि राज्य सभी स्तरों पर जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करें। परिणामस्वरूप, कई राज्यों ने अपने सिंचाई अधिनियमों में संशोधन किया है या सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर विशिष्ट अधिनियम बनाए हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और कृषि संबंधी गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन के अलावा, इससे अतिरिक्त आय सृजन और डब्ल्यूयूए की महिला विंग की स्थिरता हो सकती है।

विभाग की सभी महिला कर्मचारियों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 08.03.2022 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस–2022 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का विषय 'जल संरक्षण' था जिसका आदर्श वाक्य था 'रत्न जीवन नहीं बचा सकते लेकिन जल बचा सकता है'.

लैंगिक संवेदनशीलता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभाग में एक जेंडर एंड चाइल्ड बजटिंग सेल की स्थापना की गई है। विभाग, इसके फील्ड कार्यालयों में चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दे रहा है। विभाग की स्टाफ कैंटीन में महिला कर्मचारियों के लिए अलग सेल की भी व्यवस्था की गई है।

अटल भूजल योजना के तहत, समितियों में सदस्यता एवं बैठकों में उपस्थिति के माध्यम से महिलाओं एवं कमजोर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसकी जांच भौतिक सत्यापन के दौरान भी की जायेगी। लैंगिक मुख्यधारा पर आईईसी गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक लिंग आधारित मूल्यांकन अध्ययन भी शुरू किया गया है। यह जारी अध्ययन भविष्य में कार्यनीति को बेहतर बनाने के तरीकों और साधनों पर कुछ अंतर्दृष्टि और सुझाव भी प्रदान करेगा।

श्रम शक्ति भवन में 08.03.2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन

श्री आर.के.अग्रवाल, सीएमडी, वाप्कोस और एनपीसीसी ने 08.03.2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों को संबोधित किया और उन्हें प्रेरित किया

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने 15.06.2022 को नई दिल्ली में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की

12

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति ने 05.01.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वाप्कोस के चंडीगढ़ कार्यालय का निरीक्षण किया

12. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान विभाग के विभिन्न अनुभागों तथा सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों/अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए गए। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सात कार्यालयों अर्थात् (1) सीडब्ल्यूसी, दिल्ली (2) वाप्कोस लिमिटेड, गुरुग्राम (3) एनपीसीसी लिमिटेड, गुरुग्राम (4) सीजीडब्ल्यूबी, फरीदाबाद, (5) सीएसएमआरएस, दिल्ली (6) वाप्कोस लिमिटेड, भुवनेश्वर और (7) एनडब्ल्यूडीए, भुवनेश्वर का निरीक्षण किया। चालू वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उपर्युक्त सात कार्यालयों के 18 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय के हिंदी अनुभाग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर राजभाषा निरीक्षण भी किया जाता है।

वर्ष 2022 के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया। माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने 15.06.2022 को नई दिल्ली में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

विभाग ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में समिति ने विभाग के साथ–साथ इसके विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में कमियों को इंगित किया। बैठक में कमियों को दूर करने के उपाय भी सुझाए गए।

14–15 सितंबर, 2022 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सूरत में आयोजित दूसरे 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के छह अधिकारियों ने भाग लिया।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री के संदेश और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अपील जारी की गई। विभाग में दिनांक 14.09.2022 से 29.09.2022 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने से पूर्व जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने की शपथ दिलाई गई। पखवाड़े के दौरान, आठ प्रतियोगिताएं अर्थात हिंदी निबंध, राजभाषा हिंदी पर प्रश्नावली (लिखित), अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित), हिंदी टाइपिंग, हिंदी टिप्पण–प्रारूपण, हिंदी वाद–विवाद, हिंदी निबंध प्रतियोगिता (एमटीएस स्तर के उम्मीदवारों के लिए), हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इनमें से प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 5,000/– रुपये, 3,500/– रुपए और 2,500/– रुपये के

क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए। इन प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक के लिए 1,500/– रुपये के चार सांत्वना पुरस्कार का भी प्रावधान था। 56 मेधावी प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए विभाग में 'राजभाषा वैजयंती पुरस्कार योजना' तथा 'हिंदी में कार्य करने की प्रोत्साहन योजना' जैसी प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गईं। 'राजभाषा वैजयंती पुरस्कार योजना' विभाग के संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों में हिंदी कार्य को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अलावा मंत्रालय में "मौलिक पुस्तक लेखन योजना" भी लागू की जा रही है। इस मद के तहत, पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

दिनांक 03.01.2023 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा रांची, झारखण्ड में निरीक्षण के दौरान

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 06.10.2022 को विशेष अभियान 2.0 के तहत फाइलों और स्वच्छता गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए श्रम शक्ति भवन में विभाग के अनुभागों का निरीक्षण किया।

13 कर्मचारी कल्याण

21 जून, 2022, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान

13. कर्मचारी कल्याण

13.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की निगरानी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) सेल भी प्रशासन अनुभाग का हिस्सा है। यह सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित विभिन्न मामलों पर कार्यों के निर्वहन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारी को सचिवीय सहायता प्रदान करता है।

यह विभाग केवल स्टाफ कार चालकों और एमटीएस ग्रेड के लिए सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण के लिए उत्तरदायी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजनों को इन पदों पर आरक्षण का कार्यान्वयन सरकार के नियमों के अनुसार किया जाता है। एमटीएस का पद एसएससी के माध्यम से भरा जाता है। एमटीएस ग्रेड में रिक्तियों की सूचना एसएससी को दी जाती है।

श्री बिनोद कुमार, निदेशक विभाग (सचिवालय) के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी हैं। श्री मुकेश कुमार, उप सचिव को विभाग (सचिवालय) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

13.2 महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, विभाग के मुख्य सचिवालय में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति कार्य कर रही है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम और पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	के रूप में नामित
1	सौम्या पी. कुमार, निदेशक (एमआई स्टेट)	अध्यक्ष
2	शलिनी गुप्ता, अवर सचिव (जीडब्ल्यूई)	सदस्य
3	एस–एन– पाल, अवर सचिव (समन्वय)	सदस्य
4	नारी रक्षा समिति, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य

शिकायत समिति को सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाता है और इसकी रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट के रूप में माना जाता है। यह महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करती है और यदि आवश्यक

हो तो जांच करती है। इसके पूरा होने पर, समिति अपने निष्कर्षों को संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करती है।

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

13.3 जनता/कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था जो विभाग के तहत विभिन्न संगठनों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करता है।

1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान इस विभाग में 2,035 शिकायत याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2021 के अंत तक लंबित 173 शिकायत याचिकाओं को आगे बढ़ाया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल 2,208 शिकायत याचिकाओं में से 2,127 का निपटारा किया गया। विभाग और इसके विभिन्न संगठनों में लोक/कर्मचारी शिकायत अधिकारियों की सूची डाक पते के साथ ***अनुलग्नक–XI*** में दी गई है।

वाप्कोस और एनपीसीसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान नई दिल्ली में 4 नवंबर, 2022 को ''निवारक सतर्कता'' पर सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें श्री आर. के. अग्रवाल, सीएमडी, वाप्कोस और एनपसीसी ने मुख्य अतिथि, श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का स्वागत किया

14 पारदर्शिता और सतर्कता

श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह (31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक) के दौरान सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलवाई

14. पारदर्शिता और सतर्कता

14.1 पारदर्शिता

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत विभाग (सचिवालय) और इसके सभी संगठनों के संबंध में अनिवार्य प्रकाशन की सूचना विभाग की वेबसाइट mowr.nic.in पर अपलोड की गई थी। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की जानकारी उक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) के अनुसार विभाग और संबंधित संगठनों की वेबसाइट पर होस्ट किया गया था।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के समन्वय अनुभाग को आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन और शुल्क स्वीकार करने का कार्य सौंपा गया है। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, 1,365 आरटीआई आवेदन और 76 आरटीआई अपील प्राप्त हुई थीं, जिन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारियों/अन्य लोक प्राधिकरणों को अग्रेषित किया गया था। विभाग के विभिन्न स्कंधों/अनुभागों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण ***अनुलग्नक–XII*** में दिया गया है।

14.2 सतर्कता प्रभाग

इस विभाग और इसके संगठनों से संबंधित सतर्कता मामलों को सतर्कता प्रभाग संभालता है, जो संयुक्त सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है और उन्हें निदेशक और सतर्कता अनुभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय के सभी कर्मचारियों (उचित) और सभी समूह 'क' और मंत्रालय के तहत संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के सतर्कता मामलों से संबंधित विभिन्न मामलों को प्रभाग द्वारा निपटाया जाता है।

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मामलों में मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और अन्य प्राधिकरणों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग, जहां भी आवश्यक हो, सतर्कता मामलों पर, सीवीसी और संबंधित एजेंसियों/विभागों के परामर्श से मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि को सलाह देता है।

सतर्कता विभाग समय–समय पर सीवीसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आदि द्वारा निर्धारित रिटर्न के माध्यम से मंत्रालय के तहत संगठनों के अनुशासनात्मक मामलों और संबंधित मामलों की निगरानी करता है। यह प्रभाग "संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची" और सीबीआई के परामर्श से "सहमत सूची" तैयार करता है।

इस वर्ष, सतर्कता विभाग द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें काफी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया।

विभाग के कार्यक्षेत्र के तहत संगठनों के सात निवारक सतर्कता निरीक्षण किए जाने हैं; अब तक, वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न अनियमिताओं की जांच करने और भ्रष्टाचार युक्त क्षेत्र की पहचान करने के उद्देश्य से 4 पीवीआई किए गए हैं।

सतर्कता प्रभाग सभी समूह 'क', 'ख' और 'ग' कर्मचारियों के वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न मंगवाने और उनकी निगरानी के लिए भी जिम्मेवार है। संगठनों में सीवीसी के परामर्श से दो सीवीओ (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्त एक पूर्ण कालिक सीवीओ सहित) और तीन वीओ नियुक्त किए गए थे।

केन्द्रीय जल आयोग कार्यालय, नागपुर में 13 से 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम

15

दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति

दिनांक 17.10.2022 को केन्द्रीय जल आयोग कार्यालय, गुवाहाटी में विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता गतिविधियां

15. दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति

दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती की निगरानी विभाग के साथ–साथ इसके अंतर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा श्रेणी के लिए आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। की गई प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जा रही हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को विषय–वस्तु पर नियमानुसार परीक्षा/साक्षात्कार के समय सुविधाएं, रियायतें एवं छूट दी जाती हैं।

प्रशासन विंग एमटीएस पदों पर विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के आरक्षण संबंधी कार्य को देखता है। एमटीएस ग्रेड में रिक्तियां एसएससी के माध्यम से भरी जाती हैं। 31.12.2022 को एमटीएस ग्रेड में कुल संख्या 77 थी, जिसमें से तीन व्यक्ति विकलांग हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण की योजना बनाने के लिए यथा निर्धारित प्रासंगिक आरक्षण रोस्टर भी रखे जाते हैं। श्री मुकेश कुमार, उप–सचिव विभाग के संबंध में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए संपर्क अधिकारी हैं।

अनुलग्नक

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का संगठनात्मक चार्ट

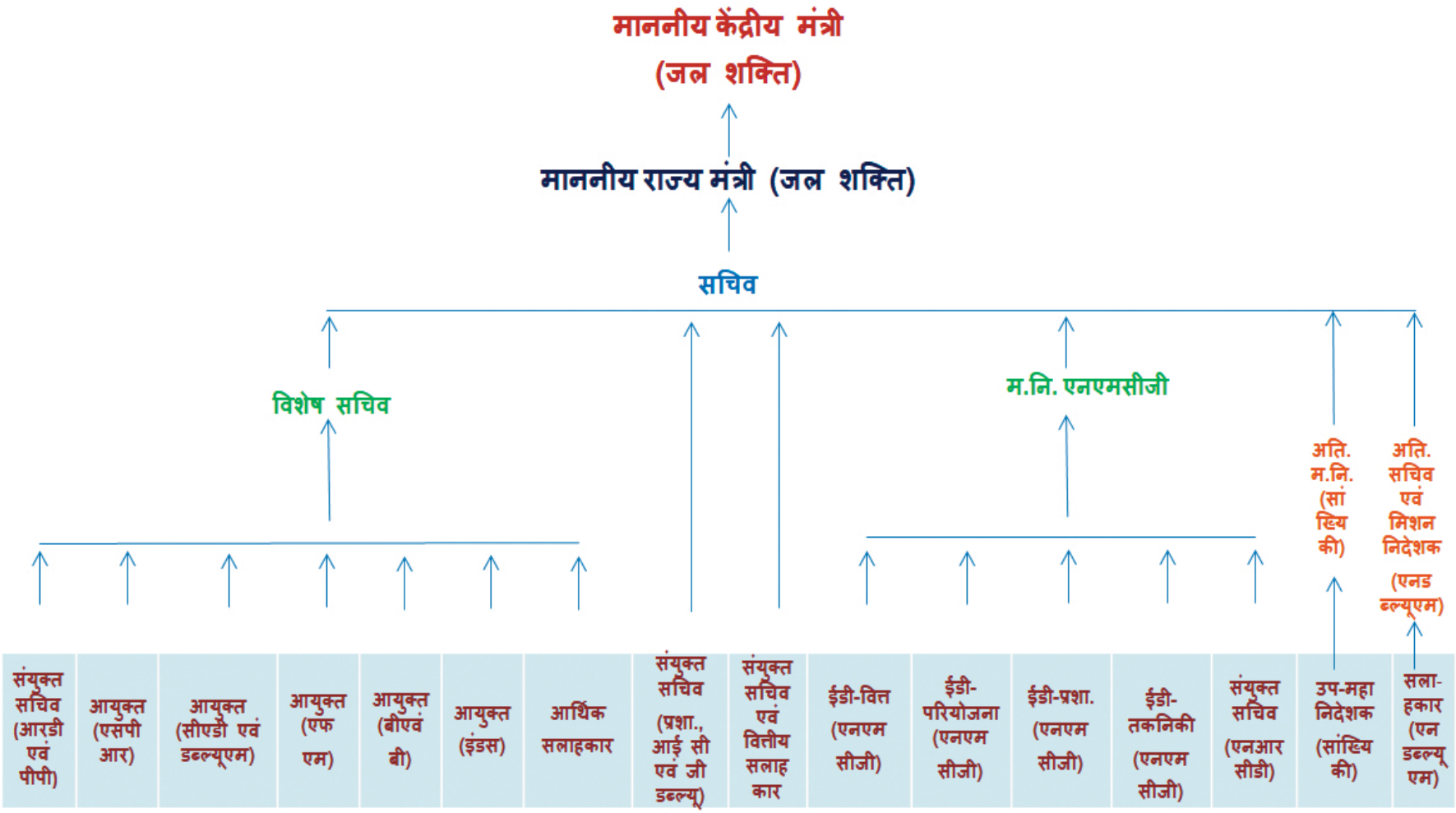

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में पदस्थ कर्मचारी 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार

समूह	पदस्थ कुल कर्मचारी	अनु.जा./अनु.जन.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व				शारीरिक रूप से विकलांग
		अनु.जा.	अनु.जन.जा.	अ.पि.व.	अन्य	
क	103	11	07	05	80	–
ख	166	27	07	45	87	1
ग	130	37	09	28	56	2
कुल	**399**	**75**	**23**	**78**	**223**	**3**

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों एवं संगठनों के प्रमुखों के नाम और पतों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारी
1.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 412, चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	श्री पंकज कुमार सचिव, दूरभाष सं. 011–23710305/ 23715919, फैक्सः 011–23731553
2.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 404, चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, दूरभाष सं. 011–23714609, फैक्सः 011–23716894
3.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 6, द्वितीय तल, बी विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110001	श्री सुख राम मीना अपर महानिदेशक (सांख्यिकी) दूरभाष सं. 011–24691080 फैक्सः 011–24691080
4.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 403, चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	श्री सुबोध यादव संयुक्त सचिव (प्रशासन/आईसी और भूजल), दूरभाष सं. 011–23710343 फैक्सः 011–23730719
5.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 406, चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	श्री आनंद मोहन संयुक्त सचिव (आरडी एवं पीपी), दूरभाष सं. 011–23725477 फैक्सः 011–24369170
6.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 401, चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	श्रीमती ऋचा मिश्रा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दूरभाष सं. 011–23710297 फैक्सः 011–23710297
7.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 411, चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	श्री ए.एस. गोयल आयुक्त (एसपीआर), दूरभाष सं. 011–23710107
8.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 236, द्वितीय तल 'बी' विंग, कृषि भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली –110001	श्री अनुज कनवल, आयुक्त (सीएडीडब्ल्यूएम) फैक्स – 011–23382256

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारी
9.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 827, 8 वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003	श्री अतुल जैन आयुक्त (बाढ़ प्रबंधन) दूरभाष सं. 011–24368238 फैक्सः 011–24362780
10.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 204, दूसरा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003	श्री एस.के. सिन्हा, आयुक्त (बी एवं बी) दूरभाष सं. 011–24364724
11.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 814, 8 वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003	श्री ए.के.पाल, आयुक्त (इंडस) दूरभाष सं. 011–24361540 फैक्सः 011–24361540
12.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 815, 8 वीं मंजिल, ब्लॉक–11 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली –110003	डॉ. आर. सतीश आर्थिक सलाहकार दूरभाष सं. 011–24368941
13.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, दूसरा तल, बी–विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली110003	श्रीमती प्रियंका कुलश्रेष्ठ, उप–महानिदेशक, दूरभाष सं. 011–24699496
14.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	श्री आनंद मोहन, संयुक्त सचिव (एनआरसीडी) दूरभाष सं. 011–24365020 फैक्सः 011–24369382
	संबद्ध कार्यालय	
15.	केंद्रीय जल आयोग, कमरा सं. 326, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110022	श्री कुशविन्दर वोहरा, (श्री. जे. चन्द्रशेखर अय्यर 31.12.2022 को सेवानिवृत हुए) अध्यक्ष, दूरभाष सं. 011–26715351 फैक्सः 011–26108614
16.	केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, कमरा सं. 111, हौज खास, नई दिल्ली–110016	डॉ. आर. चित्रा, निदेशक, दूरभाष सं.. 011–26961894, 26967985 फैक्सः 011–26967985
	अधीनस्थ कार्यालय	
17.	फरक्का बैराज परियोजना, पी.ओ. – फरक्का बैराज, जिला मुर्शिदाबाद– 742212, पश्चिम बंगाल	श्री आर. डी. देशपांडे, महाप्रबंधक, दूरभाष सं. 03485–253644 फैक्स : 03485–253608

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारी
18.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, सिंचाई भवन, तृतीय तल, पटना–800015	श्री एम. के. श्रीनिवास, अध्यक्ष, दूरभाष सं. 0612–2217294 फैक्स : 0612–2217960
19.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पी. ओ. खड़कवासला, पुणे–411024	श्री आर. एस. कंकारा, निदेशक दूरभाष सं. 020–24380552 फैक्स : 020–24381004
20.	केंद्रीय भूजल बोर्ड, भूजल भवन, फरीदाबाद –121001	श्री सुनील कुमार, अध्यक्ष दूरभाष सं. 0129–2477101 फैक्स : 0129–2477200
21.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, बाणसागर कालोनी, रीवा, मध्य प्रदेश, 486001	श्री एम.डब्ल्यू. पौनीकर, सचिव दूरभाष सं. 07662–226318 फैक्स : 07662–242433
22.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, 201,'एस', सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110016	श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष दूरभाष सं. 011–26195415 फैक्स : 011–26195289
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
23.	जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड, 5 वीं मंजिल, 'कैलाश', 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	श्री आर.के. अग्रवाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दूरभाष सं. 011–23313881 फैक्स : 011–23314924
24.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, प्लॉट सं. 148, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003	श्री आर.के अग्रवाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दूरभाष सं. 0124–2385219 फैक्स : 0124–2385219
	पंजीकृत सोसायटी/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय आदि	
25.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, प्रथम तल, एमडीसीएनएस बिल्डिंग, इंडिया गेट, नई दिल्ली–110 002	श्री जी. अशोक कुमार, महानिदेशक (एनएमसीजी) दूरभाष सं. 011–23049528
26.	राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा तल, ब्लॉक–3, सीजीओ कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003	श्रीमती अर्चना वर्मा, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, दूरभाष सं. 011–24365200

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन के प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारी
27.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन, रुड़की, उत्तराखंड –247667	डॉ. सुधीर कुमार निदेशक दूरभाष सं. 01332–272106 फैक्स : 01332–272123/273976
28.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, 18–20, सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली–110017	श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक दूरभाष सं. 26519164 फैक्स : 26513846
29.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान, डोलाबारी, तेजपुर, सोनितपुर, असम–784027	डॉ. प्रदीप कुमार बोरा, निदेशक दूरभाष सं. 03712–291069, फैक्स : 03712–268007
30.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, सेक्टर–बी, स्कीम सं.74–सी, विजय नगर, इंदौर–452010	श्री अशोक कुमार ठाकुर, कार्यकारी सदस्य और विभागाध्यक्ष दूरभाष सं. 0731–2557276 फैक्स : 0731–2559888
31.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बशिष्ठा, गुवाहाटी, असम–781029	श्री राजीव यादव, अध्यक्ष दूरभाष सं. 0361–2301099 फैक्स 0361–2301099
32.	बेतवा नदी बोर्ड, नंदनपुरा, शिवपुरी हाइवे, झांसी–284003	श्री बी.एस. मोहनीया, सचिव टेलीफैक्स सं. 0510–2480183
33.	तुंगभद्रा बोर्ड, तुंगभद्रा बांध, तालुकः होसपेट, जिलाः बेल्लारी, कर्नाटक, पिनः 583225	श्री डी.एम. रायपुरे, अध्यक्ष दूरभाष सं. 040–29808740 फैक्स 040–29808742
34.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, जलशौध, ऐर्रा मंजिल, हैदराबाद–500 082.	श्री एम.पी. सिंह, अध्यक्ष, दूरभाष सं. 040–23301659
35.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, पांचवी मंजिल, जलशौध, ऐर्रा मंजिल, हैदराबाद–500 082.	डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा, अध्यक्ष दूरभाष सं. 040–23313163 फैक्सः 040–23313162

सूचित पूर्ण/लगभग पूर्ण प्राथमिकृत परियोजनाओं (एआईबीपी कार्य) की सूची

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	चरम सिंचाई क्षमता (ह.हे.में)
1	आंध्र प्रदेश	मद्दीगेडा	1.42
2	असम	चंपामत्ती	25.00
3	छत्तीसगढ़	मनियारी टैंक	14.52
4		खारूंग	10.30
5	जम्मू और कश्मीर	राजपोरा लिफ्ट	2.43
6		मुख्य रावी नहर का पुनरूद्धार और अधुनिकीकरण	50.75
7		तरल लिफ्ट	6.00
8	कर्नाटक	श्री रामेश्वर सिंचाई	13.80
9		भीमा एलआईएस	24.29
10		करंजा	29.23
11	मध्यप्रदेश	सिंहपुर परियोजना	10.20
12		माहुर परियोजना	13.78
13		सगद परियोजना	17.06
14		सिंध परियोजना चरण–II	162.10
15		इंद्रा सागर परियोजना नहर चरण– I और II (0 कि.मी. से 142 कि.मी.)	62.20
16		ओमकारेश्वर परियोजना नहर चरण–IV (ओएसपी लिलिफ्ट)	54.63
17		इंद्रा सगर परियोजना नहर चरण–V (खरगोने लिफ्ट)	33.14
18		बाणसागर ईकाई–2	154.54
19		बरियारपुर एलबीसी	43.85
20		संजय सागर (बाह) परियोजना	17.81
21		बारगी डायवर्जन परियोजना चरण– I	21.19

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	चरम सिंचाई क्षमता (ह.हे.में)
22		माही परियोजना	33.75
23		महान परियोजना	19.74
24		ओमकारेश्वर परियोजना नहर चरण –II	19.578
25		ओमकारेश्वर परियोजना नहर चरण –III	48.592
26		इंद्रा सगर परियोजना नहर चरण – III	20.7
27		इंद्रा सगर परियोजना नहर चरण – IV	19.6
28	महाराष्ट्र	बावनथाडी (आईएस)	27.71
29		निचली पंजारा	6.79
30		डोंगरगांव	2.77
31		वार्ना	54.75
32		नंदुरामधमेश्वरफ चरण–II	20.50
33		ऊपरी कुंडलिका	2.80
34		निचली दुधना	44.48
35		खड़कपूर्णा	23.86
36		धोमाबालकवाड़ी	18.10
37	मणिपुर	दोलाईथाबी	7.54
38	ओड़िशा	ऊपरी इंद्रावत्ती (केबीके)	85.95
39		रूकूरा–आदिवासी	7.65
40		रेट	8.50
41		तेलंगिरी	13.83
42		निचली इंद्रा	35.87
43	पंजाब	कांडी नहर विस्तार (चरण–II)	23.33
44		प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास	68.62
45	राजस्थान	नर्मदा नहर	245.88
46		गंगा नहर का रूपांतरण	69.69
47	तेलंगाना	गोल्लावागु परियोजना	3.85
48		रैल्लिवागु परियोना	2.43
49		मथादिवागु परियोजना	3.44
50	उत्तर प्रदेश	बाणसागर नहर	150.13

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 99 प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के एआईबीपी कार्य के लिए जारी केंद्रीय सहायता और राज्य का हिस्सा (दिनांक 31.12.2022 तक)

(करोड रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत जारी					
		2016–17 से 2021–22 तक		2022–23 (दिनांक 31–12–2022 तक)		कुल 2016–17 से 2022–23 (दिनांक 31–12–2022 तक)	
		जारी केंद्रीय सहायता	नाबार्ड के माध्यम से जारी राज्य हिस्सा	जारी केंद्रीय सहायता	नाबार्ड के माध्यम से जारी राज्य हिस्सा	जारी केंद्रीय सहायता	नाबार्ड के माध्यम से जारी राज्य हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	22.63	489.34	0.00	0.00	22.63	489.34
2	असम	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00	108.10
3	बिहार	110.24	0.00	0.00	0.00	110.24	0.00
4	छत्तीसगढ	44.20	0.00	0.00	0.00	44.20	0.00
5	गोवा	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00	48.89
6	गुजरात	4,440.24	3,611.03	0.00	0.00	4,440.24	3,611.03
7	झारखंड	756.73	518.10	0.00	0.00	756.73	518.10
8	कर्नाटक	1,186.62	0.00	0.00	0.00	1,186.62	0.00
9	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	मध्य प्रदेश	668.29	1,083.10	61.93	0.00	730.22	1,083.10
11	महाराष्ट्र	2,143.02	12,279.58	0.00	684.50	2,143.02	12,964.08
12	मणिपुर	240.11	335.12	0.00	0.00	240.10	335.12
13	ओडिशा	1,208.86	3,259.49	0.00	0.00	1,208.86	3,259.49
14	पंजाब	52.42	0.00	0.00	0.00	52.42	0.00
15	राजस्थान	458.56	259.01	0.00	0.00	458.56	259.01
16	तेलंगाना	981.49	0.00	0.00	0.00	981.49	0.00
17	उत्तर प्रदेश	1,397.91	6,431.18	0.00	0.00	1,397.91	6,431.18
18	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर	39.71	0.00	0.00	0.00	39.71	0.00
19	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00
	कुल	**13,753.99**	**28,422.94**	**61.93**	**684.50**	**13,815.92**	**29,107.44**

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नई शामिल परियोजनाओं के एआईबीपी कार्य के लिए जारी केंद्रीय सहायता (दिनांक 31.12.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वर्ष 2021–22 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपये में)	वर्ष 2022–23 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपये में) (दिनांक 31.12.2022 तक)
1	महाराष्ट्र	जिहे कट्हापुर परियोजना	6.48	0
2	हिमाचल प्रदेश	नादुन परियोजना	2.25	0
3		रेणुकाजी बांध परियोजना*	1,048.54	0
4	राजस्थान	परवान बहुउद्देशीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	41.43	0
5	तमिलनाडु	कन्नादियन चैनल	9.04	0
6	असम	शुक्ला सिंचाई परियोजना का ईआरएम	0	41.98
7	मणिपुर	लोकतक एलआईएस (चरण–I) का ईआरएम	0	0
8	उत्तराखंड़	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	0	38.58

**2016–17 के दौरान रेणुकाजी परियोजना को 446.96 करोड़ रुपये भूमि मुआवजा बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जारी किए गए।*

अनुलग्नक–VI

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए जारी केंद्रीय सहायता और राज्य का हिस्सा (दिनांक 31.12.2022 तक)

(करोड रूपए में)

क्र. सं.	राज्य	2016–17 से 2021–22 तक		2022–23 (31.12.2022 तक)		कुल 2016–17 से 2022–23 तक (31.12.2022 तक)	
		जारी केंद्रीय सहायता	नाबार्ड के माध्यम से जारी राज्य हिस्सा	जारी केंद्रीय सहायता	नाबार्ड के माध्यम से जारी राज्य हिस्सा	जारी केंद्रीय सहायता	नाबार्ड के माध्यम से जारी राज्य हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	69.18	0.00	0.00	0.00	69.18	0.00
2	असम	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00
3	बिहार	35.82	0.00	0.00	0.00	35.82	0.00
4	छत्तीसगढ	21.71	0.00	0.00	0.00	21.71	0.00
5	गोवा	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
6	गुजरात	1,719.15	0.00	0.00	0.00	1,719.15	0.00
7	जम्मू और कश्मीर	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00
8	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	कर्नाटक	75.28	0.00	0.00	0.00	75.28	0.00
10	केरल	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00
11	मध्य प्रदेश	310.52	234.260	0.00	0.00	310.52	234.26
12	महाराष्ट्र	149.20	112.070	0.00	0.00	149.20	112.070
13	मणिपुर	2.09	34.900	0.00	0.00	2.09	34.900
14	ओडिशा	131.964	250.99	0.00	0.00	131.964	250.99
15	पंजाब	18.08	0.00	4.50	0.00	22.58	0.00
16	राजस्थान	112.65	120.92	20.78	18.00	133.43	138.92
17	तेलंगाना	36.34	0.00	0.00	0.00	36.34	0.00
18	उत्तर प्रदेश	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
	कुल	**2,855.63**	**753.14**	**25.28**	**18.00**	**2,880.91**	**771.14**

अनुलग्नक–VII

एफएमबीएपी के एफएमपी/एफएम घटक के तहत जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण

(करोड रूपए)

क्र.सं.	राज्य	एफएमपी के तहत जारी निधि						कुल जारी निधि
		11वीं और 12वीं योजना के दौरान	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	
1	अरूणाचल प्रदेश	169.60	21.18	..	..	..		190.78
2	असम	813.75	245.49	142.12	85.03	..	14.08	1,300.47
3	बिहार	907.82	..	16.58	..	..		924.41
4	छत्तीसगढ़	19.32	..	..	..	..		19.32
5	गोवा	11.98	..	..	..	..		11.98
6	गुजरात	2.00	..	..	..	..		2.00
7	हरियाणा	46.91	..	..	..	..		46.91
8	हिमाचल प्रदेश	387.85	87.50	162.60	176.41	11.87	6.35	832.57
9	जम्मू और कश्मीर	422.52	110.40	52.20	92.74	10.14	116.79	804.79
10	झारखंड़	22.71	..	..	..	..		22.71
11	कर्नाटक	23.80	..	..	..	..		23.80
12	केरल	118.90	19.05	..	..	..		137.95
13	मणिपुर	90.70	..	..	..	..	52.38	143.08
14	मेघालय	3.81	..	..	..	..		3.81
15	मिजोरम	16.41	0.48	..	..	..		16.89
16	नागालैंड	83.12	..	10.84	..	..		93.96
17	ओड़िशा	101.12	..	..	..	15.79	2.51	119.41
18	पुड्डुचेरी	7.50	..	..	..	..		7.50
19	पंजाब	40.43	..	..	..	..		40.43
20	सिक्किम	91.84	..	..	..	..		91.84
21	तमिलनाडु	59.82	..	..	..	..		59.82
22	त्रिपुरा	23.62	..	..	..	..		23.62
23	उत्तरप्रदेश	401.91	13.55	15.58	39.15	..		470.18
24	उत्तराखंड़	203.61	..	4.63	35.58	..	2.77	246.60
25	पश्चिम बंगाल	802.01	65.03	23.65	117.12	..	44.15	1051.96
	कुल	**4,873.07**	**562.67**	**428.20**	**546.01**	**37.79**	**239.03**	**6,686.79**

11वीं और 12वीं योजना के दौरान बाढ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्य–वार संरक्षित क्षेत्र और लाभान्वित जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य	परियोजना (संख्या)	सुरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लाभन्वित जनंसख्या (संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	21	47,616.53	2,01,209
2	असम	105	6,70,314.46	1,60,63,422
3	बिहार	42	28,67,117	2,23,45,566
4	छत्तीसगढ	3	100.05	35,596
5	गोवा	2	300	27,000
6	गुजरात	2	319.97	46,400
7	हरियाणा	1	1,41,279	10,53,441
8	हिमाचल प्रदेश	6	14,461.81	2,75,694
9	जम्मू और कश्मीर	19	2,31,987.654	15,31,505
10	झारखंड	3	17,700	1,96,500
11	कर्नाटक	2	18	80,000
12	केरल	2	3,841	10,756
13	मणिपुर	22	39,315	2,01,640
14	मिजोरम	1	135.68	312
15	नगालैंड	14	2,463.42	1,63,000
16	ओडिशा	66	1,93,749	11,54,300
17	पंजाब	4	11,383	55,500
18	सिक्किम	28	48,727.87	2,06,534
19	तमिलनाडु	5	3,19,516.9	20,17,103
20	त्रिपुरा	11	1,964	88,480
21	उत्तर प्रदेश	24	2,64,862	39,64,469
22	उत्तराखंड	16	23,529.3	1,31,122
23	पश्चिम बंगाल	16	93,736.7	23,57,250
	कुल	**415**	**49,94,438.4**	**5,22,06,799**

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 'सर्वेक्षण और जांच' और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बेसिन	स्थपित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
क. पूरी हो चुकी डीपीआर				
1.	दिहांग (सियांग) बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	20,000	बोर्ड द्वारा एकल चरण परियोजना की डीपीआर को 1983 में पूर्ण कर लिया गया था। वर्ष 2000 में तीसरे चरण के विकास के लिए एनएचपीसी को सौंप दिया गया था।
2.	सुबानसिरी परियोजना	ब्रह्मपुत्र	4,800	बोर्ड द्वारा एकल चरण परियोजना की डीपीआर को 1983 में पूर्ण कर लिया गया था। वर्ष 2000 में तीसरे चरण के विकास के लिए एनएचपीसी को सौंप दिया गया था।
3.	टिपैमुख परियोजना	बराक	1,500	वर्ष 1995 में डीपीआर को पूर्ण कर लिया गया। वर्ष 1999 में एनईईपीसीओ को सौंप दिया गया।
4.	बैराभी बांध परियोजना	बराक	75	वर्ष 2000 में मिजोरम सरकार को सौंप दिया गया।
5.	पगलादिया परियोजना	ब्रह्मपुत्र	3	असम सरकार से निर्माण कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता के कारण बह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन रोका गया।
ख. आंशिक रूप से पूरी की गई डीपीआर				
1.	दिबांग बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	4,900	बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण और निरीक्षण का कार्यान्वयन किया गया तथा डीपीआर को आंशिक रूप से पूर्ण कर लिया गया। वर्ष 2006 में एनएचपीसी को सौंप दिया गया और एनएचपीसी के कार्यान्वयन के अधीन है।
2.	लोहित बांध परियोजना	ब्रह्मपुत्र	3,000	सर्वेक्षण और निरीक्षण को पूर्ण कर लिया गया। वर्ष2009 में अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना को निजी विकासकर्ता को सौंप दिया गया।

3.	किंशीचरण चरण– I बांध परियोजना	अन्य	450	सर्वेक्षण और निरीक्षण पूरा होने के अंतिम चरण में था।
4.	किंशीचरण चरण– II बांध परियोजना	अन्य	450	मेघालय सरकार ने 2011 में निजी विकासकर्ता को परियोजना सौंपी।

वर्तमान में एस एवं आई और डीपीआर तैयारी के तहत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	बेसिन	स्थपित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1.	कुलसी बहुउद्देश्यीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पहचान)	असम और मेघालय	ब्रह्मपुत्र	55	डीपीआर पूर्ण कर ली गई। असम सरकार ने दिनांक 14.03.2022 के पत्र संख्या पीईएल.227/2021/5 के माध्यम से असम सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यान्वयन के लिए औपचारिक रूप से परियोजना डीपीआर सौंपने का अनुरोध किया गया। मेघालय सरकार ने पत्र संख्या पीओएल 146/2021/104 दिनांक 23.02.2022 के माध्यम से असम सरकार के साथ सीमा विवाद के मुद्दे का समाधान होने तक निष्पादन को स्थगित रखने का अनुरोध किया।
2.	नोआ–देहिंग बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पहचान)	अरुणाचल प्रदेश	ब्रह्मपुत्र	72	डीपीआर पूरा किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है।
3.	सिमसांग बांध परियोजना	मेघालय	अन्य	65	डीपीआर तैयार करने का काम वाप्कोस को सौंपा गया है और यह प्रगति पर है।
4.	जियाधल बांध परियोजना	अरूणाचल प्रदेश	ब्रह्मपुत्र	70	
5.	किलिंग बांध परियोजना	असम और मेघालय	ब्रह्मपुत्र	85	सर्वेक्षण और जांच रोका गया।
6.	बोडो क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में नदियों की अचानक बाढ़ के लिए डीपीआर तैयार करना	बीटीसी, असम	ब्रह्मपुत्र	..	स्थापना रिपोर्ट पूरी हुई। भूवैज्ञानिक जांच पूरी हुई।

बजट एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

योजना/कार्यालय/घटक	वास्तविक 2021–22	बीई 2022–23	दिनांक 31–12–2022 तक हुआ व्यय, (अनंतिम)
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
फरक्का बैराज परियोजना	87.97	110.98	35.09
डीआरआईपी	22.99	100.00	3.60
राष्ट्रीय गंगा योजना	1,900.00	2,800.00	1,600.00
नदी बेसिन प्रबंधन	171.00	97.00	40.53
जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	155.16	185.00	117.06
भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	179.11	375.00	124.84
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	388.75	800.00	295.69
आर एण्ड डी और एनडब्ल्यूएम	30.80	52.88	16.54
एचआरडी/सीबी	2.61	00.00	00.00
अवसंरचना विकास	5.06	00.00	00.00
अटल भूजल योजना	327.48	700.00	504.57
उप योग	**3,270.93**	**5,220.87**	**2,737.92**
केन्द्र प्रयोजित योजनाएं			
पीएमकेएसवाई–हर खेत को पानी	4,911.54	5,369.97	2,869.83
एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम	2,286.94	4,281.69	167.77
एफएमबीएपी	261.72	450.00	394.40
सिंचाई गणना	28.25	52.78	11.49
पीएमकेएसवाई के तहत नाबार्ड से ऋणों की सर्विसिंग	3,736.00	4,585.00	2,794.06
मराठवाड़ा, विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज	725.00	800	10.77
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना–अन्य बेसिन	203.16	250.68	229.02

योजना/कार्यालय/घटक	वास्तविक 2021–22	बीई 2022–23	दिनांक 31–12–2022 तक हुआ व्यय, (अनंतिम)
नदी को आपस में जोड़ना	4,642.03	1,400.00	399.77
उप–योग	**13,058.64**	**12,605.12**	**4,083.05**
स्थापना			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	212.56	146.00	89.86
संबद्ध, अधीनस्थ एवं अन्य कार्यालय			
केन्द्रीय जल आयोग	367.72	410.80	317.61
केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र	22.11	31.10	20.64
केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र	80.20	80.00	68.56
एनडीएसए	0	0	0
बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.33	0.50	0.12
उपरी यमुना रिवर बोर्ड	4.78	2.00	2.21
केंद्रीय भूजल बोर्ड	260.92	282.00	228.14
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	41.70	45.00	33.15
राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र	2.50	3.50	2.17
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	6.29	7.50	5.79
नेरिवालम	5.09	11.00	8.85
ब्रह्मपुत्र बोर्ड	0	50.00	31.11
एनडब्ल्यूडीए	0	59.00	41.82
एनडब्ल्यूए	6.22	10.00	6.23
आरजीआई	0	3.50	2.25
उप–योग	**1,010.42**	**1,141.90**	**850.24**
कुल	**17,258.21**	**18,967.88**	**7,671.21**

अनुलग्नक–XI

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और उसके विभिन्न संगठनों में लोक/ कर्मचारी शिकायत अधिकारियों की सूची डाक पते के साथ

क्र. सं.	संगठन का नाम	पता	लोक शिकायत/कर्मचारी शिकायत संबंधी अधिकारी का नाम व पदनाम
1.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	कमरा नंबर 01, 'बी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 (दूरभाष सं. 011–23074005)	श्री जी. एस. पंवार, उप सचिव (समन्वय)
2.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	नर्मदा सदन, सेक्टर–बी, स्कीम नंबर 74, विजय नगर, इंदौर – 452010 (एमपी) (दूरभाष सं. 0731–2554477)	श्री डी. इल्लेंचेज़ियन, सचिव और शिकायत निवारण अधिकारी
3.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, सामब कॉलोनी, रीवा, (मध्य प्रदेश) (दूरभाष सं. 07662–226318)	श्री एम.डब्ल्यू. पौनीकर, सचिव और शिकायत अधिकारी
4.	बेतवा नदी बोर्ड	बेतवा नदी बोर्ड, नंदनपुरा, झांसी–284003 (उत्तर प्रदेश (दूरभाष सं. 0510–2480279)	श्री काउटुक जैन, वेतन एवं लेखा अधिकारी
5.	केंद्रीय भूजल बोर्ड	केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय मुख्यालय, फरीदाबाद, (दूरभाष सं. 0129–2477125 और फैक्स नंबर 0129–2412524)	डॉ. रतीकांता नायक, वैज्ञानिक ई एवं निदेशक (प्रशासन) और लोक शिकायत अधिकारी
6.	केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला	सीएसएमआरएस, ओलोफ पालमे मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली 110 016 (दूरभाष सं. 26581370) फैक्स सं.26853108	श्री हरि देव, वैज्ञनिक 'ई' और निदेशक (शिकायत)
7.	केंद्रीय जल आयोग	कमरा नंबर 308, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली –110066, (दूरभाष सं. 011 26187232) (फैक्स नंबर 26195516)	श्री प्रवीण कुमार, सचिव (कार्मिक शिकायत अधिकारी)

क्र. सं.	संगठन का नाम	पता	लोक शिकायत/कर्मचारी शिकायत संबंधी अधिकारी का नाम व पदनाम
8.	केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पी.ओ. खड़कवासला रिसर्च स्टेशन, पुणे – 411024 (दूरभाष सं. 020–24103402)	डॉ. जीवेश्वर सिन्हा, वैज्ञानिक 'ई' और शिकायत निवारण अधिकारी
9.	फरक्का बैराज परियोजना	पी.ओ. फरक्का बैराज, जिला–मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल–742212 (दूरभाष सं. 03485–253335)	श्री संदीप कुमार, अधीक्षण अभियंता (समन्वय) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत)
10.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, सिंचाई भवन, तीसरी मंजिल, पटना –800015 (दूरभाष सं. 0612– 2215222) (फैक्स नंबर 0612– 2222294)	श्री संजीव कुमार, निदेशक समन्वय और निदेशक (कर्मचारी शिकायत और सार्वजनिक शिकायत)
11.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	जल विज्ञान भवन, रुड़की, उत्तराखंड– 247667 (दूरभाष सं. 0133–2249216)	श्री ओमकार सिंह, वैज्ञानिक–जी, लोक शिकायत अधिकारी
12.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनपीसीसी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 148, सेक्टर –44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003	श्री अरिंदम गुहा, वरिष्ठ प्रबंधक (कानून) शिकायत निवारण अधिकारी
13.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	18–20, सामुदायिक केंद्र, साकेत, नई दिल्ली –110017 (दूरभाष सं. 26852735)	श्री बालेश्वर ठाकुर, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) और शिकायत अधिकारी
14.	जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लि.	76, सी, सेक्टर –18, गुरुग्राम, हरियाणा–122015 दूरभाष संख्याः – 0124–2344425	डॉ. अमन शर्मा, निदेशक (कर्मचारी) लोकशिकायत)
15.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	ब्रह्मपुत्र बोर्ड बशिष्ठा, गुवाहाटी – 781029 (दूरभाष सं. 0361–2300128)	श्रीमती जालि बेजबारूहा, कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) – ब्रह्म पुत्र बोर्ड– लोक शिकायत अधिकारी

क्र. सं.	संगठन का नाम	पता	लोक शिकायत/कर्मचारी शिकायत संबंधी अधिकारी का नाम व पदनाम
16.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, विंग नंबर 4, भूतल, पश्चिम ब्लॉक नंबर 1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066 (दूरभाष 011–26174147)	डॉ जाकिर हुसैन, पर्यावरण विशेषज्ञ
17.	तुंगभद्रा बोर्ड	तुंगभद्रा बोर्ड, तुंगभद्रा बांध, तालुकः होस्पेट, जिलाः बेल्लारी, कर्नाटक राज्य, पिनः 583225 फोन–08394–259113	श्री जी. नागा मोहन, सचिव और निदेशक शिकायत
18.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	प्रथम तल, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली–110002	श्री बी.एल.मीना, अवर सचिव, एनएमसीजी
19.	राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केनै (एनडब्ल्यूआईसी)	चौथा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली–110066	श्री अधीर कुमार मल्लिक, अवस सचिव (प्रशासन)
20.	उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (नेरिवालम)	तेजपुई डोलाबारी, पी.ओ.– कालईभोमोरा तेजपुर, असम–784027	डॉ. प्रदीप कुमार बोरा, निदेशक, नेरीवालम लोक शिकायत कार्यालय टी, नेरीवालम
21.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी)	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, पांचवां तल, जालासाउनधा, ऐर्रा मंजिल, हैदराबाद–500082	श्री आर. अजेंगसन, सदस्य सचिव, जीआरएमबी

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विभिन्न अनुभागों/स्कंधों में केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)	अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)
1	श्री आशिष कुमार साव, अवर सचिव (प्रशा./सा.प्रशा./रोकड़), दूरभाष सं–011–23714350, ईमेल आईडी : usadmn-mowr@nic.in	प्रशासन अनुभाग/सामान्य प्रशासन अनुभाग/रोकड़ अनुभाग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ	श्री एस. बी. पांडे, उप सचिव (प्रशासन/ सामान्य प्रशासन/ रोकड़ अनुभाग), दूरभाष संख्या 23714734, ईमेल : dsadmn-mowr@nic.in
2	श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव (ई–I/ई–III), दूरभाष संख्या 011–23716928, ईमेल आईडीः use1-mowr@nic.in	ई–I अनुभाग	श्री चंदन मुखर्जी, उप सचिव (ई–I / ई–III), दूरभाष संख्या 011–23711459 ईमेल आईडीः chandan@nic.in
3		ई–III अनुभाग	
4	श्री बी.एच.थंगमवई वईफेई, अवर सचिव (आईईसी/ आआईडी और ई–गवर्नेंस), दूरभाष संख्या 011–23766944 ईमेल आईडीः bht.vaiphei@nic.in	पीएसयू/आईईसी/ ई–गवर्नेंस सेल और आईडी	वाई.पी.यादव, उप सचिव (पीएसयू/आईईसी,ई–गवर्नेंस और आईडी) दूरभाष संख्या –011–23711875 ईमेल आईडी : yp.yadav48@gov.in
5	श्री एस.एन.पाल, अवर सचिव (समन्वय), दूरभाष संख्या 011–23074033, ईमेल आईडीः uscoord-mowr@nic.in	समन्वय अनुभाग	जी. एस. पंवार, उप–सचिव (समन्वय) दूरभाष संख्या 011–23074005 ईमेल आईडी : dircoord-mowr@nic.in
6	अविनाश चंद्रा, अवर सचिव (ईए एवं आईसी और संसद), दूरभाष संख्या 011–23383078, ईमेल आईडीः usea-mowr@nic.in	संसद और ईए एवं आईसी	श्री मुकेश कुमार, उप सचिव (संसद, ईए एवं आईसी) दूरभाष संख्या 011–23382428, ईमेलः dsea-mowr@nic.in

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)	अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)
7	संजीव तिवारी, अनुभाग अधिकारी (ई–IV) दूरभाष संख्या– 011–23718620 ईमेल आईडी : soe4-mowr@gov.in	ई–IV	श्री सुब्रत के. बासु उप सचिव (ई–IV), दूरभाष नं–011–23714374, ईमेल आईडी : basu-sk@nic.in
8	श्री अरविंद जोसेफ सोरेंग, अवर सचिव (पीपी), दूरभाष संख्या 011–23714350, ईमेल आईडीः uspp-mowr@nic.in	पीपी (नीति)	ओम प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी), दूरभाष संख्याः 011–23719503, ईमेल आईडीः sjcpp-mowr@nic.in
9	शालिनी गुप्ता, अवर सचिव (जीडब्ल्यूई), दूरभाष संख्या 011–23766907, ईमेल आईडीः usgw-mowr@nic.in	जीडब्ल्यूई	श्री अशोक कुमार, निदेशक (जीडब्ल्यूई) दूरभाष संख्या –011–23711988, ईमेल आईडीः ashok.kum@nic.in
10	जितेंद्र कुमार, अवर सचिव (बजट/वित्त– I) दूरभाष सं. 011–23719627 ईमेल आईडीः jitendra.kr80@nic.in	बजट	ए. के. साहू, उप–सचिव (वित्त–I) दूरभाष सं. 011–23711486 ईमेल आईडीः ak.sahoo38@nic.in
11	रत्नाकर यादव, अवर सचिव (आईएफडी/विवित्त–II) दूरभाष सं. 011–23719302 ईमेल आईडीः yp.yadav48@gov.in	आईएफडी	ए. के. साहू, उप–सचिव (वित्त–II) दूरभाष सं. 011–23711360 ईमेल आईडीः dirfin-mowr@nic.in
12	प्रशांत मलिक, अवर सचिव (ई–II और सतर्कता) दूरभाष सं. 011–23350131 ईएमआई आईडीः use2-mowr@nic.in	ई–II	विजय कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव (ई–II) दूरभाष सं. 011–23711988 ईमेल आईडी : vijayk.srivastava25@nic.in
13		सतर्कता	आशीष कुमार, निदेशक (भूजल और सतर्कता) दूरभाष सं. 011–23716747 ईमेल आईडी : ashish.kumar74@gov.in

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)	अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)
14	राजेन्द्र कुमार साहू, अवर सचिव (भूजल) दूरभाष सं. 011–23716928 ईमेल आईडीः usgw2-mowr@nic.in	भूजल	आशीष कुमार, निदेशक (भूजल और सतर्कता) दूरभाष सं. 011–23716747 ईमेल आईडी : ashish.kumar74@gov.in
15	अनिल कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) दूरभाष सं. 011–23714374 ईमेल आईडी : hindi-mowr@nic.in	राजभाषा अनुभाग	विजय सिंह मीणा, निदेशक (राजभाषा) दूरभाष सं. 011–23714374 ईमेल आईडीः vs.meena25@nic.in
16	श्री कौशल कुमार, उपायुक्त (बी एंड बी) दूरभाष सं. 011–24367116 ईमेल आईडीः kaushalkmr-cwc@nic.in	ब्रह्मपुत्र और बराक स्कंध के मामले	अजय कुमार गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बी एंड बी) दूरभाष सं. 011–24367128 ईमेल आईडीः dcbb-mowr@gov.in
17	शंभु नाथ गुप्ता, अवर सचिव (एनएचपी) दूरभाष सं. 011–21420161 ईमेल आईडीः snath.gupta@gov.in	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	राकेश कश्यप, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एनएचपी) दूरभाष सं. 011–24367081 ईमेल आईडी : sjc1nhp-mowr@nic.in
18	राजेश शर्मा, अवर सचिव (एफएम) दूरभाष सं. 011–24362517 ईमेल आईडी : rajeshsharma-cwc@gov.in	बाढ़ प्रबंधन स्कंध	श्री राजीव सिंघल, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एफएम) दूरभाष सं. 011–24392095 ईमेल आईडी : sjcfm4-mowr@nic.in
19	बामणे मोहन जिन्नाप्पा, उप–निदेशक (पीपी– योजना ईकाई) दूरभाष सं. 011–23466683 ईमेल आईडी : bamane.m@gov.in	योजना ईकाई	सीएच. डेविड, निदेशक (पीपी– योजना ईकाई) दूरभाष सं. 011–24366683 ईमेल आईडीः david.ch63@gov.in
20	बी. बी. साईकिया, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (सीएडीडब्ल्यूएम) दूरभाष 011–23383090 ईमेल आईडीः cadwm-mowr@nic.in	सीएडी संबंधी मामले	अनुज कनवल, आयुक्त (सीएडी) दूरभाष सं. 23382256 ईमेलः commcadwm-mowr@nic.in

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)	अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)
21	कुमार वैभव, उपायुक्त (बेसिन प्रबंधन) दूरभाषसंख्या. 011–24368344 ईमेल आईडीः dcbm-mowr@nic.in	नदी बेसिन प्रबंधन, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का प्रशासन, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण, एनडब्ल्यूडीए और नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित तकनीकी मामले	राकेश कुमार, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बेसिन प्रबंधन) दूरभाष संख्या 011–24367109 ईमेल आईडीः sjcbm-mowr@nic.in
22	श्री वीरेश, उपायुक्त (एसपीआर–I), दूरभाष संख्याः 011–23385186, ईमेल आईडीः veeresh-cwc@gov.in	एसपीआर–I	दिपक भट्ट, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एसपीआर–I) दूरभाष संख्या 011–23385186 ईमेल आईडीः deepakbhatt-cwc@nic.in
23	अभिराम कुमार, अवर सचिव (पेन रिवर) दूरभाष सं.011–23383261 ईमेल आईडीः sopenriv-mowr@nic.in	प्रायद्वीपीय नदी स्कंध	एस. एस. बोनल, व. संयुक्त आयुक्त (पेन रिवर–I) ईमेल आईडीः ssbonal-cwc@nic.in
24	श्री आशिष दुबे, सहायक आयुक्त (लघु सिंचाई) दूरभाष सं. 011–23387834 ईमेल आईडीः ashishdubey-cwc@gov.in	लघु सिंचाई	एस. एल. मीना, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एमआई) दूरभाष सं. 011–23387834 ईमेल आईडी : sjcmi-mowr@nic.in
25	श्रेयस गुने, आयुक्त (एसपीआर–II) दूरभाष सं. 011–23711370 ईमेल आईडीः dcspr-mowr@gov.in	एसपीआर–II	अमित कुमार झा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एसपीआर–II), दूरभाष सं. 011–23710131 ईमेल आईडीः sjcpr-mowr@nic.in
26	सुमित गुप्ता, उपायुक्त (इंडस) दूरभाष सं. 011–24360332 ईमेल आईडीः dcindus-mowr@nic.in	इंडस विंग	नवीन कुमार, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (इंडस) दूरभाष सं. 011–24362539 ईमेल आईडीः sjcindus1-mowr@nic.in

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)	अनुभाग/डेस्क/कार्य का नाम	नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/कु.)
27	अंशिका भटनागर, एसईओ (एमआई स्टेट.) दूरभाष सं 011–24656135 ईमेल आईडीः bhatnagar.anshika@gov.in	लघु सिंचाई सांख्यिकी	सौम्या पी कुमार निदेशक (एमआई स्टेट) दूरभाष सं. 011– 24564503 ईमेल आईडीः soumya.kumar@gov.in
28	विनोद कुमार, अवर सचिव (राष्ट्रीय जल मिशन) दूरभाष सं. 011–24368985 ईमेल आईडीः usnwm-mowr@gov.in	राष्ट्रीय जल मिशन	जे. पी. सिंह, निदेशक (राष्ट्रीय जल मिशन) दूरभाष सं. 011–24368984 ईमेल आईडी jp.singh22@nic.in
29	बी. एल. मीना, अवर सचिव, एनएमसीजी दूरभाष सं. 011–23049506 ईमेल आईडीः– bl.meena15@nic.in	नमामि गंगे	बिनोद कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दूरभाष सं. 011–23049417 ईमेल आईडीः– binodkumar.ofb@nic.in
30	प्रमोद कुमार पात्रा, अवर सचिव (राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय) दूरभाष सं. 24361057 ईमेल आईडीः– pramod.patra1983@gov.in	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, (एनआरसीडी)	अरविंद प्रसाद सिंह, उप–सचिव (एनआरसीडी) दूरभाष सं. 24369380 ईमेल आईडीः arvindp.singh@nic.in
31	अमन बिशनोई, अनुभाग अधिकारी, (अटल जल) दूरभाष सं. 011–24320297 ईमेल आईडीः– atal-jal@gov.in	अटल जल	विवेक चौधरी, उप–सचिव (अटल जल) दूरभाष सं. 011–23711875 ईमेल आईडी ds1-dowr@gov.in

टिप्पणीः यदि तबादले/सेवानिवृत्ति/किसी अन्य कारण की वजह से कोई सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी बदल जाता है और मौजूदा सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के स्थान पर नया अधिकारी पद भार ग्रहण करता है, तो नए पद को ग्रहण करने वाले अधिकारी को स्वतः रूप से ही सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी का कार्य आबंटित कर दिया जाएगा। यदि कोई सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी अवकाश/प्रशिक्षण पर जाता है तो संबंधित संपर्क अधिकारी अथवा उस अधिकारी, जिसे संबंधित प्रभाग/शाखा से संबंधित कार्य सौंपा गया है, को स्वतः सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के आबंटित कार्य का भार सौंपा जाएगा।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और इसके संगठनों के 2022–23 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों की सूची

क्र.सं.	प्रकाशन	द्वारा प्रकाशित किया गया	वेबसाइट
1.	चल रही वृहत और मध्यम परियोजना–2022 की स्थिति का संकलन	सीडब्ल्यूसी	https://cwc.gov.in/
2.	जल संसाधन एक नज़र में–2021	सीडब्ल्यूसी	https://cwc.gov.in/
3.	भारत में सार्वजनिक प्रणाली में जल का मूल्य निर्धारण–2022	सीडब्ल्यूसी	https://cwc.gov.in/
4.	जल चर्चा (मासिक)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	http://jalshakti-dowr.gov.in/
5.	जलांश (मासिक)	सीडब्ल्यूसी	https://cwc.gov.in/
6.	भूजल संवाद (त्रैमासिक)	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड	https://cgwb.gov.in/

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
नई दिल्ली